

भारतीय दृश्नन परिचय

[प्रथम खण्ड]

व्याय-दृश्नन

रचयिता

प्रोफेसर श्रीहरिमोहन भट्टा

[थी. एन. कॉलेज, पटना]

पुस्तक-भंडार, लहेरियासराय

प्रश्नाकार
पुस्तक भड्डार
जहेरि या सराय

भारतीय दर्शन परिचय

प्रथम खण्ड	—	न्याय दर्शन
द्वितीय खण्ड	—	वैशेषिक दर्शन (यत्त्रस्य)
तृतीय खण्ड	—	चार्य दर्शन "
चतुर्थ खण्ड	—	योगदर्शन "
पञ्चम खण्ड	—	मीमांसा दर्शन "
षष्ठि खण्ड	—	वेदान्त दर्शन "
सप्तम खण्ड	—	तात्त्विक दर्शन "
अष्टम खण्ड	—	दर्शन समीक्षा "

मुद्रक
इन्द्रियालय
विद्यापति मेस, लालियासराय

निवेदन

भारतवर्ष दर्शन की जन्मभूमि है। पुण्यरलोक गौतम, कणाद, कपिल, पतञ्जलि, जैमिनि, शङ्कुर प्रभृति तत्त्वदर्शियों की जननी यह पावन भरतभूमि सम्पूर्ण ससार के दार्शनिकों के लिये तीर्थस्थानस्वरूप है। किन्तु भारतवर्ष की अन्यान्य सम्पदाओं की तरह यह विमल ज्ञान-सम्पदा भी क्रमशः क्षीण होते-होते आज लुप्तप्राय हो रही है। भौतिक ऐश्वर्य की चकाचोध में पड़कर लोगों की दृष्टि अन्तर्मुखी नहीं हो पाती। इस कारण आधुनिक युग में 'दर्शन' का अदर्शन सा हो रहा है। कुछ इने गिने विद्वानों को छोड़कर दार्शनिक तथ्यों का मनन तथा अनुशोलन करनेवाला कोई नहीं है। अब मरणमित्र के समय की 'स्वत प्रमाण परत प्रमाण कीराङ्गना यत्र गिरो वदन्ति' वाली नात नहीं रही। अधिकाश सरया तो ऐसे ही लोगों की है जो 'याय', 'सांख्य', 'वेदान्त', 'आदि कोरे शब्दों से ही परिचित हैं, उन शास्त्रों में क्या-न्या विषय प्रतिपादित हैं, इसका ज्ञान उन्हें नहीं। और ज्ञान-प्राप्ति का साधन भी सुलभ नहीं है। विशेषत हिंदीवालों के लिये तो दर्शन के गहन बन में प्रवेश करना और भी कठिन है।

जहाँ तक मेरा अनुभव है, हिंदी में ऐसी पुस्तकें हैं ही नहीं, जिनके द्वारा 'न्याय', 'वैशेषिक', 'मीमांसा', आदि के प्रेमी इन शास्त्रोंका ज्ञान प्राप्त कर सके। हिंदी में दर्शन-साहित्य का यह अभाव अवसादजनक है। मेरी बहुत दिनों से अभिलापा थी कि इस अभाव की पूर्ति आशिक रूप में भी हो जाती तो एक महान् यज्ञ सम्पादित होता। किन्तु इस महायज्ञ की गुरुता तथा अपनी अल्पाशयता देरखकर मुझे स्वयं इस कार्य में प्रवृत्त होने का साहस नहीं होता था। एक दिन बातों-ही-बातों में मेरे 'भास्टर साहव' श्रीरामलोचनशरणजी ने हिंदी-साहित्य के इस अभाव की पूर्ति करने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और कहा—“इस दिशा में प्रयत्न करो। इस पवित्र कार्य के सम्पादन में जो अर्थव्यय होगा उसके लिये मैं प्रस्तुत हूँ।” परिणामस्वरूप “भारतीय दर्शन परिचय” नामक ग्रन्थ का श्रीगणेश हुआ और कई चर्चाएँ के निरन्तर परिव्राम के उपरान्त आज प्रथम खण्ड ‘न्यायदर्शन’ प्रकाशित होकर आपके हाथ में है। यह ग्रन्थ आठ खण्डों में समाप्त होगा। इसके अग्रिम खण्ड इस प्रकार हैं—

(१) द्वितीय खण्ड—वैशेषिक दर्शन

(२) तृतीय खण्ड—सांख्य दर्शन

- (३) चतुर्थ सरण्ड—योग दर्शन
- (४) पचम सरण्ड—मीमांसा दर्शन
- (५) पछि सरण्ड—वेदान्त दर्शन
- (६) सप्तम सरण्ड—नास्तिक दर्शन
- (७) अष्टम सरण्ड—दर्शन समीक्षा

मैंने भारतीय दर्शनों को यथासमव सरल और स्पष्ट रूप से समझाने की चेष्टा की है। फिर भी दर्शन का विषय ही कुछ ऐसा जटिल और दुरुद्द होता है कि हिंड्टा से पिण्ड छुड़ाना कठिन है। प्रत्येक सरण्ड में यथासाध्य मूलमन्त्र का अनुसरण करते हुए विषय की विवेचना की गई है। सख्तज्ञ छात्रों के उपकारार्थ सूत्र भी दें दिये गये हैं। यथोचित स्थलां पर प्रामाणिक भाष्य, धार्तिक धृति, व्याख्या वा टीका के प्रासङ्गिक अरा भी उद्धृत किये गये हैं। लक्षणकारों ने जो परिभाषाएँ दी हैं उनकी ऐसी सरल व्याख्या की गई है कि साधारण योग्यता के विद्यार्थी भी आसानी के साथ समझ सके।

मन्त्र का विषय-क्रम स्वतन्त्र रखा गया है। अँगरेजी जाननेवाले पाठकों के उपकारार्थ स्थान-स्थान पर पाश्चात्य दर्शन का भी हवाला दिया गया है। पुस्तक को उपादेय घनाने का मैंने यथाशक्ति प्रयत्न किया है। फिर भी मेरी अल्पहाता वा अनवधानता के कारण इसमें त्रुटियों का रहना सर्वथा सम्भव है। आशा है विद्वान् पाठक नीरस्तीर प्रदृण न्याय से इस कृति का अवलोकन कर लेसक की उत्साह-वृद्धि करेंगे।

जैसा मैं कह आया हूँ, यह मन्त्र सत्साहित्य के यशस्वी निर्माता श्रीयुत रामलोचनशरणजी की प्रेरणा का फल है। वे ही इसके प्रयोजक कर्ता हैं, मैं तो प्रयोज्य मात्र हूँ। इसका जो गुण भाग है उसका श्रेय उन्हीं को है, जो दोप भाग होगा वह मेरा है।

यदि इस पुस्तक से हिंदी-सासार का कुछ भी उपकार हुआ सो मैं अपने परिभ्रम को सार्थक समझूँगा।

विषय-सूची

विषय प्रवेश	१—२१
न्याय शब्द का अर्थ	१
न्यायशास्त्र के अन्यान्य नाम	३
न्यायशास्त्र का उद्देश्य और प्रयोजन	५
न्यायशास्त्र का महत्व	७
न्यायकार गौतम	९
गौतम के सोलह पदार्थ	११
न्यायसूत्र का विषय	१३
न्यायदर्शन का क्रमिक विकास	१०
न्याय का साहित्य-भडार	१७
प्रमाण	२२—२८
प्रमाण का अर्थ	२२
प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण	२४
प्रमाण का लक्षण	२५
प्रमाण का मट्टर	२६
प्रमाण की सत्या	२७
न्याय के चतुर्विध प्रमाण	२८
प्रत्यक्ष	२९—४१
प्रत्यक्ष का अर्थ	२९
इन्द्रिय	३०
अर्थ	३१
संज्ञिकप	३२
इन्द्रियार्थ संयोग	३४
प्रत्यक्ष की उत्पत्ति	३५
प्रत्यक्ष के भेद	३७
लौकिक और अलौकिक प्रत्यक्ष	३८
एमाय लक्षण	३९

ज्ञान लक्षण	४०
योगव	४१
अनुमान	४२—५४
अनुमान का अर्थ	४२
व्याप्ति	४३
पद्धतिमंत्र	४४
लिंग परामर्श	४५
अनुमिति	४५
अनुमान के पश्चात्यर	४६
अनुमान के प्रभेद	४८
पूर्वपत्	४९
शेषपत्	५०
सामान्यतोटष्ट	५०
स्वायानुमान और परार्थानुमान	५१
नन्दन्याय का अनुसार धर्माकरण	५२
इन्द्रिय व्यतिरेकी	५३
क्वटान्वदी	५३
क्वच वर्द्धतरेकी	५४
व्याप्ति	५५—६८
व्याप्ति का आर	५५
व्याप्ति और व्यापर	५६
उपाधि	५८
नन्दन्याय में व्याप्ति का लक्षण	५८
अनुयारी और प्रतियोगी	५९
व्याप्ति का सिद्धान्तलक्षण	६१
व्याप्तिप्रदोषाय	६१
व्याप्ति निपयक समस्या	६२
अवच्छदक धर्म	६३
हनु और साथ का समानाधिवरस्य	६३
उपमान	६५—६७
उपमान और उपमिति	६५

उपमान का लक्षण	६५
उपमिति का स्वरूप	६६
उपमान के सम्बन्ध में मतभेद	६६
उपमान का महत्व	६७
शब्द	६८—८२
धर्म्यत्मक और वर्गीकरणक शब्द	६८
शब्द का संकेत	६९
आज्ञानिक और आधुनिक संकेत	६९
पद	६९
पद की शक्ति	७०
व्यक्ति	७०
आकृति	७०
जाति	७०
अध्ययनार्थ और समुदायार्थ	७१
पद के भेद	७२
हुड़	७२
यौगिक	७३
योगसूठ	७३
वाक्य	७३
आकाश	७३
आसचि	७४
योग्यता	७४
तात्पर्य	७५
अभिधा और लक्षण	७६
जहल्लाद्याणा	७६
अजदह्लाद्याणा	७६
शब्द प्रमाण	७७
दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ शब्द	७७
वेदिक वाक्य	७८
वेद की प्रामाणिकता	७९
यह	८०

शब्द और अथ का सम्बन्ध		
प्रमेय	८४—९४	
प्रमेय का अर्थ		८५
दादशिष्ठ प्रमेय		८८
शरीर		८९
इन्द्रिय		९०
अथ		९०
बुद्धि		९१
प्रकृति		९१
दोष		९१
प्रेत्यभाव		९०
पत्त		९०
दुःख		९१
भवयग		९२
आत्मा	९५—१०६	
आत्मा का निरूपण		९५
शरीरात्मशाद् और उसका खण्डन		९६
इन्द्रियात्मशाद् और उसका निरास		९६
मानसात्मशाद् और उसका समाधान		९००
बुद्ध्यात्मशाद् और उसका निराकरण		९०१
आत्मा के विषय में सिद्धान्त		१०१
आत्मा की सिद्धि में ग्रनाण	...	१०२
आत्मा का स्वरूप		१०३
अनकात्मशाद्	"	१०५
जीवात्मा के गुण	...	१०५
मन		१०७—११०
मन का लक्षण		१०७
मन का ग्रनाण		१०८
मन का स्वरूप	...	१०९
मन की गति	"	१०९

सशय		१११—११४
सशय की परिमापा	...	१११
सशय के प्रमेद	.	११२
सशय और विषय	.	११३
सशय और ऊह	.	११४
सशय और अनध्यवसाय	.	११४
प्रयोजन	..	११५—११६
प्रयोजन और उसका विश्लेषण	...	११५
प्रयोज्य और प्रयोजन	.	११५
मुख्य और गौण प्रयोजन	.	११६
दृष्टि और अदृष्ट प्रयोजन	..	११६
अवयव और दृष्टान्त	.	११७—१२३
पचासवयव	.	११७
दशावयव	..	११७
अवयवों के सम्बन्ध में मतभेद	.	११८
अवयवविषयकसिद्धान्त	.	११९
अवयवों की सार्थकता	...	१२०
पचासवयव में प्रमाणचतुष्य	.	१२१
दृष्टान्त का अर्थ	..	१२२
दृष्टान्त के प्रमेद	...	१२२
दृष्टान्त की आवश्यकता	..	१२२
सिद्धान्त	.	१२४—१२५
सिद्धान्त का लक्षण	...	१२४
सबतन विद्वान्	..	१२४
ग्रतित्र विद्वान्	.	१२५
अधिकरण विद्वान्	.	१२५
अभ्युपगम विद्वान्	.	१२५
तर्क और निर्णय	.	१२६—१३२
तर्क की परिमापा	.	१२६
तर्क का स्वरूप	..	१२६

गोतमोर्त्तम प्रणाली	१२७
प्रमाणदाधितार्थ प्रसङ्ग	१२८
तकनुगत भेद	१२९
आत्माभय	१२९
अ योन्याभय	१२९
चक्रक	१२९
अनवस्था	१३०
निषय	१३१
बाद, जल्प और वितएडा	१३३—१३७
फथा	१३३
बाद	१३४
जल्प	१३५
वितएडा	१३६
हेत्वाभास	१३८—१४६
हेत्वाभास का अर्थ	१३८
हेत्वाभास के प्रभेद	१३९
सब्यभिचार	१३९
विशद	१४१
प्रकरणसम	१४०
साध्यसम	१४१
फलातीत	१४१
न यन्याय में हेत्वाभास का विचार	१४२
अनैश्चातिक	१४२
विशद	१४४
सत्प्रतिषेद	१४४
असिद्ध	१४४
वाचित	१४६
...	
छल	१४७—१४८
छल का अर्थ	१४७
धाक् छल	१४७

सामान्य छुल	१४८
उपचार छुल	१४९
छुल का प्रतीकार	१५०
जाति	१४६—१६०
जाति का वर्णण	१४६
जाति के प्रमेद	१४७
साधम्यसम	१४८
वैधम्यसम	१४९
उत्क्षयसम	१५०
अउक्षयसम	१५०
वरयसम	१५१
अवएयसम	१५१
विकल्पसम	१५१
साध्यसम	१५२
प्रातिसुम	१५२
अप्रातिसुम	१५३
प्रषुद्धसुम	१५३
प्रतिदृष्टातसुम	१५३
अनुत्पत्तिसुम	१५४
सशयसम	१५५
प्रकरणसम	१५५
अहेतुसम	१५५
अर्थापत्तिसुम	१५६
अविशेषसुम	१५६
उपपत्तिसुम	१५७
उपलब्धिसुम	१५७
अनुपलब्धिसुम	१५८
अनित्यसम	१५८
नित्यसम	१५९
कायसम	१५९
	१६०

निग्रह स्थान

निग्रह स्थान का अर्थ	१६१
निग्रह स्थान के प्रभेद	१६१
प्रतिशाहानि	१६२
प्रतिशान्तर	१६३
प्रतिशो विरोध	१६३
प्रतिशो सन्याप	१६४
हेत्वन्तर	१६४
अर्थान्तर	१६५
अपार्थक	१६६
निरथक	१६६
अविश्वासार्थ	१६६
अशान	१६७
अननुभाषण	१६७
न्यून	१६७
अधिक	१६७
अप्राप्तरात्	१६८
पुनरुक्त	१६९
अप्रतिभा	१६९
विचेप	१६९
मतानुग्रा	१६९
पर्यन्तुयोज्यानुयाग	१६९
निरन्तुयोज्यानुयोग	१६९
अपसिद्धान्त	१७०
हेत्वाभाव	१७०

ईश्वर

न्याय में ईश्वर का स्थान	१७१-१८२
ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण	१७१
ईश्वर विषयक शुकासमाधान	१७३
उद्यनाचार्य की युक्तियाँ	१७६
ईश्वर का स्वरूप	१८०

संकेत

गौ० स०	= गौतम सूत्र
टी०	= टीका
त० कौ०	= तक कौमुदी
त० स०	= तक्सग्रह
ता० र०	= ताकिंकरज्ञा
न्या० कु०	= न्यायकुमुमाङ्गलि
न्या० को	= न्यायकोश
न्या० भा०	= न्यायभाष्य
न्या० वा०	= न्यायवाचिक
न्या० सि० दी०	= न्यायसिद्धान्तदीपिका
न्या० स०	= न्यायसूत्र
भा० प०	= भाषापरिच्छेद
वै० उ०	= वैशेषिक उपस्कार
व्या०	= व्याख्या
प० द० स०	= पट्टदशनसमुच्चय
स० द० स०	= सर्वदर्शनसग्रह
स० सि० स०	= सर्वसिद्धान्तसंग्रह
सि० च०	= सिद्धान्तचन्द्रिका
सि० मु०	= सिद्धान्त मुकावली

विषय-प्रवेश

[न्याय शब्द का अर्थ—न्यायशास्त्र के भागों में नाम—न्यायशास्त्र का उद्देश और प्रयोग—न्यायशास्त्र का भौतिक—न्यायकार गैतम—गैतम के सोलह पदार्थ—न्यायसूत्र का विषय—न्यायदर्शन का व्यापक विकास—न्याय का साहित्य-भंडार—इस अंग का विषय विज्ञान]

न्याय शब्द का अर्थ—'न्याय' शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है।

(१) साधारणत 'न्याय' शब्द का अर्थ होता है, "निष्प्रेन ईयते" अर्थात् नियमयुक्त व्यवहार। न्यायालय, न्यायकर्त्ता आदि प्रयोग इसी अर्थ को लेकर हैं।

(२) प्रसिद्ध वृषभन्त के साथ 'सत्य' अर्थ में भी 'न्याय' शब्द का व्यवहार होता है। यथा, वीजाकुर्याप, काकतालीय न्याय, दृष्टारीपुलाक न्याय इत्यादि।

(३) किन्तु दर्शनिक साहित्य में 'न्याय' का अर्थ होता है—

नीयते प्राप्यते विनिष्ठितार्थसिद्धिरनेन इति न्याय

अर्थात् जिसके द्वारा किसी प्रतिपाद्य विषय को सिद्ध की जा सके, जिसकी सत्यता से किसी निश्चित सिद्धान्त पर पटुचा जा सके, उसी का नाम 'न्याय' है।

एक वृषभन्त ले लीजिये। सामने पहाड़ पर बुआँ देखकर आप अनुमान करते हैं कि वहाँ जहर आग है। इस विषय को सिद्ध करने के लिये निम्नोक्त तकनीकाली का अनुसरण करना पड़ेगा।

१ पर्वत पर अग्नि हे (प्रतिज्ञा)

२ क्योंकि वहाँ बुआँ है (रुप)

३ जहाँ बुआँ रहता है, वहाँ आग भी रहती है, जैसे रसोईघर में (व्यावरण)

४ पर्वत पर भी बुआँ है (अपनय)

५ इसलिये पर्वत पर अग्नि है (निगमन)

यहाँ प्रतिपाद्य विषय है 'पर्वत पर अग्नि का होना।' यह साध्य वा प्रतिज्ञा है। इसका

साधन या प्रमाण हे 'परंत पर धुआँ दिखलाई पड़ना'। यह हेतु है। धुआँ अन्न के अस्तित्व का सूचक चिह्न क्यों हे? इसीलिये कि सर्वध धुएँ का सम्बन्ध आग के साथ पाया जाता हे, जैसे रसोईघर म। यह उदाहरण है। रसोईघर की तरह पहाड़ पर भी धुआँ पाया जाता है। यह उपनय है। इसलिये पहाड़ पर भी आग होगी। यह निगमन या निष्कर्ष है।

उपर्युक्त पांचों अवयव (१ प्रतिशा २ हेतु ३ उदाहरण ४ उपनय ५ निगमन) मिलकर प्रतिपाद्य विषय को सिद्ध करने में समर्थ होते हैं। इन्हीं पचावयों से युक्त वाक्यसमूह को 'न्याय' अथवा 'न्याय प्रयोग' कहते हैं।

यात्यायन कहते हैं—

साधनीयस्यार्थस्य यावति शब्दसमूहे सिद्धि परिसमाप्तते स पचावयवोपत्तयात्मको चाय

अर्थात् साध्य विषय की सिद्धि के हेतु जो आवश्यक अवयवस्यस्य पचावयक्य हैं उनका समूह ही न्याय है। प्रतिशा, हेतु, आदि अवयव 'न्यायावयव' कहलाते हैं। सम्पूर्ण न्याय प्रयोग का फलितार्थ या निचोड़ है अन्तिम निगमन। अतएव यह 'परमन्याय' कहलाता है।

उपर्युक्त पचावयव अनुमान के अहूं हैं। दूसरों के समक्ष प्रतिपाद्य विषय को स्थापित करने के लिये ही इन पांचों महावाक्यों का सहारा लेना पड़ता है। अत इनके प्रयोग को 'परार्थानुमान' कहते हैं।

इस तरह न्याय शब्द से परार्थानुमान का प्रहण होता है। अत माधवाचार्य सर्वदर्शक सम्राह में न्याय को परार्थानुमान का अपर पर्याय घोलाते हैं।

यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो न्याय अथवा परार्थानुमान म सभी प्रमाणों का सवर्णन हो जाता है। प्रतिशा म शृङ्, हेतु में अनुमान, उदाहरण म प्रत्यक्ष, और उपनय म उपमान, इस प्रकार सभी प्रमाण आ जाते हैं। इन सबों के योग से ही निगमन या फलितार्थ निकलता है। अतएव न्यायवाचिक म कहा गया है—

समस्तप्रमाणव्यापारादर्थाधिगतिन्यायि

अर्थात् समस्त प्रमाणों के व्यापार के द्वारा किसी निष्कर्ष या फल की प्राप्ति होता ही 'न्याय' है।

इस प्रकार न्याय शब्द की व्याप्ति उन सभी विषयों में हो जाती है जहाँ प्रमाण की सहायता से पदार्थ का विवेचन किया गया हो। इसलिये प्रत्येक शास्त्र की न्याय सहा हो सकती है। इसी कारण मीमांसा प्रभृति के कतिपय ग्रन्थों के नाम म भी न्याय शब्द देखने में आता है। यथा—मीमांसा वायप्रकाश, न्यायरत्नाकर, जैमिनीयन्यायमालाविस्तर इत्यादि। इन स्थळों में 'न्याय' शब्द का अर्थ है 'पुकिसगत विवेचन'। *

(४) किन्तु न्याय शब्द पेसे व्यापक अर्थ में विशेष प्रचलित नहीं है। वह गौतमीय दर्शन के अर्थ में लड़ हो गया है। गौतमरचित सूत्र और उसपर जो भाष्यवृत्ति आदि का विशद साहित्य निर्मित हुआ है, वही न्याय के नाम से प्रसिद्ध है। इसका कारण यह है कि गौतम और उनके अनुयायियों ने न्याय (अनुमान) और उसके अवयवों की विवेचना को ही अपना केंद्रीभूत विषय बनाया है।

इतना ही नहीं, 'न्याय' शब्द के अन्यान्य अर्थ भी गौतमीय दर्शन पर लागू होते हैं। यह शास्त्र युक्ति का नियमनिर्धारण कर सत् और असत् पक्ष का निर्णय करता है। अत यह प्रचलित अर्थ में भी न्यायकर्ता कहा जा सकता है। नेयायिकगण उदाहरण या दृष्टान्त के बल पर अपना पक्ष सिद्ध करते हैं (जैसे रसोईघर में धुएँ के साथ आग है तो पहाड़ पर भी ऐसा ही होगा)। इस अर्थ में भी न्याय शब्द सार्थक हो जाता है। इस प्रकार गौतमीयशास्त्र की 'न्याय' सज्जा सभी दृष्टियों से उपयुक्त और समीचीन है।

न्यायशास्त्र के अन्यान्य नाम—न्यायशास्त्र अपनी वीजावस्था में 'आन्वीक्षिकी विद्या' के नाम से प्रसिद्ध था। आन्वीक्षिकी का अर्थ है—

प्रत्यक्षागमान्यामीक्षितस्यान्वीक्षणम् अवीक्षा तया वर्तते इति आवीक्षिकी

अर्थात् प्रत्यक्ष या आगम के द्वारा उपलब्ध विषय का पुन अन्वीक्षण (अनु=पथात्, इक्षण = अवलोकन) करना ही आन्वीक्षा है। इसलिये तर्क के द्वारा किसी विषय का अनुसन्धान करने की संज्ञा 'आन्वीक्षिकी' हुई। यही आन्वीक्षिकी विद्या कालान्तर में न्याय या तर्क के नाम से प्रसिद्ध हुई। *

आधुनिक समय में 'न्यायशास्त्र' या 'तर्कशास्त्र' शब्द ही विशेष प्रचलित है। इस शास्त्र के अध्ययन से बाद करने की कला में प्रतीणता प्राप्त होती है। अत इसे 'बादविद्या' भी कहते हैं। न्यायदर्शन में प्रमाण का ही महत्व सर्वोपरि है अत इसे 'प्रमाणशास्त्र' भी कहते हैं। साध्य वस्तु को प्रमाणित करने के लिये सबसे मुख्य वस्तु है 'हेतु'। विना हेतु दिये प्रतिक्षा का कुछ भी मूल्य नहीं। इसलिये नेयायिकगण हेतु को बड़ा ही प्रमुख स्थान देते हैं। इसी कारण न्यायशास्त्र को 'हेतुविद्या' भी कहते हैं।

न्यायदर्शन का मूलस्वरूप जो सूत्रग्रन्थ है उसके रचयिता हैं गौतम मुनि। अत न्याय दर्शन को 'गौतमीय शास्त्र' कहते हैं। गौतम का एक नाम अक्षपाद भी है। अत सर्वदर्शन सत्रष्ठ में न्याय के लिये 'अक्षपाद दर्शन' शब्द मिलता है।

५ सेयमान्वीक्षिकी न्यायतत्त्वादि शब्दैरपि इयत्विहृते। (पारस्पायन ॥ ॥ ॥)

न्यायशास्त्र का उद्देश्य और प्रयोजन—न्यायशास्त्र का उद्देश्य हे प्रमाण द्वारा ज्ञान के सत्यासत्यत्व की पराह्ना करना। इसीलिये न्याय प्रमाण शास्त्र ग परीक्षा शास्त्र कहा जाता है। प्रमाण लक्षण के द्वारा घस्तुसिद्धि की यथार्थ रीति निर्धारित करना ही न्यायशास्त्र का प्रधान लक्ष्य हे।

पिना प्रमाण के यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता और यिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती। इस तरह न्यायशास्त्र मोक्षप्राप्ति के लिये सौपान-स्वरूप या परमार्थसाधक है। न्यायसूक्ष्मकार पहले ही सूत्र म पहते हैं—

“प्रमाणप्रमेय

तत्त्वज्ञानाच्च श्रेयताधिगमः ।”

अर्थात् प्रमाणादि विषयों का तत्त्वज्ञान निःश्रेयस या चरम कल्याण का विधायक हे। यही न्यायदर्शन का अन्तिम ध्येय है।

जब अज्ञात विषय के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न मत पाये जाते हैं तब स्वभावत मन में यह शका उठती है कि इनमें कौन सत्य हे और कौन असत्य। इस शंका का समाधान करने के लिये युक्तिशास्त्र का आवश्य लेना पड़ता है अर्थात् यह विचार करना होता है कि कौन पूर्ण युक्तिसागत है और कौन अयुक्तिसंगत। यह मालूम कैसे होगा? इसके लिये फोरं मानदण्ड होना आवश्यक है। जो पूर्ण प्रमाण की कसीटी म दरा उत्तरता है वही सत्य माना जाता है। इसी कसीटी को तैयार करने के लिये न्यायशास्त्र का प्रयोजन हुआ।

यिना प्रयोजन के प्रवृत्ति नहीं होती। “प्रयोजन भनुदिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते। न्याय शास्त्र की उत्पत्ति भी प्रयोजनवश हुई। जब वेदोक्त विषयों का स्वार्थियों द्वारा अनर्थ और दुरुपयोग होने लगा तब यद के सब्ये अर्थ का निर्णय और युक्ति द्वारा उसकी पुष्टि करने की आवश्यकता आ पड़ी। कुतंकियों से वेद की रक्षा करने के लिये ही गौतमीय शास्त्र का जन्म हुआ। सर्वसिद्धान्तसंप्रहकार भी इस बात का समर्थन करते हैं—

नैयायिकस्य पक्षोऽय सज्जेषावतिपद्यते ।

यत्कर्त्तितो वेदो भूत्त पापणदुर्जनैः ।

न्यायकर्त्ता गौतम ने वेद को प्रामाणिक और सत्य माना हे। पीछे धीद्व और जैन तात्किंकों न न्याय के अद्वियों से ही न्यायशास्त्र पर प्रहार करना शुरू किया और वेद को अनुत्पत्य ठहरान लगे। इनके आशेषों का उत्तर देने के लिये नैयायिकों को अपनी शक्ति और भी दुर्जन करने की आवश्यकता पड़ी। फलत न्यायशास्त्र का सूक्ष्मातिसूक्ष्म परिमाजन और अनुशीलन हो गे लगा। विपक्षियों के आकमण से अपने को बचाने के लिये तप्तसत्त्व के धार्मजालरूपी

अमेय कवच तैयार किये गये। धीरे धीरे वाम्युद्ध में विजय प्राप्त करना ही नेयायिकों का मुख्य लक्ष्य बन गया। येनकेन प्रफारेण वाक्यलादि द्वारा प्रतिपक्षियों को परास्त करने में ही पराक्रम समझा जाने लगा। इस प्रकार वाद के स्थान पर जटप्रश्न और वितण्डा की प्रधानता हो गई।

यथापि न्यायशास्त्र का असली उद्देश्य तच्चयोग्य है, तथापि आज्ञाकल अधिकतर लोग परिदृष्ट्य प्रदर्शन तथा शास्त्रार्थ में विजयप्राप्ति की कामना से ही न्याय के अध्ययन में प्रवृत्त होते हैं। किन्तु यथार्थ नैयायिक उसीको समझना चाहिये जो जिगीणु (विजय का भूखा) नहीं होकर तत्त्व-नुभृतम् (तत्त्व का भूखा) हो। व्यक्तिगत लाभ हानि की ओर जरा भी ध्यान न देकर सत्यपक्ष का ग्रहण और असत्य पक्ष का परिपाठ फरना ही नैयायिक का सच्चा धर्म है। जो इस उद्देश्य से प्रेरित होकर न्याय का अध्ययन करता है, उसीकी विद्या सार्थक है।

न्यायशास्त्र का महत्व—विद्वानों की मण्डली में न्यायशास्त्र का घड़ा ही आदर है। विना न्याय पढ़े कोई परिडृष्ट की गएना ही में नहीं आ सकता। व्याकरण और न्याय ये दोनों विषय परिडृष्ट के लिये अनिवार्य हैं। इसलिये प्राचीत समय से यहीं परिपाठी चली आती है कि विद्यार्थी को लघुसिद्धान्तकीमुदी (व्याकरण) और तर्कसंग्रह (न्याय) से विद्याध्ययन का श्रीगणेश करया जाता है।

न्याय का वोध हो जाने पर सभी शास्त्रों में सुगमतया प्रवेश हो जाता है। कहा भी है—

“गौतमप्रथित शाश्वत तर्तुशास्त्रोपकारकम्”

न्याय की तर्कशैली और उसके पारिभाविक शब्द भारतीय सस्कृति में घुलमिलकर उसके शावश्यक अग्र बन गये हैं। यहाँ तक कि अन्यान्य दर्शन भी जो न्याय से मतभेद रखते हैं, न्याय के ही पारिभाविक शब्दों का प्रयोग करते हैं। न्याय के किसी सिद्धान्त का खण्डन करने के लिये भी उन्हें न्यायानुमोदित पद्धति का ही अवलम्बन करना पड़ता है। इससे बढ़कर न्यायशास्त्र की व्यापकता और उपयोगिता का प्रमाण और क्या हो सकता है?

मनु, याज्ञवल्य आदि के समय में भी न्यायशास्त्र आदर की दृष्टि से देखा जाता था। मनुजी कहते हैं—

धार्यं धर्मोपदेश च वेदशास्त्राविरोधिना ।

यस्तकेणानुसंधते स धर्मं वेद नेतर ।

—मनुस्मृति १२।१०६

अर्थात् जो तर्क द्वारा वेदशास्त्र के अर्थ का तत्त्वान्वेषण करता है वही धर्म के यथार्थ धर्म को समझ सकता है, दूसरा नहीं।

चतुर्दश विद्याओं के अन्तर्गत न्याय का भी स्थान है। याक्षवल्म्य स्मृति में कहा गया है—
पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्रागमिष्ठिता ।

वहा स्थानानि विद्याना धर्मस्य च चतुर्दश ।

— याक्षवल्म्यस्मृति १।३

चौदह विद्याएँ ये हैं—(१) चार वेद, +(२) छः वेदाङ्ग (१ शिला, २ व्याप्ति,
३ व्याकरण, ४ निरुक्त, ५ छन्द, ६ ज्योतिष), +(३) चार उपाङ्ग (१ पुराण, २ न्याय,
३ मीमांसा, ४ धर्मशास्त्र)। न्यायशास्त्र वेद का उपाङ्ग है ऐसा वचन पुराण में भी पाया
जाता है।*

फौटिलीय अर्थशास्त्र के विद्यासमुद्देश प्रकरण में चार प्रकार को विद्याएँ सूख्य घटताई
गई हैं। ये चारों विद्याएँ हैं—(१) ग्रन्थी (तीर्तों वेद), (२) दण्डनीति (राजनीति), (३) आन्वी-
क्षिकी (तक और दर्शनशास्त्र) तथा (४) वार्ता (अथशास्त्र)।†.

आन्वीक्षिकी विद्या के विषय में फौटिलिप आगे चलकर कहते हैं—

प्रदीप सर्वविद्यानामुपाय सर्वधर्मणाम् ।

आथय सर्वधर्माणा शशदान्वीक्षिकी मता ।

अर्थात् आन्वीक्षिकी सभी विद्याओं को दीपक की तरह प्रकाश देने वा काम करती है।
यह समस्त विद्याओं का साधन और सभी धर्मों का आधय स्वरूप है।

इस देश में विद्याव्ययन की जो प्राचीन परम्परा चली आती है, उसमें आज भी ये
पांच विषय प्रधान हैं—(१) फाद्य, (२) नाटक, (३) अलड्हार, (४) व्याकरण और
(५) तर्क। तर्कशास्त्र व्याख्यात सभी शास्त्रों के लिये प्रकाश-स्वरूप है।

न्यायकार गौतम—न्यायदर्शन के आदि प्रवर्त्तक वा संकलनिता हैं महर्षि गौतम।
यह धारत नहीं है कि गौतम के पहले तर्कविद्या थी ही नहीं। तक का अस्तित्व तो उसी समय
से मानना पढ़ेगा जब से मनुष्य के मस्तिष्क में शुद्धि हो। उपनिषद् के समय में भी नाना
विषयों को लेकर तक वितर्क करने की परिपादी प्रचलित थे। किन्तु इतना अवश्य मानना
पढ़ेगा कि गौतम के पहले तर्कविद्या सुव्यवस्थित रूप में नहीं थी। यम से कम गौतम के पूर्व
का कोई व्याख्या ऐसा नहीं है जिसमें तर्क, प्रमाण, धारा, प्रभृति का नियमवल्ल निरूपण हो।

गौतम ने तर्क विद्या के लिये बही किया है जो पाणिनि ने व्याकरण के लिये किया है।
इन शास्त्रों का कोई व्यक्तिविशेष जन्मदाता नहीं हो सकता, केवल उद्धायक हो सकता है।

* मीमांसा न्यायतक्षण उपाङ्ग परिकार्तिः ।

+ ग्रन्थविद्येभवत्प्रयोगी विद्या दण्डनीतिश्च शास्त्रतीम् । आन्वीक्षिकी मात्रविद्या वार्तार्थमात्र खोकत ॥ १ ॥

जिस तरह पाणिनि ने व्याकरण के नियमों को शृणुतावद किया, उसी प्रकार गौतम ने प्रमाण-शास्त्र के तत्त्वों का विश्लेषण कर उसे नियन्त्रित रूप दिया।

महर्षि गौतम कौन थे ? इस प्रश्न का ठीक-वीक उत्तर देना कठिन है। गौतम और अहल्या की पौराणिक कथा प्रसिद्ध है। मिथिला प्रान्त में कमतील स्टेशन के निकट अहल्या-स्थान है। वहाँ आज भी लोग गौतमगुरुड और अहल्यागुरुड में स्नान कर अपने को पवित्र मानते हैं। कहा जाता है कि रामचन्द्रजी इसी रास्ते जनकपुर गये थे। अहल्योदार की कथा तो रामायण-ग्रन्थियों को विदित ही है।

अब प्रश्न यह है कि यह पौराणिक गौतम और दार्शनिक गौतम दोनों एक हैं या दो ? पुराणादि में विश्वास रखनेवालों का मत है कि अहल्या के स्वामी गौतम मुनि ही न्यायसूत्र के रचयिता गौतम हैं। प्राय किसी रामायण में इसका एक प्रमाण भी मिलता है। जब रामचन्द्रजी यनवास के लिये प्रस्थान करने लगे, तब वशिष्ठ आदि मुनियों ने बहुत तरह से उन्हें समझाया, किन्तु उन्होंने एक न सुनी। तब तकर्शाद्वय-विशारद गौतम बुला भेजे गये। उन्होंने आते ही, रामचन्द्र से प्रश्न किया—“आपने जो यनवास का सकल्य कर रखा है सो किस अर्थ में ? यदि ‘सभी घनीं में घास’ यह अर्थ हो तब तो १४ वर्ष में भी घह सकल्य पूरा नहीं हो सकता। और यदि ‘किसी एक घन में घास’ ऐसा अभिप्रेत हो तब फिर अयोध्या के निकट ही किसी घन में फौंटों नहीं रह जाते ?” इसपर रामचन्द्र निरक्षर हो गये और उन्होंने हँसी में कहा—

य पटेत् गौतमो विद्या नहि शान्तिमगान्तुयात् ।

इस उपार्यान के विषय में लोग जो कहें, किन्तु इतना तो अवश्य है कि रामायणयुग से ही नैयायिक गौतम का नाम प्रसिद्ध है।

महाभारत के शान्तिपर्व में गौतम का मेधातिथि नाम से उल्लेख पाया जाता है। भास के प्रतिमा नाटक में भी न्यायकर्ता मेधातिथि का जिक्र मिलता है। *

गौतम मुनि ‘अच्छाद’ नाम से भी प्रसिद्ध है। इस नाम के सम्बन्ध में एक मनोरञ्जक किंदन्ती है। कहा जाता है कि महर्षि गौतम प्रतिदिन निस्तब्ध रात्रि में पकान्त स्त्रमण करते और शास्त्रचिन्तन में तत्त्वीत हो सूखत्वना करते चलते थे। वे अपनी विचारधारा में इतने मन्त्र हो जाते थे कि श्रागे क्या है, इसकी उहें कुछ भी सुध नहीं रहती थी। एक दिन वे किसी पदार्थ का विश्लेषण करते कुर्यां में जा गिरे। इस प्रकार उनके तत्त्वचिन्तन में वाधा पड़ते देख विद्यता ने उनके पाँवों में भी डृष्टिशक्ति प्रदान कर दी। तबसे वे ‘अन्तपाद’ (जिसके पाँव में आँख हो) कहलाने लगे।

* “मानवीयधर्मशास्त्रम् । माहेश्वरं योगशास्त्रम् । वाङ्महायमयशास्त्रम् । मेधातिथेऽर्थावद्यावद्यम् ।”

महर्षि गौतम के समय को लेकर आधुनिक विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। चहुत-से पाश्चात्य और एतदेशीय विद्वान् न्यायसूत्र में वौद्धानुसोदित शून्यवाद और विश्वात्मवाद का खण्डन देखकर उसका रचनाकाल वौद्ध युग में ठहरते हैं। इस हिसाब से गौतम का समय युद्ध के अनन्तर और नागजून, यमुष्णव्यु प्रभृति के आसपास आ जाता है। किन्तु यह तर्क उतना प्रबल नहीं ज़हता। न्यायसूत्र में केवल मतान्तर का निरास पाया जाता है, किसी वौद्ध आचार्य का नाम नहीं। हो सकता है, न्यायसूत्र में जिन सिद्धान्तों का खण्डन पाया जाता है वे वौद्धयुग से पहले भी इस देश में प्रचलित रहे हैं। यृहस्पति श्राद्धि के लौकायितिक मत तो चहुत ही प्राचीन हैं। इसलिये किसी नास्तिक मतविशेष का खण्डन करना ही अर्पाचीनता का घोतक नहा कहा जा सकता।

गौतम के सोलह पदार्थ—गौतम का पहला सूत्र है—

“प्रमाणपूर्मयसशयपूर्योजनदृष्टा तसिद्धान्तावयवत्कर्तनिर्णयनादजरमवितएडाहेत्वाभासच्छल-
जातिनिप्रहस्थानाना तद्वज्ञानान्विशेषापिगम;” —न्या० सू० १।।।।

इस सूत्र में गौतम निम्नलिखित सोलह पदार्थों के नाम गिनाते हैं—

- (१) प्रमाण (Means of Knowledge)
- (२) प्रमेय (Object of knowledge)
- (३) संशय (Doubt)
- (४) प्रयोजन (Purpose)
- (५) उद्धान्त (Example)
- (६) सिद्धान्त (Conclusion)
- (७) अवयव (Members of Syllogism)
- (८) तर्क (Hypothesis)
- (९) निर्णय (Verification)
- (१०) वाद (Argument)
- (११) जन्प (Wrangling)
- (१२) वितएडा (Sophistry)
- (१३) हेत्वाभास (Fallacy)
- (१४) छल (Cavilling)
- (१५) जाति (Futile Refutation)
- (१६) निग्रहस्थान (Points of Defeat)

गौतम ने उपर्युक्त सोलह पदार्थों की जो लम्बी तालिका पेश की है, उसपर काफी नुकसाचीनी की गई है। अवश्य, दृष्टान्त प्रभूति प्रमाण के अन्तर्गत ही आ जाते हैं। किंतु उनका पृथक नाम-निर्देश क्यों किया गया? वस्तुत देखा जाय तो प्रमाण और प्रमेय इन दोनों के अन्तर्गत ही समस्त विषय आ जाते हैं। वल्कि यों कहा जा सकता है कि फेल प्रमेय में ही सभी पदार्थों का अन्तर्भूत ही जाता है, क्योंकि प्रमाण आदि पदार्थ भी ज्ञान का विषय होने पर प्रमेय-कोटि में आ जाते हैं। जैसे, तुलादण्ड हय भान का साधन होते हुए भी भान का विषय (परिमेय) ही सकता है।

प्रमाणस्य प्रमेयत्वं तुलाप्रामाण्यवत्

इस तरह प्रमाण प्रभूति याद्यतीय विवेच्यमान पदार्थ प्रमा (ज्ञान) का विषय होने के कारण प्रमेय वन जाते हैं। किंतु गौतम ने सोलह नाम क्यों दिनाये?

इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि जिस प्रकार कणाद ने वैशेषिक सूत्र में पदार्थों का वर्गीकरण किया है, उस प्रकार भिन्न भिन्न मूल तत्त्वों का निरूपण करना गौतम का अभिप्राय नहीं था। वे सिर्फ उन्हीं प्रमुख विषयों की सूची (Table of contents) बतलाते हैं, जिनका सविस्तर वर्णन करना उन्हें अभीष्ट है। अत गौतमोक्त पदार्थों को मूल पदार्थ (Category) न समझकर न्यायसूत्र के 'विवेच्य विषय' (Topic) मात्र समझना चाहिये।

न्यायसूत्र का विषय—गौतमरचित न्यायसूत्र न्यायदर्शन का मूलप्रन्थ है। न्याय सूत्र पाँच अध्यायों में विभक्त है। प्रत्येक अध्याय में दो 'आहिक' (खण्ड) हैं। समस्त सूत्रों की सख्त ५०० के करीब है। न्यायसूत्र के विषय का विवरण नीचे दिया जाता है।

(१) प्रथम अध्याय

प्रथम आहिक में पहले प्रमाण, प्रमेय आदि पोडश पदार्थों का नाम निर्देश किया गया है। किंतु प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, इन चतुर्विध प्रमाणों के लक्षण दिये गये हैं। तदनन्तर प्रमेय के लक्षण और विभाग किये गये हैं। प्रमेयों के अन्तर्गत आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव (पुनर्जन्म), फल, दुःख और अपवर्ग (मोक्ष) का निरूपण किया गया है। तब संशय, प्रयोजन और हृष्टान्त के निरूपण के बाव सिद्धान्त का लक्षण और विभाग किया गया है। सर्वतन्त्र, प्रतितन्त्र, अधिकरण और अभ्युपगम—ये चार प्रकार के सिद्धान्त बतलाये गये हैं। किंतु न्याय के भिन्न भिन्न अवश्य प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, और निगमन, समझाये गये हैं। तदनन्तर तर्क और निर्णय की विवेचना की गई है।

द्वितीय आहिक में पहले घाट, जल्प और वितएडा के लक्षण चतुर्लाये गये हैं। फिर हेत्वाभास के प्रमेद दिये गये हैं। तब निविध छूल के लक्षण कहे गये हैं। अन्त में जाति और निग्रहस्थान की परिभाषा की गई है।

(२) द्वितीय अध्याय

इसमें निम्नलिखित विषय हैं—संशय सम्बन्धी पूर्वपक्ष और उसका समाधान—प्रभाणचतुष्टय सम्बन्धी पूर्वपक्ष और अन्तिम सिद्धांत—प्रत्यक्ष के लक्षण में आक्षेप और उसका परिहार—अनुमान और उपमान वे विषय में शकार्ण और उनका समाधान—शब्द प्रमाण पर आक्षेप और उसका निराकरण—शब्द का अनित्यत्व-साधन—व्यक्ति आकृति और जाति का लक्षण।

(३) तृतीय अध्याय

इसमें मुख्यत ये विषय हैं—आत्मा आदि द्वादश प्रमेयों की परीक्षा—इन्द्रियचैतन्यवाद, शरीरात्मवाद, प्रभृति नास्तिक मतों का खण्डन—आत्मा का नित्यत्व-प्रतिपादन—इन्द्रिय और विषय वा भौतिकत्व—युद्ध और मन की परीक्षा।

(४) चतुर्थ अध्याय

इसमें प्रष्टति और दोष की व्याख्या—जन्मान्तर के सम्बन्ध में सिद्धान्त—दुःख और अपवर्ग की समीक्षा—अवधव और अवधवी का सम्बन्ध—आदि विषय वर्णित हैं।

(५) पंचम अध्याय

इसमें प्रथम आहिक में जाति के चौबीस प्रमेद समझाये गये हैं। द्वितीय आहिक में चारस प्रकार के निग्रहस्थान चतुर्लाये गये हैं। इस तरह यह सूत्रग्रन्थ समाप्त हुआ है।

न्याय-दर्शन का क्रमिक विकास—न्यायसूत्र पर वात्स्यायन इति प्रसिद्ध, प्राचीन, और प्रामाणिक भाष्य है। वात्स्यायन दाचिणात्य ब्राह्मण थे। इनका दूसरा नाम पञ्चिल स्वामी भी मिलता है। वात्स्यायन-भाष्य देखने से पता चलता है कि उसकी रचना न्यायसूत्र के बहुत पीछे हुई है। दोनों में कर्दे शतान्द्रियों का व्यवधान है। वात्स्यायन गौतम को बहुत ही प्राचीन मुनि समझने हैं। किसी-किसी सूत्र पर उन्होंने दो दो प्रकार के वेकलिक अर्थ दिये हैं। इससे सूचित होता है कि वात्स्यायन फेरबहुत पहले ही से न्यायसूत्र की पठन-पाठन परम्परा चली आती थी, और कतिपय सूत्रों के भिन्न भिन्न अर्थ भी प्रचलित थे।

वात्स्यायन-भाष्य में स्थान स्थान पर सूर्णों की व्याख्या में श्लोकपद सिद्धान्त भी पाये जाते हैं। यह लक्षण वार्तिक प्रन्थों का है। इससे जान पड़ता है कि वात्स्यायन के पूर्व से ही गौतमीय न्याय पर वाद-विवाद की परिपाठी प्रचलित थी, और विवादात्पद विषयों पर आचार्यों ने अपने अपने सिद्धान्त हितर किये थे, जिनका उद्धरण भाष्य में पाया जाता है।

वात्स्यायन ने अपने भाष्य में पतञ्जलि के महाभाष्य तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी उद्धरण दिये हैं। इन्होंने जगह जगह पर वीद्व दार्शनिक नागार्जुन के आश्रेष्टों का भी उत्तर दिया है। इससे जान पड़ता है कि भाष्य की रचना नागार्जुन के बाद हुई है। और भाष्य में वीद्वभट का जो खण्डन किया गया है उसका प्रत्युत्तर दिङ्गनागाचार्य ने दिया है। इससे सूचित होता है कि वात्स्यायन नागार्जुन से पीछे और दिङ्गनाग से पहले हुए थे। नागार्जुन का समय प्राय ३०० ई० और दिङ्गनागाचार्य का समय ५०० ई० के लगभग माना जाता है। इसलिये अधिकतर विद्वान् वात्स्यायन-भाष्य का रचना-काल ४०० ई० के आसपास कायम करते हैं।

वात्स्यायन के अनन्तर जो सबसे महत्वपूर्ण न्यायग्रन्थ प्रणीत हुआ, वह उद्योतकर का न्यायवार्तिक है। भाष्य पर दिङ्गनागाचार्य ने जो आश्रेष्ट किये थे उनका वार्तिककार ने अच्छी तरह निराकरण किया है।

वीद्वों और नैयायिकों के विवाद का इतिहास यड़ा ही मनोरंजक है। गौतम ने न्याय-सूत्र की रचना की। वीद्व दार्शनिक नागार्जुन (३०० ई०) ने उसमें दोष निकाले। वात्स्यायन (५०० ई०) ने अपने भाष्य में उन दोषों का उद्धार किया। दिङ्गनागाचार्य (५०० ई०) ने वात्स्यायन की भूलें दिखलाई। उद्योतकर (६०० ई०) ने अपने वार्तिक में उनका जगाय दिया। धर्मकीर्ति (७०० ई०) ने अपने न्यायविन्दु नामक ग्रन्थ में वार्तिककार का प्रत्युत्तर किया। धर्मोत्तर ने न्यायविन्दु पर दीका की रचना कर दिङ्गनाग और धर्मकीर्ति का समर्थन किया। तब उद्भभट विद्वान् वाचस्पति मिश्र (८०० ई०) ने न्यायवार्तिक-तात्पर्य-दीका की रचना कर वीद्व आश्रेष्टों का खण्डन करते हुए न्यायवार्तिक का उद्धार किया। जैसा ये स्वयं कहते हैं—

इच्छामि किमपि पुरय दुस्तरकुनिनव्यप्रमग्नानाम् ।

उद्योतकरगवीनामतिजरतीना समुद्धरणात् ।

वाचस्पति मिश्र अद्वितीय विद्वान् थे। इनका जन्म मिथिला प्रान्त के एक प्रतिष्ठित ग्रामण पश्च में हुआ था। ये अपूर्व प्रतिमाशाली थे। इनकी प्रगति सभी शास्त्रों में समान रूप से थी। प्राय ऐसा कोई दर्शन नहीं जिसपर इन्होंने भाष्य अर्थवा दीका की रचना नहीं की हो। और जिस विषय को इन्होंने लिया है उसीमें अपने प्रकार ह परिइडित्य का परिचय दिया है।

सार्वत्र पर इनकी सांख्यतत्त्वको मुद्रों देखिये तो मालूम होगा कि ये सांख्यमत के कट्टर समर्थक हैं। वेदान्त पर इनकी भाषती टीका पढ़ियेतो ज्ञात होगा कि ये घोर वदान्ती हैं। और न्याय पर इनकी तात्पर्यटीका देखिये तो जान पड़ेगा कि ये प्रचण्ड न्यायिक हैं। इस लिये ये पद्मदशनवल्लभ या सर्वतन्त्रस्वतन्त्र नाम से विख्यात हैं। इनकी स्त्री का नाम भाषती था। इन्होंने नाम पर इन्होंने ग्रहसूत्र पर भाषती नामक टीका की स्थना की है। न्याय-स्थान पर इन्होंने अपने गुरु ग्रिलोचन का भी नामोदनेल किया है।

वाचस्पति मिथ्र का जन्म नर्यो शतान्दो में हुआ था। बांदों के ब्रवल आकमण से न्याय शास्त्र का उद्भार करना इन्होंने जैसे दुर्दर्श महारथी का काम था। न्याय-साहित्य में इनकी तात्पर्यटीका का घडा ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसी कारण ये तात्पर्याचार्य कहे जाते हैं। न्यायदर्शन पर इनकी दो और कृतियाँ मिलती हैं (१) — न्यायसूत्रोद्धार और (२) न्यायसूची-निवन्ध। ये दोनों ग्रन्थ भी बहुत उपयोगी हैं। न्यायसूचीनिवन्ध के अन्त में ग्रन्थ का रचनान्काल यों वर्णित है—

न्यायसूचीनिवारोऽसौ धकारि सुधिया मुदे ।

श्रीवाचस्पतिमिथ्रे वस्वकरमुवत्तरे ।

इसके अनुसार ग्रन्थप्रणयन काल मृदृग संवत् निकलता है। इस श्लोक से वाचस्पति मिथ्र के समय के विषय में सन्देह नहीं रह जाता।

वाचस्पति मिथ्र के घाट न्याय के आकाश में एक और जाग्रवेत्यमान नज़र खा उदय हुआ। ये थे उदयनाचार्य। ये न्यायाचार्य नाम से भी प्रख्यात हैं। इन्होंने न्याय-साहित्य के भड़ार को अपने अनुपम रत्नों से परिपूर्ण कर दिया है। नीचे इनकी प्रसिद्ध कृतियों के नाम दिये जाते हैं—

(१) तात्पर्यपरिशुद्धि—इसमें वाचस्पतिश्वत तात्पर्यटीका के कठिन अर्थों की सम्पूर्णता है। परिदृत मण्डली में इसका बड़ा आदर है।

(२) न्यायकुमुमाञ्जलि—इसमें चमकृत गुकियों के द्वाय ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित किया गया है। ईश्वरवाद का यह सबसे प्रसिद्ध और सुन्दर ग्रन्थ समझा जाता है। नास्तिक बौद्धों के कुतकों का मुंहतोड़ जगाव देते हुए उदयनाचार्य ने अनीश्वरवादियों से ईश्वर की रक्षा की है। इस विषय में उनकी गयोंकि सुनने लायक है—

“ररर्यमदमत्तोऽसि माभवज्ञाप वर्त्तसे

उपस्थितेषु बौद्धेषु मदधीना तत्र रिथति ।”

ये ईश्वर को संघोचित कर कहते हैं—“तुम अपने घमंड में फूले बैठे हो। मेरी परया क्यों करने लगे? पर इतना जान रखो कि नास्तिक धौदों के चंगुल से तुमको छुड़ानेवाला मेरे सिवा और कोई नहीं है!”

(३) आत्मतत्त्वविवेक—इसमें आत्मा के अस्तित्व का युक्तिपूर्ण प्रतिपादन किया गया है। आर्यकीर्ति प्रभुति अनात्मजादी धौदों के मत की इसमें भरपूर चिल्ली उडाई गई है। इसलिये यह प्रन्थ वौद्धधिकार नाम से भी प्रसिद्ध है।

(४) किरणावली—यह प्रशस्तपाद के भाष्य (त्रिशेषिक) पर पारित्यपूर्ण टीका है।

(५) न्यायपरिशिष्ट—इसमें न्याय-वैशेषिक के विविध विषयों की सूखम आलोचना की गई है। इसका दूसरा नाम ‘प्रबोधसिद्धि’ भी है।

(६) लक्षणावली—इसमें न्यायमतानुसार लक्षण निर्धारित किये गये हैं। इस प्रन्थ के शेष में रचना काल इस प्रकार दिया हुआ है—

तर्कमिहाङ्कृपमितेष्वतीतेषु शकान्तत

षष्ठैपूदयनश्चके सुवोधा लक्षणावलीम् ।

इसके अनुसार ६०६ शकाङ्क का समय निकलता है। उदयनाचार्य मैथिल वाहण थे। दरभगा जिले में ‘करियन’ नामक एक गाँव है। घरी इनका जन्मस्थान माना जाता है। भक्तिमाहात्म्य नामक प्रन्थ में इनकी प्रशस्ता में यह श्लोक मिलता है—

भगवानपि तत्रैव मिथिलाया जनार्दन ।

श्रीपदुदयनाचार्यस्तेषुवततार ह (३१२३)

दसवीं शताब्दी में न्याय के दो और प्रसिद्ध प्रन्थकार हुए हैं—(१) जयन्त भट्ट और (२) भासवेश।

जयन्त भट्ट ने गौतम के चुने हुए सूर्यों पर अपनी स्वतन्त्र टीका की है जो न्यायमंजरी नाम से प्रसिद्ध है। न्यायमंजरी जयन्त के समय में ही इतनी लोकप्रिय हो उड़ी कि जयन्त भट्ट वृत्तिकार कहलाने लगे।

भासवेश प्राय काश्मीरी वाहण थे। इन्होंने ‘न्यायसार’ नामक मीलिक प्रन्थ की रचना की है। इसमें न्याय का सारभाग वर्णित है। इसकी विशेषता यह है कि लेखक ने जगह-जगह पर न्याय की प्राचीन परिपादी का उल्लङ्घन कर दिया है। जैसे, न्यायानुमोदित धार प्रमाण न मानकर इन्होंने तीन ही प्रमाण माने हैं और उपमात के स्वदण्ड प्रमाण हीष्ठीछन नहीं किया है। इसी तरह इन्होंने अन वयस्ति नामक एक छटा हेत्यामात्र भी माना है।

न्याय और वेशेपिक का ऐसा सम्मिश्रण होता आया है कि दोनों के साहित्य का पृथक् करण कठिन है। शिवादित्य की सप्तपदार्थी, वरदराज की तार्किकरचा, केशव मिथि की तरफभाषा, ये सब न्याय-वेशेपिक की उमरनिष्ठ पुस्तकें हैं।

१२ वाँ शताब्दी में मिथिला देश में एसे महाविद्वान् का अविभाव हुआ जिन्होंने न्याय के क्षेत्र में युगान्तर उपस्थिति कर दिया। इनका नाम था गंगेश उपाध्याय। इहाँने अपनी विलक्षण बुद्धि और असाधारण प्रतिभा के घल पर न्यायशास्त्र की शैली और विचारधारा में अद्भुत परिवर्तन फर दियाया। यहाँ तक कि इनका निरुपित न्याय नव्य न्याय कहलाने लगा। इनका रचित 'तत्त्वचिन्तामणि' नव्य न्याय का प्रथम और अधारभूत प्रन्थ है। इसमें चार खण्ड हैं—(१) प्रत्यक्षताएङ्ग (२) अनुमानताएङ्ग (३) शब्दताएङ्ग और (४) उपमान ताएङ्ग। 'तत्त्वचिन्तामणि' सचमुच वित्तामणि स्वरूप है। इसमें प्रामाण्यवाद, प्रत्यक्षकरणगाद, मनोऽणुतत्त्वगाद, व्यातिपहोषाय आदि गहन पिपयों की ऐसी गंभीर मीमांसा की गई है, जिसे देखकर बड़े बड़े मेधावी विद्यादिगंगों की बुद्धि चक्रता जाती है। यह प्रन्थ गूढ़ विषयों का रत्नभाण्डागार है।

प्राचीन न्याय सुरक्षत पदार्थ शास्त्र था, नव्य न्याय सुरक्षत प्रमाण शास्त्र रह गया। प्राचीन न्याय में जहाँ केवल सीधीसादी भाषा में उद्देश, लक्षण और परीक्षा का व्यवहार था, वहाँ नव्य न्याय में अवबोधक अन्वेषण, निरूपक-निरूप्य, अनुयोगी-प्रतियोगी, विषयता प्रकारता आदि नवीन शब्दों का प्रयोग होने लगा। इन जटिल लच्छेदार शब्दों की सृष्टि से न्याय की भाषा अत्यन्त ही दुरुह और किंवद्योऽप्य हो उठी। किन्तु यह कोप आडम्बरपूर्ण धारजात ही नहीं था। नवीन पारिभाषिक शब्दों से सूक्ष्मतिसूक्ष्म भाष्यों का विश्लेषण आसानी के साथ होने लग गया।

गंगेश के 'तत्त्वचिन्तामणि' पर जितनी दीक्षाएँ लिली गई हैं उतनी बहुत ही कम प्रन्थों पर होंगी। उनका यह अन्थ 'चिन्तामणि' या केवल 'मणि' नाम से भी नियायिकों के बीच में प्रसिद्ध है।

गंगेश उपाध्याय के सुपुत्र वर्द्धमान उपाध्याय प्रसिद्ध दीक्षाकार हुए हैं। इहाँने 'मणि' पर दीक्षा लियी है। इहाँने उद्यनाचार्यरूप न्यायकुसुमाञ्जलि पर भी दीक्षा की है जो 'कुसुमाञ्जलिमकाश' नाम से विख्यात है। उद्यनाचार्य की न्यायतात्पर्यपरिशुद्धि पर इनको 'न्यायनिवन्य मकाश' नामक दीक्षा है। वर्णनभाचार्यरचित 'न्यायलीलावती' पर इनकी लोलावतीकंवाभरण नामका दीक्षा है।

तेरहाँ शताब्दी में मिथिला न एक और उद्भृत नियायिक को जन्म दिया। इनका नाम था पञ्चपर पिभ। कहा जाता है ये जिस पक्ष को लेते थे उसे जिना सिद्ध किये नहीं दोइने थे। इनके विषय में लोकोक्ति है—

“पूज्यधरप्रतिपक्षी लक्ष्मीभूतो न च कापि ।”

ये नव्यन्याय के धुरन्धर आचार्य थे । तत्त्व चिन्तामणि पर इन्होंने मण्यालोक नामक व्याख्या लिखी है, जो यहुत ही प्रसिद्ध है । इनके शिष्य रुचिदत्त ने वर्णमान के कुसुमाञ्जलि-प्रकाश पर ‘मरुरन्द’ नामक टीका की स्थना की ।

प्राचीन न्याय के जन्मदाता गौतम और नव्यन्याय के प्रवर्तक गंगेशु दोनों को उत्पन्न करने का थ्रेय मिथिला दी को है । अत मिथिला न्याय की जन्मभूमि मानी जाती है । वाचस्पति मित्र, उदयनाचार्य, पञ्चधर मित्र, रुचिदत्त, शंकर प्रभृति मिथिला के विष्ट्रिक्त हैं । इनके विषय में यह श्लोक आज भी मिथिला में प्रसिद्ध है—

शक्तराचस्पत्योऽशंकराचस्ती सद्शास्ती

पूज्यधरप्रतिपक्षी लक्ष्मीभूतो न च कापि ।

दूर-दूर देशों के लोग यहाँ न्याय पढ़ने के लिये आते थे और यर्पों के उपरान्त परिदृष्ट यन कर यहाँ से लौट जाते थे । ‘भक्तिमाहात्म्य’ नामक ग्रन्थ में इसका स्पष्ट वर्णन पाया जाता है ।

अथापि मिथिलाया तु तदन्वयमना द्विजा

विद्वास शाससम्भा पाठ्यनित शृहे शृहे (३१८१)

यह युग शिष्य परम्परा पन्द्रहवीं शताब्दी तक कायम रही । इसके अनन्तर वासुदेव सार्वभौम प्रभृति यगीय विद्वानों ने मिथिला से विद्यार्जन कर नवदीप में विद्यापीठ स्थापित किया । धीरे-धीरे यही नवदीप (नदिया) न्याय के अध्ययन अध्यापन का केन्द्र-स्थल हो गया । इसकी प्रसिद्धि दूर-दूर तक फैल गई और नव्य न्याय का पीछा इस भूमि में पनप कर दूर ही शासा पल्लवयुक्त होकर बढ़ने लगा ।

नदिया विद्यापीठ की स्थापना सोलहवीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई । इसके संस्थापक वासुदेव सार्वभौम न्यायशास्त्र के धुरन्धर आचार्य थे । इनकी तत्त्वचिन्तामणिव्याख्या इनके प्रकाण्ड पारिदृश्य की परिचायिका है ।

वासुदेव सार्वभौम के शिष्य भी वेसे ही यशस्वी निकले । चैतन्य महाप्रभु का नाम बगाल के घर घर में प्रसिद्ध है । ये इन्होंके शिष्य थे । दूसरे शिष्य रघुनाथ तर्कशिरोमणि अपने समय में (१६ वीं शताब्दी में) देश के समस्त नैयायिकों में शिरोमणि थे । इन्होंने न्याय के मठार को अपनी विद्वत्तापूर्ण टीकाओं से अत्यन्त ही समृद्धिशाली बना दिया । इनकी सबसे प्रसिद्ध टीका है ‘मण्यालोक’ पर, जो ‘मण्यालोकदीधिति’ अथवा केवल ‘दीधिति’ नाम से प्रख्यात है ।

धूनाथ तर्कशिरोमणि के सबसे प्रसिद्ध शिष्य हुए मयुरानाथ तर्कवागीश। इन्होंने मणि और दीधिति पर जो टीकाएँ की हैं वे अहुत ही प्रामाणिक और महत्वपूर्ण मानी जाती हैं।

सत्रहर्षी शतान्दी में नवदीप विद्यापीठ के दो दुख्य महारथी न्याय के प्राङ्गण में आये। ये ये जगदीश और गदाधर। न्यायशास्त्र के दुर्गम कानन में ये दोनों केसरी-स्वरूप थे। नव्यन्याय में ये अपना सानी नहीं रखते थे। 'दीधिति' की टीका रचना में दोनों ने अपना-अपना चमत्कार दिखलाया है। जगदीशहृत टीका जागदीशी और गदाधरहृत टीका गदाधरी नाम से प्रसिद्ध है।

जगदीश ने प्रशस्तपाद भाष्य पर भी टीका की है जो भाष्यसूक्ति कहलाती है। इसके सिवा तर्कभृत और शब्दशक्तिप्रकाशिका भी इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। पतदतिरिक्त 'मनुमिति रहस्य' 'अवेच्येदकत्वनिरुक्ति' प्रभृति इनके पचासों स्फुट निवन्ध भी मिलते हैं।

गदाधर ने अपनी अमूल्य कृतियों से न्याय के मढार को जितना भरा है उतना शायद और किसीने नहीं। गदाधरी टीका के अतिरिक्त इन्होंने मूलगादाधरी भी लिखी है जिसमें मणि के प्रमुख अशों की व्याख्या है। उदयनाचार्य कृत आत्मतत्त्व विवेक पर भी इनकी टीका पाई जाती है। इसके सिवा व्युत्तिवाद, शक्तिवाद आदि पियरों पर इनके सैकड़ों स्फुट निवन्ध हैं।

आज भी नव्यन्याय के विद्यार्थीं जागदीशी और गदाधरी की रट लगाते हैं। नव्यन्याय की उपमा एक विशाल घटरूप से दी जा सकती है, जिसकी जड़ मिथिला में रोपी गई। उससे तर्शचिन्तामणि रूपी धड़ उत्पन्न हुआ। उसकी शाखाएँ दूर दूर तक जा फैलीं और बंगाल में दीधिति रूपी धरोहर की उत्पत्ति उससे हुई। उसीमें फले हुए फल जागदीशी और गदाधरी आज भी न्यायरसिकों को रसाह्यादन करते रहते हैं।

इसके उपरान्त जो न्याय-साहित्य तयार हुआ वह अधिकाश्रत चालकोपयोगी है। ग्रन्थकारों का ध्यान छोड़े मोड़े ध्यानोपयुक्त ग्रन्थों की रचना की ओर आकर्षित हुआ। इन प्राथकारों में तीन के नाम अप्रगत हैं—(१) शक्ति मिश्र (२) विवन्धनाथ पंचानन और (३) अनन्म् भट्ट।

शक्ति मिश्र मैथिल वाहाण थे। इन्होंने जागदीशी पर मुगम टीका की रचना की है। वैशेषिकसूत्र पर इनका रचित उपस्कार बहुत ही सुचोद और उपयोगी है। शक्ति मिश्र के पिता विवन्धनाथ मिश्र भी धुरुन्धर नैयायिक थे। ये मिथिला में 'श्रयाची मिश्र' नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं। शक्ति वाल्यावस्था से ही कुशाप्रबुद्धि थे। कहा जाता है, इन्होंने पांच वर्ष की अवस्था में ही मिथिलेश को वह श्लोक बनाकर सुनाया था—

बालोऽहं जगदानन्द ! न मे वाला सरस्वती ।
अपूर्णं पञ्चमे वर्षे वर्णयामि जगत्त्रयम् ।

विश्वनाथ पंचानन वर्गीय व्राह्मण थे । इन्होंने न्यायसूत्र पर अत्यन्त ही सरल और छात्रोपयोगी वृत्ति की रचना की है । इसके अतिरिक्त न्यायवेशेपिक के प्रमुख सिद्धान्तों को इन्होंने पद्धतिकर विद्यार्थियों के लिये बड़ा ही सुगम मार्ग बना दिया है । इस पुस्तक का नाम 'कारिकावली' है । यह 'भाषा परिच्छेद' के नाम से भी प्रसिद्ध है । इसमें १६८ श्लोक हैं । इन श्लोकों पर ग्रन्थकार की स्वरचित सुन्दर टीका है जो सिद्धान्त-मुक्तावली कहलाती है ।

अनन्म् भट्ट आनन्ददेशीय व्राह्मण थे । इनका रचित तर्कसंग्रह विद्यार्थियों के बड़े काम की चीज़ है । ये स्वयं कहते हैं—

वालाना सुरवोधाय क्रियते तर्कसंग्रह

और इस काम में ये खूब ही सफल हुए हैं । आज भी न्याय के विद्यार्थी तर्कसंग्रह से ही श्रीगणेश करते हैं । छात्रों के लिये न्यायविषयक इतनी सरल पुस्तक प्राय दूसरी कोई नहीं है । तर्कसंग्रह पर ग्रन्थकार की स्वरचित टीका तर्कसंग्रहदीपिका है । वह भी वेसी ही सरल और सुव्योध है । अनन्म् भट्ट की कृति वालगादाघरी फहलाती है, क्योंकि इसमें गादाघरीय न्याय का सार भाग निचोड़ लिया गया है ।

अनन्म् भट्ट ने पद्धधर मिथ्र के मण्डपालोक पर सिद्धाञ्जन नामक विद्वत्तापूर्ण टीका की रचना की है । इनकी प्रगति सभी शास्त्रों में समान रूप से थी । व्याकरण, मीमांसा, वेदान्त आदि मिथ्रभित्र विषयों पर इनकी प्रतिभापूर्ण कृतियाँ देखने में आती हैं ।

अनन्म् भट्ट के तर्कसंग्रह से ही आधुनिक विद्यार्थियों को न्याय का श्रीगणेश कराया जाता है । प्राय प्रत्येक ग्रन्थ में यही परिपाठी प्रचलित है । इसके उपरान्त भाषा परिच्छेद और सिद्धान्त मुक्तावली का नम्बर आता है । तदनन्तर सूत्र, माव्य, वार्तिक, वृत्ति आदि का अध्ययन होता है । धगाल और मिथिला में आजकल नव्य न्याय का ही अधिकतर प्रचार है । इसके लिये जागदीशी, गादाघरी आदि टीकाएँ पाठ्य प्रत्य हैं ।

न्याय का साहित्य-भंडार—गीतम से लेफ्ट आजतक न्याय-दर्शन का जो विशाल साहित्य तेयार हुआ है, उसका पूरा पूरा विषय देना असम्भव सा है । तथापि न्यायसूत्र रूपी मूलवृत्त से किस प्रकार शाखाएँ और प्रशास्त्राएँ निष्कली हैं, इसका थोड़ा दिग्दर्शन यहाँ करया जाता है ।

- १ गौतम कृत न्यायसूत्र
 २ वात्स्यायन कृत न्यायसूत्रमाला
 ३ उद्योतकर कृत न्यायगतिक
 ४ वाचस्पति कृत न्यायवाचिकतात्पर्यटीका

- ५ उदयन कृत न्यायवाचिकतात्पर्यपरिशुद्धि
 ६ वर्द्धमान कृत परिशुद्धिटीका (न्यायनिवध प्रकाश)

- ७ पद्मनाभ कृत न्यायनिवध प्रकाशटीका (वर्द्धमाने हु)

यह तो हुई फेयल पक शाखा । अब देखिये, अपेक्षे न्यायसूत्र यह ही कितनी टीकाएं लिखी गई हैं—

- (क) विष्वनाथ—न्यायसूत्रवृत्ति
- (ख) नागेश—
- (ग) जयन्त— ” (न्यायमजरी)
- (घ) महादेव भट्ट— ” (मितभापिणी)
- (ङ) राधामोहन— ” (न्यायसूत्रविवरण)
- (च) सुहृन्ददास— ”
- (ष) चन्द्रनारायण— ”
- (ज) अभयतिलक— ” (न्यायवृत्ति)
- (झ) वाचस्पति— ” (न्यायसूत्रोद्धार)

अब देखिये, शाखा प्रन्थ पर भी कितनी टीका रूपिणी उपशाखाएं निकली हैं ।

उदयनाचार्य ने न्यायकुसुमाजलि लिखी । उसपर (तनी भिन्न भिन्न टीकाएं मिलती हैं ।

- (क) वर्द्धमान कृत प्रकाश नामक टीका
- (ख) रुचिदत्त कृत महरन्द ” ”
- (ग) गुणानन्द कृत विवेक ” ”
- (घ) गोपीनाथ कृत विकाश ” ”
- (ङ) जयराम कृत विवरण ” ”
- (च) वरदराज कृत टीका
- (ष) चन्द्रनारायण कृत टीका

इसी प्रकार उदयन के आत्मतरर विवेन पर वर्द्धमान, मधुरानाथ, और हस्तिदासमिश्र की अलग-अलग टीकाएँ उपलब्ध हैं।

वरदाचार्य की तार्किनरक्षा पर नृसिंह ठाकुर की 'प्रकाशिकाटीका', विनायक भट्ट की 'न्यायकौमुदी' तथा मलिननाथ की 'निक्षेटक' नामक टीकाएँ हैं।

अब नव्यन्याय का प्रसार देखिये। प्रथमत गंगेश उपाध्याय ने तत्त्वचिन्तामणि की स्वता की। उसपर इतनी प्रसुत टीकाएँ लिखी गईं —

(क) वासुदेव सार्वभौम कुत टीका

(ख) पञ्चधर मिश्र कुत—तत्त्वालोक

(ग) हनुमान् कुत—हनुमदीया टीका

(घ) तर्कचूडामणि कुत—मणिप्रकाश

(ङ) रघुनाथ तर्कशिरोमणि कुत—तत्त्वदीधिति

अब तत्त्वदीधिति को लीजिये। इसपर इतनी टीकाएँ प्रसिद्ध हैं—

(क) जगदीश कुत—जगदीशी टीका

(ख) गदाधर कुत—गदाधरी टीका

(ग) मधुरानाथ कुत—मधुरानाथी टीका

(घ) भवानन्द कुत—भवानन्दी टीका

(ङ) शंकर कुत—मयूख टीका

जगदीशी टीका की भी टीका शंकर मिश्र ने की है। इसी तरह गदाधरी टीका की टीका रघुनाथ शास्त्री ने की है। इस प्रकार न्याय द्वयी यद्यवृत्त 'की शायाएँ केलती हुई चली गई हैं।

एक डाल से कितनी डिजियाँ फुटी हैं इसका एक और नमूना लीजिये। केशव मिश्र की एक प्रसिद्ध कृति है 'तर्कभाषा'। उसपर इतनी टीकाएँ मिलती हैं—

(१) रामलिंग कुत टीका

(२) माधवदेव „ „

(३) सिद्धचन्द „ „

(४) मुरारि „ „

(५) माधवभट „ „

- (६) चिन्नभट्ट व्यंकटाचार्य कृत चिवमद्वी टीका
 (७) गोवर्द्धन कृत तर्फाप्रकाश
 (८) शुभ विजय रचित तर्फाप्रानिरण
 (९) गणेशदीक्षित कृत वत्सप्रबोधिनी
 (१०) वारीश कृत प्रसादिनी
 (११) गोरीकान्त कृत भावार्थदीपिका
 (१२) विष्वनाथ कृत व्यापिलास
 (१३) अहात कृत न्यायप्रदीप
 (१४) कौणिहरण दीक्षित कृत प्रसादिका
 (१५) गोपीनाथ कृत उज्ज्वला
 (१६) भास्कर कृत दर्पणा
 (१७) नागेश कृत योगावली
 (१८) दिनकर कृत जीमुदी

न्याय के सुविस्तृत साहित्य की व्यापकता का अन्दाज इसीसे लग जायगा। न्याय दर्शन पर आज तक जितनी रचनाएँ हुई हैं उन सबों का यदि अन्वेषण और संकलन किया जाय तो महाभास्तु से भी अधिक विश्वाल पोषण होयार हो जायगा। हर्ष की धार है कि अब आधुनिक शिक्षा प्रात यिदानों का ध्यान भी इस ओर जान लगा है और यदुव-सी लुप्तप्राय इतिहास प्रकाश में आ रही है।

इस ग्रन्थ का विषय-विन्यास—गोतमोक दोषश पदार्थ (जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है) वायशास्त्र के आधारभूत विषय हैं। प्रह्लुत पुस्तक में फलानुसार प्रत्येक विषय को लेकर उसका विवेचन किया गया है।

न्यायशास्त्र का सर्व प्रधान विषय है प्रमाण। अत सर्वप्रथम प्रमाण की विवेचना की गई है। प्रमाण के अन्तर्गत (१) प्रत्यक्ष (२) अनुमान (३) उपमान और (४) शब्द के पृथक्-पृथक् खण्ड किये गये हैं। ये प्रमाण ही आधुनिक न्याय साहित्य के आधारस्तम्भ हैं। अत इनकी व्याख्या सविस्तर रूप से की गई है। अद्वितीय ग्रन्थ का अधिकांश भाग इन्हीं में लगाया गया है।

प्रमाणों के अन्तर्गत भी अनुमान प्रमाण नैयायिकों का सबसे मुख्य और महत्त्वपूर्ण विषय है। अतएव इस विषय की विशेष रूप से विवेचना की गई है। नव्यन्याय में

अनुमान के अद्वीप्रूप विषयों का जो सूचना विस्तैरण हुआ है उसका भी यथास्थान दिव्यदर्शन कराया गया है। इस कारण अनुमान का प्रकरण सबसे अधिक विस्तृत हो गया है।

प्रमाणों के अनन्तर प्रमेय का परिवर्य दिया गया है। आला प्रभृति धारणा प्रमेयों के तहत और स्वरूप पतलाये गये हैं।

तत्पर्यात् अवशिष्ट पदार्थों का (तराय, पूरोजन, दृष्टात्, सिद्धान्त, अन्यत, तर्फ, निर्णय, गाद, जल्य, नितेडा, हेतुगमात्, चतु, जाति और निमह-स्थान का) पष्ठा किया गया है। परिशिष्ट मात्र में ईन्हर, मोहा, पुरानें आदि विविध विषयों की आलोचना की गई है।

प्रमाण

[प्रमाण का अर्थ—प्रमा—करण—प्रमाण, प्रेषण और प्रमाण—प्रमाण का सम्बन्ध—प्रमाण का महत्त्व—प्रमाणों की संख्या—यथ के चतुर्विंश प्रमाण]

प्रमाण का अर्थ—प्रमाण का अर्थ है,

प्रमाणा करण प्रमाणम् ।

—उद्देश्यात्

जो प्रमा का करण हो यही 'प्रमाण' कहलाता है । उपर्युक्त परिभाषा में दो शब्द हैं,
(१) प्रमा और (२) करण । यथ इनके अर्थ समझिये ।

(क) प्रमा—प्रमा का अर्थ है ।

"तद्वति तत्प्रकारकानुभव प्रमा ।"

—उक्तप्रद

अर्थात् जो वस्तु जीवी हो उसको उसी प्रकार की जानना ही 'प्रमा' है ।

यदि आपके सामने वालू का रेतोला मेदान हो और आप उसे ढीक वालुकामय समझ रहे हैं तो आपका ऐसा अनुभव यथार्थ ज्ञान या 'प्रमा' कहलायगा । इसके विपरीत यदि आप उस वालुकारणि को जल की धात्र समझ दैवते हैं तो आपका ऐसा समझना अथधार्थ ज्ञान या 'अप्रमा' कहलायगा ।

दूसरे शब्दों में यो कहिये कि जहाँ जो वस्तु है, उसे यहाँ जानना प्रमा है ।

"यत यदस्ति तत्र तत्प्रानुभव प्रमा ।"

इसके विपरीत जो वरतु जहाँ नहीं है, उसे यहाँ कल्पित या आयोगित कर लेना 'अप्रमा' है ।

"यत यदास्ति तत्र तत्प्रानुभव अप्रमा ।"

रजु के स्थान में सर्प का भान होना, सीप की जगह चाँदी का भान होना, अप्रमाण के उदाहरण हैं। क्योंकि यहाँ जिस विषय का वोध होता है, उसका वस्तुत अभाव है।

विषय के वस्तुत विद्यमान रहने पर तदित्यक छात 'प्रमा' है। विषय का अभाव रहने पर भी यहाँ तदित्यक छात का आमात होना 'अप्रमा' है।^{१)}

"तदगावति तत्प्रत्यक्षानुभवः अप्रमा ।"

—तदित्यक

पात्त्वायन कहते हैं—

यदर्थनिशानं ता प्रमा

अर्थात् विषय की यथार्थ प्रतीति ही प्रमा है। सीप को सीप और चाँदी को चाँदी जानना प्रमा है। इसके विकल्प सीप को चाँदी या चाँदी को सीप जानना अप्रमा है। जो यस्तु जैसी नहीं है उसे उस प्रकार की जानना 'प्रप्रमा', 'भ्रम' या 'पिपर्यंय' कहलाता है।

सक्षेप में यह कहा जा सकता है कि यथार्थ अनुभव या सत्यज्ञन का नाम 'प्रमा' और अयथार्थ अनुभव या मिथ्याज्ञन का नाम 'अप्रमा' है। तर्कसूलीकार भी यही सीधी-सादी परिभाषा देते हैं।

(प्रमाणजन्यः) यथार्थनुभवः प्रमा ।

(प्रमाणाभासजन्यः) अयथार्थनुभवः अप्रमा ।

(य) करण—अब 'करण' शब्द पर आइये। करण का अर्थ है,

सापकतम करणम्

—पाणिनि (१४४१)

किया की सिद्धि में जो उपकरण सहायक होता है, वह साधन कहलाता है। जैसे, हरिण को वेधकर मारने में धनुष, धाण, प्रत्यञ्चा, शिकारी का हाथ, ये सब सहायक होते हैं। अतः ये सभी साधन या साधक कहे जा सकते हैं।

अब देखिये, इन सभी साधनों में भी सधसे चरम साधन कीनसा है। धनुष, प्रत्यञ्चा और शिकारी का हाथ किया के उपकारक होते हुए भी आरादुपकारक अर्थात् दूरवर्ती कारण हैं। उनमें और किया के फल (वेध) में अन्तराल या व्यवधान है। इसलिये वे साधक होते हुए भी 'साधकतम' नहीं कहे जा सकते।

साधकतम का अर्थ है जो साधन किया का प्रहृष्टोपकारक अर्थात् सधसे अधिक

* तद्गते तन्मति प्रमा । तद्भूये तद्विषयम् ।

समीपवर्ती हो—जिसका व्यापार होते ही क्रिया की फल निष्पत्ति हो जाय, चीज़ में किसी दूसरी घट्टु का व्यवधान नहीं रहे। अत 'साधकतम्' शब्द की व्याख्या इस प्रकार की गई है—

स्वनिष्ठव्यापाराव्यवधानेन फलनिष्पादकम् इदमेव साधकतमम् ।

लग्नमन्त्रणा

उपर्युक्त उदाहरण में याए लगते ही वेधनक्रिया हो जाती है। दोनों के चीज़ में कोई व्यवधान नहीं रहता। इसलिये धनुष, ढोरी आदि अनेक सहायक कारण होते हुए भी 'साधकतम्' या 'फरण' याए ही है। इसीलिये कहा जाता है।

वाणेन हतो मृग

अर्थात् हरिण याए के द्वाया मारा गया। 'धनुष, ढोरी या हाथ के द्वाया हरिण मारा गया' ऐसा नहीं कहा जाता।

सारांश यह कि अव्यवहित रूप से क्रिया की निष्पत्ति करनेवाला साधन प्रष्टोपकारक कारण कहलाता है। इसीका नाम साधकतम या 'करण' है।

“थद्ब्यापाराव्यवधानेन क्रियानिष्पत्ति स्तम्भृष्ट घोष्यम् । प्रष्टोपकारक करणसङ्गं स्थात् ।

अब प्रमाण शब्द के अर्थ पर आइये। जो प्रमा या यथार्थ हात का कारण अथवा साधकतम हो, वही 'प्रमाण' कहलाता है।

मान लीजिये, आपके सामने धर्या हो रही है। आप जानते हैं कि धर्या हो रही है। यह जानने की क्रिया कैसे उत्पन्न होती है? देखने से। देखने के साथ ही यह ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। इसलिये यहाँ विषय का प्रत्यक्ष दर्शन ही प्रमा का कारण अथवा प्रमाण है।

प्रमा का साधकतम कारण प्रमाण कहलाता है। यिना कारण के कार्य नहीं हो सकता।^a इसलिये यिना प्रमाण के प्रमा नहीं हो सकती। प्रमाण के व्यापार का फल ही 'प्रमा' या 'प्रमिति' है।

प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण—प्रमा वा ज्ञान का अस्तित्व तीन वस्तुओं की अपेक्षा रखता है। ये हैं—(१) प्रमाता (२) प्रमेय और (३) प्रमाण।

(क) प्रमाता— (Subject of Cognition)। ज्ञान का अर्थ है जानना। और जानने की क्रिया किसी वेतन व्यक्ति में ही हो सकती है। इसलिये ज्ञान का अस्तित्व ज्ञात्वापेक्षा है। यिना ज्ञाता के ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञाता जो ज्ञान विशेष का आधार होता है, 'प्रमाता' कहलाता है। †

* कर्त्त्वामादात्र कार्याभाव ।

† प्रमातृत्व प्रमात्मवाचित्वम् ।

(ख) प्रमेय—(Object of Cognition) ज्ञान जरु होगा तब किसी विषय का । निर्विपयक वा शून्य ज्ञान असम्भव है । ज्ञान का व्यापार जिस विषय पर फलित होता है (अर्थात् जो विषय गृहीत वा उपलब्ध होता है) वह 'प्रमेय' कहलाता है । ३ घट, पद, आदि समस्त विषय जिनका हर्म ज्ञान प्राप्त होता है, प्रमेय कोटि मे आते हैं ।

(ग) प्रमाण (Means of Cognition)—ज्ञाता भी रहे और हेय पदार्थ भी रहे, किंतु यदि जानने का साधन नहीं हो तो ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता । सामने घट रहते हुए भी दृष्टिहीन व्यक्ति को उसका अनुभव नहीं हो सकता । इसलिये ज्ञाता को ज्ञान-प्राप्ति का साधन होना आवश्यक है । यही साधन प्रमाण कहलाता है ।

मान लीजिये, आपके सामने एक घोड़ा है । आप देख रहे हैं कि यह घोड़ा है । यहाँ आप प्रमाता हैं, घोड़ा प्रमेय है, देखना प्रमाण है, और 'यह घोड़ा है' ऐसा जो फलरूप ज्ञान उत्पन्न होता है वह 'प्रमा' है ।

यदि केवल घोड़ा (प्रमेय) ही रहता पर उसे देखनेवाला (प्रमाता) कोई नहीं रहता, तो उपर्युक्त ज्ञान किसको होता ? इसलिये ज्ञान के हेतु प्रमाता का होना आवश्यक है । इसी तरह यदि केवल प्रमाता ही मीजूद रहता, बिन्तु उसके सामने कोई विषय नहीं रहता तो किर ज्ञान किसका होता ? इसलिये प्रमेय का होना भी आवश्यक है । इसी तरह, प्रमाता और प्रमेय के रहते हुए भी यदि दृष्टिशक्ति का अभाव रहता, तो किर प्रमेय का ज्ञान कौसे होता ? इसलिये प्रमाण का होना भी आवश्यक है । इस तरह प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण ये तीनों प्रमा के हेतु अनिवार्य हैं ।

प्रमाण का लक्षण—जिस साधन के द्वारा प्रमाता को प्रमेय का ज्ञान होता है, वह 'प्रमाण' कहलाता है ।

प्रमाता येनार्थं प्रमिणोति तत् (प्रमाणम्)
वात्साधन (प१११)

ज्ञाता और विषय-ज्ञान के बीच में सम्बन्ध-स्थापित करनेवाला साधन प्रमाण ही है । उद्यनाचार्य कहते हैं—

मिति सम्यक् परिच्छित्तिस्तद्वत् च प्रमातृता ।
तदयोगव्यवच्छेद प्रामाण्य गौतमे मते ।

— न्यायकुसुमाम्बजिलि

दूसरे शब्दों में यों कहिये कि विषयज्ञान का हेतु 'प्रमाण' कहलाता है । उद्योतकर यही परिभाषा देते हैं—

३ वोर्धं तत्त्वं प्रमीयते उद्योगम् ।

अर्थोपलब्धिहेतु प्रमाणम् ।

—न्यायवाचिक

अर्थोपलब्धि कभी-कभी भ्रमात्मक था संशयात्मक भी हो सकती है। इसलिये, जयन्त भट्ट ने उपर्युक्त परिमाण में अर्थोपलब्धि के पहले (१) अव्यभिचारिणी और (२) असन्दिग्धा, ये दो विशेषण जोड़ दिये हैं । #

प्रमाण की परिमाणा भिन्न भिन्न आचार्यों न भिन्न भिन्न रूप से की है। + किन्तु प्रमाण का प्रमाणनकाल प्राय सभी स्वीकार करते हैं ।

प्रमाण का महत्त्व—प्रमाण ही ज्ञान का मापक तुलादण्ड है। कोई ज्ञान सत्य है या असत्य इसकी जाच करने की क्सीदी प्रमाण ही है। कहा भी है,

मानाधीना भेयसिद्धि

जिस प्रकार तराजू के पलड़े पर रखने से किसी यस्तु का परिमाण निर्धारित होता है, उसी प्रकार प्रमाण के मानदण्ड द्वारा किसी ज्ञान का मूल्य आँका जाता है।

प्रमीयते परिच्छिद्धते अनेन इति प्रमाणम् ।

विना प्रमाण के कोई भी पदार्थ माननीय नहीं समझा जा सकता। इसलिये वृत्तिकार (विश्वनाथ) कहते हैं,

“प्रमाणस्य सकलपदार्थव्यवस्थापकत्वम्”

न्यायशास्त्र में प्रमाण का महत्त्व सर्वापरि है। यहाँ तक कि न्याय का नाम ही ‘प्रमाणशास्त्र’ पड़ गया है। नेयायिकरण प्रमाण को ईश्वर के समकक्ष ही समझते हैं। कहाँ-कहाँ तो विष्णु के अर्थ में भी प्रमाण शब्द का प्रयोग देखने में आता है। उद्यनाचार्य प्रमाण की उपमा साक्षात् शिव से देते हैं । †

* “अव्यभिचारिणीम् असन्दिग्धाम् अर्थोपलब्धिम् ।” —न्यायमन्त्री ।

+ अविर्तवादि विज्ञान प्रमाणमिति सोगता ।

भूतपूर्वि प्रमाणं सा स्फुरेन्वेति फेचन ।

अशात्चरतत्त्वाभनिरचयकमयापरे ।

प्रयेक्ष्याप्तमपरे प्रमाणमिति मन्त्रो ।

प्रमाणियतामभी प्रमाण केचिदौचिरे । — ग्राहिकरण ।

इसाक्षात्कारिणि निष्पोगिनि परद्वायनवेचस्तितौ

भूतार्थानुमये निषिद्धनेत्विक्षप्रसरताविवस्तुक्तम्

सेतावृष्टि निषिद्धादिति विगमप्राप्त रात्मुप

राङ्गनेप्रस्त्रादिति विमपरैस्तन्में प्रमाणं रिव । — न्यायकुस्यपाम्बृति

प्रमाण की संख्या—प्रमाण कितने हैं? इस प्रश्न पर भिन्न भिन्न दर्शनकारों के के भिन्न भिन्न मत हैं। प्रमाणों की संख्या एक से लेकर आठ तक मानी गई है।

तोकायत मत के प्रवर्तक चारोंक फेयल एक ही प्रमाण मानते हैं। यह ही प्रत्यक्ष। चौद्ध और वैशेषिक दो प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। सात्य में इन दोनों के अलावे शब्द प्रमाण भी माना गया है। नैयायिकगण एक चीया प्रमाण उपमान भी इनमें सम्मिलित कर देते हैं। प्रामाकर मीमासक एक पांचवां प्रमाण अर्थापत्ति जोड़ देते हैं। भट्ट मीमासक और वेदान्ती इन पांचों के अतिरिक्त एक छठा प्रमाण भी मानते हैं। यह ही अमाव या अनुपलब्धि। पीराणिकगण इन सब प्रमाणों के साथ साथ समय और ऐतिहासिक दो और प्रमाण मानते हैं।^{१०}

नीचे के कोषुक से यह घात सुस्पष्ट हो जायगी।

दर्शन	प्रमाण
चारोंक	१ प्रत्यक्ष
वैशेषिक	१ प्रत्यक्ष, २ अनुमान
सात्य	१ प्रत्यक्ष, २ अनुमान, ३ शब्द
न्याय	१ प्रत्यक्ष, २ अनुमान, ३ शब्द, ४ उपमान
प्रामाकर मीमासा	१ प्रत्यक्ष, २ अनुमान ३ शब्द ४ उपमान ५ अर्थापत्ति
भट्ट मीमासा वेदान्त	१ प्रत्यक्ष, २ अनुमान ३ शब्द ४ उपमान ५ अर्थापत्ति ६ अनुपलब्धि

* प्रमाणों की संख्या के विषय में जो मतभेद है, वह वेदान्तवारिका में इस प्रकार विख्याय राय है—

प्रत्यक्षमेक चारोंक कणादसुगतौ पुनः।

अनुमानब्दं तत्त्वापि सांख्या शब्दब्दं ते उभे।

न्यायैकदेवीरोऽप्येवमानब्दं केवलम्।

कथोपराया सहैतानि चत्वारोदु प्रमाकर।

अमावयष्ठान्येतानि भट्टवेशनिततया।

संभवैतिशयुक्तानि एति पीराणिः जणु।

न्याय के चतुर्विध प्रमाण—प्रत्येक गीतम चार प्रमाण मानते हैं—

१ प्रत्यक्ष २ अनुमान ३ उपमान और ४ शब्द

'प्रत्यक्षातुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि'

—न्या० सू० १।।।२

मान लीजिये, किसी वन म बाघ है। अब यह इन आपको चार प्रकार से हा सकता है।

(१) अपनी आँख से बाघ को देखकर। यह प्रत्यक्ष प्रमाण होगा।

(२) मान लीजिये, आप बाघ को देखते नहीं हैं। किन्तु उसके गुरुर्णने की आवाज आपको सुनाई पड़ती है। इससे आपको निश्चय हो जाता है कि वन म बाघ है। यह अनुमान प्रमाण है।

(३) मान लीजिये, आपने बाघ को पहले कभी देखा नहीं है किन्तु इतना सुन रखा है कि वह चीते के समान होता है। अब वन में जाने पर आपको एक जन्तु विशेष दिखलाई पड़ता है जो आकार प्रकार में चीने के सटश है। यस, आपको बाघ का हान हो जाता है। यह उपमान प्रमाण है।

(४) यदि कोई जानकार और विभ्यस्त आदमी जिसने अपनी आँखों से वन में बाघ को देखा हो आकर ऐसा कहे तो (यिना देखे या अनुमान किये भी) वन में बाघ होने का हान प्राप्त हो जायगा। यह शब्द प्रमाण है।

अब इनमें प्रत्येक प्रमाण का सविस्तर परिचय आगे दिया जाता है।

प्रत्यक्ष

[प्रयुक्त शब्द—प्रतिप्रय—प्रत्यक्ष—प्रतिप्रये (प्राप्यद्विरो)—प्रत्यक्ष यी उत्थिति—प्रत्यक्ष के भेद—निर्विकल्प और सविकल्प प्रत्यक्ष—अनौरिक्त प्रत्यक्ष—सामान्यताप्रयत्न, दानलक्षण्य और वीणा प्रत्यक्ष—प्रत्यक्षिण]

प्रत्यक्ष का अर्थ—प्रत्यक्ष की व्युत्पत्ति है, 'प्रति+अक्षण' अर्थात्, जो आँख के सामने हो। अथवा,

"अन्नभक्ष प्रतीत्योत्पद्यते इति प्रत्यक्षम्"

आँख कान आदि इन्द्रियों के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न हो वह प्रत्यक्ष ज्ञान है। अतप्रय प्रत्यक्ष सवने पश्चाता प्रमाण माना जाता है। जो आँख के सामने मौजूद है, उसके लिये और प्रमाण देने की क्षमा आपर्यक्ता है ! इसीलिये लोकोक्ति है—

"प्रत्यक्षे किं प्रमाणम् ?"

और और प्रमाणों के द्वारा हम किसी वस्तु का ज्ञान तो प्राप्त कर सकते हैं, किन्तु उसका साक्षात्कार नहीं कर सकते। अत गहृश उपाध्याय कहते हैं।

"प्रत्यक्षस्य साक्षात्कारित्वं लक्षणम् ।"

यह लक्षण प्रत्यक्ष के सिवा और किसी प्रमाण में नहीं पाया जाता। मान सीजिये, किसी विश्वस्त व्यक्ति ने आप से कहा—“पहाड़ पर अग्नि है ।” इससे आप जान गये कि वहाँ अग्नि है। यह शब्द प्रमाण हुआ। लेकिन आप चाहते हैं कि अग्नि होने का कोई लक्षण भी देखने में आये तो अच्छा होता। उसके बाद आपने देखा कि वहाँ आग है तभी तो धुआँ उठ रहा है। अब आपका निश्चय और भी पक्का हो गया कि वहाँ आग है तभी तो धुआँ उठ रहा है। यह अनुमान प्रमाण हुआ। किन्तु तो भी असली वस्तु (अग्नि) से अभी तक आपका साक्षात् सम्बन्ध नहीं हुआ है। यह आपसे परोक्ष ही है। अतप्रय उसके विषय में लाल विश्वास होने पर भी आपके मन में दिवक्षा (देखने की अभिलाषा) थी ही हुई है। किन्तु एक दफे जब आप अपनी आँखों पर्वत पर अग्नि को देख लेते हैं तब फिर किसी घात की अपेक्षा नहीं

रहती। शंका या तर्क पितर्क का कोई स्थल ही नहीं रह जाता। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में किसी रोशनी की झूसरत नहीं होती, उसी प्रकार प्रत्यक्ष दर्शन में किसी और वस्तु की जिज्ञासा नहीं रहती। जैसा वात्स्यायन कहते हैं—

“जिज्ञासितमर्थमातोपदेशात् प्रतिपथमानो लिङ्गदर्शनेनापि दुमुत्तते । लिङ्गदर्शनानुभित च प्रत्यक्षतो दिव्यते । उपलब्धेऽर्थं जिज्ञासा निवर्तते ।”

—न्यायसूत्रनाम

अतपर प्रत्यक्ष निर्विद्याद और निरपेक्ष होता है। यह किसी दूसरे प्रमाण की अपेक्षा नहीं करता। और-और प्रमाण भले ही उसकी अपेक्षा रखें। दूसरे शब्दों में यों कहिये कि सभी ज्ञान का मूल है प्रत्यक्ष। इसलिये प्रत्यक्ष का मूल दूसरा कोई ज्ञान नहीं कहा जा सकता। अतपर प्रत्यक्ष का लक्षण यों भी किया गया है—

“ज्ञानाकारणके ज्ञानं प्रत्यक्षम् ।”

प्रत्यक्ष ज्ञान स्वर्थं मूलस्वरूप है। उसका कारण दूसरा ज्ञान नहीं हो सकता। अतपर जिस ज्ञान का कारण ज्ञानान्तर नहीं हो, वही प्रत्यक्ष है।

साधारणत प्रत्यक्ष की परिभाषा यों की जाती है—

“इद्रियार्थसचिक्योत्पन्नं ज्ञानं प्रत्यक्षम् ।”

अर्थात् जो ज्ञान इन्द्रिय (Sense-organ) और पदार्थ (object) के सन्तुक्तर्थ (संयोग, Contact) से उत्पन्न हो, यह ‘प्रत्यक्ष’ कहलाता है।

अब इस सूत्र का एक एक शब्द लेकर अर्थ समझिये।

(१) इन्द्रिय—

इन्द्रियाँ दो प्रकार की होती हैं—(१) कर्मेन्द्रिय और (२) ज्ञानेन्द्रिय। शरीर के जो अवयव किया करने में साधक होने हैं उन्हें कर्मेन्द्रिय कहते हैं। और जो ज्ञानप्राप्ति में साधक होते हैं उन्हें ‘ज्ञानेन्द्रिय’ कहते हैं। हाथ-पैर आदि पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं और आंख कान आदि पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। यहाँ इन्द्रिय से ज्ञानेन्द्रिय का अर्थ समझना चाहिये। पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ ये हैं—

(१) चक्र (आंख) (२) रसना (जीम), (३) धारण (नाक) (४) त्वक् (त्वचा) और (५) श्रोत्र (कान)। इनसे ब्रह्मशः (१) रूप (२) रम (३) गंध (४) स्पर्श और (५) शब्द का ज्ञान होता है। इनके आधारभूत द्रव्य हैं पच महाभूत (१ पृथ्वी २ जल ३ तेजस् ४ वायु ५ आकाश)।

नोट—जिस अधिक ज्ञान को हम देखते हैं वह धार्तविक इन्द्रिय नहीं है। यह केवल इन्द्रिय का अधिकार मात्र है। देखने की क्षमता इन्द्रिय है वह अधिक भी पुरुषियों में रहती है। हम पुरुषी को तो देख सकते हैं जिन्हें पर्याप्त इन्द्रिय को कमी नहीं देख सकते। इसी तरह ओत्रेन्द्रिय का अधिकार है कर्णकुरा।

किन्तु हम केवल कान के छोड़ को देख सकते हैं, सुनने की इन्द्रिय को नहीं। वचेन्द्रियों कभी प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकतीं। उनका ज्ञान केवल अनुमान के द्वारा होता है। जच्छणों को देखकर ही हम उनका (इन्द्रियों पा) रूप निर्धारित करते हैं।

निम्नाङ्कित कोष्ठक से ये वातें स्पष्ट हो जायेंगी—

इन्द्रिय	इन्द्रिय का अधिभूत	इन्द्रिय का कारण (भूत)	इन्द्रिय का विषय	विषय का आधार (वृत्ति)	ऐन्ड्रियक ज्ञान का नाम
१ ग्राण	नासिका (नाक)	पृथ्वी (Earth)	गंध (Smell)	पृथ्वी	ग्राणज प्रत्यक्ष Olfactory Perception
२ चक्षुप्	नेत्र (आँख की पुतली)	तेजस् (अग्नि) (Light)	रूप (Sight)	१ पृथ्वी, २ अग्नि	चाक्षुप प्रत्यक्ष Visual Perception
३ रसना	जिहा (जीभ)	जल (Water)	रस (Taste)	१ पृथ्वी २ अग्नि ३ जल	रासन प्रत्यक्ष (Gustatory Perception)
४ त्वचिक्	त्वचा (शरीर का चमड़ा)	वायु (Air)	स्पर्श (Touch)	१, पृथ्वी २ अग्नि ३ जल, ४, वायु	त्वाचिक प्रत्यक्ष (Tactile Perception)
५ श्रोत्र	कर्णकुहर कान का छेद	आकाश (Ether)	शब्द (Sound)	१ पृथ्वी २ अग्नि ३ जल ४ वायु ५ आकाश	श्रावण प्रत्यक्ष (Auditory Perception)

मान लीजिये आपके सामने एक नारंगी है। आप नेत्र के द्वारा उसका रगड़प, और आकार प्रकार देखते हैं। यह 'चाक्षुप' प्रत्यक्ष हुआ। फिर आप उसको हाथ में लेते हैं। छूने से वह चिकनी, मुलायम और ठढ़ी मालूम होती है। यह 'त्वचिक' प्रत्यक्ष हुआ। तब आप उसको नाक के पास ले जाकर सूंधते हैं; उसकी मीठी महक लेते हैं। यह 'ग्राणज' प्रत्यक्ष हुआ। इसके बाद आप एक फौंक लेकर जिहा पर रखते हैं। उसका स्वाद मीठा लगता है। यह 'रासन' प्रत्यक्ष हुआ। खाते खाते जिहा और तालु के संघर्ष से जो शब्द उत्पन्न होता है वह आपको सुनाई देता है। यह 'श्रावण' प्रत्यक्ष हुआ।

(२) अर्थ—

प्रत्यक्ष ज्ञान के लिये किसी 'कल्प' या 'पदार्थ' का होना आवश्यक है। घट है तब तो आपको उसका प्रत्यक्षीकरण होता है। यदि घट रहता ही नहीं तो आप देखते क्या? आँख का धर्म है, देखना। किन्तु सामने कोई पदार्थ रहेगा तब तो वह देखेगी। शून्य में क्या दिखलाई पड़ेगा? इसलिये अकेली इन्द्रिय कुछ नहीं कर सकती। जाहा पदार्थ का भी

होना आवश्यक है। जब किसी पदार्थ के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध होता है तभी प्रत्यक्ष ज्ञान की उपलब्धि होती है।

नोट—न्यायिक लोग पदार्थ की सत्ता को रचनसिद्ध मानते हैं। इसको 'वस्तुयाद' (Realism) कहते हैं। वेदान्त का कहना है कि जो कुछ हम देखते हैं सब भ्रमनाश है। दूसार माया है और अविद्या के कारण उसे हम सत्य मानते हैं। वाणि पदार्थों की यथार्थ सत्ता नहीं है। केवल एक मात्र 'वज्ञ' सत्य है और सब कुछ मिथ्या है। इस मत को मायावद (Phenomenalism) कहते हैं। बोद्धदर्थन भी 'विज्ञानयाद' (Subjectivism) का अवलम्बन कर कहता है कि हमें जो प्रत्यक्षादि अनुभव होते हैं वे केवल मानसिक संवेदन (Sensation) मात्र हैं। मन के बाहर कोई पदार्थ नहीं। अतएव वाद्यवाद, कोई भीज्ञ नहीं, व्यपना मात्र है। कुछ लोग तो इधर से भी आगे यढ़कर 'शून्ययाद' (Nihilism) का सम्बन्ध करते हुए कहते हैं कि वाणि या आन्तरिक कोई भी सत्ता नहीं है, सब डुक शून्य है। इन मतों के बिच आवाज उठाते हुए न्याय-पैरोपिक दर्शन पदार्थों की सत्ता निर्विवाद मानता है। उसका कहना है कि प्रत्यक्षादि भ्रमार्थों से नितने पश्चार जाने जाते हैं, उसी सत्य हैं और अपनी पृथक्-पृथक् सत्ता रखते हैं।

न्याय-वेश्यिक दर्शन सात पदार्थ मानता है—

(१) द्रव्य (२) गुण (३) कर्म (४) सामान्य (५) विशेष (६) समवाय और (७) आभास !*

प्रत्यक्ष के लिये द्रव्य का होना आवश्यक है। गुण कर्म आदि भी द्रव्य के ही आधित रहते हैं। अतएव उनका पृथक प्रत्यक्ष नहीं होता, द्रव्य के साथ ही होता है। यार्थों कहिये कि प्रत्यक्ष ज्ञान मुख्य हृषि से द्रव्य का होता है और गोण रूप से उसके गुण आदि का। आपके सामने पक गाय खड़ी है। यही आपके प्रत्यक्ष ज्ञान का मुख्य विषय है। गाय में जो शुद्धत्व (गुण) है, अथवा दीड़ना (कर्म) है, अथवा गोत्व (जाति) है, उसे आप गाय से अलग नहीं देखते।

नोट—केवल 'शब्द' मात्र ही एक ऐसा पदार्थ है जो गुण होते हुए भी स्वतंत्र स्व से प्रत्यक्ष होता है।

(३) सन्निकर्प—

पदार्थों के साथ इन्द्रिय का जो सम्बन्ध होता है उसे सन्निकर्प कहते हैं। यह क्षेत्र होता है सो भी सुनिये। आपके सामने पक गुलाब का फूल है। आपकी चक्षुरिन्द्रिय वहाँ तक जाती है और उसके रूप का सक्कार लेकर लौटती है। अर्थात् विषय तक पहुँचकर अपना कार्य करती है। इसलिये चक्षु को 'प्राप्यकारी' (जाकर काम करनेवाला) कहते हैं।

* इनका विशेष परिचय पैरोपिक-खण्ड के पदार्थ प्रश्नमें देखें।

इस मत को प्राप्यकारितावाद् कहते हैं।

चान्द्रेन्द्रिय कर्षणी वाहर नहीं जाती। शब्द उत्पन्न होने पर धारु की तरणों में लहराता हुआ स्थर्य आपके कर्णस्थित आकाश तक पहुँच जाता है। गन्धेन्द्रिय भी वाहर नहीं जाती। सुरभित द्रव्य या परिमिल के सूक्ष्मातिसूक्ष्म अणु ही तथा में उड़कर उसके समीप पहुँच जाते हैं। तब वह सुगम्य होती है।

इसी तरह रसना त्वचा आदि इन्द्रियों भी अपने अधिष्ठात्र से वाहर नहीं जातीं, अपने स्थान में रहती हैं और जब विषय से उनका सम्पर्क होता है तब वे संस्कार प्रहण करती हैं। इसलिये कोई फोर फोर इन इन्द्रियों को प्राप्यकारी नहीं कहते।

ज्यन्तभट्ट प्रभृति कुछ आचार्यों का कल्पना है कि चक्षु के अतिरिक्त और और इन्द्रियों में भी प्राप्यकारिता कही जानी चाहिये। क्योंकि वे भी तो विषय को पाकर ही संस्कार ग्रहण करती हैं। अन्तर इतना ऐ है कि वे स्थर्य विषय के पास नहीं जातीं, विषय ही उनके पास आता है। इसलिये यदि प्राप्यकारी का अर्थ 'विषय को पाकर काम करने वाला' लिया जाय तो सभी इन्द्रियाँ ही प्राप्यकारी हैं।

नोट—बौद्ध दर्शन प्राप्यकारितावाद् वा छोरों में संश्लेषण परता है। विद्युतागाचार्य ने इसके विवर ये युक्तियाँ दी हैं—

(१) चक्षुरिद्रिय तो शरीर का अवश्य है। पिर आँख की पुतली शरीर के बाहर जाकर कैसे कार्य करेगी ?

(२) यदि चक्षुरिद्रिय बाहर जाती तो निष्टस्य वस्तु तुरात और दूर की पस्तु देर से प्रत्यक्ष होती किन्तु यह बात सो नहीं है। हम जैसे ही आँख खोड़ते हैं कि सभीपर्वती वृक्ष और दूरवर्ती चान्द्रमा दौलतों साथ ही दिखाई पड़ते हैं। इससे सिद्ध होता है कि नेत्रेन्द्रिय फहीं बाहर नहीं जाती।

(३) यदि चक्षु में प्राप्यकारिता होती तो पर्वत जैसे विशाल पदार्थ का प्रतिविम्ब हमारी छोटी आँख में कैसे समाता ?

(४) अवरक्ष या सीसा के उस पार की वस्तुएँ भी देखने में आवी हैं। यिन्तु चाहुरिद्रिय उन तक पहुँच नहीं सकती (बीच में घटवधा होने के कारण)। अतएव चक्षु प्राप्यकारी नहीं है।

उद्यनाचार्य विरणावली में इन सभी तर्कों का उत्तर क्रमशः इस प्रकार देते हैं—

(१) चक्षुरिद्रिय वा अर्थ नेत्र की पुतली नहीं है। इन्द्रिय है तेजस् । तेजस् नेत्र से निकलकर जाता है और प्रकाशवत् निः पदार्थ पर पदक्षता उसका सद्वार प्रहण परता है।

(२) तेजस् की गति इतनी तीव्र है कि चान्द्रमा तक पहुँचते अस व देर नहीं होती। इसीसे इस वृक्ष और चान्द्रमा के दर्शन में समय का अतर नहीं

(१) तेजस् सम्पूर्ण इष्टिष्ठेत्र में व्यापक होता है। इसलिये छोटी बड़ी जो घटनाएँ उसके पर में आती हैं उनका रूपसंश्लार वह महण करता है।

(२) प्रवरप और सोसा पारदर्शक होने के कारण तेजस् की गतिका अवरोध नहीं करते। इससे यह भी प्राप्यकारिता में पाधा नहीं पड़ती।

इन्द्रियार्थ संयोग— पदार्थ का इन्द्रिय के साथ जो सम्बन्ध होता है, उसे 'इन्द्रियार्थ सञ्चिकर्ण' कहते हैं। यह छ प्रकार का माना गया है—(१) संयोग, (२) संयुक्त समवाय (३) संयुक्त समवेतसमवाय (४) समवाय (५) समवेत समवाय, और (६) निरोपण भाव। इनमें प्रत्येक का अध्ययन हाँ समझाया जाता है।

(१) संयोग—

दो पदार्थों का विच्छेद सम्बन्ध ('अर्थात् वह सम्बन्ध जो दूट सकता है') 'संयोग' कहलाता है। जब इन्द्रिय के साथ किसी द्रव्य (जैसे घट) का संयोग होता है, तब वह संयोग सञ्चिकर्ण कहलाता है। आप आँख से गुलाब के फूल को देखते हैं। यहाँ आँख से गुलाब के फूल का जो सम्बन्ध है, वह संयोग का उदाहरण होगा, क्योंकि यह सम्बन्ध स्थायी नहीं है।

(२) संयुक्त समवाय—

दो पदार्थों के अविच्छेद सम्बन्ध को ('अर्थात् उस सम्बन्ध को जो दूट नहीं सकता) समवाय कहते हैं। जैसे गुलाब का जो गुलाबी रंग है वह गुलाब से अलग नहीं किया जा सकता। दोनों में समवाय का सम्बन्ध है। जब हम गुलाब देखते हैं तब उसका समरेत (समवाययुक्त) गुलाबी रंग भी देखते हैं। यहाँ हमारी इन्द्रिय से संयोग है गुलाब का, और गुलाब में समवाय है गुलाबी रंग का। इस तरह इन्द्रिय से संयुक्त गुलाब का समरेत (गुलाबी रंग) भी प्रत्यक्ष होता है। यहाँ निरेन्द्रिय के साथ गुलाबी रंग का 'संयुक्त समवाय' सम्बन्ध है।

(३) संयुक्त समवेत समवाय

गुलाबी रंग में उसकी सामान्य जाति भी समवेत रूप से वर्तमान है। अतपव गुलाबी रंग के साथ-साथ आप उसकी जाति (सामान्य) को भी देखते हैं। यहाँ गुलाब आपकी इन्द्रिय से संयुक्त है। गुलाब का रंग उस संयुक्त पदार्थ (गुलाब) में समरेत है। ('अर्थात् संयुक्त समवेत है।') गुलाबी रंग का सामान्य (गुलाबीपना) इस संयुक्त समवेत (गुलाबी रंग) में भी समरेत है। 'अर्थात् संयुक्त समवेत समवेत है।' इसलिये गुलाब के साथ जो गुलाबीपने की जाति प्रत्यक्ष होती है, उसका इन्द्रिय के साथ संयुक्त समवेत समवाय सम्बन्ध जानना चाहिये।

(४) समवाय —

शब्द आकाश का गुण है। इसलिये आकाश के साथ शब्द का समवाय सम्बन्ध है। और आकाश एक ही है। ध्रयेन्द्रिय भी कर्णकुदरस्थित आकाश ही है। अतएव उसमें भी शब्द समनेत रूप से वर्तमान है। इसलिये शब्द का ध्रयेन्द्रिय के साथ संयोग सम्बन्ध नहीं माना जा सकता, क्योंकि दोनों में समवाय सम्बन्ध है। इसलिये जब आपको कोई शब्द सुनारे पड़ता है तब शब्द का इन्द्रिय के साथ संयोग नहीं कहा जा सकता। इस सम्बन्ध को समवाय ही मानना पड़ेगा। अतएव ध्रयेन्द्रिय का पदार्थ (शब्द) के साथ जो सम्बन्ध होता है उसे समवाय मानना चाहिये।

(५) समवेत समवाय —

शब्द में उसकी जाति (उच्चत्व) समनेत रहती है। जब आप कोई शब्द सुनते हैं तब यह जाति भी प्रत्यक्ष होती है। अर्थात् समनेत पदार्थ (शब्द) में जिसका समवाय है उसके साथ भी आपकी इन्द्रिय का सन्निकर्ष होता है। इस सम्बन्ध को 'समवेत समवाय' कहते हैं।

(६) विशेषण विशेषण भाव —

जब आप किसी वस्तु का अभाव देखने हैं तो वह अभाव को नहीं देखते, किन्तु उस अभाव से युक्त अध्यात्म को देखते हैं। जेसे आप देखने हैं कि जमीन पर घड़ा नहीं है। 'घटाभाववद्भूतलम्' ।

अर्थात् भूतल घटके अभाव से युक्त है। यहाँ भूतल विशेष है और घटाभाव उसका विशेषण। आप विशेषण (भूतल) के साथ साथ उसका विशेषण (घटाभाव) भी देखते हैं। अत ऐसे प्रत्यक्ष में इन्द्रिय का पदार्थ (अभाव) के साथ जो सम्बन्ध होता है वह 'विशेषण' कहलाता है।

नोट—भूतल विशेषक प्रथम को लेकर न्याय और अन्यान्य दर्शनों में एवं ही झगड़ा है। चहुंतों का मत है कि ज्ञान प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं, किन्तु अनुमान के द्वारा होता है। वेदान्त अभाव ज्ञान के लिये एक स्वतन्त्र ही प्रमाण (अनुग्रहिति) का आवश्य लेता है। न्याय इन सबके विरुद्ध अभाव ज्ञान को प्रत्यक्षमूलक घरलाता है।

प्रत्यक्ष की उत्पत्ति—उपर्युक्त पक्षियों से सिद्ध हुआ कि प्रत्यक्ष ज्ञान के लिये इन्द्रिय और पदार्थ का सम्बन्ध होना आवश्यक है। किन्तु केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। कभी कभी इन्द्रिय और पदार्थ का सन्निकर्ष होने पर भी प्रत्यक्ष ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती।

मान लीजिये, आप अपने कमरे में थैठे पढ़ रहे हैं। आप पढ़ने में इतने मशगूल हैं कि और किसी बात की ओर आपका ध्यान नहीं है। कोई आता है और आप की आँखें के सामने से चला जाता है। लेकिन आपको इसकी कुछ भी खबर नहीं होती। आपकी आँखें ने

उसे देखा होगा जहर, लेकिन आपका मन वहाँ नहीं था। इसलिये आप पुढ़ नहीं जानते। इसले सिद्ध होता है कि प्रत्यक्ष ज्ञान में इन्द्रिय के साथ मन भी अपना कार्य करता है। यदि मन का सदृश्योग नहीं हो तो इन्द्रिय और विषय का सम्बन्ध होने हुए भी आपको प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होने का।

मन, इन्द्रिय और आत्मा के बीच में राहफक संदेशवाहक का काम करता है। इन्द्रिय विषय ज्ञान लेकर आती है, मन उसको प्रत्यक्ष कर आत्मा तक पहुँचा दता है। इन्द्रिय स्वयं अपना सदेश आत्मा तक नहीं पहुँचा सकती। मन का माध्यम होगा जहरी है। आत्म का मात्रा प्रहरी है जो किने के घाहर की बातें लाफर फाटक के नीतर पहुँचा देते हैं। मन रूपी मन्त्री इन घरों को लेकर राजा (आत्मा) तक पहुँचा देता है। यदि मन्त्री दूसरी जगह है तो प्रहरी की बात राजा तक नहीं पहुँच सकती।

जिस तरह इन्द्रिय विषय से सन्निहित होकर मात्र को प्रत्यक्ष ज्ञान कराती है, उसी तरह मन भी इन्द्रिय से सन्निहित होकर आत्मा को प्रत्यक्ष ज्ञान कराता है। अतएव यात्प्रयाप्ति मुनि के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान की तीन खाड़ियाँ होती हैं—

“ आत्मा मनसा संयुज्यते । मन इन्द्रियेण । इन्द्रियमर्थेन ।

(चा० स० भा०)

अर्थात् (१) विषय के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध होता है।

(२) इन्द्रिय के साथ मन का सम्बन्ध होता है।

(३) मन के साथ आत्मा का सम्बन्ध होता है।

तथा जाकर प्रत्यक्ष ज्ञान की उपलब्धि होती है।

नोट—इन्द्रियों का जो अवधारणा है (विषय का साधारण), मन का भी वही अवधारणा है। अतएव मन को अभ्यासिक (भीतरी) इन्द्रिय कहा जाता है। दिन्तु तथापि मन और इन्द्रिय में निम्नलिखित भेद है—

(१) इन्द्रियों पर्याप्ति से हनी है। मन अभ्यासिक (Immortal) है।

(२) इन्द्रियों का विषय नियत है। (जैसे, नेत्र का विषय है रूप, कान का शब्द इत्यादि) दिन्तु मन विषयक होता है।

(३) इन्द्रियों अनेक हैं। मन एक ही है। मन की पूछता का यह प्रमाण दिया गया है कि एक ही चरण में हम एक स अधिक मत्यक ज्ञान का अनुभव करते हैं। आपातक ऐसा ज्ञान पड़ता है कि एक ही समय में हम देख द्यो चुन दोनों सकते हैं। किन्तु यथार्थता ऐसी बात नहीं। किस क्षण में हम सरते हैं उस चरण में सुनते हीं, जिस चरण में सुनते हीं उस चरण में दृश्यते नहीं। किन्तु दोनों में समय का

इतना सूक्ष्म अन्तर रहता है कि पौराण्य (Succession) के बड़े योगपथ (Simultaneity) जान पड़ता है। वैवेद सुई से किताब १ द्येद परते पर जान पड़ता है कि एक साथ ही सभी शृंखले में छेद हो गया। निम्न पात पेसी नहीं। एक शृंखले के बाद ही दूसरे न छेद होता है।

प्रत्यक्ष के भेद—प्रत्यक्ष की दो कोटियां माली गई हैं—

(१) निर्विकल्प (Indeterminate Perception)

(२) सविकल्प (Determinate Perception)

अब इनका अर्थ समझिये।

(१) सविकल्प—मान रीजिये, आप एक आम का पेड़ देख रहे हैं। यहाँ जो पदार्थ प्रत्यक्ष है, उसकी संवाद (आम) आप जानते हैं। उसका सामान्य है वृक्षत्व (जाति = Gen us)। विशेष है आप्रत्य (विशेष = Species)। पेड़ के साथ साथ आप यह सब फुच देख रहे हैं। आपकी इन्द्रिय का विषय (आम वृक्ष) नाम, जाति और विशेषता से युक्त होकर प्रत्यक्ष होता है। अर्थात् आप केवल वस्तु का 'ज्ञानकार' ही नहीं देखते, उसका 'प्रकार' (विशेषण) भी देखते हैं। ऐसे प्रत्यक्ष को सविकल्प कहते हैं।

“सप्तकारक ज्ञान सविकल्पम्”

— तत्त्वसंग्रह

अर्थात् जिस प्रत्यक्ष में प्रकारता (विशेषण विशेषभाव) का ज्ञान हो उसे सविकल्प (विशिष्ट ज्ञान) समझना चाहिये।

(२) निर्विकल्प—इसके विपरीत जहाँ ऐयल वस्तु मान की ही उपलब्धि हो, उसकी प्रकारता (विशेषण) का ज्ञान नहीं हो, उसे 'निर्विकल्प' कहते हैं।

“निष्पकारक ज्ञान निर्विकल्पम् ।”

— तत्त्वसंग्रह

जैसे, अधोध शिशु जब पीपल का पेड़ देखता है, तब वह यह नहीं जानता कि यह वस्तु अमुक अमुक नाम गुण-सामान्य विशेष आदि से युक्त है। वह केवल स्वद्वप्नस्त्र देखता है। यह नहीं पहचानता कि यह क्या है। यह सिर्फ देखता ही है, समझता नहीं। ऐसे विशेषण ज्ञान शून्य-प्रत्यक्ष को निर्विकल्प कहते हैं।

नोट—पाश्चाय मनोविज्ञान भी इस प्रश्न का भेद मानता है। ऐपल उवेदन मात्र Sensation वहलागा है। जब वह विशिष्टज्ञान (Meaning) से संयुक्त होता है, तब Perception कहलाता है।

निर्विकल्प प्रत्यक्ष ही ज्ञान की प्रायमिक अवस्था है। क्योंकि विशिष्ट ज्ञान आरंभ हो से तो नहीं हो सकता। आप देखते हैं कि 'एक ब्राह्मण' ज्ञान में लाठी लिये आ रहा है। यह...

विशिष्ट ज्ञान हुआ। किन्तु यदि आपको 'एक' 'ब्राह्मण' 'हाथ' 'ताढ़ी' 'लेता' और 'आता', इन सब का पृथक् ज्ञान नहीं रहता, तब यह विशिष्ट ज्ञान कैसे हो सकता या ? यदि ये सब उपादान पहले से आप के मन में नहीं भीजूद रहते तो आप इन सब को एक साथ मिलाते कैसे ? अत अनुमान से सिद्ध होता है कि प्रत्येक पदार्थ का विशिष्ट ज्ञान होने से पहले उसका अविशिष्ट ज्ञान होना ज़रूरी है। यही अविशिष्ट या निर्विकल्पक ज्ञान सविकल्पक ज्ञान का भूल है।

जब कोई पहले घट को देखता है, तब उसकी जाति (घटत्व) से परिचित नह रहता। अथात् यह यह नहीं जाता कि "म घटा देख रहा हूँ।" उसी अवस्था का नाम है निर्विकल्प।

"प्रधमतोषटघटत्वयो वैशिष्ट्यानवगाहि ज्ञान जायते । तदेव निर्विकल्पम् ।"

— चिदानन्दमुकावली

इस अवस्था में यथार्थ प्रत्यक्षज्ञान (Cognition) नहीं होता। क्योंकि यथार्थ ज्ञान में विषय विषयता सम्बन्ध (Subject Object Relation) रहता है। सो यहाँ नहीं है। किन्तु तथापि निर्विकल्प प्रत्यक्ष की उपेक्षा नहीं की जा सकती। क्योंकि यीज अस्फुट होते हुए भी स्फुटित अकुर का मूल स्वरूप होना है। इसी तरह निर्विकल्प अस्फुट ज्ञान होने हुए भी स्फुटित ज्ञान का भूल है।

निर्विकल्प के विषय में बहुत ही मतभेद है। शान्तिकरण (वेयाकरण) निर्विकल्प ज्ञान की सत्ता ही नहीं मानते। उनका कहना है कि यिन सज्जा (नाम) के कोई ज्ञान ही नहीं हो सकता। अतएव शान्तिकरणनरहित निर्विकल्प ज्ञान की कोटि में नहीं आ सकता। इसके विशेषता वेदान्ती निर्विकल्प को ही ज्ञान कहने हैं। उनके अनुसार नामरूप युक्त ज्ञान भ्रममात्र है। अनिर्वचनीय ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान है। यीजदर्शन भी इसी बात का समर्थन करता है। किन्तु न्याय वेशेविक मध्यम मात्र का अनुसरण करता है और दोनों को सत्य मानता है। गीतम ने प्रत्यक्ष की परिमाण में य दो विशेषण भी दिये हैं—

(१) अव्यपदेश्यम् और (२) व्यवसायात्मकम् ।

"इद्रियार्थसनिकपोत्पन्न ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मक प्रत्यक्षम् ।"

न्या. सू. १।१४

अव्यपदेश्य का अर्थ है अनिर्वचनीय अर्थात् सज्जाज्ञान से रहित। व्यवसायात्मक का

“यह यहा है।” ऐसा प्रत्यक्षज्ञान व्यवसाय कहलाता है। यदि इस प्रत्यक्षज्ञान का भी मानस प्रत्यक्ष ही नहीं “मैं देख रहा हूँ” कि यह यहा है। तो यह अनुव्यवसाय कहलाता है।

अर्थ है असन्दिग्ध अर्थात् निश्चित। अतएव नवीन नैयायिक इससे यह अर्थ निकालते हैं कि गौतम ने निर्विकल्प और सविकल्प दोनों तरह के ज्ञान माने हैं।

गौतमीय सूत्र में 'निर्विकल्प' और 'सविकल्प' शब्द नहीं आये हैं। पात्स्यायन भाष्य में भी इनका नाम नहीं है। वाचस्पति मिथ की न्यायवार्तिकात्पर्यटीका में इनका उल्लेख पहले-पहल पाया जाता है। तब से न्याय-वैशेषिक की विचार-धारा में इनका भेद प्रसिद्ध हो गया है। गौतम उपाध्याय, नेशन मिथ, भासर्वत प्रभृति सभी यिद्वानों ने अपने अपने ग्रन्थ में इस भेद का निरूपण किया है। सार्व और भद्रमीमासा ने भी इस भेद को मांगा है।

न्याय की प्रमुख विचारधारा यही है कि निर्विकल्पक ज्ञान स्थिरं प्रस्तुतं प्रत्यक्षं न होते हुए भी प्रत्यक्षज्ञान का मूलरूप है। जयात् भद्र कहते हैं कि निर्विकल्प और सविकल्प, दोनों में वस्तु की आत्मा (Reality) एक ही रहती है। केवल भेद हतना है कि निर्विकल्प में यह अनास्थात (अवक्त) रहती है, और सविकल्प में आस्थात (भाषा के छारा प्रकट) हो जाती है।

“तस्मात् य एव वस्त्वात्मा सविकल्पस्य गोचर ।
। स एव निर्विकल्पस्य शब्दोल्लेराविवरित ।”

—न्याय भजती

लौकिक और अलौकिक प्रत्यक्ष—नवीन नैयायिकों ने प्रत्यक्ष के दो और भेद किये हैं—

- (१) लौकिक प्रत्यक्ष (Normal Perception)
- (२) अलौकिक प्रत्यक्ष (Supernormal Perception)

अभी तक जिसका घण्टन हो चुका है, वह लौकिक प्रत्यक्ष है। इसमें पदार्थ के साथ इन्द्रिय की साधारण रूप से प्रत्यासंति (सविकर्ष) होती है, इन्तु अलौकिक प्रत्यक्ष में पदार्थ के साथ इन्द्रिय की असाधारण या अलौकिक रूप से प्रत्यासंति होती है।

गृह्णेय उपाध्याय ने तीन प्रकार का अलौकिक प्रत्यक्ष घटलाया है।

- (१) सामान्य लक्षण
- (२) ज्ञान लक्षण
- (३) योगज

सामान्य लक्षण—जहाँ एक वस्तु को देखने से उसकी सजातीय वस्तुओं का भी ज्ञान हो जाय, वहाँ सामान्य लक्षण प्रत्यासंति समझनी चाहिये। जैसे, आप चूटहे की आग

को दूकर उपेता का अनुभव करते हैं। इससे आपको ज्ञान हो जाता है कि “आग उष्ण होती है।” यहाँ आपने प्रत्यक्ष तो किया थे वल चूल्हे की आग को, किन्तु जान लिया सभी आगों के विषय में। भूत, भविष्यत् और वर्तमान, सभी आगों को प्रत्यक्ष करना असम्भव है, तो भी आप कह देते हैं—‘सभी आग उष्ण होती है।’

हिस बल पर, किस आधार पर, आप ऐसा कहते हैं? सामाय ज्ञान के बल पर। और यह सामान्य ज्ञान कैसे होता है? अज्ञानिक सन्निधि से। साधारण इन्द्रिय संयोग से आपको चूल्हे की आग का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। किन्तु इस अभिनि में जो ‘अभिनित्य (सामान्य धर्म) है, यह सभी अभिनियों में मौजूद है। इस अभिनित्य का ज्ञान सामान्यताएँ प्रत्यासत्ति के द्वारा होता है। इसी सामान्य ‘अभिनित्य’ के सहारे आप एक प्रत्यक्ष अभिनि से सभी परोक्ष अभिनियों को पकड़ लेते हैं। चूल्हे की आग में उष्णता अनुभव कर अभिनित्य में उष्णता का होगा जान लते हैं। ऐस ही ज्ञान को सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष कहते हैं।

नोट—(१) सामाय का प्रत्यक्ष ज्ञान अज्ञानिक चाहूपद के द्वारा होता है। किन्तु सामान्य के द्विय संरक्षा चाहूपद (Visual Perception) की आवश्यकता नहीं रहती। सामान्य का प्रत्यक्ष स्मृति के द्वारा भी होता है।

(२) प्राचीन नैवायिक बहते हैं कि सामाय (ब्राह्मि) का प्रत्यक्ष इन्द्रिय के साथ संयुक्त समशयसंचिक्य के द्वारा होता है। किन्तु नष्ट न्याय सामान्य ज्ञान के द्विये साधारण इन्द्रिय-संविचार पर्याप्त नहीं मानता। इब्दिये अज्ञानिक सन्निधि का आधय लेता है।

(३) कुछ खोग इस अज्ञानिक प्रत्यक्ष पर आधेय करते हैं। उनका कहना है कि जब एक को ज्ञानने ही से उस सदस्यों ज्ञान गये तब फिर याची ही बया रह गया है तब वो कुम्हे अपने को सर्वं समझता घाहिये।

इसके उत्तर में अवृत्त भट्ट कहते हैं कि सामान्य ज्ञान होने से ही स्थितता नहीं आती। सर्वं होने के द्विये प्रत्येक विषय का विवेप ज्ञान अवेदित रहता है। किन्तु यहाँ तो सामान्य-नाय का ज्ञान होता है। इब्दिये अज्ञानिक प्रत्यक्ष सर्वंशता या दाया नहीं बरता।

(४) सामान्यताच्छयप्रत्यासत्ति के द्वारा नैवायिकों ने ‘न्यायिज्ञान (Generalisation) की समस्या को हल कर लिया है। इस प्रकार ये (Paradox of Induction) स धर्म जात है। ज्ञान पड़ता है, अ-योन्याधय दोय (circular reasoning) से बढ़ाव पाने के द्विये ही उन्होंने इस अज्ञानिक प्रत्यक्ष का आधय प्रदण किया है।

(५) ज्ञान लक्षण—प्रत्यक्ष ज्ञान में द्युधा इन्द्रियप्राप्त विषय वे साथ-साथ दूसरा विषय भी लिंचकर चला आता है। जैसे, आप कमज़ का पत्ता देख रहे हैं। देखते तो शाप

उसका रूप ही है, किन्तु रूप के साथ ही साथ उसकी कोमलता का भी अनुभव आपको होता है। यहाँ कोमलता इष्टि का विषय तो है नहीं, स्पर्श का विषय है; तो भी आप विना हपर्श किये ही, केवल देखने से जान जाते हैं कि पत्ता बड़ा ही कोमल है। आप कहते हैं “मैं कोमल पत्ता देख रहा हूँ।” यहाँ त्वचा को संयोग हुआ ही नहीं है। किर कोमलता का ज्ञान कैसे हुआ? चतुरिन्द्रिय स्पर्श का ज्ञान नहीं कर सकती। साधारण सन्निकर्ष से यह ज्ञान प्राप्त नहीं है। अतएव यहाँ अलौकिक सन्निकर्ष (ज्ञान लक्षण प्रत्यासत्ति) मानना पड़ेगा। खट्टी इमली को देखते ही आपको जीव में पानी भर आता है। जाड़े में घर्फ़ को देखते ही आपका शुरीर सिहर उठता है। पेसा को होता है। इमली का खट्टापन और घर्फ़ का ठड़ापन देखने की चीज़ें नहीं हैं; कफ़श चखते और छूते की चीज़ें हैं। किन्तु अलौकिक सन्निकर्ष से आपको विना चखे और छुए ही ज्ञान हो जाता है। पेसे प्रत्यक्ष को ज्ञान लक्षण कहते हैं।*

योगज—इमलोगों की इन्द्रियों की शक्ति सीमित है। उनके द्वारा हम सभी तरह के विषयों को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। अत्यन्त सूक्ष्म वस्तुएं नहीं देखी जा सकतीं। अत्यन्त सूक्ष्म शब्द नहीं सुने जा सकते। भूत और भविधपत् फी वाते प्रत्यक्ष नहीं की जा सकतीं। किन्तु योग के द्वारा अलौकिक सन्निकर्ष से ये सब विषय भी प्रत्यक्ष हो सकते हैं। इन्हें योगज प्रत्यक्ष कहते हैं।

प्रत्यभिज्ञा—प्रत्यभिज्ञा की व्युत्पत्ति है, “प्रतिगता अभिज्ञाम्”। जिस विषय का पूर्व में साक्षात्कार हो चुका है, उसका पुनर प्रत्यक्ष होने से प्रत्यभिज्ञा (Recognition) होती है। साधारण प्रत्यक्ष इन्द्रियज होता है, किन्तु प्रत्यभिज्ञान इन्द्रिय और पूर्वसंस्कार इन दोनों के योग से उत्पन्न होता है। इसलिये प्रत्यभिज्ञा का लक्षण है—

“इद्रियसहृष्टस्तस्तारजन्यज्ञानत्वम्”

प्रत्यभिज्ञा में वर्तमान स्वेदन (Sensation) पर अतीत की स्मृति का एक गहरा रंग चढ़ जाता है। “यह घड़ी घट है जिसे पहले देखा था” पेसा ज्ञान ही प्रत्यभिज्ञान है।

साधारण प्रत्यक्ष केवल वर्तमानाभ्याही होता है, किन्तु प्रत्यभिज्ञा में वर्तमान और अतीत दोनों के स्फ़कारों का सम्मिश्रण हो जाता है। यहीं प्रत्यभिज्ञा की विशेषता है। अत प्रत्यभिज्ञा की परिमाण यों की जाती है—

अतीतावस्थावच्छन्नस्य वर्तमानभेदावगाहि प्रत्यक्षज्ञान प्रत्यभिज्ञानम्

नोट—पाश्चात्य मनोविज्ञान में इसे Acquired Perception कह सकते हैं।

अनुमान

[अनुमान का अर्थ—व्याप्ति—प्रभुपर्यंता—प्राप्तिरामर्त्ता—अनुमिति—अनुमान के प्रत्यय—न्यायप्रयोग—अनुमान के प्रमेद—पूरकद रोपकद और सामायोगः—स्वार्थानुमान और परार्थानुमान—नम्भन्याय के अनुसार की'करण—देवल-प्रयोग, देवलस्मितिरेखी, अन्वयस्मितिरेखी]

।

अनुमान का अर्थ—

अनु का अर्थ है पश्चात्; मान का अर्थ है ज्ञान। अत अनुमान का शब्दार्थ हुआ पश्चात्प्रज्ञान। यदि एक बात को जानने के पश्चात् उसी के द्वारा किसी दूसरी बात का भी घोष हो तो उसे अनुमान कहते हैं। मान ज्ञानिये, आपने देखा कहाँ दूर पर छुआँ उठ रहा है। इससे आप तुरत समझ जाते हैं कि यहाँ आग भी है। यहाँ खुँआ प्रत्यक्ष है। किन्तु आग प्रत्यक्ष नहीं है। आपको प्रत्यय घस्तु के आधार पर अप्रत्यक्ष घस्तु का भी ज्ञान हो जाता है। इसी को अनुमान कहते हैं।

उक उदाहरण में खुँआ क्या है मानों आग के होने का पक्का गवाह है। जिस तरह सिगरल भुक्तन से हम समझ जाते हैं कि गाड़ी आ रही है उसी तरह खुर्यं का उठना देखकर हम समझ जाते हैं कि आग जन रही है। इसकिये खुर्प को आग का चिह्न (या निशान) समझना चाहिये। इसी चिह्न को लिग कहते हैं। और यह चिह्न जिस घस्तु का परिचायक रहता है, उसे 'लिंगी' कहते हैं। उक उदाहरण में, खुआँ लिंग है और आग लिंगी है।

अनुमान का मूल है प्रत्यक्षज्ञान। क्योंकि अनुमान खक्षण से ही किया जाता है जोर यह लक्षण प्रत्यक्ष देखने में आता है। इसकिये गोतम ने अनुमान को 'तत्त्वर्वक्त्व' (=प्रत्यक्ष मूलक) कहा है।

नोट—यदि ज्ञान (किंग) प्रत्यक्ष देखने में नहीं आये, किन्तु आगम (शाब्द) के द्वारा उसका ज्ञान उपलब्ध हो, तो भी अनुमान किंग जा सकता है। इसकिये चाल्स्यायन अपने भाष्य में कहते हैं—

"प्रत्यक्षागमान्त्रितमेवानुमानम् । सा अन्विता ।"

अर्थात्, अनुमान का अर्थ है एक बात से दूसरी बात को भी देख देना (अनु=पश्चात्, इंग=देखना।) यदि कोई बात हमे प्रत्यक्ष या आगम के द्वारा जानी हुइ है तो उससे दूसरी बात भी निकाल दे सकते हैं। इसी को अनुमान कहते हैं।

अनुमान के द्वारा हम जो बात निकालना चाहते हैं, जिस निकालर्प पर पहुँचना चाहते हैं, उसे साध्य कहते हैं। और जिस खक्षण के बल पर ऐसा अनुमान किया जाता है उसे हेतु

(साधन) कहते हैं। पूर्वोक्त उदाहरण में अग्नि साध्य और धूम साधा है। जिस द्व्याप में आप धुम्रां देखते हैं और आग द्वारे का अनुमान करते हैं उसे पक्ष दर्शाता है।

मान सीजिये, आपने देखा 'पदाङ्ग पर धुम्रां उठ रहा है'। इसमें आप नवीज्ञ निकालते हैं कि यहाँ (पदाङ्ग पर) आग भी है। यह अनुमान दृश्या। यहाँ सिद्ध पाना करना है। आग का द्वेषा। यह (आग) साध्य दृश्या। किस लक्षण के बत पर आप ऐसा सिद्ध करना साधते हैं? धुरे के बत पर। यह (धुम्रां) हेतु दृश्या। यह धुम्रां है कहाँ (यहाँ आप आग द्वारे का अनुमान करते हैं)। पदाङ्ग पर। यह (पदाङ्ग) पक्ष दृश्या। †

व्याप्ति —

धुम्रां देखकर अग्नि का अनुमान किया जाता है। कौन्कि यह अग्नि का सूचक (चिह्न) समझ जाता है। किन्तु ऐसा क्यों समझा जाता है? इसलिये कि सब जगह धुरे के साथ आग देखने में आती है। जैसे रसोरं पर में धुम्रां है, तो यहाँ आग भी है। इस नियम का कर्दमा भी अपवाह देखने में नहीं आता। अर्थात् ऐसा कोई रपान नहीं, जहाँ धुम्रां हो लेकिन आग नहीं हो। इसलिये इस समझे है कि—

यत पर धूमस्तन तत्र वदि

"जहाँ जहाँ धुम्रां रहता है पर्वं पर्वं आग भी रहती है।" धुम्रां और आग में जो यह सम्बन्ध है, उसे 'व्याप्ति' कहते हैं। पर्वंधुरेमें आग की 'व्याप्ति' है। अर्थात् आग 'व्याप्ति' है, और धुम्रां 'व्याप्त' है। ०

अनुमान के लिये व्याप्तिडान दोनों आवश्यक है। यदि पूर्व और अग्नि का ऐसा सम्बन्ध हमें पूर्ण रूप से पात नहीं रहता, तो पर्वत पर पूर्म देखकर अग्नि का अनुमान कैसे कर सकते? हम पहले से जाते हैं कि "जहाँ धुम्रां रहता है पर्वं पर्वं आग भी रहती है।" तभी तो पदाङ्ग पर धुम्रां देखकर समझते हैं कि यहाँ भी आग दोगी। जिसको इस व्याप्ति सम्बन्ध का ज्ञान नहीं है (जैसे अयोध यज्ञो हो) यह पूर्म देखकर भी कुछ नहीं समझ सकता, हेतु (धूम) के रहते हुए भी साध्य (अग्नि) को नहीं जान सकता। कौन्कि उसे हेतु और साध्य का सम्बन्ध ही नहीं मालूम है। अनुमान तभी किया जा सकता है जब हेतु और साध्य का व्याप्ति सम्बन्ध जात रहे। अतएव 'व्याप्ति द्वारा' को ही अनुमान का आधार समझा चाहिये।

† नोट—साध्य, हेतु और पर, इन तीनों को पाश्चात्य तर्फ़गाथ में प्रमाण Major Term, Middle Term, और Minor Term पदा जगा है। किन्तु इन तीनों में योजाना में परता है। पाश्चात्य तर्फ़ साध्य में यद्यों के पाश्चात्य (Form) पर व्याख्यिक जोर दिया जाता है। किन्तु हमारे पर्वां मूल पत्ता (Matter) पर ही विशेष ध्यान देते हैं।

अ किएप विवरण के लिये 'व्याप्ति' का अध्याय देखिये।

पक्षधर्मता—अनुमान के लिये व्यासिक्षान के साथ ही साथ एक और बात आवश्यक है। व्यासिक्षान के द्वारा हम इतना ही कह सकते हैं कि

“जहाँ भुआँ रहता है, वहाँ आग भी रहती है।”

किन्तु इससे यह निष्ठर्य कैसे निकलेगा कि सामने किसी पदाङ पर आग है? यदि उस पहाड़ पर भुएँ का होना नहीं मालूम है तो वहाँ आग का अनुमान कैसे हो सकता है? इसलिये, “पर्वत पर अग्नि है”

इस अनुमान के लिये दो बातों को जानने की आवश्यकता है—

(१) जहाँ भुआँ रहता है वहाँ आग रहती है (व्याप्ति)

(२) उस पर्वत पर भुआँ है (पक्षधर्मता)

पक्षधर्मता का अर्थ है पक्ष में (स्थानविशेष में) लिंग का पाया जाना। मैंसे पहाड़ पर भुएँ का पाया जाना। यदि पहाड़ में यह धर्म (भुएँ का होना) नहीं पाया जाता तो हम कुछ भी अनुमान नहीं कर सकते। अतएव व्यासिक्षान के साथ ही पक्षधर्मता का ज्ञान होना भी आवश्यक है।

लिंग-परामर्श—अब अनुमान किस तरह किया जाता है सो देखिये। सबसे पहले आपने देखा कि—

(१) पहाड़ पर भुआँ उठ रहा है। (पक्षधर्मता)

तब आपको झटक समरण आया कि—

(२) जहाँ भुआँ रहता है वहाँ आग रहती है। (व्याप्ति) *

जबतक यह व्यासिक्षान नहीं था, तबतक भुआँ भुआँ मात्र था। यह किसी अन्य पदार्थ का सूचक (चिह्न) नहीं था। अतएव अनुमान की दृष्टि से उसका कुछ महत्व नहीं था। किन्तु अब व्यासिक्षान होते ही उसमें विशेष महत्व आ गया। क्योंकि अब यह केवल भुआँ ही नहीं रहा किन्तु पदार्थान्तर (आग) का परिचायक भी हो गया। अर्थात् अब उसमें ‘लिंगत्व’ आ गया। इसीलिये जहाँ पहले आपने इतना ही भर देखा था कि—

‘पहाड़ पर भुआँ उठ रहा है’ (साधारण ज्ञान)

वहाँ अब आप देख रहे हैं कि—

* नोट—व्याप्ति को बैंगरेजी में ‘Universal Concomitance between the Middle and the Major Terms’ कहेंगे और पक्षधर्मता को ‘Relation between the Middle and the Minor’ व्याप्तिकोण वाक्य को Major Premise और पक्षधर्मता सूचक वाक्य को Minor Premise पहले है। इन दोनों को भिलाने से जो निष्ठर्य निकलता है उसे Conclusion (अनुमिति) कहते हैं। अनुमान के लिये इन दोनों का होना आवश्यक है।

‘पदाङ्ग पर अग्निसूचक धुआँ उठ रहा है’ (विशिष्ट ज्ञान)

इसी विशिष्ट ज्ञान को ‘परामर्श’ (अथवा ‘लिंग-परामर्श’) कहते हैं ।

नोट—कोई कोई इसको ‘तृतीय लिंग परामर्श’ भी कहते हैं । उन्हें मतानुसार—

(१) पदाङ्ग धूमगाला है । यह प्रथम लिंग परामर्श धुआँ ।

(२) धूम अग्नि का स्थान्य है—यह द्वितीय लिंग परामर्श धुआँ ।

(३) पदाङ्ग अग्निअप्य धूमवाक्या है—यह तृतीय लिंग-परामर्श धुआँ ।

यहीं प्रथम परामर्श में लिंग का सम्बन्ध पत्र के साथ देगा जाता है । द्वितीय में, लिंग का सम्बन्ध साध्य के साथ देगा जाता है । तृतीय में सामर्थ्यहीत लिंग का सम्बन्ध पत्र के साथ देगा जाता है । इसी अन्तिम परामर्श से यह अनुमिति निकलती है कि ‘पदाङ्ग अग्निवाक्या है’ ।

अतः पदार्थमता ज्ञान और व्यासि ज्ञान, इन दोनों के सम्मिलित होने से जो विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न होता है उसे परामर्श कहते हैं ।

‘व्यासिनिरिशिष्टपक्षधर्मताज्ञान परामर्श ।’

—ठड़कन्दम

नोट—पदार्थमता से इतना ही ज्ञान जाता है कि ‘क’ में ‘स’ है । व्यासि से यह मात्रामूल हो जाता है कि यह ‘क’ ‘ग’ का स्थान्य भी है । अब ये दोनों मिलकर जाते हैं कि ‘क’ में ‘ग’ का स्थान्य ‘स’ है । इसीखिये विश्वज्ञाय पञ्चानना (कारिकावशी में) कहते हैं—

“व्याप्त्य पक्षवृच्छित्वधी परामर्श उच्यते ।”

पदार्थमता से फेयल दो (अर्थात् पद और लिंग) का सम्बन्ध ज्ञान जाता है । व्यासिज्ञान से भी फेयल दो (अर्थात् लिंग और साध्य) का सम्बन्ध ज्ञान जाता है । किन्तु इह दोनों के एक साथ मिल जाने पर तीनों (अर्थात् पद, लिंग और साध्य) का सम्बन्ध ज्ञान जाता है । इसी ज्ञान को परामर्श कहते हैं । अर्थात् परामृष्ट ज्ञान में पक्ष, लिंग और साध्य तीनों एक सूत्र से बंधे रहते हैं ।

अनुमिति—इसी परामर्श (अथवा विशिष्ट ज्ञान) से यह अन्तिम निष्पत्ति निकलती है कि—‘पदाङ्ग पर अग्नि है’ । यहीं अनुमान का फल या निर्कर्ष है । इसको ‘अनुमिति’ कहते हैं । अतएव अन्तम् भट्ट पहते हैं—

“परामर्शज्ञ ज्ञानमतुमिति ॥

अर्थात् अनुमिति उसे कहते हैं ॥

नोट—इस विषय में न्याय का भीम कहते हैं कि व्यासिज्ञान और पदार्थमता का

परामर्श के द्वारा प्राप्त हो ।

परामर्श से मतभेद पहता है । भीमांसक और वेदाती ही अनुमिति ‘हो जाती है’ । इन दोनों के बीच

में परामर्श की जहरत ही क्या है ? न्यासि के द्वारा हमें बिंग और बिंगी का सम्बन्ध मिल आता है । पश्चात्मका से बिंग और पश का सम्बन्ध मिल आता है । यह, फिर आप से आप पश और बिंगी का सम्बन्ध स्थापित हो जाता है । बिंग परामर्श का कुछ काम ही नहीं है ।

इसके उत्तर में नैयायिकों द्वा कहना है कि प्रत्येक प्रमाण में (ध्यान के साधन में) तीन कोटियाँ होती हैं—(१) कारण (२) व्यापार, और (३) फल । अनुमान में व्याप्तिशान और पक्षधमता द्वारा को 'कारण (सापेक्षता) समझा चाहिये । इस कारण से किया क्या होती है ? परामर्श । इसको 'व्यापार' समझा चाहिये । इस किया द्वायथा व्यापार का 'फल' क्या निरूपित है ? अनुमिति । अतएव व्याप्तिशान अनुमिति का कारण तो है, इन्तु उसका अव्यवहित पूर्व कारण नहीं । क्योंकि धीरे में वार्य विदेश (परामर्श) का अव्यवधान होता है । इस परामर्श के द्वारा ही फलोत्पत्ति (अनुमिति) होती है । अर्थात् अनुमिति का चरम (अन्तिम) कारण परामर्श ही है । इसलिये अनुमिति पो परामर्शजन्यशान समझना चाहिये ।

अनुमान के पंचावयव—महापि गोतम ने अनुमान के पांच अवयव (अङ्ग) माने हैं—(१) प्रतिका (२) हेतु (३) उदाहरण (४) उपनय (५) निगमन । यहाँ प्रत्येक का जल्दण और उदाहरण दिया जाता है ।

१ प्रतिका—"साध्यनिर्देश प्रतिज्ञा"

—गो० सू० १।।।३३

जो प्रतिपाद्य विषय है उसका निर्देश करना (Enunciation of the proposition to be proved) 'प्रतिज्ञा' कहलाता है । जैसे आपको पर्वत पर अग्नि 'सिद्ध करना है । अर्थात् पक्ष (पर्वत) में साध्य (अग्नि) का सम्बन्ध दिखलाना है । इसलिये अपने साधनीय विषय (पक्ष में साध्य का सम्बन्ध) को आप सदसे पहले कह छुनाते हैं—'पर्वतो वह्निमात्' (पर्वत अग्नियुक्त है) । यह आपकी प्रतिज्ञा हुई ।

२ हेतु—" (उदाहरणसापर्यात्) साध्यसाधन हेतु

—गो० सू० १।।।३४

अपनी प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिये आप जिस युक्ति का आधय लेते हैं, अर्थात् अपने पक्ष में साध्य का अस्तित्व प्रमाणित करने के लिये आप जो साधन यतज्ञाते हैं, वह 'हेतु' कहलाता है । आप अग्नि का अस्तित्व धूम से सिद्ध करना चाहते हैं । इसलिये अपनी

बोधात्मक तक्तशास्त्र भी इसी गत का प्रतिपादन करता है । बिंग (Middle Term) का कार्य है बेष्ट पक्ष (Minor Term) और साध्य (Major Term) के बीच में पहकर दोनों को मिला देना । जब दोनों जिक्र गये तब फिर बिंग की आवश्यकता ही क्या रही ? इसलिये Conclusion में सदा बिंग का अभाव (Absence of Middle Term) रहता है । पक्ष, साध्य और बिंग तीनों एक स्थाय नहीं रहते ।

में परामर्श और जहरत ही क्या है ? न्यायि के द्वारा हमें किंग और किंगी का सम्बन्ध मिल जाता है । परधर्मता से किंग और पर या सम्बन्ध मिल जाता है । अब, किंग आप से आप पर और किंगी का सम्बन्ध स्थापित हो जाता है । किंग परामर्श का द्रुष्ट काम ही नहीं है ।

इसके उत्तर में नैयायिकों द्वा कहना है कि प्रत्येक प्रमाण में (धारा के साधन में) तीन कोटियाँ होती हैं—(१) करण (२) व्यापार, और (३) फल । अनुमान में व्यासिकान और पक्षधर्मता धारा को 'करण (साधकतम्) समझना चाहिये । इस शारण से किया क्या होती है ? परामर्श । इसको 'व्यापार' समझना चाहिये । इस किया अथवा व्यापार का 'फल' क्या निकलता है ? अनुमिति । अतएव व्यासिकान अनुमिति का कारण तो है, किन्तु उसका अव्यवहित पूर्व कारण नहीं । क्योंकि यीच में दार्य विशेष (परामर्श) का अव्यवधान होता है । इस परामर्श के बाद ही फलोत्पत्ति (अनुमिति) होती है । अर्थात् अनुमिति का चरम (अनित्यम्) कारण परामर्श ही है । इसलिये अनुमिति को परामर्शजन्यस्थान समझना चाहिये ।

अनुमान के पंचावयव— महर्षि गौतम ने अनुमान के पांच अवयव (अङ्ग) माने हैं—(१) प्रतिक्षा (२) हेतु (३) उदाहरण (४) उपनय (५) निगमन । यहाँ प्रत्येक का लक्षण और उदाहरण दिया जाता है ।

१ प्रतिक्षा—“साध्यनिर्देश प्रतिक्षा”

—गौ० सू० १।।।३३

जो प्रतिपाद्य प्रिपय है उसका निर्देश करना (Enunciation of the proposition to be proved) 'प्रतिक्षा' कहलाता है । जैसे आपको पर्वत पर अग्नि सिद्ध करना है । अथात् पक्ष (पर्वत) में साध्य (अग्निं) का सम्बन्ध दिलगाना है । इसलिये अपने साधारीय विषय (पक्ष में साध्य का सम्बन्ध) को आप सदसे पहले कह सुनाते हैं—‘पर्वतो वहिमान्’ (पर्वत अग्निषुक्त है) । यह आपकी प्रतिक्षा हुर्दृ ।

२ हेतु—“(उदाहरणसाध्यात्) साध्यसाधन हेतु

—गौ० सू० १।।।३४

अपनी प्रतिक्षा को सिद्ध करने के लिये आप जिस युक्ति का आधय सेते हैं, अर्थात् अपने पक्ष में साध्य का अवित्त्य प्रमाणित करने के लिये आप जो साधन पतलाते हैं, वह ‘हेतु’ कहलाता है । आप अग्निं का अवित्त्य धूम से सिद्ध करना चाहते हैं । इसलिये आपनी-

प्राथात्य वक्त्वात् भी इसी भर का प्रतिपादन करता है । किंग (Middle Term) का कार्य है छवल पक्ष (Minor Term) और साधन (Major Term) के यीच में पड़कर रखें और मिला देना । जब दोनों मिल गये तब किंग की आवश्यकता ही क्या रही ? इसी—१० में सदा किंग का अभाव (Absence of Middle Term) रहता है । ११, एक साथ नहीं रहते ।

प्रतिज्ञा के समर्थन में आप कहते हैं—“धूमरसात्” (‘क्योंकि पर्वत धूमयुक्त है’)। यह आपका हेतु (Reason) हुआ।

३ उदाहरण—“साध्यसाध्याचज्ञावी दृष्टान्त उदाहरणम्”

—गौ. सू. १।।१३६

अपने प्रतिपाद्य विषय के समान छोई दृष्टान्त देगा ‘उदाहरण’ कहलाता है। जैसे अपने पक्ष के समर्थन में आप रखोई घर का दृष्टान्त पेते हैं। वहाँ पुर्व के साथ आग मी रहती है। यह उदाहरण हुआ।

फेल दृष्टान्त के पक्ष पर अतुमान सिद्ध नहीं होता। व्याप्ति का सम्बन्ध होना भी आवश्यक है। अत उदाहरण को व्याप्ति का एक दृष्टान्त मात्र समझा चाहिये। इसीलिये पाद के नैयायिकों ने इस पाठ को द्वीप इष्ट कर दिया है—

“व्याप्तिप्रतिपादकमुदाहरणम्।

—त्र्यसप्तदशिमि

हेतु देने के बाद आप हेतु और साध्य का व्याप्ति सम्बन्ध घतलाने हैं और दृष्टान्त के द्वारा उन्मे समझाते हैं। “यो यो धूमरान् स स पहिमार् यथा महानता” (जो जो धूमयुक्त है सो सो अग्नियुक्त भी है वैसे रखोई-घर)। यह आपका ‘उदाहरण’ (Major premiss with its example) हुआ।

४ उपनय—“उदाहरणपेक्षस्तयेत्युपसंहारी (न तयेतिका) साध्यस्योपाय ।”

—गौ. सू. १।।१३८

हेतु और साध्य का सम्बन्ध उदाहरण के द्वारा देने के बाद अपने पक्ष में उन्मे खोचना (प्रयत्नहार फरना) ‘उपनय’ कहलाता है। धूम और अग्नि की व्याप्ति महानता (रखोईघर) में दिखलाते हुए आप कहते हैं कि हमारे पक्ष (पर्वत) में भी ऐसा धूम (अग्नि का सूचक धूम) है। “पर्वतोऽपि तथा (वद्विवाप्यधूमरान्)”। अर्थात् पर्वत भी इस (अग्नि के व्याप्त) धूम से हुआ है। यह आपका ‘उपनय’ (Minor premiss) हुआ।

५ निगमन—“हेतुपदेशात् प्रतिज्ञाया पुनर्भूत्वं नियमनम्” गौ. सू. १।।१३९

अब आपकी प्रतिज्ञा “पर्वत अग्नियुक्त है” सिद्ध हो जाती है। जहतक आपकी प्रतिज्ञा साध्यकोटि में थी (सिद्ध नहीं हुई थी), तथतक घद प्रतिज्ञामात्र थी। किन्तु अब उपयुक्त साधन के द्वारा प्रमाणित बोकर घद सिद्धकोटि में आ जाती है। उसको अब प्रतिज्ञा नहीं कहकर ‘निगमन’ कहेंगे। प्रारम्भ में जो आपका प्रतिपाद्य विषय था उसे प्रतिगति करते हुए अन्त में जाप किर एक बार उसको बुहरा देते हैं—“पर्वतो वहिमान्” (पर्वत अग्नियुक्त है।) यह आपका ‘निगमन’ (Conclusion) हुआ।

यदौं पूर्वभूत कारण को देखकर पश्चाद्गती कार्य का अनुमान किया जाता है। अतएव इसको पूर्ववत् (कारणवाला) अनुमान कहते हैं ।*

(२) शेषवत्—जहाँ कार्य से कारण का अनुमान किया जाय। जैसे, नदी में धाढ़ देखकर अनुमान करते हैं कि वर्षा हुई होगी। यहाँ शेष (अर्थात् पिछला कार्य) देखकर हम पूर्वभूत (अर्थात् पहला कारण) अनुमान करते हैं। इसलिये इसको शेषवत् (कार्यवाला) अनुमान कहते हैं ।

“कार्यात् कारणानुमानं यज्ञ तच्छेषप्रभतम् ।

तथाविधननदीपूरान्मेघोवृष्टो यथोपरि ॥” —पद्मदर्शनसमुच्चय

(३) सामान्यतो दृष्टि—इसका अर्थ भाष्य में इष्ट नहीं है। वात्स्यायन यह उदाहरण देते हैं कि सूर्य को चलते हुए हम नहीं देखते। किन्तु उसे कभी पक हथान में देखते हैं, कभी दूसरे हथान में। इसलिये उसके चलने का अनुमान होता है। इस बात को घड़ी की सुर्दू के दृष्टान्त से समझिये। घटावाली सुर्दू का चलना कभी दिखाई नहीं देता। किन्तु धीरे धीरे, सूक्ष्म गति से, चलकर यज्ञ यह दूसरे हथान पर जा पहुँचती है तब हथानान्तर में प्राप्ति होने से आप समझने हैं कि सुर्दू गतिशील है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति सुवहश को घर में देखा जाय और वो पहर में सड़क पर, तब क्या सिद्ध होगा? यही कि यह अवश्य चला है तभी तो घर से सड़क पर पहुँचा है।

‘यज्ञ सामान्यतो दृष्टि तदेव गतिपूर्विका ।

पुस्ति देशान्तरप्राप्तिर्यथा सूर्येऽपि सा तथा ॥’—पद्मदर्शनसमुच्चय

किन्तु इसमें और शेषवत् में कोई अन्तर नहीं मालूम पड़ता। क्योंकि यदौं भी तो कार्य (हथानान्तर प्राप्ति) से कारण (गमन) का अनुमान किया गया है ।

वृत्तिशार (विश्वनाथ पंचानन) को भी यह बात खटकी है। इसलिये उन्होंने ‘सामान्यतोदृष्टि’ का दूसरा ही लक्षण और उदाहरण दिया है। वे कहते हैं कि पूर्ववत् और शेषवत् में कार्यकारण सम्बन्ध के आधार पर अनुमान किया जाता है, किन्तु सामान्यतोदृष्टि में ऐसा (कारण या कार्य का) आधार नहीं रहता। दो वस्तुएँ यदि ऐसी हैं जिनमें जन्यजनकत्व (कार्य कारण का भाव) सम्बन्ध न होने हुए भी साधारणत एक साथ रहना पाया जाय, तो पक से दूसरे का अनुमान किया जा सकता है। जैसे पृथ्वी से

दूरशाय कारणकार्यमनुमानमिह गीयते ।

+ + + + +
शृंगि व्यभिचरन्तीह नैवप्राया पयोमुच ।

—पद्मदर्शनसमुच्चय ।

द्रव्यतय का। ऐसे ही अनुमान को 'सामान्यतोटष्ट' कहते हैं। जेसे, एक इष्टान्त ले हीजिये। गृह (सींग) और पुच्छ (पूछ) में कार्य कारण सम्बन्ध नहीं है। अर्थात् न सींग पूछ का कारण है, न पूछ सींग का कारण है। तो भी किसी जानशर की सींग देखहर हम अनुमान कर सकते हैं कि उसे पूछ भी होगी। क्योंकि सामान्यत पैसा देखा जाता है कि जिसे सींग रहती है उसे पूछ भी रहती है। ऐसे ही अनुमान जो 'सामान्यतोटष्ट' कहत है।

यह तो हुथा पहला अर्थ। अब दूसरा अर्थ हीजिये।

(१) पूर्ववत्—का अर्थ है पूर्व के समान। अर्थात् जैसा पूर्व के अनुभव से सिद्ध हो चुका है उसा तरह वा अनुमान करना। जैसे, पहल का अनुभव यतलाता है कि धुपर के साथ सब जगह आग रहती है। इसलिये धुआँ दखकर हम अनुमान करते हैं कि और यह जगहों की तरह यहाँ भी आग होगी। इसलिये इसको 'पूर्ववत्' (पहले की नार्ह) कहते हैं।

इस व्यापक अर्थ के अनुसार पूर्यांक तीनों (पूर्ववत्, शेषवत् और सामन्यतोटष्ट) का इसमें समावेश हो जाता है।

(२) शेषवत्—का अर्थ है शेष के समान। अर्थात् छाँटने छाँटने आत में जो शेष बच जाय उसी को रख लाना (Inference by gaujuṇa elimination)। एक उदाहरण से यह बात हपष्ट हो जायगी। मान लीजिये, सबसे यह है कि शब्द क्या चीज है। यहाँ कह (Alternatives) यिकल्प उत्तरस्थित होते हैं। शब्द या तो (१) द्रव्य है, अथवा (२) गुण है, अथवा (३) कर्म है।

अब यिवेचना करने से पता चलता है कि सभी उत्पन्ना द्रव्य अनेकाधि। होते हैं, किन्तु शब्द का आवार ऐसल एकमात्र आकाश है। अत यह द्रव्य नहीं माना जा सकता। अब रह गये हो। इनमें शब्द का कर्म होना भी समय नहीं। क्योंकि एक कर्म से दूसरे कर्म की उत्पत्ति नहीं होती। किन्तु एक शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न करता है (जेसे समुद्र की सहरें)। इस तरह द्रव्य और कर्मदातों ही छठ गये। अब एक ही (गुण) अपशिष्ट बच गया। इसलिये शब्द को यही शेष अर्थात् गुण समझना चाहिये। ऐसे ही अनुमान को शेषवत् कहते हैं।

(३) सामान्यतोटष्ट—कितने पराये ऐसे हैं जो कभी प्रत्यक्ष नहीं देखे जाते। ऐसल कुछ चिह्न या लक्षण ऐसा मिलता है जिससे हम उनके अस्तित्व का अनुमान करते हैं। ऐसे व्यापन में लिंग के साथ लिंगी का सम्बन्ध तो कभी देखा जा ही नहीं सकता। क्योंकि लिंगी नित्य परोक्ष रहता है। किन्तु सामान्य ज्ञान से (व्यापन के बल पर) हम उस सम्बन्ध को स्थापित करते हुए लिंगी का अनुमान करते हैं। जैसे, आत्मा का अस्तित्व

इच्छादि के द्वारा अनुमान किया जाता है। इच्छा प्रादि गुण हैं। और गुण का आधार होता है ध्रुव्य। इस सामान्य ज्ञान के बल पर हम कह सकते हैं कि इच्छा का भी आधार अवश्य होगा। इसी आधार को हम आत्मा कहते हैं। इस तरह सामान्य सम्बन्ध के बल पर हम आत्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसी को 'सामान्यतोदृष्ट' कहते हैं।

नोट—कोई ऐर्ड इपको 'सामान्यतोदृष्ट' भी कहते हैं। क्योंकि इसमें किंगी साधारणत आदर (अप्रत्यक्ष) पाया जाता है।

स्वार्थानुमान और परार्थानुमान—प्रयोजन के आधार पर अनुमान के दो भेद किये जाते हैं—(१) स्वार्थानुमान और (२) परार्थानुमान।

(१) **स्वार्थानुमान**—इसार्थानुमान यह अनुमान है जो अपनी सशय निवृत्ति के लिये किया जाता है।

स्वीयसंशयनिवृत्तिप्रयोजनकमनुमान स्वार्थानुमानम्

यह अनुमान केवल अपने बोध वा निश्चय के हेतु किया जाता है। अतएव इसमें प्रतिष्ठादि पचाष्यत का प्रयोग नहीं किया जाता। वेवल हेतु या लिंग देखकर साध्य का निश्चय कर लिया जाता है।

जैसे, कोई आदमी बारबार के अनुभव (सूयोदर्शन) से यह जान जाता है कि जहाँ आग रहती है, वहाँ बुआँ उठता है। अप वह किसी पहाड़ के निकट खड़ा होकर देखता है कि उसपर खुर्चाँ उठ रहा है। यह चिह्न या लिंग देखते ही वह समझ लेता है कि पहाड़ पर आग है। ऐसे अनुमान में प्रतिष्ठा या उदाहरण की आवश्यकता नहीं रहती। फेवल लिंग परामर्श से अनुमिति हो जाती है। यही स्वार्थानुमान है।*

(२) **परार्थानुमान**—जो अनुमान दूसरों के शका समाधानार्थ किया जाता है, वह 'परार्थानुमान' कहलाता है।

परस्यनिवृत्तिप्रयोजनकमनुमान परार्थानुमानम्।

परार्थानुमान दूसरों को समझाने के लिये किया जाता है। अतएव इसमें प्रतिष्ठादि पाँचों अवयवों का प्रयोजन पड़ता है।

पञ्चाशयवेनैव वाक्येन सशयितविपर्यस्ताव्युत्क्राना परेषां निश्चितार्थप्रतिपादन परार्थानुमानम्।

इन अवयवों का वर्णन पहले ही किया जा चुका है।

* स्वार्थानुमानस्य प्रयोजनं तु स्वस्यैवानुमिति । तथादि कश्चित् पुरुष स्वयमेव भूयोदर्शनेन यत्र धूमस्तव्यादिन । इनि महानसादी ग्रासि गृहीत्या पर्वतमीप गतस्तद्वाते चामी सिद्धान वर्वतेर्वत्तिनी मविचिद्दन्तमूलामध्यलिही धूमक्षेत्रो परस्य धूमदर्शनादुद्दुदस्तकारो ग्रासि स्मरति । तस्मात् पर्वतो वद्विमानिति स्वस्यज्ञानमनुमितिहृष्टय मानम् ।—तर्कसप्तह ।

स्वार्थानुमान 'स्वातं प्रति प्रक्षिप्ति' (Inner conviction) के हेतु किया जाता है। परार्थानुमान परप्रतिपक्षि (Persuasion of others) के हेतु किया जाता है। यही दोनों में भेद है। पहले स्वार्थानुमान के द्वारा ज्ञानोपार्जन कर, पीछे परप्रबोधनार्थ पचावयवयक्त का प्रयोग किया जाता है। यही परार्थानुमान है।

नव्यन्याय के अनुसार घर्गक्षिरण—नवीन नेयायिक अनुमान के प्रमेद इस प्रकार मानते हैं—

- (१) केवलान्वयी
- (२) केवलव्यतिरेकी
- (३) अन्वय व्यतिरेकी

इसको समझने के लिये पहले 'अन्वय' और 'व्यतिरेक' का अर्थ जानना आवश्यक है।

(१) अन्वय का अर्थ है 'साहचर्य' (Positive Concomitance) अर्थात् एक साथ होना। जहाँ यह है वहाँ वह भी है। जैसे, जहाँ धुम्रां है, वहाँ अश्वी भी है।

(२) व्यतिरेक—का अर्थ है 'अविनामात्र' (Negative concomitance) अर्थात् वह नहीं है तो यह भी नहीं है। जैसे, जहाँ आग नहीं है वहाँ धुम्रां भी नहीं है।

धूम और अश्वी के सम्बन्ध को ले लीजिये। यहाँ अन्वय का दृष्टान्त होगा रसोर्दिघ, क्योंकि उसमें धूम भी है, अश्वी भी है। व्यतिरेक का दृष्टान्त होगा जलाशय, क्योंकि उसमें अश्वी भी नहीं है, धूम भी नहीं है।

इसी प्रसङ्ग में पक्ष, सपक्ष और विपक्ष के अर्थ भी समझ लीजिये।

(१) पक्ष—उसको कहते हैं जिसमें साध्य का अस्तित्व सिद्ध करना है। इससे यह निष्पर्य निकलता है कि पक्ष में साध्य का होना पहले ही से सिद्ध नहीं था। तभी तो सिद्ध करने की आवश्यकता है। आतपव पक्ष वह है जिसमें साध्य का पूर्य से निष्पय नहीं हो, अतिष्ठय हो। इसीलिये अन्नम् भृष कहते हैं—

‘ संदिग्धसाध्यवान् पक्ष । ’

जैसे पर्यंत में अश्वी को सिद्ध करना है। यहाँ पर्यंत में अश्वी की समावना है किन्तु पहले से निष्पय नहीं है। इसलिये 'पर्यंत' पक्ष हुआ।

नोट—कुछ नेयायिकों का कहना है कि पचता के लिये साध्य विषयक सन्देह होना कोई आवश्यक नहीं है। साध्य पहले से ज्ञात रहने पर भी खिद करने की आकौशा (सिसाध्यिषा) हो सकती है। आकौश में मेष को (प्रत्यष) देख लुकने पर भी इम गर्जन से उसका अनुमान कर सकते

४८४ यत् क्षितिस्य धूमादिप्रियनुमाय परप्रस्यार्थं पञ्चावयवोरेतमनुमानवाच्यं प्रयुक्ते तत्
‘परार्थानुमानम्’। —दर्ढसंग्रह

। इसलिये साध्य का सन्देह न रहते हुए भी अनुमान किया जा सकता है। हाँ, जहाँ साध्य का होना निश्चित हो कि साधन की आकृत्या (सिसाधयिपा) भी नहीं उठ सके, वहाँ अनुमान करने की वाचशक्ता नहीं पहती। अतएव कारिकावली में पद की परिभाषा इस प्रकार की गई है—

“सिसाधयिपा शून्या सिद्धिर्यन्तं न तिष्ठति ।

स पक्षस्तप्रवृत्तिलक्षणादनुभितिर्भवेत् ।” *

(२) सपक्ष—का अर्थ है देसा स्थान जिसमें साध्य का होना निश्चित रूप से ज्ञात रहे। तर्कसंग्रहकार कहते हैं—

“निश्चित साध्यवान् सपक्ष ”

जेसे, महानस (रसोर्दधर) में अग्नि का होना निश्चित रूप से ज्ञात है। अतएव यह सपक्ष हुआ।

(३) विपक्ष—का अर्थ है देसा स्थान जिसमें साध्य का नहीं होना (अभाव) निश्चित रूप से ज्ञात रहे।

“निश्चितसाध्याभाववान् विपक्ष ”

जेसे, तालाब में अग्नि का नहीं होना निश्चित रूप से ज्ञात है। अतएव यह विपक्ष हुआ।

अब पूर्व विपय पर आइये। अन्वय का अर्थ है दोनों (साध्य साधन) का भाव में (अहितत्व में) साधी होना। व्यतिरेक का अर्थ है दोनों का अभाव में साधी होना। अर्थात् यदि दोनों ही उपस्थित हैं, तो अन्वय हुआ। यदि दोनों ही अनुपस्थित हैं, तो व्यतिरेक हुआ। महानस में धूम और अग्नि दोनों हैं। यहाँ अन्वय सम्बन्ध है। पोखरे में धूम और अग्नि दोनों ही नहीं हैं। यहाँ व्यतिरेक सम्बन्ध है। अतएव सपक्ष को अवय का दृष्टान्त समझना चाहिये। विपक्ष को व्यतिरेक का दृष्टान्त समझना चाहिये।

अब अनुमान के पूर्वीक प्रभेद छुगमतःपूर्वक समझ में आ सकते हैं।

(१) अन्वयव्यतिरेकी—यह है जिसमें अन्वय और व्यतिरेक दोनों के दृष्टान्त (अर्थात् सपक्ष और विपक्ष दोनों ही) मिल सकें। जेसे, “पर्वतो वहिमान्” वाले अनुमान को ले लीजिये। यहाँ धूम और अग्नि में जो व्याप्ति सम्बन्ध है उसके दृष्टान्त साध्य और व्यतिरेक दोनों में मिलते हैं। जेसे, सपक्ष का दृष्टान्त है महानस, विपक्ष का दृष्टान्त है जलाशय। ऐसे अनुमान को अन्वय व्यतिरेकी कहते हैं।

(२) केवलान्वयी—यह है जिसमें केवल अन्वय का दृष्टान्त मिल सके, व्यतिरेक का नहीं। जेसे, “पट का नामकरण संभव है क्योंकि इसका ज्ञान प्राप्य है।”

*“सिसाधयिपा विरहविशिष्ट सिद्धयभावं पद्धता वदान् पच ।” (सिद्धात्मुक्तपद्मी)

दूसरे शब्दों में पट प्रमेय (ज्ञातव्य) है, अतएव अभिधेय है । यहाँ यह व्याप्ति सम्बन्ध स्थापित किया गया है कि “जो जो प्रमेय हैं सो सो अभिधेय भी है ।” (अर्थात् जो जो जीव जानी जा सकती हैं उनके नाम भी दिये जा सकते हैं)

इस व्याप्ति का ऐच्छिक अन्वय में दृष्टान्त मिलता है । जैसे, घट में प्रमेयत्व (हेतुता) है तो अभिधेयत्व (सहा) भी है । इसी तरह सभी यहनुपर्यं प्रमेय और अभिधेय दोनों ही हैं । अब व्यतिरेक के लिये यह दिखलाना आवश्यक होगा कि—‘जो जो अभिधेय नहीं है सो सो प्रमेय नहीं है । किन्तु जो अभिधेय नहीं हो (अर्थात् जिसको नाम नहीं दिया जा सके) ऐसा कार्य पदार्थ ही दखने में नहीं आता । अर्थात् विषय कहीं मिलता ही नहीं, जितनी यहनुपर्यं मिलती है सब सपृष्ठ ही में आ जाती है । अतएव व्यतिरेक का दृष्टान्त कहीं से दिया जायगा । इसमें केवल अन्वय का ही दृष्टान्त दिया जाना समय है । ऐसे अनुमान को ‘केवलान्वयी’ अनुमान कहते हैं ।

(३) केवल व्यतिरेकी—जहाँ केवल व्यतिरेक माथ में व्याप्ति का दृष्टान्त मिल सके (अन्वय में नहीं), यहाँ केवल व्यतिरेकी अनुमान समझना चाहिये । जैसे, ‘जीव में आत्मा है क्योंकि उसमें चैतन्य है ।’

यहाँ चैतन्य और आत्मा में व्याप्ति सम्बन्ध स्थापित किया गया है । इसका आवश्य में यह रूप होगा—जो-जो जीव यवान् है सो-सो आत्मावान् भी है ।

अब इसका दृष्टान्त क्या दीजियेगा ? जो कुछ चैतन्यत्व न है (मनुष्य, घोड़ा, आदि) यह सब तो जीव के अ तरंत ही अर्थात् पच्छाटी में आ जाता है । और पक्ष में तो साध्य (आत्मा) को सिद्ध ही फरना है । फिर उसको दृष्टान्त किसे मान सकते हैं ?

अन्वय दृष्टान्त के लिये सपृष्ठ (जिसमें साध्य का निधय हो) देना जढ़ती है । और सपृष्ठ पा पक्ष से भिन्न होना आवश्यक है । किन्तु यहाँ तो जो कुछ ही पक्ष ही है । (अर्थात् उसमें साध्य का अनिष्टय ही है ।) किंतु सपृष्ठ का दृष्टान्त मिलेगा कहाँ से ? अत यहाँ अन्वय का दृष्टान्त नहीं दिया जा सकता ।

हाँ व्यतिरेक का दृष्टान्त हम दे सकते हैं । अर्थात् यह दिखला सकते हैं कि—“जो जो आत्मावान् नहीं है सो सो जो चैतन्यशान् भी नहीं है ।” जैसे, पत्थर में आत्मा नहीं है तो चैतन्य भी नहीं है । इसी तरह सभी जड़ पदार्थ विषय के दृष्टान्त हो सकते हैं ।

ऐसे अनुमान को जिसमें केवल व्यतिरेक का दृष्टान्त मिल सके, केवल व्यतिरेकी अनुमान कहा जाता है ।

व्याप्ति

[व्याप्ति का अर्थ—व्याप्त और व्यापन—उपाधि—नव्यन्याय में व्याप्ति का लक्षण—अनुयोगी और प्रतियोगी—व्याप्ति का सिद्धान्त लक्षण—व्याप्ति महोपाय—व्याप्ति विषयक समस्या—अवच्छेदक धर्म—हेतु और साध्य का समानाधिकरण]

व्याप्ति का अर्थ—व्याप्ति का अर्थ है विशेष रूप से आपि वा सम्बन्ध। यहाँ विशिष्ट सम्बन्ध है दो घटनाओं का नियत साहचर्य (सर्वदा एक के साथ दूसरे का रहना)।

यत्र यत्र धूमस्तप्राप्ति इति साहचर्यनियमो व्याप्ति — तर्चमप्रद

साहचर्य का अर्थ है एक साथ रहना। जेसे, मछली और जल का एक साथ रहना पाया जाता है। यहाँ दोनों में साहचर्य सम्बन्ध है। किन्तु यह सम्बन्ध नियमित नहीं है। अर्थात् कभी-कभी मछली जल से अलग (शुष्क हथल में) भी पाई जा सकती है और जल भी मछली के बिना पाया जा सकता है। यानी दोनों सदब्द एक दूसरे से अलग भी रह सकते हैं। इसी का नाम है 'व्यभिचार'।

व्यभिचार का व्युत्तर्यवद् है यि (विशेष रूप से) + अग्नि (सर्वतो भावेन) + चार (गति = रिति का प्रभाव)। अर्थात् सर्वत्र एक ही विशेष रूप से व्यवस्थिति न होने को ही व्यभिचार कहते हैं।

एकत्राव्यवस्था व्यभिचार

अतएव व्यभिचार का भावार्थ हुआ नियमनिपात या अपवाद। पूर्णोक्त उदाहरण में, जल और मछली के साहचर्य में नियम भड़ भी पाया जाता है। (अर्थात् एक की हितित दूसरे के अभाव में भी पाई जाती है) अतएव यहाँ दोनों का सम्बन्ध व्यभिचारयुक्त (या व्यभिचरित) कहा जायगा।

व्याप्ति का अर्थ है अव्यभिचरित सम्बन्ध। जिस साहचर्य नियम में व्यभिचार (अपवाद) नहीं हो, वही व्याप्ति कहनाता है। जेसे, धूम और अग्नि में नियत साहचर्य देखने में आता है। धूम कभी अग्नि से पृथक् नहीं रहता। यह सर्वदा अग्नि के साथ ही पाया जाता है। इस नियम का कभी अपवाद (व्यभिचार) नहीं होता। या यो कहिये कि धूम सर्वदा एकनिष्ठ दोकर अग्नि के ही साथ सहजास करता है, दूसरे के साथ नहीं। अर्थात् यह 'ऐकानितिः' (एक को लेकर) है, अनेकानितिक (घड़नों का आधित) नहीं। एकपक्षीयता पूर्व की तरह यह सर्वदा ऐवल एक आग माव का ही साथ एकहकर

८ एकत्र साध्यरूप तदभावस्य या योऽन्त, तदधारः अध्यभिचरित सहचार, तस्यायमित्यैकतिति ।

रहता है। अग्नि से अतिरिक्त स्थल में यह धूमी नहीं पाया जाता। दूसरे शब्दों में यह कहिये कि यह कभी व्यसिचार (अन्यत्र गमन) नहीं करता। इसी अव्यसिचरित सम्बन्ध को 'व्याप्ति' कहते हैं।

अतः तकनीकार कहते हैं—

व्यसिचाराणविरहसहकृत हेतुसाध्यसहचारदर्शन व्याप्तिमाहक भवति

इसी बात को दूसरे ढग से समझिये। धूम अग्नि के बिना नहीं रह सकता। इसीलिये धूम का अग्नि के साथ जो सम्बन्ध है, उसे 'अविनाभाव' कहते हैं। अविनाभाव का शब्दार्थ है अ (नहीं) + बिना (विरह या पायनमें) + भाव (होना)। अर्थात् यदि एक घटना ऐसी है जो दूसरी घटना के बिना कभी रह ही नहीं सके, तो वहाँ अविनाभाव सम्बन्ध जानना चाहिये। धूम कभी अग्नि के बिना हो ही नहीं सकता। जहाँ अग्नि नहीं है, वहाँ धूम भी नहीं रहेगा। धूम का अग्नि से पृथक्, अपना कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। उसका अटित्व अग्नि पर निर्भर करता है। अपयामा आखड़ारिक मापा में यों कहिये कि उसका जीवन अपनी सहचरी (आग) के हाथ में है, जिसके विरह में यह कभी रह सकता ही नहीं। इसी अविनाभाव सम्बन्ध को व्याप्ति कहते हैं।

अतएव 'व्याप्ति' सम्बन्ध को हम (क) नियत साहचर्य (ख) अव्यसिचरित सम्बन्ध (ग) ऐकान्तिक भाव अयथा (घ) अविनाभाव सम्बन्ध भी कह सकते हैं।

व्याप्ति और व्यापक—पूर्वोक्त उदाहरण में धूम और अग्नि का व्याप्ति सम्बन्ध दिखलाया गया है। अब प्रश्न यह उठना है कि किस में किसकी व्याप्ति है। धूम की व्याप्ति अग्नि में है या अग्नि की व्याप्ति धूम में?

अब यह बात प्रत्यक्ष देखने में आती है कि धूम कभी अग्नि के बिना नहीं पाया जाता। किन्तु आग धूम के बिना भी पाई जाती है। जैसे, जलते हुए लोहे में तिर्हुम अग्नि देखने में आगी है। इसलिये ऐकान्तिकता (एकनिष्ठता) धूम में है, अग्नि में नहीं। अर्थात् अग्नि धूम में सीमित नहीं है, किन्तु धूम अग्नि में सीमित है।

इस बात को यहाँ दिये हुए चूंकों से समझिये।

यहाँ सम्पूर्ण धूम अग्नि के अन्तर्गत है। किन्तु सम्पूर्ण अग्नि धूम के अन्तर्गत नहीं। अयथा यों कहिये कि धूम के यावतीय प्रदेश में अग्नि व्याप्त (फैला) है। किन्तु अग्नि के

क्यदि अविनाभाव दोनों ओर से रहे तो उसे 'समव्याप्ति' कहते हैं। जैसे, पृथ्वी और गन्ध में। यदि अविनाभाव पृथक् हो पर में रहे तो उसे 'विषयव्याप्ति' कहते हैं। धूम अग्नि के बिना नहीं हो सकता, किन्तु अग्नि धूम के बिना भी हो सकती है। पहले विवरण व्याप्ति का उदाहरण हुआ।



यावतीय प्रदेश में धूम व्याप्त नहीं है। अर्थात् धूम में अग्नि की व्याप्ति है, जहाँ में धूम की नहीं। जिसकी व्याप्ति रहती है वह 'व्यापक' कहलाता है। जिसमें व्याप्ति रहती है, वह 'व्याप्य' कहलाता है। उपर्युक्त उदाहरण में अग्नि व्यापक और धूम व्याप्य है। अग्नि धूम का व्यापक है; फ्योर्कि वह व्याप्ति किया का 'कर्ता' है। धूम अग्नि का व्याप्य है, फ्योर्कि वह व्याप्ति किया का कर्म है।

व्याप्य कभी व्यापक के बाहर नहीं रह सकता। किन्तु व्यापक व्याप्य के बाहर भी रह सकता है। (जैसे उपर्युक्त चित्र में दिखलाया गया है।)

अब प्रश्न यह उठता है कि व्याप्य और व्यापक इन दोनों में कौन किसका सूचक है। अर्थात् धूम से अग्नि का बोध हो सकता है या अग्नि से धूम का। धूम के सर्वं देश में अग्नि व्यापक है। अर्थात् ऐसा कोई धूम नहीं हो सकता जिसमें अग्नि न हो। इसलिये हम कह सकते हैं कि "जहाँ-जहाँ धूम है वहाँ वहाँ आग होगी।" अतएव धूम को सर्वं अग्नि का सूचक (चिह्न) समझना चाहिये। किन्तु फ्या आग भी सर्वं धूम की सूचक समझी जा सकती है? फ्या हम पूर्वोंक याक्षय को उल्टकर कह सकते हैं—"जहाँ-जहाँ आग है वहाँ-वहाँ धूम होगा।" नहीं। क्योंकि धूम सर्वं अग्नि में व्यापक नहीं है। अर्थात् ऐसी भी आग हो सकती है जिसमें धूम नहीं हो (जैसे जलते हुए लोहे में)। अतएव हम धूम से सब जगह अग्नि का अनुमान कर सकते हैं, किन्तु अग्नि से सब जगह धूम का अनुमान नहीं कर सकते।

दूसरे शब्दों में यों कहिये कि धूम अग्नि का पक्षा चिठ्ठ है, किन्तु अग्नि धूम का पक्षा चिठ्ठ नहीं। नीयाविक लोग चिह्न को 'लिङ्ग' कहते हैं, और चिठ्ठ से जिस वस्तु का सकेत (निर्देश) होता है उसको 'लिङ्गी' कहते हैं। उक उदाहरण में धूम 'लिङ्ग' है और अग्नि 'लिङ्गी'। लिङ्ग के द्वारा लिङ्गी का अनुमान होता है। इसलिये लिङ्गी को 'साध्य' और लिङ्ग को 'साधन' (अनुमान का हेतु) कहते हैं। पूर्वोंक उदाहरण में 'धूम' लिङ्ग होने के कारण 'साधन' कहा जायगा और—"अग्नि" लिङ्गी होने के कारण 'साध्य' कहा जायगा। अतएव जहाँ व्याप्ति सम्बन्ध है, वहाँ व्यापक को साध्य और व्याप्य को साधन जानना चाहिये। अतएव यह सिद्ध हुआ कि व्याप्य (लिङ्ग) से व्यापक (लिङ्गी) का बोध हो सकता है। किन्तु व्यापक (लिङ्गी) से व्याप्य (लिङ्ग) का नहीं। क्योंकि व्यापक (अग्नि) व्याप्य (धूम) के अतिरिक्त और दूसरों में भी (जैसे तस लौह पट्ट में) रह सकता है।

उपाधि—वाचस्पति मिथ्र प्रभृति कुउ प्राचीन नैयायिकों ने व्याप्ति का बहुत ही किन्तु सारगमित लक्षण दिया है।

“अनौपाधिकी सम्बन्ध (व्याप्ति)”

अर्थात् जिस सम्बन्ध में ‘उपाधि’ नहीं हो उसे ही व्याप्ति जानना चाहिये।

यहाँ ‘उपाधि’ का अर्थ समझना आवश्यक है।

“उप समीपवर्तिनि आदधाति स्वकीय रूपम् इति उपाधि ।”

अर्थात् जो समीपवर्ती पदार्थ में अपना रूप, दिखलावे वह उपाधि है। जैसे जगायुध्य (ओड़हुल का फूल) के निकटवर्ती स्वच्छ स्फटिक में भी लाली की भलक दिपलाई पढ़ने लगती है। यह लाली स्फटिक की स्वभाविक लाली नहीं, किन्तु औपाधिक लाली है। क्योंकि वह उपाधि (ओड़हुल) के ससर्ग से प्राप्त हुई है। उपाधि हट जाने पर औपाधिक गुण (लाली) भी हट जायगा।

धूम के साथ आग सब जगह पाई जाती है। किन्तु अग्नि के साथ सब जगह धूम नहीं पाया जाता। क्योंकि अग्नि के साथ धूम का पाया जाना एक दूसरी बात पर निर्भर करता है। वह ही आद्रेन्धन (भींगी लकड़ी) का सयोग। इसी को उपाधि कहते हैं। अग्नि के साथ धूम का जो सम्बन्ध है, वह इस (उपाधि) की अपेक्षा रखता है। अर्थात् वह सम्बन्ध सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं। इसीसे उपाधि (आद्रेन्धन सयोग) के अभाव में धूम का भी आमाव देखने में आता है। और इस उपाधि का अग्नि के साथ कोई अवश्यक सम्बन्ध नहीं है। यानी अग्नि के साथ उसका रहना कोई जरूरी नहीं है। इसलिये जब अग्नि के साथ भींगी लकड़ी का सयोग होता है तब धूम की उपलब्धि होती है। जब अग्नि के साथ भींगी लकड़ी का सयोग नहीं होता तब धूम की उपलब्धि नहीं होती।

मान लीजिये हम सिद्ध करना चाहते हैं कि—

“जलते हुए लोहे में धूम होगा, क्योंकि वहाँ अग्नि है।”

यहाँ अग्नि हेतु देकर हम धूम (साध्य) की सिद्धि करना चाहते हैं। किन्तु यहाँ हेतु (अग्नि) म साध्य (धूम) उपापक नहीं है। क्योंकि उसमें उपाधि लगी हुई है। यह उपाधि धूम (साध्य) के साथ सर्वदा पाई जाती है, किन्तु अग्नि (साधन) के साथ सर्वदा नहीं पाई जाती। इसीलिये उपाधि का लक्षण कहा गया है—

‘साध्य व्यापकत्व सति साधनाव्यापकत्वम् उपाधिः ।’

(अर्थात् साध्य में व्यापक होने हुए भी जो साधना में व्यापक नहीं है उसको उपाधि कहते हैं।)

यदि धूम का अग्नि के साथ निरपाधिक अर्थात् निरपेक्ष सम्बन्ध रहता तो वह सर्वत्र

अग्नि के साथ पाया जाता। किन्तु उपाधिग्रस्त (भीमी लकड़ी के अधीन) होने के कारण धूम समझदारी अग्नि के साथ नहीं रहता। अतएव धूम अग्नि में व्यापक नहीं है।

किन्तु अग्नि का धूम के साथ जो सम्बन्ध है वह उपाधिग्रस्त नहीं है। अर्थात् अग्नि धूम के साथ रहने के लिये पिस्ती और यान को अपेक्षा नहीं रहता। वह इस सम्बन्ध में स्वाधीन है, पराधीन नहीं। इसलिये वह धूम में व्यापक है। अर्थात् जहाँ-जहाँ धूम रहना है वहाँ सब जगद् आग रहती है। इसी अनुपाधिक (उपाधि रहित) सम्बन्ध को व्याप्ति कहते हैं।

नव्यन्याय में व्याप्ति का लक्षण—नव्यन्याय के प्रवर्तक गतेश उशम्भान ने अपने तराधिन्तामणि में व्याप्ति की यहुत ही सूक्ष्म विवेचना की है। उहाँने कई प्रकार से व्याप्ति का लक्षण कर्त्ते द्वारा प्रत्येक का सूक्ष्मातिश्यम विवेचण किया है। उन्हीं के आधार पर नवीन नैयायिक गण अपनी कृशाप्र लुदि से यात की खाल निकाला करते हैं।

यहाँ नव्यन्याय के अनुसार व्याप्ति की मुख्य-मुख्य परिभाषाएँ देकर उनका विवेचन किया जाता है।

(१) तराधिन्तामणि में व्याप्ति की प्रथम परिभाषा यह दी गई है—

“ताप्ताभावदवृत्तिरम्”

इसका सीधा सादा अर्थ यही है कि 'साध्य (जैसे अग्नि) का अभाव जहाँ-जहाँ है, तहाँ-तहाँ यदि देतु (धूम) का भी अभाव है, तो यहाँ व्याप्ति सम्बन्ध समझना चाहिये। जैसे, भील में अग्नि का अभाव है तो यहाँ धूम का भी अभाव है। वृक्ष में अग्नि नहीं है तो यहाँ धूम भी नहीं है। इसी तरह जहाँ-जहाँ अग्नि का अभाव है, वहाँ-वहाँ धूम का भी अभाव है। अतएव यहाँ अग्नि का धूम के साथ व्याप्ति सम्बन्ध है। अर्थात् अग्नि धूम का व्यापक है (और धूम अग्नि का व्याप्ति है)।

यह तो मोटा अर्थ हुआ। अब महीन अर्थ समझन की चेष्टा कीजिये। किन्तु उसे समझने के लिये पहले अनुयोगिता प्रतियोगिता भाव का समझ लना आवश्यक है।

अनुयोगी और प्रतियोगी—प्रत्येक सम्बन्ध के लिये दो पक्षों का होता आवश्यक है—

(१) सम्बन्ध का 'विषय' (=जिसको लेकर सम्बन्ध है)

(२) सम्बन्ध का 'आधार' (=जिसका उक्त विषय से सम्बन्ध है)

मान लीजिये 'क' के साथ 'क' का गृह्य है। यहाँ सम्बन्ध किसमें स्थापित

किया गया हे ? 'क' में । इसको 'अनुयोगी' कहते हैं । और—सम्बन्ध किसको लेकर स्थापित किया गया हे ? 'ख' को लेकर । इसको 'प्रतियोगी' कहते हैं ।

एक दूसरा उदाहरण लीजिये । “पान्त्रे वृत्तम् ।”

अथात् वर्तन में धी है । यहाँ वर्तन 'आधार' और धी 'आधेय' है । अर्थात् दोनों में आधाराधेय सम्बन्ध है । इस सम्बन्ध का अनुयोगी कौन हे ? धी तो नहीं हो सकता । क्योंकि धी में वर्तन नहीं है, वरन् में धी है । इसलिये यहाँ वर्तन को 'अनुयोगी' और धी को 'प्रतियोगी' समझना चाहिये ।

जिस तरह 'सम्बन्ध' में अनुयोगी प्रतियोगी होते हैं, उसी तरह 'अभाव' में भी अनुयोगी प्रतियोगी होते हैं । जिस विषय का अभाव होता है वह अभाव का प्रतियोगी कहलाता है । जिस स्थान में अभाव रहता है, वह अभाव का अनुयोगी कहलाता है । जेसे, 'जल में गम्भ का अभाव हे ।' यहाँ इस अभाव का अनुयोगी है जल, और प्रतियोगी है गम्भ । दूसरे शब्दों में यो कह सकते हैं कि इस अभाव की अनुयोगिता जलनिष्ठ (जल में) है, और प्रतियोगिता गम्भनिष्ठ (गम्भ में) है ।

यहाँ प्रतियोगिता और अनुयोगिता गम्भ के अभाव पर अपलक्षित है । अथात् जल निष्ठ अनुयोगिता और गम्भनिष्ठ प्रतियोगिता का निरूपक अभाव ही है । इसी तरह 'साध्य' के अभाव को लें लीजिये । इस अभाव के द्वारा निरूपित प्रतियोगिता साध्यनिष्ठ है । अतएव नैयायिकों की भावा में इस अभाव को साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपक अभाव कहते ।

यह तो हुआ 'साध्याभाव' । अब 'वृत्ति' शब्द को लीजिये । वृत्ति का अर्थ है स्थिति अर्थात् किसीमें वर्तमान रहना । जिसमें आधेय पदार्थ वर्तमान रहता है, उसको 'आधार' या 'अधिकरण' कहते हैं । जेसे, 'घट में जल है ।' यहाँ घट आधार है । जल आधेय और उसकी वृत्ति (स्थिति) घटनिष्ठ है (अर्थात् घट म हे) इसी तरह, 'घट में जल नहीं है ।' यहाँ घट आधार है । जल का अभाव आधेय है । और उस अभाव की वृत्ति घटनिष्ठ है (अर्थात् घट में है) ।

जिस तरह अनुयोगिता प्रतियोगिता सम्बन्ध या अभाव के द्वारा निरूपित होती है, उसी तरह वृत्तित्व आधार के द्वारा निरूपित होता है । घट निरूपित वृत्तित्व फ़ैलन से घट रूपी अधिकरण में जो आधेय है (जेसे जल) उसकी स्थिति का घोष होगा ।

अब पृथक् सूत पर फिर से ध्यान दीजिये—

“साध्याभाववदवृत्तितम् ।”

अर्थात् साध्य के अभाव का जो अधिकरण (आधार) है, उसमें हेतु की वृत्ति (स्थिति) का न होना ही व्याप्ति है । जेसे, पृथक् और अग्निधाता उदाहरण ले लीजिये ।

यहाँ साध्य है अग्नि । अतएव उसके अभाव को कहेंगे अग्निनिष्ठ प्रतियोगिता निरुपक अभाव (यद अभाव जिसकी प्रतियोगिता अग्नि में है ।) अग्नि के अभाव का अधिकरण है यह स्थान जिसमें अग्नि नहीं हो, जेमें तालाब । इस अधिकरण के द्वारा निरुपित वृत्तित्व उन पश्चात्यों में है जो तालाब के आधेय हैं, जैसे जल । धूम में ऐसा वृत्तित्व नहीं है । अतएव उसमें अग्नि की व्याप्ति है ।

इसी विकल्प पर पठुन्चन के लिये इतना द्वारिती प्राणायाम किया गया है । नैयायिक-गण इसी बात को अपनी जटिल भाषा में कहेंगे—“साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता निरुपक अभाव के अधिकरण में हेतु के वृत्तित्व का एक दोनों ही व्याप्ति का लक्षण है ।”

व्याप्ति का सिद्धान्त-लक्षण—उत्तरचिन्तामणिकार ने सिद्धान्त रूप से व्याप्ति का यद लक्षण किया है—

“हेतुव्याप्तिर्वाप्तिरेव व्याप्ति ।”

अर्थात् हेतु श्री उसके व्यतक साध्य का जो ‘समापिक्तरूप’ (एक ही आधार में स्थिति) हो उसे ‘व्याप्ति’ कहते हैं । यहाँ व्यापक साध्य का अर्थ है हेतु के समानाधिकरण अभाव का प्रतियोगी नहीं होनेगाला । अर्थात् हेतु के साथ जिसका कभी अभाव नहीं पाया जाय, ऐसा साध्य हेतु का व्यापक कहलाता है । ऐसे व्यापक साध्य की व्याप्ति हेतु में जो सदृशता है, उसी को ‘व्याप्ति’ कहते हैं ।

व्याप्तिग्रहोपाय—व्याप्ति के सम्बन्ध में एक और विचारणीय प्रश्न है । वह है ‘व्याप्ति का ज्ञाता’ । हमें व्याप्ति-सम्बन्ध का ज्ञान क्योंकर द्वृता है ? इसके उत्तर में नैयायिक गण पढ़ते हैं—“गृहो दर्शात् ।” अर्थात् धारयार दो यहुओं का सादृच्य देखने से व्याप्ति का ज्ञात होता है । जैसे हजारों वार रसोईघर में अग्नि और धूम का सम्बन्ध देखने में आता है ।

किन्तु केवल इतना ही कहना परापर नहीं है । भूयोदरण (Repeated observation) में लाखों जगह हमें भले ही अग्नि धूम का सम्बन्ध देखने में आये, किन्तु यदि कहीं, एक जगह भी, धूम के साथ अग्नि का सम्बन्ध नहीं पाया जाय, तो ‘व्याप्ति’ कट जाती है । इसलिये केवल युक्त-में स्थलों में सदृचार होने से ही व्याप्ति की सिद्धि नहीं होती । सदृचार के साथ साथ व्यभिचार का अभाव होना भी आयश्यक है ।

अतएव व्याप्तिज्ञान के लिये दो बातों का ज्ञान होना जरूरी है—

(१) सदृचार का ज्ञान (Agreement in presence)

(२) व्यभिचार ज्ञान का (Agreement in absence)

इसलिये व्याप्तिज्ञान का

“व्यभिचारज्ञानविरहस्यहक्ते सहचरज्ञानम् ।”

धूम के साथ अग्नि का सहचार सब जगह मिलता है । जैसे रसोईघर में, यशशाला में इत्यादि (Positive Instance) । धूम के साथ अग्नि का व्यभिचार एक जगह भी देखने में नहीं आता । जैसे, पौखरे में धूम नहीं है तो वहाँ अग्नि भी नहीं है । (Negative Instance) इसी अव्यभिचरित सहचार सम्बन्ध के द्वान से व्याप्ति का दोष होता है ।

यहाँ एक मनोत्तक शक्ति उत्पन्न होती है । व्याप्ति के दल पर ही प्रत्येक अनुमान किया जाता है । अर्थात् अनुमान का आधार है व्याप्ति सम्बन्ध । और व्याप्ति के से सिद्ध होती है । अव्यभिचरित सहचार के द्वान से व्याप्ति का अनुमान किया जाता है । अत व्याप्ति का आधार है अनुमान । यहाँ अनुमान के द्वारा तो हम व्याप्ति घो सिद्ध करते हैं और फिर इसी व्याप्ति के द्वारा अनुमान को सिद्ध करते हैं । यह ‘अन्योन्याध्यय दोष’ (Aiguing in a circle) है ।

इस अन्योन्याध्यय दोष से कैसे उद्धार हो सकता है ? इसके लिये कुछ नैयायिक एक युक्ति का आधार लेते हैं । उनका कहना है कि जिस तरह एक गाय को देखने से उसकी नित्य सामान्य जाति (गोत्व) भी प्रत्यक्ष होती है , उसी तरह स्थान विशेष में धूमाग्नि का साहचर्य देखने से उस साहचर्य का नित्य प्रत्यक्ष होता है । जिस प्रकार सामान्य लक्षण प्रत्याप्ति के द्वारा जाति की उपलब्धि होती है , उसी प्रकार ‘भलीकिक सचिकर्त्ता’ Supernormal perception) के द्वारा व्याप्ति की भी उपलब्धि होती है । अतएव व्याप्तिशाल प्रत्यक्ष सिद्ध है अनुमान सिद्ध नहीं । और इसलिये उसे अनुमान का आधार मानने में अन्योन्याध्यय दोष नहीं लगता ।

व्याप्तिविषयक समस्या—व्याप्ति के विषय में कुछ शकाएं उठाईं जा सकती हैं । ‘पर्यंत पर अग्निं है ।’ यहाँ अग्नि और पर्यंत में सयोग सम्बन्ध है, समवाय नहीं । अर्थात् सयोग सम्बन्ध से तो अग्नि की स्थिति पर्यंत पर है विन्तु समवाय सम्बन्ध से उसको स्थिति नहीं है । और जय (समवाय सम्बन्ध से) अग्नि की स्थिति पर्यंत में नहीं है तब वहाँ उसका अभाव मानना पड़ेगा । अर्थात् यह कहना पड़ेगा कि वहाँ साध्य का अभाव है । और उस साध्य के अभाव में भी हेतु (धूम) देखने में आता है । तब हेतु के साथ साध्य का समानाधिकरण कहाँ रहा ? अर्थात् धूम में अग्नि की व्याप्ति कहाँ रही !

इसी तरह कहा जा सकता है कि पर्यंत पर महानसीय (रसोई घर का) अग्नि तो नहीं है । अर्थात् उसमें अग्निविशेष का अभाव है । और इस तरह साध्य (अग्नि) का अभाव रहते हुए भी हेतु (धूम) पाया जाता है । अतएव दोनों में व्याप्ति सम्बन्ध नहीं माना जा सकता ।

अवच्छेदक धर्म—उपर्युक्त शकाश्रमों का साध्यान करने के लिये हमें साध्य का धर्म और सम्बन्ध पहचानना चाहिये। जब हम कहते हैं कि 'पर्वत पर अग्नि हे' तो हमारा अर्थ किस अग्नि से रहता है? चूटदे की आग से या सामाज्य अग्नि से? हम पर्वत में केवल सामाज्य अग्नि सिद्ध करना चाहते हैं कोई विशिष्ट अग्नि नहीं। अर्थात् यहाँ विशुद्ध अग्नित्व धर्म को लेकर ही हम साध्य की सिद्धि करना चाहते हैं। अतएव यहाँ जो अग्नित्व धर्म है वही साध्यता का सूचक या परिचयाक है। इसलिये इसको 'साध्यतावच्छेदक' (साध्यता का अवच्छेदक या घोषक) धर्म कहते हैं। पर्वत पर जो अग्नि हे वह इसी (साध्यतावच्छेदक) धर्म से अवच्छिन्न (व्यक्त) है।

अत यहाँ साध्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्न का अर्थ हुआ विशुद्ध अग्नित्व धर्मवाला अग्नि। न कि महानसीय अग्नित्व धर्मवाला अग्नि। ऐसे अग्नि का पर्वत में अथवा धूम के और किसी आधार में अभाव नहीं रह सकता। इसलिये व्याप्ति सम्बन्ध के विषय में जो शका की गई है वह निमूल है।

इसी तरह समयावधारी शका को ले लीजिये। पर्वत पर अग्नि का संयोग सम्बन्ध सिद्ध करना अभीष्ट है न कि समवाय। पर्वत में अग्नि का समवाय होना ही असमर है। क्योंकि समवाय के लिये अहङ्कारी भाव होना आवश्यक है। पर्वत और अग्नि में अहङ्कारी सम्बन्ध नहीं होता। केवल संयोग मात्र होता है। अतएव पर्वतस्थ अग्नि की साध्यता संयोग सम्बन्ध को लेकर है। अर्थात् यहाँ साध्यता का अवच्छेदक (घोषक) सम्बन्ध है संयोग।

अतएव यहाँ साध्यतावच्छेदक सम्बन्धावच्छिन्न का अर्थ हुआ संयोग सम्बन्धवाला अग्नि। ऐसे अग्नि का पर्वत अथवा धूम के और किसी आधार में अभाव नहीं रह सकता। इसलिये साध्य हेतु के समानाधिकरण में कोई वादा नहीं पहुँचती।

इसी तरह पर्वत में जो धूम है उसका धर्म है 'साशारण धूमत्व' (न कि धूम का एक खास रग या आकार)। यह हेतुत्वावच्छेदक धर्म हुआ। पर्वत के साथ धूम का सम्बन्ध है 'संयोग' (न कि समवाय)। यह हेतुत्वावच्छेदक सम्बन्ध हुआ।

जहाँ 'साध्य' शब्द का प्रयोग हो, वहाँ साध्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक सम्बन्धावच्छिन्न (अर्थात् निर्दिष्ट धर्म और सम्बन्धवाला) साध्य समझना चाहिये। इसी प्रकार हेतु से हेतुत्वावच्छेदक धर्मावच्छिन्न हेतुत्वावच्छेदक सम्बन्धावच्छिन्न का अर्थ ग्रहण करना चाहिये।


हेतु और साध्य का समानाधिकरण—अतएव हेतु और साध्य के समानाधिकरण का अर्थ हुआ 'निर्दिष्ट धर्म और सम्बन्ध के साथ दोनों का एक जगद

रहना । जैसे, अपनि और भूम अपने सामान्य धम और सयोग सम्बन्ध से सदृशता रहते हैं ।

साध्य के व्यापक होने का अर्थ है—जहाँ जहाँ हेतु है तहाँ-तहाँ उसका पाया जाता । अर्थात् जहाँ हेतु है तहाँ उसका अभाव नहीं पाया जाता । यानी हेतु के अधिकरण में साध्य का अभाव नहीं होना । या हेतु और साध्याभाव का समानाधिकरण नहीं होगा ।

नव्यायाय की लच्छेदार मापा की चाशनी चखनी हो तो इसी बात को इस प्रकार सुनिये—

“साध्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक समर्धावच्छिन्न निष्प्रतियोगिता निस्त्वक अभाव का हेतुत्वावच्छेदक धर्मावच्छिन्न हेतुत्वावच्छेदक समर्धावच्छिन्न के साथ समानाधिकरण नहीं होना ही ‘व्याप्ति’ है ।”



उपमान

[उपमान और उपमिति—उपमान का लक्षण — उपमिति वा स्वरूप—उपमान के सम्बन्ध में मतभेद—उपमान का महसूल]

उपमान और उपमिति—उपमान का अर्थ है “उपमीयते अनेन इति उपमानम् । उपमा वा सादृश्य के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसे उपमिति फहते हैं । मान लीजिये, कोई नागरिक है जिसने गवय (नील गाय) नामक जन्मु को नहीं देखा है । उसे जगल के निकटवर्ती किसी ग्रामीण के द्वारा यह मालूम होता है कि गाय के समान ही गवय का भी आकार प्रकार होता है । अब यह जगल में जाता है । वहाँ गोसदाश जन्मु उसे दिखलाई पड़ता है, जिसे उसने पहले कभी देखा नहीं है । किन्तु गवय का जो वर्णन उसने सुन रखा है, सो उस जन्मु विशेष पर घटित हो जाने के कारण यह समझ लेता है कि यही गवय है । अब इस ज्ञान के स्वरूप पर विचार कीजिये । ‘यह गवय है’ ऐसा ज्ञान उस नागरिक को कैसे उत्पन्न होता है ? यदि उसे यह मालूम नहीं रहता कि ‘गोसदाश गवय होता है’ तो उस जन्मु को देखने पर भी उपर्युक्त ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती । इसलिये ‘सादृश्य ज्ञान’ पर ही उपमिति का अस्तित्व निर्भाव करता है । यही सादृश्यज्ञान उपमिति का कारण वा उपमान कहलाता है ॥

उपमान का लक्षण—महर्यं गौतम कहते हैं—

प्रसिद्ध साधर्म्यात् साध्यसाधनमुपमानम् ।

—ग्या० स० १।१।३

प्रसिद्ध वस्तु (यथा गौ) के साधर्म्य से अप्रसिद्ध वस्तु (यथा गवय) का ज्ञान प्राप्त करना ही ‘उपमिति’ है । उपमिति का साध्यन ही उपमान प्रमाण कहलाता है । +
इरिभद्र सूरि भी इन्हीं शब्दों में उपमान की परिभाषा देते हैं—

प्रसिद्धवस्तुसाधर्म्यात् अप्रसिद्धस्य साधनम् ।

उपमाने समारथात् यथा गौर्गवयस्तथा ।

—पद्मशंत समुच्छय

+ उपमितिकरणम् (उपमानम्) । तत्त्व सादृश्यज्ञानम् ।

+ सदर्थश्च प्रसिद्धस्य पूर्वप्रसिद्धस्य गवयादे साधर्म्यात् सादृश्यात् तज्जातात् साध्यस्य गवयाविप्रदवाच्य त्वरत्व साध्यन विद्विश्यमानमुपमिति । यत् इत्यभ्याद्वारेण च करणक्लृणम् ।

शात पदार्थ के सादृश्य से अशात पदार्थ का ध्वनि कराना ही उपमान का काम है। इसलिये कहा गया है—

“प्रश्नातेन सामान्यात् प्रश्नापारीयस्य प्रश्नापनमुपगानम् ।”

भाष्यकार कहते हैं—

उपमानं सादृश्यं ज्ञानम्.

अथात् सादृश्य का ध्वनि ही उपमान प्रमाण है। यद सादृश्य है फरा ! फेदन किसी अंश म समानता होने से ही सादृश्य नहीं हो सकता। जैसे, काला रंग होने के कारण ही कौश्रा और हार्षी ये दोनों सदृश नहीं कहे जायेंगे।* सादृश्य के लिये जाति या सामान्य पी समानता होना आवश्यक है। इसीलिये भाष्यकार फिर कहते हैं—

सादृश्यं तु सामान्ययोगः।

कौए और फोयल में समानजातीयता है, इसलिये दोनों में सादृश्य सम्बन्ध कहा जा सकता है। कौए और हार्षी में समानजातीयता नहीं है, इसलिये दोनों में सादृश्य सम्बन्ध नहीं पहचा जा सकता।

उपमिति का स्वरूप—उपमान करण है और उपमिति फल है। नैयायिकों का कहना है कि यन में गोसदृश पिंड को देखकर उसमें गवय पद वाच्यत्व की जो प्रतीति होती है, वही उपमिति रूपी फल है। इस संश्ल सहिन-सम्बन्ध के ध्वनि का कारण है ‘अति देश वाच्यार्थ’ का स्मरण। अतिदेश का अर्थ है,

एकत्र श्रुतस्यान्यन्तं सम्बन्धं

‘गवय’ ‘वाच्यक’ वा संज्ञा है। उसका वाच्य (संज्ञा) पहल वृक्षा नहीं गया है। हाँ, यह वाच्य पदार्थ गोसदृश होता है, इतना पहले से विदित है। अब यन में उस गोसदृश पिंड को देखने पर गवय शुष्ट के शुकित्रह का स्मरण हो जाता है और उस दृश्यमान पिंड में ‘गवय’ सदा का सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। यही वाच्य वाच्यक सम्बन्ध की उपपत्ति उपमिति रूपी फल है।

उपमान के सम्बन्ध में मतभेद—उपमान के सम्बन्ध म वार्षिकों का घोर विवाद है। दिद्नागाचार्य उपमान को प्रत्यक्ष से भिन्न नहीं मानते हैं। वैशेषिकगण

* सामान्य का अर्थ है ‘अनुग्रह धर्म’। भाष्यकार कहते हैं, ‘या समाव॑ वुर्दि प्रसूते भिन्नविच-
करणेतु यथा वहनीररेततो न ॥ नायत्वन्ते योऽप्योनेकत्र ग्रन्थ्यानुवृत्ति निमित्तं सखामान्यम् ।

उपमान को अनुमान के अन्तर्गत ही समाविष्ट कर लेते हैं। भासर्वज्ञ इसे शब्द से अभिन्न समझते हैं। सांख्य मतानुसार उपमान शब्दपूर्वक प्रत्यक्ष के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

नैयायिकों को इन सभी आक्षेपों का उत्तर देना पड़ता है। सिद्धान्तमुक्तावली में उपर्युक्त मतों का खण्डन कर यह दिखाया गया है कि उपमान का अन्तर्माय प्रत्यक्ष, अनुमान वा शब्द में नहीं हो सकता है। वस्तुतः उपमान में प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द इन तीनों के अश रहते हैं। पहले शब्द द्वारा गोगवय-सादृश्य का ज्ञान होता है। फिर प्रत्यक्ष द्वारा गोसदृश्य पिंड का साक्षात्कार होता है। तदनातर अनुमान द्वारा उसका गवय होना सूचित होता है।

नोट—उपमान प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता। क्योंकि प्रत्यक्ष द्वारा केवल गोसदृश्य पिंड की प्रतीति होती है, गवय की नहीं। यहाँ अनुमान प्रमाण मी नहीं माना जा सकता। क्योंकि अनुमान प्रत्यक्षमुख्यक होता है और यहाँ गवय का पहले कभी प्रत्यक्षानुभव नहीं 'हुआ है। यहाँ लिंग (गोसादृश्य) और साध्य (गवय) का व्यासिसवन्ध अट्ट होने के कारण अनुमान की सिद्धि नहीं हो सकती। शब्द भी उपमिति का कारण नहीं हो सकता। क्योंकि शब्द से गोगवय-सादृश्य का ज्ञान होता है, पिंडविशेष में गवयपद वाच्यात्र का नहीं। इस कारण उपर्युक्त तीनों प्रमाणों से भिन्न पृक् स्वतः ग्र प्रमाण माना जाता है।

उपमान का महत्व—भाष्यकार वात्स्यायन उपमान प्रमाण की उपयोगिता का जोरों में समर्थन करते हैं। उनका कहना है कि बहुत से ऐसे अद्वृत पदार्थ हैं जिनका उपमान प्रमाण द्वारा आविष्कार किया जा सकता है। आयुर्वेद प्रभृति विज्ञानों में प्रसिद्ध साधर्म्य के आधार पर ही अनेक अपरिचित औपधादि द्रव्यों का वर्णन मिलता है। जैसे मूँग के सदृश मुद्रगपर्णी होती है।^३ इन वचनों से नाना अज्ञात पदार्थों का उद्घार हो सकता है जो अत्यन्त ही उपयोगी और लोकोपकारी सिद्ध हो सकते हैं। इस प्रकार उपमान प्रमाण का अपना पृथक् महत्व है।

^३ यथा सुदृगस्तथा सुदृगपर्णी यथा मापस्तथा मापपर्णी इत्युपमाने प्रयुक्त उपमानात् सज्जा सञ्जि सम्बन्ध प्रतिपद्यमावहगमोपर्धी भैषज्यायइति।

शब्द

[अन्यात्मक और वर्णात्मक शब्द—शब्द का संकेत—मात्रानिक भौत चक्रनिक संकेत—पर—शक्ति—शक्ति—आहति—पर वा शक्ति—प्रवयाप्त और एमुराप्ता—पर के भैर—इन, योगिक और योगस्त—द्वेष्याद—यात्रा—आपात्ता—आपात्ति—योगदा—तात्पर्य—भगवा और लक्षणा—चरत्तलक्षणा—अवदलक्षणा—रास्तमाप—दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ शब्द—प्रैदिक वार्ता—पर की प्रामाणिकता—शब्दगिलत्तराद—शब्द और वर्त्त का सम्बन्ध]

अन्यात्मक और वर्णात्मक शब्द—

ओप्रमहार्णी योउर्य स शब्द

धोवेन्द्रिय का जो विषय होता है, यह 'शब्द' कहलाता है।

शब्द दो प्रकार के होते हैं—

(१) अन्यात्मक (Inarticulate)—जिसमें व्यस्त व्यनिमाप सुन पड़ती है, अस्तर स्फुटित नहीं होता। जैसे ढोल की आवाज़ ।

वर्णात्मक (Articulate)—जिसमें एठ तालु, आदि के संयोग से स्वर व्यञ्जनों का उच्चारण स्फुटित हो जाता है। जैसे, मनुष्य की आवाज़ ।

वर्णात्मक शब्द भी दो प्रकार के होते हैं—

(१) सार्थक—जिससे कुछ अर्थ विशेष का घोष हो। जैसे, घट, पट, गो इत्यादि ।

(२) निर्थक—जिससे कुछ अर्थ नहीं निकले। जैसे शिशु का उच्चारण, उम्, हुम् इत्यादि ।

शब्द का संकेत——साथक शब्द सहा, किया आदि के भेद से कई प्रकार के होते हैं। इन शब्दों में एक विशेष अर्थ प्रकाश करने की शक्ति रहती है। जैसे 'अहं' कहने से एक जन्मविशेष का घोष होता है। 'गमन' कहने से एक किया विशेष का घोष होता है। इस अर्थद्योतन शक्ति को 'संकेत' कहते हैं।

शब्द में शक्ति कहाँ से आती है ? इस प्रश्न पर न्याय और मीमांसा में मतभेद है। मीमांसकों के मतानुसार शब्द की शक्ति नैसर्गिक (natural) और नित्य है। नैत्यात्मक यह नहीं मानने। उनका कहना है कि शब्द और अर्थ में स्थानात्मक सम्बन्ध नहीं है, इच्छिता

५ शब्दों द्विविध अर्थात् वर्णात्मकत्र। तथायों सेरीमृद्ग्राही प्रसिद्ध। द्वितीय संस्कृतभाषा द्विस्त्र शब्दः।

सम्बन्ध (conventional) है। अर्थात् शब्द इच्छानिर्मित संकेत मात्र है। चाहे वह संकेत ईश्वरकर्तृक हो या मनुष्य कर्तृक।

नोट—शब्द के द्वारा जो पदार्थ इक्षित या सूचित होता है, वह 'वाक्य' कहलाता है। शब्द उस वस्तु का संकेत (symbol) मात्र है। इत्यादि वह 'वाचक' कहलाता है।

आजानिक और आधुनिक संकेत—संकेत दो प्रकार का माना गया है—

(१) आजानिक—अर्थात् जो संकेत अज्ञात काल से चला आता है। 'घट' शब्द से जो पाठ्यविशेष का घोथ होता है, वह हमारा आपका दिया हुआ नहीं है। यह अर्थ घट शब्द में किसने दिया यह नहीं मालूम। हम इतना ही जानते हैं कि 'घट' शब्द में इस अर्थविशेष को व्यजित करने का सामर्थ है। अर्थात् 'घट' शब्द में एक प्रसिद्ध शक्ति है। इस शक्ति को आजानिक कहते हैं।

(२) आधुनिक—अर्थात् जो संकेत किसी की इच्छा मात्र से दिया गया हो। जेसे, 'श्यामलाल' से आप एक व्यक्तिविशेष का अर्थ ग्रहण करते हैं। यह नाम उसके माता-पिता के इच्छानुसार दिया गया। यानी किसी मनुष्य ने अपने लड़के का संकेत 'श्यामलाल' शब्द से किया। श्यामलाल का यह अर्थ सामयिक है। किसी स्थान में कुछ लोगों ने कुछ समय के लिये यह संकेत मान लिया है। इसलिये यह आधुनिक संकेत कहलाता है।

नोट—आचार्यों ने आजानिक संकेत के लिये 'शक्ति' और आधुनिक संकेत के लिये परिभाषा नाम का व्यवहार किया है।

पद—शक्तिमान् शब्द को पद कहते हैं। जिस शब्द में एक अर्थविशेष घोतन करने की शक्ति रहती है वह पद कहलाता है।

यहाँ एक प्रश्न उठता है कि शब्द में किस अर्थ को प्रकाश करने की शक्ति है ? ।

(१) व्यक्ति विशेष (Individual) को ?

अथवा (२) जाति विशेष (Universal) को ?

अथवा (३) आकृति विशेष (Form) को ?

कुछ आचार्य इसको ईश्वरकर्तृक मानते हैं। तर्कसमग्रकार कहते हैं—“अस्मात् अथर्मर्थ षोडश” इति ईश्वरसंकेत शक्ति !” अर्थात् ‘प’ से जो घड़े का घोथ होता है, वह संकेत (नामी) ईश्वरप्रदत्त है। इसी का नाम शक्ति है।

व्यक्ति—व्यक्ति का अर्थ है यह वस्तु जो अपने गुणों के साथ व्यक्त अर्थात् प्रत्यक्ष हो सके।

“व्यक्तिगुणविरोपाधयोऽमूचिः ।”

(न्या० स० २३४८)

अर्थात् गुणों का आधारस्वरूप जो मूल्तिवान् द्रव्य है वही व्यक्ति है। जिरा द्रव्य में घट के विशिष्ट गुण मोजद हों, वह घट है। और प्रत्येक घट पृथक् पृथक् व्यक्ति है।

जाति—जाति का लक्षण है—

“समानप्रसवात्मिका जाति ।”

(न्या० स० २३४९)

अर्थात् भिन्न-भिन्न व्यक्तियों में रहते हुए भी जो पक-सी जानी जाय यह जाति है। ससार में घट असरय है, किन्तु उनकी जाति (घटत्व) एक ही है। समान जाति के कारण भिन्न भिन्न द्रव्य होते हुए भी सभी घडे एक ही नाम से पुकारे जाते हैं। ‘पट’ आदि वस्तुओं की जाति भिन्न है। अतएव वे घट वर्ग में नहीं आते।

आकृति—आकृति का छारा ही जाति पहचानी जाती है।

“आकृति जाति लिङ्गास्था ।”

(न्या० स० २३५०)

आकृति का अर्थ है स्वरूप अथवा अङ्गों की रचना। सींग, पूँछ, छुट, सिर और गर्दन आदि की शुकल से हम पहचान जाते हैं कि यह ‘गाय’ है। पेंदी, शिस्तार और मुँद की घनाघट से पहचान जाते हैं कि यह ‘धड़ा’ है।

अब प्रश्न यह है कि ‘गो’ पद से किस अर्थ का ओप्र होता है। ‘गाय’ नामधारी व्यक्तियों का। अथवा ‘गो’ की जाति का। अथवा गाय की आकृति का?

पद की शक्ति—अब ‘गो’ शब्द के भिन्न भिन्न प्रयोगों पर ध्यान दीजिये।

(क) गाय चरती है।

(ख) गायों का मुँद बैठा है।

(ग) गाय का दान कीजिये।

(घ) गाय को भूसा खिलाइये।

इन प्रयोगों को देखने से मालूम होता है कि गाय से ‘आकृति’ का अर्थ नहीं लिया गया है; क्योंकि गाय की आकृति तो नहीं चरती है। इसी तरह जाति का अर्थ भी सहृत नहीं होता। क्योंकि गोव जाति को तो भूसा नहीं खिलाया जा सकता। अतएव यह स्पष्ट है कि ‘गो’ शब्द व्यक्ति के अर्थ में प्रयुक्त होता है।

किन्तु ऐसा मानने से एक कठिनता आ पड़ती है। 'गो' पद से हम किस-किस व्यक्ति का प्रहण करें? और किस-किस व्यक्ति का ग्रहण न करें? यह कैसे जाना जा सकता है? सामने जो व्यक्ति (गाय या नीलगाय) है, वह गोपद वाच्य है या नहीं इसका निश्चय कैसे होता है? आकृति देख कर ही तो इसका निश्चय होता है। नीलगाय या हरिण की आकृति गाय की आकृति से मिन्न होती है। अतएव उसे 'गो' नहीं कहते। जिन व्यक्तियों में गाय की आकृति पाई जाती हैं उन्हें ही 'गो' कहते हैं। अतएव यह कहना पड़ेगा कि 'गो' पद से आकृति विशिष्ट व्यक्ति का ही प्रहण होता है।

किन्तु तो भी एक कठिनता रह जाती है। यदि मिट्टी की गाय बनाकर रख दी जाय (जिसकी आकृति हूँयूँ गाय की हो) तो 'गो' पद से उसका वोध नहीं होगा। "गाय को नहलाओ" "गाय को भूसा रिलाओ," आदि वार्ता कहने से उस मूर्ति (आकृति-विशिष्ट व्यक्ति) का प्रहण नहीं होगा। फ्योरि उमर्म गोत्व जाति नहीं है।

"व्यक्तिगतियुक्तप्रसङ्गात् प्रोक्षणादीना मृदगवके जाति ।"

—न्या० स० २१२४

अतएव सिद्ध है कि आकृति जाति विशिष्ट व्यक्ति का ही प्रहण 'गो' पद से हो सकता है। अर्थात् पद से व्यक्ति, आकृति और जाति इन तीनों का वोध होता है।

व्यक्तिगतिजातयस्तु पदार्थ ।

—न्या० स० २१२५

'गो' पद कहने से व्यक्ति विशेष का प्रहण होता है, आकृति विशेष की सूचना मिलती है, और जाति विशेष का निर्देश होता है। यही नैयायिकों का मत है।

अवयवार्थ और समुदायार्थ—पद का अर्थ किस पर निर्भर करता है? वर्णसमुदाय (अक्तरसमूह) पर अथवा धातुप्रकृति प्रत्ययादि के संयोग पर? दूसरे शब्दों में यों कहिये कि पद का अर्थ स्वाधीन है अथवा व्युत्पत्ति के अधीन! नैयायिकों का मत है कि दोनों प्रकार के पद होते हैं। कुछ पद ऐसे होते हैं, जिनम व्युत्पत्ति के अनुसार अथ होता है। जेसे पाचक। यहाँ पञ्च धातु (पक्काना) म अक् प्रत्यय (कर्त्तादूचक) लगने से 'पाचक' शब्द निष्पत्त हुआ है। अतएव इस शब्द की शक्ति धात्वर्थ और प्रत्ययार्थ इन दोनों अवयवों के अधीन है। इसको 'अवयवार्थ' कहते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अथ व्युत्पत्ति पर निर्भर नहीं करता। जेसे, गो। यहाँ गम् धातु (जाना) में डोस् (कर्त्ता-सूचक) प्रत्यय लगने से यह शब्द बना है। अतएव व्युत्पत्ति के अनुसार इसका अथ होगा गमनशील। किन्तु गमनशील तो बहुत से पदार्थ हैं। मनुष्य, घोड़ा, हाथी, सभी चलते हैं।

व्यक्ति—व्यक्ति का अर्थ है यह वस्तु जो अपने गुणों के साथ व्यक्त अर्थात् प्रत्यक्ष हो सके।

“व्यक्तिगुणविशेषाश्रयो मूर्तिः ।”

(न्या० स० २१३।४)

अर्थात् गुणों का आधारस्वरूप जो मूर्तिवान् द्रव्य है वही व्यक्ति है। जिस द्रव्य में घट के विशिष्ट गुण मौजूद हों, वह घट है। और प्रत्येक घट पृथक्-पृथक् व्यक्ति है।

जाति—जाति का लक्षण है—

“समानप्रस्थात्मिका जाति ।”

(न्या० स० २१३।६)

अर्थात् भिन्न भिन्न व्यक्तियों में रहते हुए भी जो एक सी जानी जाय वह जाति है। ससार में घट असल्य है, किन्तु उनकी जाति (घटत्व) एक ही है। समान जाति के कारण भिन्न-भिन्न द्रव्य होते हुए भी सभी घडे एक ही नाम से पुकारे जाते हैं। ‘पद’ आदि वस्तुओं की जाति भिन्न है। अतएव वे घट यर्ग म नहीं आते।

आहृति—आहृति को ढारा ही जानि पहचानी जाती है।

“आहृति जाति लिङ्गास्त्वा ।”

(न्या० स० २१३।८)

आहृति का अर्थ है स्पृहप्रयोग अथवा अङ्गों की रचना। सींग, पूँछ, हुर, सिर और गर्वन आदि की शक्ति से हम पहचान जाते हैं कि यह ‘गाय’ है। पैंदी, दिस्तार और मुँह की यनावट से पहचान जाते हैं कि यह ‘झड़ा’ है।

अब प्रश्न यह है कि ‘गो’ पद से किस अर्थ का बोध होता है। ‘गाय’ नामधारी व्यक्तियों का। अथवा नो की जाति का। अथवा गाय की आहृति का?

पद की शक्ति—अब ‘गो’ शब्द के भिन्न-भिन्न प्रयोगों पर ध्यान दीजिये।

(फ) गाय चरती है।

(ख) गायों का भुङ बैठा है।

(ग) गाय का दान कीजिये।

(घ) गाय को भूसा खिलाइये।

इन प्रयोगों को देखने से मातृूम होता है कि गाय से ‘आहृति’ का अर्थ नहीं लिया गया है, क्योंकि गाय की आहृति तो नहीं चरती है। इसी तरह जाति का अर्थ भी सङ्गत नहीं होता। क्योंकि गोत्व जाति को तो भूसा नहीं खिलाया जा सकता। अतएव यह स्पष्ट है कि ‘गो’ शब्द व्यक्ति के अर्थ में प्रयुक्त होता है।

किन्तु ऐसा मानने से एक कठिनता आ पड़ती है। 'गो' पद से हम किस-किस व्यक्ति का प्रहण करें? और किस-किस व्यक्ति का प्रहण न करें? यह केसे जाना जा सकता है? सामने जो व्यक्ति (गाय या नीलगाय) है, वह गोपद वाच्य है या नहीं इसका निश्चय कैसे होता है? आकृति देख कर ही तो इसका निश्चय होता है। नीलगाय या हरिण की आकृति गाय की आकृति से भिन्न होती है। अतएव उसे 'गो' नहीं कहते। जिन व्यक्तियों में गाय की आकृति पाई जाती है उन्हें ही 'गो' कहते हैं। अतएव यह कहना पड़ेगा कि 'गो' पद से आकृति विशिष्ट व्यक्ति का ही प्रहण होता है।

किन्तु तो भी एक कठिनता रह जाती है। यदि मिट्टी की गाय बनाकर रख दी जाय (जिसकी आकृति हृथृगाय की हो) तो 'गो' पद से उसका वोध नहीं होगा। "गाय को नहलाओ" "गाय को भूसा खिलाओ," आदि वाक्य कहने से उस मूर्चि (आकृति-विशिष्ट व्यक्ति) का प्रहण नहीं होगा। फ्योरि उसमें गोत्व जाति नहीं है।

"व्यक्त्याकृतियुक्तेऽप्यप्रसङ्गात् प्रोक्षणादीनां मृदग्यके जाति ।"

—न्या० सू० २।२।६१

अतएव सिद्ध है कि आकृति जाति विशिष्ट व्यक्ति का ही प्रहण 'गो' पद से हो सकता है। अर्थात् पद से व्यक्ति, आकृति और जाति इन तीनों का वोध होता है।

व्यक्त्याकृतिजातयस्तु पदार्थ ।

—न्या० सू० २।२।६३

'गो' पद कहने से व्यक्ति विशेष का प्रहण होता है, आकृति विशेष की सूचना मिलती है, और जाति विशेष का निदेश होता है। यही नैयायिकों का मत है।

अवयवार्थ और समुदायार्थ—पद का अर्थ किस पर निर्भर करता है? वर्णसमुदाय (श्रद्धारसमूह) पर अथवा धातुप्रकृति प्रत्ययादि के संयोग पर? दूसरे शब्दों में यों कहिये कि पद का अर्थ स्वाधीन है अथवा व्युत्पत्ति के अधीन। नैयायिकों का मत है कि दोनों प्रकार के पद होते हैं। कुछ पद ऐसे होते हैं, जिनमें व्युत्पत्ति के अनुसार अथ होता है। जैसे पाचक। यहाँ पच् धातु (पकाना) में अफ् प्रत्यय (कर्त्तासूचक) लगने से 'पाचक' शब्द निष्पत्त छुआ है। अतएव इस शब्द की शक्ति वात्वार्थ और प्रत्ययार्थ इन दोनों अवयवों के अधीन है। इसको 'अवयवार्थ' कहते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अथ व्युत्पत्ति पर निर्भर नहीं करता। जैसे, गो। यहाँ गम् धातु (जाना) में डोस् (कर्त्ता-सूचक) प्रत्यय लगने से यह शब्द थना है। अतएव व्युत्पत्ति के अनुसार इसका अथ होगा गमनशील। किन्तु गमनशील तो बहुत-से पदार्थ हैं। मनुष्य, घोड़ा, हाथी, सभी चलते हैं।

फिल्मु उन्हें तो हम 'गो' नहीं कहते। 'गो' कहन से एक खास पशु का घोष होता है। अतएव यहाँ 'गो' की शक्ति धात्यर्थ और प्रत्ययार्थ से स्वतन्त्र है। व्युत्पत्ति के साथ अय का सम्बन्ध नहीं है। कल ग् + ओ इन दो वर्णों के समुदाय पर ही अर्थ निर्भर करता है। ऐसे अर्थ को 'समुदायार्थ' कहते हैं।

पद के भेद—अवयवार्थ और समुदायार्थ के अनुसार पदों के निम्नलिखित भेद किये जाते हैं—(१) रूढ़ (२) योगिक और (३) योगरूढ़ ।

१. रूढ़—जिस पद की प्रत्यक्षि (प्रयोग) व्युत्पत्ति के अधीन नहीं, वह रूढ़ कहलाता है। जेंडे, घट, पट, जल, वृक्ष इत्यादि। इनका अर्थ धातु प्रत्ययादि अवयवों पर निर्भर नहीं करता। अर्थात् ये अवयवार्थ में प्रयुक्त नहीं होते। 'ध' 'ट' इन वर्णों के समुदाय म ही शक्ति है। इसलिये यह पद समुदायार्थ में प्रयुक्त होता है।

नोट—यहाँ एक मनोरजक शक्ति है। 'ध' और 'ट' ये दोनों शब्द निरर्थक हैं। केवल 'ध' कहने से कुछ अर्थ नहीं निकलता। तब 'ट' कहते हैं। किन्तु उसका भी कुछ अर्थ नहीं होता। अब ये दो निरर्थक शब्द पृथक् सार्थक पद की सहि कैसे कर सकते हैं? यदि यह कहिये कि दोनों के संयोग में शक्ति है तो यह शक्ति का उत्पन्न होती है कि दोनों में संयोग ही कैसे संभव है? अब 'ध' या तब 'ट' नहीं और जब 'ट' हुआ उपरात्रक 'ध' ही हुए हो गया। क्योंकि उपरात्रक होते ही शब्द विलीन हो जाता है। किर भाव और अभाव का संयोग कैसे ही सकता है?

वैशाकरण पद में स्फोट शक्ति की कहना करते हैं। उनका कहना है कि शक्ति वर्णों में नहीं, प्रथम अवश्य उपरात्रक समूह में रहती है। वर्णों का उपरात्रक उपरात्रक को अक्षर करता है, उपरात्रक नहीं। एই से पृथक् शब्द शब्दों में कुछ भी शक्ति नहीं रहती। 'ध' और 'ट' की भवनियों में शक्ति नहीं है। 'घट' का जो अवश्य शब्दात्मा है उसमें शक्ति है। इस शक्ति का नाम 'स्फोट' है। जिस प्रकार कई पृथक् स्वयं में प्रवित होकर ही मात्र उन सकते हैं, उसी प्रकार भिन्न भिन्न वर्ण पद स्फोट में समन्वित होकर ही अर्थ प्रकाश कर सकते हैं।

नेयादिकगण स्फोटवाद का आध्य नहा लते। उनका कहना है कि 'ध' और 'ट' इन दोनों वर्णों के ही समुदाय में शक्ति है। इनसे पृथक् कोई शब्दात्मा मानना व्यर्थ है। जब घट का अन्तम 'ट' उच्चरित होता है तब हमारे मन में पूर्ववर्ती वर्ण 'ध' का स्वकार भी स्मृति के द्वारा उन रहता है। इन दोनों के संयोग से ही विशेषार्थ घोतक शक्ति उत्पन्न होती है।

“तत्तद्वर्णं संस्कारतसहित चरमवर्णोपलभेन तद्वयञ्जक नेवोपपत्तिः ।”

— सिद्धान्तमुक्तवती

२ यौगिक—जिस पद की प्रतुति व्युत्पत्ति (प्रकृति प्रत्यय) के अनुसार होती है, उसे यौगिक कहते हैं। जैसे, दाता। यहाँ दा (देगा) धातु में रुच् (कर्ता सूचक) प्रत्यय लगाने से यह शब्द व्युत्पत्ति हुआ है। इस शब्द का अर्थ इन्हीं व्यवयवाँ (धातु और प्रत्यय) के अधीन है। अतएव यौगिक पदों का व्यवहार अवयवार्थ में होता है।

३ योगसूचृ—जिस पद का अर्थ कुछ तो अवयव पर निर्भर करे और कुछ समुदाय पर, उसे योगसूचृ कहते हैं। जैसे, पद्मज। इसका अवयवाय हुआ 'जो कीचड़ में उत्पन्न हो!' कमल कीचड़ में ही उत्पन्न होता है। अतएव यहाँ अवयवाँ (पक+ज) के साथ अर्थ का सम्बन्ध है। अतएव पकज यौगिक हुआ। किंतु साथ ही साथ यह भी देखने में आता है कि कीचड़ में और भी यहूत सी चीजें (जैसे, कुमुद, कम्फेर बगैरह) पैदा होती हैं। पर पंकज कहने से उक्का घोघ नहीं दोता। और यहूत से कमल पेसे भी होते हैं जो शुष्क स्थल में उगते हैं। ये स्थलपत्र पक में उत्पन्न नहीं होते तुए भी पकज शब्द से गृहीत होने हैं। अत 'पकज' पद में व्युत्पत्त्यथ से विशेष शक्ति (समुदायार्थ) ही है। अथात् यह रुद्र भी है। ऐसे पदों को योगदङ्क कहते हैं क्योंकि वे अशत यौगिक और अशतः रुद्र हैं। इनमें अवयवार्थ और समुदायार्थ दोनों का समन्वय रहता है।

वाक्य—पदों के समूह का नाम 'वाक्य' है।

"वाक्य पदसमूहः"

वाक्य से जो अर्थ निकलता है उसे 'शाब्दबोध' अथवा वाक्यार्थव्याख्या (Verbal Cognition) कहते हैं। शाब्दबोध के लिये प्राचीन आचार्य तीन वस्तुओं की अपेक्षा मानते हैं—(१) आकृत्या, (२) योग्यता, (३) सत्तिः या आसत्ति।

१. आकृत्या—

वाक्य में पक पद को दूसरे पद की अपेक्षा रहती है।

"गाय चरती है।"

यहाँ 'गाय' उद्देश्य (Subject) है और 'चरती है' विधेय (Predicate)। फेल 'गाय' इतना कहने से वाक्यार्थ का घोघ नहीं होता। इसी तरह केवल 'चरती है' इतना कहने से शाब्दबोध की प्रतीति नहीं होती। जब दोनों का (उद्देश्य विधेय ए) परस्पर अन्वय होता है तब अर्थ निकलता है। इसी तरह 'फेल खीर खाता है' यहाँ कर्तृपद (केशव) कर्मपद (खीर) और क्रियापद (खाता है), इनमें प्रत्येक पद पक दूसरे की अपेक्षा रहता है।

फेल—पक्षा करता है? खाता है।

खाता है—कौन? केशव।

केशव-खाता है—फला चीज—सीर।

इसी अपेक्षा का नाम है 'आकाशा'।

फेल पदों के समूह से ही शाब्दयोध नहीं हो सकता। यदि इम कहें कि—

गाय-केराव खीर तो इनसे अर्थ नहीं निकलता। फर्माकि इन पदों में 'आकाशा' नहीं है। आकाशित (परस्परापेक्षी) पदों से ही वास्तवार्थान होता है।

तर्कसंग्रहकार ने आकाशा की परिभाषा यों की है—

"पदस्य पदात्मव्यतिरेक प्रयुक्तान्वयाननुभावकत्वम् आकाशा।"

अर्थात् एक पद दूसरे पद के सहारे पूर्णांध्र प्रकट करता है। अपने साथी पद के व्यतिरेक (विरह) में वह अर्थ प्रकाशन नहीं कर सकता। पदों की यह जो परस्परापेक्षा है उसी का नाम आकाशा है।*

२. आसत्ति—साकाश पदों में सामीप्य (Juxtaposition) रहना भी आवश्यक है। यदि 'केशव' 'खीर' और 'खाता है' इन पदों के उचारण में एक एक धृते की देते हों, तो कुछ अर्थ समझ में नहीं आ सकता। इसलिये पदों का विना विलम्ब किये प्रयोग होना चाहिये। पदों की इस निफट-चिंतित का नाम 'आसत्ति' वा 'सञ्चिधि' है।

"पदानामविलम्बेनोचारण सञ्चिधि!"

— तर्कसंग्रह

वाक्यार्थ वोध के लिये पदों का धारावाहिक रूप से प्रयोग होना चाहिये। उनके बीच में कुछ व्यवधान (अन्तर) नहीं रहना चाहिये। यदि 'गाय चरती है' इन पदों के धीर बीच में दूसरे-दूसरे पद सन्निपित्त कर दिये जायें, जैसे, 'गाय केराव चरती खीर है खाता है' तो शाब्दयोध नहीं होगा। इसलिये जिन पदों का आपस में अन्वय है, उनको अव्यवहित रूप से सन्नाद रहना चाहिये। यही अव्यवहित सन्निधि वा आसत्ति शाब्दयोध का कारण है।

"यत्पदार्थस्य यत्पदार्थेनान्वयोऽपेक्षित तयोरव्यवधानेनोपस्थिति कारणम्।"

—सिदान्तमुक्तवली

३. योग्यता—आकाशा और आसत्ति रहते हुए भी यदि पदों में सामज्ञस्य नहा है तो शाब्दयोध नहीं होगा। जैसे,

"अग्नि से वृक्ष को सींचो।"

* "यत्पदेन विना यस्याननुभावकता भवेत्।

आकाशा, (वकुरिङ्गा तु तात्पर्य परिकीर्तिम्)।"

—मायापरिच्छेद

यहाँ करणपद (आग) और कियापद (सर्वचना) में सामझस्थ नहीं है। अर्थात् दोनों की शक्तियाँ परस्पर विवृद्ध है। सर्वचने का अर्थ है जलकणों से अभिप्रिक फरना। इसलिये अग्नि से सर्वचना असंभव है। अतपव यहाँ यामय का अर्थ याधित हो जाता है, यानी कट जाता है। शाद्वयोध के लिये यह आवश्यक है कि परस्परान्वयी पदों में विरोधभाव नहीं हो। प्रयुक्त पदों के अर्थ एक दूसरे से याधित नहीं हों। इसी का नाम 'योग्यता' है।

“अर्थांश्चो योग्यता”

—तत्त्वसम्पद

दूसरे शब्दों में यों कहिये कि जिन पदों के मिलाने से अर्थ की ठीक सन्तुति बैठे, उनमें योग्यता समझनी चाहिये। इसके विपरीत जिन पदों के मिलाने से अर्थ में अनगतता आ जाय वहाँ अयोग्यता समझनी चाहिये। सर्वचने की योग्यता जल म है ॥ अग्नि में नहीं। इसलिये ‘आग से सर्वचो’ इस वाक्य में अयोग्यता दोष है और अतः शाद्वयोध की उपलब्धि नहीं होती।

तात्पर्य—नवीन नेयायिक शाद्वयोध के लिये ‘तात्पर्य ज्ञान’ भी आवश्यक समझते हैं। तात्पर्य का अर्थ है यत्का का अभिप्रय। परन्तु ही शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। उनमें यक्का ने किस अर्थ में प्रयोग किया है यह देखना चाहिये। प्रकरण देख कर ही विवक्षा (यक्का की इच्छा) का निश्चय किया जाता है। इसलिये जैसा प्रसङ्ग हो वैसा ही अर्थ लगाना चाहिये। मान लीजिये, भोजन करने के समय किसीने कहा—

“ते घउभानय”

अर्थात् सैधव लाओ। अब सैन्धव शाद के दो अर्थ होते हैं—(१) नमक और (२) घोड़ा। भोजन के समय नमक का प्रयोजन होता है, घोड़े का नहीं। इसलिये यहाँ सैधव एवं दोनों का अर्थ अभिप्रेत है। परंसे अभिप्रेत का विधिति अर्थ को समझना ही तात्पर्यज्ञान कहलाता है।

नोट—कुछ लोगों का मत है कि शाद्वयोध के लिये सर्वथा तात्पर्यज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। जहाँ अनेकार्थक पदों का प्रयोग रहता है, वहाँ तात्पर्य निश्चय का प्रयोजन पड़ता है। कुछ नैयायिक तात्पर्य को आकौश के भीतर ही अनुभुक्त कर लेते हैं।

* “पदार्थे तत्र तद्वत्ता योग्यता परिकीर्तिता ।”

—माधवरिच्छेद

अभिधा और लक्षणा—

न्याय के आचार्यों न शब्द की दो वृत्तियाँ * मानी हैं—(१) अभिधा (२) लक्षणा ।

शब्द की जो सुर्य वृत्ति होती है वह 'अभिधा' कहलाती है । व्याकरण, कोष, आदि के द्वारा इसका ज्ञान होता है । + 'गो' पद से जो गोत्य जाति पिशिए व्यक्ति (गाय) का वोथ होता है वही इस पद का 'अभिधार्थ' अथवा 'वाच्यार्थ' है ।

किंतु कहीं कहीं पद का शान्दिक अर्थ नहीं लकट लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है । जैसे,

“वह आदमी बिल्कुल गाय है ।”

यहाँ गाय का अर्थ है 'सीधा' । गाय सीधी होती है, इसी लक्षण को ध्यान में रख कर 'गाय' शब्द का प्रयोग किया गया है । इसलिये यहाँ गाय का वाच्यार्थ नहीं लेकर 'लक्षणार्थ' ग्रहण करना चाहिये । शब्द की यह जो गौण वृत्ति है वह 'लक्षणा' कहलाती है ।

लक्षणा दो प्रकार की होती है—(१) जहलक्षणा और (२) अजहलक्षणा ।

जहलक्षणा—जहाँ पद का प्रकृत अर्थ बदल जाता है, यहाँ जहलक्षणा जानना चाहिये । जैसे,

“लाल पगड़ी को चुलाओ ।”

यहाँ 'लाल पगड़ी' का अपना अर्थ बदल कर 'लाल पगड़ी वाला' यह अर्थ हो जाता है । इसी तरह,

“वह गाँव गगाजी पर है ।”

यहाँ गगाजी से 'नदी' का अर्थ छूट जाता है और उसमें 'तट' का अर्थ आरोपित हो जाता है । ये जहलक्षणा के उदाहरण हैं ।

अजहलक्षणा—जहाँ पद का प्रकृत अर्थ नहीं छूटता (किंतु तो भी केवल साधारण वाच्यार्थ नहीं लिया जाता) यहाँ अजहलक्षणा जानना चाहिये । जैसे,

“काकेम्बृ दधि रक्षताम्”

“ददी को कौओं से घचाना ।”

* साहिप में तान वृत्तियाँ मानी जाती हैं—(१) अभिधा (२) लक्षणा और (३) व्यज्ञना । किंतु नैयायिक व्यज्ञना को अनुमान के अन्तर्गत कर लेते हैं ।

+ “शक्तिप्रद व्याकरणोपामाम कोपाभ्यास्याद्युपारतम् ।

वाक्यस्प दोषाद्वितीयद्विति साक्षिण्यत सिद्धरवस्य पूढ़ा ।”

यह कहने का मतलब यह नहीं है कि केवल कौप से दही को बचाना और चीत, वाज आदि पश्चिमों को दही खाने देना। यहाँ वक्ता का लक्ष्य सभी दधिभक्षक जनुआँ (विडाल पक्षी आदि) से है। केवल निर्देश कौप का किया गया है। इसलिये 'कौआ' शब्द अपना अभियेयार्थ रखते हुए भी लाक्षणिक रूप में प्रयुक्त हुआ है। यह अजहल वक्षणा का उदाहरण हुआ।

शब्दप्रमाण—न्यायशास्त्र में शब्द को स्पतन्त्र प्रमाण माना गया है। शास्त्र पुराण इतिहास आदि के विश्वसनीय वचनों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह न तो प्रत्यक्ष के अन्तर्गत आता है न अनुमान के। अतएव उसे पृथक् फोटि में रखा जाता है।

सभी तरह के शब्द प्रमाण-फोटि में नहीं लिये जा सकते। गौतम कहते हैं—
“आत्मोपदेश शब्द”

(न्या सू. १११०)

अर्थात् आत्मकि का उपदेश ही शब्द प्रमाण माना जा सकता है।

उपर्युक्त सूत्र का भाव्य करते हुए वात्स्यायन कहते हैं—

“आत्म सत्तु साक्षात्कृतधर्म। यथा दृष्टस्यार्थस्य चिरप्राप्यिष्या प्रयुक्त उपदेश। साक्षात्करणमर्थस्याति। तथा प्रवर्तते इत्यात्म। अष्टपार्यम्लेच्छानां समान लक्षणम् ।”

अर्थात् अपने प्रत्यक्ष अनुभव से किसी विषय की जो जानकारी प्राप्त होती है उसे 'आत्म' कहते हैं। अतएव आत्मव्यक्ति का अथ हुआ वह न्यकि जिसने उक पदार्थ का स्वयं साक्षात्कार किया हो। वह व्यक्ति औरौं के उपकारार्थ जो ह्यातुभग्सिद्ध यात कहता है वह माननीय है। आत्म व्यक्ति वही है जो विषय का ज्ञाता और विश्वसनीय हो, चाहे वह म्लेच्छ ही क्यों न हो।

अनन्त भट्ठ कहते हैं—

“आत्मस्तु यथार्थ वक्ता ।”

अर्थात् जो यथार्थ यात (जेसा देखा या सुना है) घोलने वाला है उसी को 'आत्म' समझना चाहिये। उसका वचन ग्रामाणिक होता है।

दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ शब्द—शब्द प्रमाण दो प्रकार का माना गया है—

(१) दृष्टार्थ आर (२) अदृष्टार्थ। जिसका अथ इस लोक में प्रत्यक्ष दीक्ष पड़ता है उसको दृष्टार्थ कहते हैं। जैसे ज्योति शास्त्रोंके ग्रहणविषयक वचन की यथायता प्रत्यक्ष देखने में आती है। इसी तरह आयुर्वेद के वचन का अर्थ प्रत्यक्ष सिद्ध होता है। इसे दृष्टार्थ अथवा लौकिक वाक्य कहते हैं।

जिसका अर्थ पेहलीकिक विषय से नहीं, किन्तु पारलौकिक विषय से सम्बन्ध रखता है, उसको 'अदृष्टार्थ' कहते हैं। वैदिक वाक्यों का अर्थ लौकिक प्रत्यक्ष के द्वारा सिद्ध नहीं होता। उन्हें अदृष्टार्थ कहते हैं।

गौतम धा पहना है कि जिन आत अद्वितीयों न दृष्टार्थ यात्रा करें हैं उर्हीने श्रद्धार्थ यात्रा भी करें हैं। जर दृम एक को सत्य मानते हैं तब फिर दूसरे को भी सत्य क्यों नहीं मानें? जिस तरह मन्त्रशास्त्र और आत्मविद् के वचन यथार्थ हैं, उसी प्रकार वेदोंके वचन भी यथार्थ होंगे, क्योंकि सभी आर्य वचनों का उद्गमस्थान तो एक ही है।

“मन्त्रायुर्वेदप्राप्तायवद्य तत्प्राप्तायमात्रप्राप्तायात् ।”

(न्या सं २॥१८)

जिस प्रकार हाड़ी का एक चावल देलन से मालूम हो जाता है कि उसमें सभी चावल सिद्ध हो गये हैं, उसी प्रकार (स्थालीपुलाकन्याय से) हुव आत यात्रीयों की सत्यता प्रत्यक्ष दखन से शेष यात्रीयों की सत्यता का भी अनुमान होता है।

वैदिकवाक्य—वैदिक (अदृष्टार्थ) याक्य तीन प्रकार के देखन में आते हैं—

(१) निषिवाक्य—अर्थात् आदासूक्ष्म याक्य या आदेश। जैसे, ‘अग्निहोत्र जृहयात् स्वर्गकाम’ [स्वयं चाहन्तराता अग्निहोत्र (होम) फर] ।

(२) अर्थवाद—अर्थात् वर्णात्मक याक्य। यह चार प्रकार का होता है—

(क) सुतिवाक्य—जो विद्वित कर्म का इष्टफल घतला कर उसकी प्रसंसा करता है। जैसे, “अमुकयह करने से देयताओंने जय प्राप्त की।” फल की प्रसंसा सुनने से कर्म में प्रवृत्ति होती है।

(ख) निन्दावाक्य—जो निषिद्ध कर्म का अनिष्ट फल घतला कर उसकी निन्दा करता है। जैसे, “यह यश नहीं करने से मनुष्य नरकगामी होता है।” निन्दा सुनने से निवृत्ति होती है।

(ग) प्रकृतिवाक्य—जो मनुष्यहन कर्मों में परस्पर विरोध दिखलाता है। जैसे, “कोई कोई इस प्रकार आहुति करने हैं और कोई उस प्रकार।”

(घ) पुराकल्पवाक्य—जो ऐतिहासिक घटनाएँ प्रचलित विधि घतलाती है। जैसे, “मृणुनुजि ऐसा ही करते आये हैं; हम भी ऐसा ही करें।”

(३) अनुग्राद—अर्थात् अनुयवन याक्य (यानी जो बात कही गई है उसको दुहराना) यह दो प्रकार का होता है—

(क) अर्थानुग्राद और (ख) राज्ञानुग्राद ।

अनुग्राद केवल पुनरुक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ विशेष अभिप्राय से पुनर्वचन किया जाता है। अतएव यह निरर्थक नहीं है। वैदिक यात्रीयों की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में जो शक्ति की जाती है, उनका गौतम ने कई सूत्रों के द्वाय समाधान किया है। वेद की प्रामाण्यता पर निम्नलिखित आपत्तियाँ का जा सकती हैं—

(१) वैदिक वचनों का फल प्रत्यक्ष देखने में नहीं आता। पुरेषि यश करने पर भी पुनोत्पत्ति नहीं होती। तब वैद्यात्म को सत्य कैसे माना जाय?

(२) वेदिक धार्मों में परस्पर विरोध भी देखने में आता है। जैसे, कहीं लिखा है कि सूर्योदय से पूर्व होम करना चाहिये और कहीं लिखा है कि सूर्योदय के पश्चात्। यह वदतोव्याधात् नामक दोष है। दोनों धार्म सत्य नहीं हो सकते। अतएव एक को मिथ्या मानना ही पड़ेगा।

(३) वेदिक श्रुत्याओं में वारवार निरर्थक पुनरुक्ति देखने में आती है।

इन आदेषों का निराकरण करने के लिये गीतम ने क्रमशः तीन सूत्र कहे हैं—

(१) न कर्मकर्त्तुसाधनवैगुण्यात्।

(२) अभ्युपेत्य कालमेदे दोषवचनात्।

(३) अनुवादोपचेष्ठ।

अर्थात्

(१) वेदोक्त यज्ञ करने से जब फलोत्पत्ति नहीं होती तब उसका कारण यह है कि या तो यज्ञकर्त्ता यज्ञ का यथार्थ अधिकारी (शुद्धाचरणयुक्त पात्र) नहीं रहता अथवा यज्ञ शुद्ध वेदिक प्रक्रिया के अनुसार नहीं हो पाता अथवा मन्त्रों का उच्चारण शुद्ध स्वर में नहीं होता।

(२) वैदिक धार्मों में वदतोव्याधात् दोष नहीं है। हाँ, जनसुविधार्य वैकल्पिक नियम बतलाये गये हैं। इनमें से जिस नियम का पालन किया जाय उसका भूम्भ नहीं होना चाहिये।

(३) अनुवाद में जो पुनर्वचन किया जाता है उसे व्यर्थ पुनरुक्त नहीं समझना चाहिये। क्योंकि उसका अभिप्राय आशुकारिता है। “जाश्रो जाश्रो” दो बार कहने से घोष होता है कि ‘तुरत चले जाश्रो’। अतएव यह द्विरुक्ति निरर्थक नहीं है।

वेद की प्रामाणिकता—न्याय ग्रेशिक के सभी आचार्यों का यही मत है कि वेद आसवाक्य होने से प्रामाणिक है। उद्यनाचार्य और अन्नम् भट्ट प्रभृति वेद को ईश्वरप्रणीत कहते हैं। मीमांसकगण वेद को अपीरुपेय मानते हैं। उनका कहना है कि वेद नित्य है, उसका कर्ता कोई नहीं है। श्रुतिमुनि मन्त्रों के रचयिता नहीं, केवल ‘मन्त्रार्थदृष्टा’ थे। उद्यनाचार्य ने इस मत का सहारन किया है। उन्होंने “तस्मात् यज्ञात् सर्वहुत ऋष्टच सामानि जज्ञिरे” आदि वेदिक मन्त्रों का हवाला देकर दिखलाया है कि ये निर्मित हैं, अनादि नहीं। वेदों की उत्पत्ति ईश्वर से है। अतएव वे अकतृक नहीं माने जा सकते।

शब्दानित्यत्वाद्—इसी प्रसङ्ग में नैयायिकों का शब्दविपयक अनित्यत्वाद् भी समझ लेना अच्छा होगा।

शब्द नित्य हे या अनित्य ? इस प्रश्न को लेकर न्याय और मीमांसा में एवं ही भगड़ा है। मीमांसकों का कहना है कि शब्द नित्य है। जो 'क' आप आज सुनते हैं वही शब्द अनादि काल से आकाश में वर्तमान है। उसकी त कभी उत्पत्ति होती है, न कभी विनाश होता है। ही, आवरण (व्यवधान) के कारण आप उसे सर्वदा नहीं सुन पाते। जब बीच का आवरण हट जाता है, तब आपको वह श्रुतिगोचर होता है। अतएव शब्द की अभिव्यक्ति होती है, उत्पत्ति नहीं। न्याय इस घात का खण्डन करता है। मौतम ने यह सूत्रों^५ के द्वारा इसका खण्डन किया है। नैयायिकों का कहना है कि शब्द का आदि (उत्पत्ति) और अन्त (विनाश) दोनों होता है। 'शकार' 'फकार' आदि कहने ही से योग होता है कि ये शब्द किया (कर) के द्वारा उत्पन्न किये गये हैं। यदि ये अनादि होते तो निया के पूर्व मी प्रत्यक्ष रहते। किन्तु सो तो नहीं है। जब हम घटी को द्वाय से हुलाते हैं तभी शब्द सुनाई पड़ता है। दोल जब तक पीटा नहीं जाता तब तक आपाज पैदा नहीं करता। इससे सिद्ध होता है कि दो वस्तुओं का सयोग होने पर ही शब्द की उत्पत्ति होती है, अन्यथा नहीं। अतएव शब्द सयोगज होने से सादि है और इसलिये नित्य नहीं माना जा सकता।

न्याय के अनुसार शब्द केवल सादि ही नहीं, सात भी है। अर्थात् उसका अन्त भी होता है। यदि शब्द का विनाश नहीं होता तब वह सर्वदा सुनाई पड़ता रहता। किन्तु ऐसा तो नहीं होता। इसलिये शब्द अविनाशी अथवा नित्य नहीं माना जा सकता।

जैमिनि का तक हे कि शब्द का विनाशक कारण तो कुछ देखने में ही नहीं आता। तब उसका विनाश कैसे संभव है ? इसके उत्तर में मौतम कहते हैं कि शब्द का विनाशक कारण प्रत्यक्ष देखने में नहीं आता। किन्तु अनुमान के द्वारा जाना जा सकता है। वात्स्यायन इसको यो समझते हैं। मान लीजिये, दो पदार्थों के टकराने से आकाश में कोई शब्द हुआ। वह शब्द दूसरा शब्द उत्पन्न करता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, इसी प्रकार लगातार शब्दों का प्रयाह (शब्द सन्तान) तरङ्ग के समान जारी हो जाता है। इस तार में प्रत्येक पहला शब्द कारण हो सकता है और उसका पिछला शब्द कार्य शब्द होता है। कार्य शब्द की उत्पत्ति होने से कारण शब्द का अन्त हो जाता है। कलार (Series) का सबसे पिछला शब्द (अन्तिम कार्य शब्द) जब कोई प्रतिवन्धक (रुक्षावट, जैसे दीवाल की आड़) पाता तब तार टूट जाता है। क्योंकि आकाश में व्यवधान हो जाने से दूसरा शब्द नहीं बन सकता।

* देखिये, न्यायसूत्र, द्वितीय अध्याय, द्वितीय आधिक, सूत्र १३ से ३८ तक।

इस प्रकार शब्द का प्रागभाव और पश्चादभाव दिखताते हुए नेयायिकगण शब्द को अनित्य सिद्ध करते हैं। न्याय के अनुसार शब्द की उत्पत्ति होती है, अभिव्यक्ति नहीं। पर्योक्ति अभिव्यक्ति उस वस्तु की होती है जो पदले से ही वर्तमान थी किन्तु आवरण के कारण प्रकट नहीं दियाई फड़ती थी। आवरण के हटते ही निहित वस्तु व्यक्त हो जाती है। जैसे, अंधेरे में घर की चीज़ें दिखलाई नहीं पड़तीं। वे अन्धमार के आवरण से ढकी रहती हैं। किन्तु दिया जलते ही अन्धमार का आवरण हट जाता है और वे चीज़ें साफ-साफ दिखलाई देने लगती हैं।

यदि शब्द की सत्ता नित्य है तो यह शाश्वत क्यों नहीं यना रहता? यदि यह कहिये कि यह अव्यक्त रूप से वर्तमान है तो फिर हमारे उसके बीच में आवरण क्या है, जिसके कारण यह व्यक्त नहीं हो पाता? शब्द का आथय आकाश तो सर्वन्यापी है। यही आकाश हमारे काष्ठुदर में भी है। यदि शब्द नित्य होता तो वरापर सुनाई देता रहता। फिर पेसा क्यों नहीं होता है? यदि यह कहा जाय कि कठिन पदार्थों का व्यवधान होने से आकाशगत शब्द की अनुभूति नहीं होती है तो यह भी ठीक नहीं। क्योंकि शून्य आकाश में, विद्युत उन्मुक्त स्थान में, तो कुछ आवरण नहीं रहता। फिर यहाँ प्रिया उचारण के शब्द की अभिव्यक्ति क्यों नहीं होती?

अतएव सिद्ध है कि शब्द उत्पन्न होने पर ही सुनाई देता है। उचारण से पूर्व तो उसका अस्तित्व ही नहीं था। फिर उसकी अभिव्यक्ति कैसे हो सकती है? जब देवदत्त का जन्म ही नहीं हुआ था तब चिराग जलाने पर भी वह कहाँ दियाई देता? इस प्रकार नैयायिकगण शब्द को अनित्य प्रमाणित करते हैं।

शब्द और अर्थ का सम्बन्ध—हुक्म दर्शन (बौद्ध, जैन, वैशेषिक) शब्द को अनुमान के अत्तर्गत ही समझते हैं। अनुमान में प्रत्यक्ष लिंग (चिह्न) से परोक्ष लिंगी का ज्ञान प्राप्त होता है। धूम को देवकर अग्नि का निश्चय करते हैं। यहाँ प्रत्यक्ष हेतु से अज्ञात साध्य की उपलब्धि होती है। इसी प्रकार शान्दिक ज्ञान में भी लिंग के द्वारा लिंगी की उत्पत्ति होती है। वाचक शब्द लिंग है और वाच्य पदार्थ लिंगी है। हम लिंग (शब्द) के द्वारा लिंगी (अर्थ) का निश्चय करते हैं। यहाँ भी प्रत्यक्ष हेतु (शब्द) से अप्रत्यक्ष साध्य (अर्थ) की उपलब्धि होती है। तब फिर शब्द को अनुमान से भिन्न क्यों माना जाय।

इसके उत्तर में गौतम पहले ही कि जिस प्रकार धूम अग्नि का निश्चायक लिंग है, उस प्रकार 'सर्ग' शब्द सर्ग पदार्थ का निश्चायक लिंग नहीं है। धूम और अग्नि

में व्याप्ति सम्बन्ध है। किन्तु घाचक शब्द और वाच्य पदार्थ में व्याप्ति सम्बन्ध नहीं है। यदि दोनों में ऐसा सम्बन्ध होता तो 'अन्न' शब्द का उच्चारण करते ही मुख में अश्व भर जाता। 'अग्नि' कहने से ही जलन होने लगती। और 'तलवार' बोलने से ही शरीर कट जाता। किन्तु ऐसा तो नहीं होता। इसलिये सिद्ध है कि शब्द म अर्थ का व्याप्ति सम्बन्ध नहीं है।

“पूरणप्रदाह पाटनानुपलब्धेश सम्बन्धाभावः”

(न्या० स० २१।।४३)

यदि कहिये कि पदार्थ में शब्द की व्याप्ति है तो सो भी ठीक नहीं। क्योंकि घट शब्द के व्यतिरेक में भी घट पदार्थ रहता है। यदि यह कहिये कि शब्द में पदार्थ की व्याप्ति है तो सो भी ठीक नहीं। क्योंकि घट पदार्थ के अभाव म भी घट शब्द का व्यप्रहार (घटो नास्ति) होता है। अतएव यह सिद्ध है कि शब्द और अर्थ व्याप्तिसूत्र से सम्बद्ध नहीं हैं।

यहाँ एक शका उठती है। यज शब्द और अथ में विषिष्ट सम्बन्ध नहीं है तब फिर सभी भी पदार्थों का ग्रहण क्यों नहीं होता ? 'घट' कहने से केवल घड़े का घोघ क्यों होता है ? 'पट', 'दधि' आदि घस्तुआं का घोघ क्यों नहीं होता ?

इसके समाधान में गोतम कहते हैं कि शब्द और अर्थ का जो सम्बन्ध है वह स्वाभाविक (natural) नहीं, किन्तु 'सामयिक' (Conventional) है। लोगों ने मान लिया है कि अमुक घस्तु के लिये अमुक शब्द का प्रयोग किया जाय। अत शब्द और अर्थ का सम्बन्ध 'पैदिक्यक' है, 'नीसर्गिक' नहीं।

दीप और प्रकाश में नीसर्गिक सम्बन्ध है। हम चाहें या नहीं, दीप से प्रकाश होगा ही और सबको एक समान दिखलाई पड़ेगा। दीप का प्रकाश हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करता। किन्तु शब्द से जो अथ प्रकाश होता है वह इच्छा प्रसूत है। अर्थात् लोगों ने अपनी इच्छा से एक घस्तु का नाम 'घट' रख दिया और उस शब्द से वही घस्तु समझी जाने लगी। इसके अतिरिक्त समय-समय पर लोग अपनी इच्छा के अनुसार मिन्न-भिन्न अर्थों में शब्द का प्रयोग करते हैं। यदि शब्द और अर्थ म स्वाभाविक सम्बन्ध रहता तो ऐसा नहीं होता। इसलिये शब्द और अर्थ का जो सम्बन्ध (व्यवस्थित सम्बन्ध) है, वह सामयिक सम्बन्ध है व्याप्ति सम्बन्ध नहीं।

“न । सामयिकत्वाच्छब्दार्थं संप्रत्ययस्य ।”

(न्या० स० २१।।४४)

अतएव व्याप्ति सम्बन्ध का गमाव होते ने शाद अतुमान के अन्तगत नहीं आ सकता। स्वर्ण आदि शब्दों से जिन पदार्थों की प्रतीति होती है, वह व्याप्ति के फारण नहीं, किन्तु इसलिये कि वे आप व्यक्ति (सत्यवता) के द्वारा वतलाये गये हैं। अतएव शानोत्पादन का सामर्थ्य केवल शब्द में नहीं है, किन्तु यक्ष की आसता में है।

“शप्तोपदेश सामर्थ्यच्छब्दादर्थ सप्रत्यय।”

(न्या० ए० २।।।२)

इस प्रकार शाद की प्रमाणान्तरता सिद्ध होती है।

प्रमेय

[प्रमेय वा अर्थ—द्वादशविधि प्रमेय—गौतम—इन्द्रिय—अर्थ—चुदि—शुद्धि—दोष—प्रेतभाव—कर—दुःख—प्रसवण]

प्रमेय का अर्थ—जो प्रसा वा ज्ञान वा विषय (object of knowledge) हो, वह 'प्रमेप' कहलाता है।

प्रमाणिपद्धति प्रमेयतत्त्वम्

इस प्रकार 'धट' 'पट' आदि सभी पदार्थ प्रमेय हैं।

वात्स्यायन कहते हैं—

योऽर्थं तत्त्वं प्रमीयते तत्प्रमेयम्

अर्थात् जिस घट्टु का तत्त्व जाना जाय, वही प्रमेय है।

द्वादशविधि प्रमेय—गौतम निम्नलिखित यारद प्रकार के प्रमेय घललते—

“आत्मशरीरेऽन्द्रियार्थं चुदिमनः प्रवृचिदोपप्रेत्यभावफलं हु साप्तशर्ण ॥”

(न्या० सू० १११६)

- (१) आत्मा (Soul)
- (२) शरीर (Body)
- (३) इन्द्रिय (Sense-organ)
- (४) अर्थ (Sense object)
- (५) चुदि (Knowledge)
- (६) मन (Mind)
- (७) प्रवृत्ति (Effort)
- (८) दोष (Spring of Action)

(९) प्रेतभाव (Post mortem existence)

(१०) फल (Fruit of Action)

(११) दुःख (Misery)

(१२) अपवर्ग (Liberation)

उपर्युक्त द्वादश प्रमेयों में आत्मा और मन का वर्णन कुछ अधिक विस्तार से आगे किया जायगा। यहाँ अवशिष्ट प्रमेयों का सक्षिप्त परिचय दिया जाता है।

शरीर—शरीर का अर्थ है

रीर्णते (प्रतिक्षणम्) इति शरीरम् ।

जो अनुकूल व्ययमाण हो, उसी का नाम 'शरीर' है। शरीर ही सकल चेष्टाओं का आधार, सभी इन्द्रियों का आधार-स्थल और समस्त विषय भोगों का केन्द्रविन्दु है। अत गौतम का स्वर है।

चेष्टेद्विद्यार्थश्रिय शरीरम्

—न्या० स० ॥॥॥

वात्स्यायन कहते हैं—

आत्मनो भोगायतन शरीरम् ।

शरीर ही आत्मा के भोग का आयतन या आधार है। चिना शरीर के आत्मा को विषयोपभोग नहीं हो सकता। इसलिये शरीर 'भोगायतन' कहा जाता है। †

शरीर दो प्रकार का माना गया है—(१) योनिज श्रीर (२) अयोनिज। शुकशोणित के सयोग से उत्पन्न शरीर 'योनिज' श्रीर उससे भिन्न शरीर 'अयोनिज' कहलाता है। ‡
यशु रक्षी मनुष्यादि के शरीर योनिज, श्रीर तैजस, वायव्य आदि शरीर अयोनिज हैं

पार्थिव शरीर चार तरह के होते हैं—

देहश्वतुविधो जातोऽनेय उत्पत्तिभेदत

उद्भिज्ज स्वेदजोऽरडोत्थश्वर्तुर्थश्च जरायुज ।

—योगार्थ

(१) उद्भिज्ज शरीर— यह है जो भूमि को फाइर निकलता है। यथा तुणगुल्मादि।

(२) स्वेदज शरीर— जो स्वेद (गर्मी) से उत्पन्न होता है। यथा कुमिकीटादि।

† यदवच्छिन्नाभ्यनि भोगो जायते तद्भोगायतनमित्यर्थ ।

—तत्कृदीपिका

‡ शुकशोणितसन्निषावज्ञय योनिर्मम् । अयोनिजव शुकशोणितसन्निषावानपेत्तम् ।

(प्रशस्तपादभाष्य)

(३) अण्डज शरीर—जो अडे से उत्पन्न होता है। यथा पक्षी, सरीसूप (सर्पंदि) प्रभृति जन्तुओं के शरीर।

(४) जरायुज—जो गम्भ से उत्पन्न होता है। यथा मनुष्य और चतुष्पदों के शरीर।

इन्द्रिय—शरीर के जिन अवयवों के द्वारा विषय का प्रहण होता है वे 'इन्द्रिय' कहलाते हैं। तर्ककीमुदी में इन्द्रिय की यह परिभाषा दी गई है—

शरीरसंयुक्त ज्ञानकरणमतीद्रियम् (इन्द्रियम्)

इन्द्रियों पा स्वभाव है कि वे जिस विषय के साथ सम्बद्ध होती हैं, उसका प्रकाशन करती है, * किन्तु वे स्वत प्रकारय नहीं होतीं। ननेन्द्रिय के द्वारा हम सब कुछ देख सकते हैं, किन्तु स्वत ननेन्द्रिय को नहीं देख सकते। नन का जो वायुरुष दिखलाई पड़ता है वह ननेन्द्रिय नहीं, ननेन्द्रिय का अधिकरण मान है। इसलिये इन्द्रियाँ स्वयं 'अतीन्द्रिय' कही जाती हैं। नव्यन्याय की भाषा में इन्द्रिय का लक्षण यों किया जाता है—

“साक्षात्कारमात्रवृत्तं धर्मावच्छुतं कार्यतानिर्संरितं कारणतात्रयं व्यापारवदतीद्रियम्”

—पदायच्चिन्मिका

इन्द्रियाँ पाँच हैं—(१) प्राण (नाक), (२) रसन (जीभ), (३) चक्षु (आँख), (४) श्रोत्र (कान) और त्वक् (चम)। इनसे प्रमाण गन्ध, रस, रूप, शब्द और स्पर्श का प्रहण होता है।

उपर्युक्त इन्द्रियाँ वायर विषयों का प्रहण करने के कारण 'वायोन्द्रिय' कही जाती हैं। इनके अलावे आम्यतरिक सुख-दुखादि का अनुभव करनेवाला 'मन' होता है, जो 'अतिरिद्रिय' समझा जाता है।

मन सहित उपर्युक्त पचेन्द्रियाँ विषय ज्ञान के अनुभव में निमित्त कारण होने से 'ज्ञानेन्द्रिय' कहलाती है। इनके अतिरिक्त ऐसी भी इन्द्रियाँ हैं जो ज्ञान प्राप्ति का साधन न होकर कर्माचरण का साधन होती हैं। ये इन्द्रियों 'कर्मेन्द्रिय' कहलाती हैं।

कर्मेन्द्रियाँ भी पाँच हैं—(१) पाणि (हाथ), (२) पाद (पैर), (३) वाक् (फरठ), (४) पायु (मलद्वार) और (५) उपस्थ (जननेन्द्रिय)। पाणि से प्रहण, पाद से गमन, वाक् से भाषण, पायु से मल और अपान का विसर्जन, तथा उपस्थ से मूँह और धीर्य का क्षरण होता है।

विषय का प्रहण वा उपभोग करने में इन्द्रियों ही साधन (Means) स्वरूप हैं।

अत वात्स्पायन वहते हैं,

भोगसाधनानि इन्द्रियाणि

१११६

* इन्द्रियाश्च स्वप्रभद्रवत्तु प्रकाशपर्वत्वम्।

मनसद्वित पंच शानेन्द्रियाँ और पञ्च कर्मेन्द्रियाँ—इस तरह सब मिलाकर एकादश इन्द्रियाँ हैं। फिन्तु दर्शनशास्त्र में 'इन्द्रिय' कहने से मुख्यतः शानेन्द्रिय का ही वोध होता है।

अर्थ— इन्द्रिय के द्वारा जिस विषय का ग्रहण होता है, वह 'अर्थ' कहलाता है। जैसे, पार्यिष द्रव्यों के गुण हैं गन्ध, रस, रूप और स्पर्श। ये इन्द्रियों के विषय होने के कारण 'अर्थ' हैं।^१ फिस तरह के साथ कौन कौन अर्थ सम्बद्ध हैं, यह नीचे के फोटोक में दिया जाता है।

आकाश	शब्द
वायु	स्पर्श
तेज	रंग + रूप
जल	स्पर्श + रस + रस
पृथ्वी	स्पर्श + रूप + रस + गन्ध

एक इन्द्रिय एक ही अर्थ का ग्रहण कर सकती है। नेत्र से केवल रूप का ग्रहण हो सकता है, त्वचा से केवल स्पर्श का। नेत्रेन्द्रिय द्वारा स्पर्श का अथवा त्वचा द्वारा रूप का द्वारा नहीं होता। इसलिये वात्स्यायन कहते हैं—

स्वस्यविषयमहण्टलक्षणानि इन्द्रियाणि

१११३२

फौन-सा अर्थ (विषय) फिस इन्द्रिय के द्वारा गृहीत होता है, यद्य निचले फोटोक में दिया जाता है—

अर्थ	रूप	रस	गन्ध	स्पर्श	शब्द
इन्द्रिय (अर्थात्)	नेत्र (आँख)	रसना (जीभ)	ग्राण (नाक)	त्वचा (चम्प)	शोभ्र (फान)

* ग-घरसरूपस्पर्शी पृथिव्यादिगुणास्तदर्था ।

—न्या० मृ० ११११४

बुद्धि—बुद्धि का अर्थ हे 'बुद्धयते अनया, इति बुद्धि । जिसके द्वारा आत्मा को फिसी वस्तु का वोध हो, उही बुद्धि हे । बुद्धि आत्मा का गुण है । आलकारिक भाषा में इसे आत्मा का प्रकाश कह सकते हैं । + यह आत्मा का वह प्रकाश है जिसके द्वारा सभी पदाय वा विषय आलोकित होते हैं ।*

बुद्धि ही समस्त व्यवहारों का हेतु-स्वरूप है ।


सर्वव्यवहार हेतुज्ञानम् (बुद्धि)

—तर्कसंग्रह ।

बुद्धि, उपर्युक्ति, ज्ञान और प्रत्यय ये सब पर्यायवाचक शब्द हैं । +

नेयायिकों के मतानुसार बुद्धि दो प्रकार की होती है—(१) नित्या और (२) अनित्या । नित्या बुद्धि परमात्मा की और अनित्या बुद्धि जीवात्मा की होती है । जीवात्मा की अनित्या बुद्धि भी दो प्रकार की होती है—(१) सृष्टि और (२) अनुभव । फिर प्रत्येक के दो विभाग होते हैं—(१) यथार्थ और (२) अयथार्थ । यथार्थ अनुभव को भ्रमा और अयथार्थ अनुभव को अप्रभा कहते हैं । भ्रमा के चार भेद हैं—(१) प्रत्यक्ष (२) अनुमिति (३) उपमिति और (४) शान्देहोध । अप्रभा वा स्मृत के भी सुख्यत दो भेद माने गये हैं—(१) सशय और (२) विपर्यय (मिथ्याज्ञान) ।

यह समस्त वर्गोंकरण नीचे के कोष्ठक से सुस्पष्ट हो जायगा ।



+ आत्माश्रयः प्रकाशः (पदार्थ चन्द्रिका)

* आत्मगुणत्वे सत्यव्य प्रकाशः (तर्कप्रकाश)

† बुद्धिरूपलभिज्ञान प्रत्यय इति पर्याया (विशेषिक उपस्कार)

प्रवृत्ति—प्रवृत्ति का अर्थ हे किसी कार्य को करने की इच्छा से तदनुकूल व्यापार करना ।

विकीर्णजयो यत्न (प्रवृत्ति)

—तर्कसौमुदी

किसी कार्य से प्रवृत्ति इस प्रकार होती हे । पहले तत्कालप्रयुक्त फल का ज्ञान होता हे । फिर उस फल की इच्छा होती हे । तब अभीष्ट सिद्धि के साधन या उपाय का ज्ञान होता हे । फिर उस उपाय को काम में लाने की इच्छा होती हे । तब उस काय की ओर प्रवृत्ति होती हे । +

प्रवृत्ति तीन प्रकार की होती हे—

(१) शारीरिक—यथा, परित्राण (रक्त), परिचरण (सेवा) और दान ।

(२) मानसिक—यथा, दया, स्पृहा, थ्रद्धा ।

(३) वाचिक—यथा, सत्य, हित, प्रिय, स्माध्याय ।

उपर्युक्त दस प्रवृत्तियों से धम होता हे । अत ये 'पुण्य' कहलाती हे । इनसे प्रतिकूल कायों की ओर प्रवृत्ति को 'पाप' कहते हे ।

पाप प्रवृत्तियों के उदाहरण ये हे—

(१) शारीरिक—हिंसा, अपहरण, व्यभिचार ।

(२) मानसिक—घुणा द्रोह, परहानिचिन्ता ।

(३) वाचिक—असत्यभावण, कदुपचन इत्यादि ।

दोप—जिस कारण से किसी कार्य में प्रवृत्ति होती हे, उसे 'दोप' कहते हे ।
गौतम कहते हैं—

'प्रवर्त्तनालक्षणो दोपा'

— या० स० ११११४

दोप तीन प्रकार के हे—(१) राग, (२) द्वेष और (३) मोह ।

(१) राग—जिसके द्वारा किसी विषय म आसक्ति होती हे, उसे 'राग' कहते हे ।

आसक्तिलक्षणो दोप (राग)

काम, मत्सर, स्पृहा, तृप्णा, लोभ, माया, और दम, ये राग के प्रमेद हैं ।

+ प्रथमत फलज्ञानम् । तत फलेच्छा । तत इष्टाधनताज्ञानम् उपाये । तत उपायेच्छा तत प्रवृत्तिरुत्पद्यते ।

—तर्कप्रकाश ।

(२) द्वेष—जिसके द्वारा किसी विषय से प्रियकि होती है, उसे 'द्वेष' कहत है।
अमर्पलक्षणो दोष (द्वेष)

कोध ईर्ष्या, असूया, द्रोह, अर्मर्प और अभिमान ये द्वेष के प्रभद हैं।

(३) मोह—जिसके द्वारा किसी विषय के सम्बन्ध में भ्रान्ति होती है, उसे 'मोह'
कहत है।

मिथ्याप्रतिपत्तिलक्षणो दोष (मोह)

विषयव्यय, सशय, तर्क, मान, प्रमाद, भय और शोक, ये मोह के प्रभद हैं।

प्रेत्यभाव—प्रेत्यभाव का अर्थ है,

प्रेत्य मृत्वा भावो जननं प्रेत्यभाव ।

—विश्ववाच्यत्त्विति

अथात् मृत्यु के उपरान्त पुन जन्म हाना ही 'प्रेत्यभाव' कहलाता है।
मरणोत्तरं जन्मं प्रेत्यभाव

—तर्कदाविका

गौतम कहत है—

पुनरुत्पत्ति प्रेत्यभाव

—न्या० स० ॥१११६॥

मृत्यु के अनन्तर पुन उत्पन्न हाना अर्थात् शरीरान्तर और उसके साथ साथ
इन्द्रिय, मन, उच्चि और स्वकारों से युक्त होना ही 'प्रेत्यभाव' है। *

नैयायिकों (ओर आयाय आस्तिक दार्शनिकों) का मत है कि मृत्यु से आत्मा का
नाश नहीं होता। केवल प्राचीन शरीर के साथ उसका सम्बन्ध पिण्डेद हो जाता है, और
वह नवीन शरीर म प्रवेश करता है। प्राचीन शरीर त्याग के अनन्तर नवीन शरीर म प्रवेश
होना ही 'प्रेत्यभाव' या 'पुनर्जन्म' कहलाता है।†

फल—किसी कम का जो अन्तिम परिणाम होता है, वह 'फल' कहलाता है।
गौतम कहते हैं—

प्रवृत्तिदोषजनितोऽर्थं फलम् ।

—न्या० स० ॥११२०॥

* उत्पन्नस्य सम्बद्धस्य सम्बन्धस्तु देहेद्विधमनोयुद्धिवेदनाभि पुनरुत्पत्ति पुनर्देहादिभि
सम्बन्ध ।

—वात्सायन १११४

† पूर्वोपात्तशरीरादिपरित्यागादन्यशरीर सकाति (प्रेत्यभाव)

—न्यायात्तिक ॥११११॥

न्यायमतानुसार फल दो प्रकार का है—(१) मुख्य और (२) गौण। मुख्य फल है सुख वा दुःख का उपभोग।

सुखदुःखवेदनं फलम्।

एतदतिरिक्त अन्यान्य फलों को गौण समझना चाहिये। यथा यज्ञ से धर्मजन्य सुख का प्राप्त होना मुख्य फल और धर्मादि का होना गौण फल है।

दुःख—जिसमें क्षेत्र वा पीड़ा का अनुभव हो, वह दुर्दशा कहलाता है। गौतम कहते हैं,

वाधनालक्षणं दुर्दम्।

या० स० १११२१।

जिसकी कोई इच्छा नहीं करे, जो सर को उरा या प्रतिकूल मालूम हो, उसी को दुःख समझना चाहिये। इसीलिये वात्स्यायन दुर्दश की परिभाषा फले हुए कहते हैं,

प्रतिकूलवेदनीयं दुर्दम्।

इस प्रकार दुःख का लक्षण है (१) वाधनालक्षण और (२) प्रतिकूल वेदनीयत्व। ×

दुर्दश की उत्पत्ति अधर्म से होती है। † इसलिये भाषणरिच्छेद में दुःख की परिभाषा की गई है—

अधर्मजयं सचेतसा प्रतिकूलम् (दुर्दम्)

दुर्दश मुख्यत तीन प्रकार से माने गये हैं—*

(१) आध्यात्मिक—जैसे शारीरिक गोग और मानसिक शोक।

(२) आधिभौतिक—जैसे, सप व्याघ्रादि का उत्पात।

(३) आधिदेविक—जैसे, भूतप्रेतादिजनित यात्रा।

नीयायिक गण दुःख के इक्षीस भेद गिनाने हैं—१ शरीर + ६ इन्द्रिय + ६ विषय + ६ प्रत्यक्ष + १ सुस + १ दुःख = २१ दुःख।

शरीर दुःखायतन होने के कारण दुःख माना गया है।

× प्रतिकूलवेदनीयतयाथोपनायमके (दुर्दम्)

—सर्वदर्शन सम्बद्ध।

† अधर्मात्रासाधारणकारणके गुण (दुर्दम्)

—सिं० च०

* इन तीनों का विशेष विवरण संग्रह दर्शन में मिलेगा।

इन्द्रियों, विषय और प्रत्यक्ष, ये दुख के साधन होन के कारण दुख है। सुख भी उख के साथ सम्बद्ध होन से दुख कोटि म परिगणनीय है। और दुख तो स्मृत दुख है ही। ५

कविकल्पलता म लौकिक दुख के कतिपय अनुभवसिद्ध कारण घतलाये गये हैं। पाठ्यों के मनोरञ्जनाय उनके नाम दिये जाते हैं—१ पारतश्च (किसी के आधीन होकर रहना), २ आधि (मानसिक चिन्ता) ३ व्याधि (शारीरिक रोग), ४ मानच्युति (अपमान होना), ५ शम्पु, ६ कुमार्या, ७ दारिद्र्णश्च कुमामवास, ८ कुस्त्वामि सेवन १० वहुकार्या (बहुत लड़कियों का पेदा होना), ११ वृद्धत्व, १२ परशुरहात, १३ वर्षा-प्रग्रास (घरसात में घर से बाहर रहना), १४ भार्याद्वय (दो पत्नियों का होना), १५ कुमृत्य, १६ दुहंलकरणक छपि (खराक हूल से योदी करना)।

इसी प्रकार वराहपुराण म भी दुख के अनेक कारण गिनाये गये हैं।

अपवर्ग—सभी प्रकार के दुखों से सघदा के लिये छुटकारा पा जाना 'मोक्ष' या 'अपवर्ग' कहलाता है।

गौतम कहते हैं,

दुखज मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदन तरापायादपवर्ग

—न्या० सू० १११२

इसका आशय भाव्यकार यों समझाते हैं,

यदा तु तत्त्वज्ञानामिथ्याज्ञानमपैति तदा मिथ्याज्ञानापाये दोषा अपायान्ति । दोषापाये प्रवृत्तिरपैति प्रवृत्यपाये जामापैति जामापाये दुखमपैति । दुखापाये चात्यान्तिकोऽपवर्गो निश्चयसम्

—वात्यायाभाष्य १११२

अर्थात् जब तत्त्वज्ञान के द्वारा मिथ्या ज्ञान का नाश होता है, तब (मिथ्याज्ञान नष्ट होने पर) सभी दोष दूर हो जाते हैं। दोषों के अभाव में प्रवृत्ति लुप्त होती है। प्रवृत्ति का लोप होने पर जन्म का धन्धन छूट जाता है। जन्म धा धन्धन छूट जाने पर समस्त दुख निरुत्त हो जाते हैं। दुखों की यह आत्यन्तिक निवृत्ति ही 'मोक्ष', 'अपवर्ग' या 'निश्चयस' है।

* दुख मेकविशतिभेदभिज्ञम् । तथाहि शशरे पदिन्द्रियाणि पद्विषया पद्विषयानि प्रथमाणि सुख दुख चेति । तत्र शशी ए दुखायतत्वाद्वद्वद्वद्वम् । इन्द्रियाणि विषया प्रत्यक्षाणि च तत्साधनत्वात् । सुख च दुखासुपक्षात् । दुख तु स्वरूपत एव ।

—तकमापा०

आत्यतिकी दुखनिवृत्ति' (मोक्ष)

—८० कौ०

दुख की 'आत्यतिक निवृत्ति' का अर्थ है,

यद्वा निर्वत्य सजातीयस्य दुखस्य पुनस्तप्रानुपाद

—८०८०८०

अर्थात् दुख का ऐसा समूल नाश जो फिर कभी उसका प्राप्तुर्भाव ही न होते पाये। पैर में काँटा गड़ने से दुख होता है। उसे निकाल देने से दुख निवृत्ति हो जाती है। किन्तु यह दुख निवृत्ति आत्यतिकी नहीं है। क्योंकि फिर भी भवित्व में वैसा दुख प्राप्त हो सकता है। अर्थात् करण्टकजनित क्लेश का सजातीय दुख पुन उत्पन्न हो सकता है। आत्यतिकी दुर निवृत्ति यह है जो दुख का मूलोच्छेद ही कर डाल। ऐसा तभी हो सकता है जब इक्षीसों प्रकार के दुख नष्ट हो जायें। †

एकविश्विभेद भिन्नस्य दुखस्यात्यतिकी निवृत्ति (मोक्ष)

—रक्षमापा

दुख की आत्यन्तिक निवृत्ति किस प्रकार हो सकती है? इसके उत्तर में वाचिककार कहते हैं—

तस्य हानिर्धर्मधर्मसाधनपरित्यागेन।

अनुत्तरयोर्धर्मधर्मयोरनुत्पादेन उत्पन्नयोश्चोपभोगात् प्रक्षयेण इति।

अर्थात् दुख को समूल नाश करने का उपाय है सकल धर्माधर्म साधनों का परित्याग। जो धर्माधर्म किये जा सकते हैं, उनका साधकार फल भोग कर लेने पर नि शेष हो जाता है। तब यदि नये धर्माधर्म की उत्पत्ति नहीं होगी तब सकल प्रवृत्ति दोषादि का शुद्ध होकर आवागमन का चक्र छूट जायगा और इस तरह दुख का अत्यन्ताभाव हो जायगा।

आत्यन्तिक दुख निवृत्ति या मुक्ति दो प्रकार की मानी गई है—(१) अपरा और (२) परा।

इसी जीवन में तत्त्वज्ञान के द्वाय सभी दोषों का नाश होकर जो मुक्ति मिलती है वह अपरा मुक्ति कहलाती है। जो व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त करता है, उह जीव मुक्त

† अहितनिवृत्तिरूपात्यतिकीअनात्यन्तिकी च।

अनात्यतिकी करण्टकादेहु खसाधनस्य परिहरेण।

आत्यतिकी पुनरेकविश्विभेदभिन्नदुखहान्या।

कहलाता है। यह इसी देह से प्रारब्ध कर्मों का फलोपमोग द्वारा द्वय करते हुए मुक्त हो जाता है।

परा मुक्ति नाना योनियों में कमपृथक निर्गत अभ्यास करने से होती है।

किन्तु मुक्ति की दोनों ही अवस्थाओं में मिथ्याज्ञान श्वीर तज्जनित वासनाओं का अन्त हो जाता है।[†]

इसी मुक्ति को सूत्रकार 'नि श्रेयस' वा 'अशर्व', भाष्यकार 'चरमदु लभंस' और वाचिककार 'आत्यतिक हु सामाव' कहते हैं।

मोक्ष-प्राप्ति के लिये वासनाओं का अन्त होना जरूरी है। वासनाओं का मूल कारण है मिथ्याज्ञान। अत मिथ्याज्ञान के नाश से वासनाओं का मूलोच्छेद हो जाता है। मिथ्याज्ञान की निरूप्ति तत्त्वज्ञान से ही हो सकती है। इस प्रकार तत्त्वज्ञान (प्रमाणादि पदार्थों का ज्ञान) नि श्रेयस का साहात् कारण (Immediate cause) न होते हुए भी उसका परमरकारण (Remote cause) सिद्ध होता है। अतपि गौतम के प्रारम्भिक सूत्र की प्रतिशा—

“तत्त्वज्ञानान्नि श्रेयसादिगम”

अभिप्राय से भाली नहीं है, उसमें गमीर अध्य निहित है।

[†] उभयविद्यनि भैयक्षसाधारणब्रह्म तु स्वासनमिष्याङ्गामध्यसामयः।

आत्मा

[आत्मा का निरूपण—रात्रिएशवाद और उम्रका यद्यन—शैक्षिकात्मवाद और उसका निरूप—मनसात्मवाद और उम्रका समाधान—दुदगामवाद और उम्रका निरापरण—आत्मा के विशय में सिद्धान्त—आत्मा की सिद्धि में प्रमाण—आत्मा का स्वरूप—(आत्मा का विगुल और नियत्र)—अनेकात्मवाद—जीवात्मा के गुण ।]

आत्मा का निरूपण—न्यायमूल के तृतीय अध्याय में गौतम ने आत्मा का सविस्तर निरूपण किया है।

गौतम इस प्रकार उपन्यास (विषयारम्भ) कहते हैं—

दर्शनस्पर्शनाभ्यामेकार्थप्रहणात्

—न्या० स० ३।१।१

अब इस सूत्र का भाव समझिये । नेत्र के द्वारा किसी विषय का दर्शन होता है और व्यक्ति के द्वारा उसी का स्पर्श भी होता है । अब इन दो इन्द्रियों से जो ज्ञान उत्पन्न होते हैं, उनका प्रहण करनेवाला एक है या दो ? यदि द्रव्या और स्वरूप ये दो भिन्न-भिन्न व्यक्ति माने जायें, तो एक का ज्ञान दूसरे को केसे प्राप्त होगा ? ऐसी अपस्था में द्रव्या को स्पर्शज्ञान नहीं हो सकता और स्वरूप को दर्शक्ज्ञान नहीं हो सकता । किन्तु यह बात अनुभवसिद्ध है कि देखनेवाला और छूनेवाला एक ही व्यक्ति होता है ।

भाष्यकार वात्स्यायन कहते हैं,

“दर्शनेन कश्चिदयोः गृहीतो स्पर्शनेनापि सोऽयोः गृह्यते ।

‘यमहमद्राह्य चक्षुपा त स्पर्शनेनापि स्पृशामि य चासार्ह स्पर्शनेन त चक्षुपा पश्यामि’

‘प्रथांत् जो यस्तु देखी जाती है, वह छुई भी जाती है । तभी तो हमलोगों को यह

प्रथमिका (स्मृति) होती है कि ‘जिस यस्तु को मने देखा, वह उसे छू रहा जिसे छुआ था उसे देख रहा हूँ ।’ इस तरह सचित होता

शान एक विषयक और एक कर्तृक है। अर्थात् भिन्न-भिन्न शाना का आधार या शाता एक ही है।

अब प्रश्न उठता है कि यह शाता है कौन? शरीर? अथवा इन्द्रिय? या मन? अथवा उच्चि? मौतम् यह सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं कि इनमें एक भी शाता नहीं माना जा सकता। शाता की सत्ता इन सबसे पृथक् है। उसी पृथक् सत्ता का नाम 'आत्मा' है। यह स्थापित करने के लिये सूक्षकार एक एक कर सर्वी मतान्तरों का खण्डन करते हैं।

शरीरात्मवाद और उसका खण्डन—चार्चाक प्रभृति अनात्मवादी कहते हैं कि देवद से अतिरिक्त शरीर कोई शाता नहीं है। चैतन्य शरीर का ही गुण विशेष है। जिस तरह विशेष अवस्था में गुड़, माड़ घैरूद के मिल जान से मादक शक्ति का प्राप्तुर्माय हो जाता है, उसी तरह भिन्न भौतिक द्रव्यों के विशेष संयोग से चैतन्य की उत्पत्ति हो जाती है।

किरणादिभ्यो मदशक्तिन् चैतन्यमुपजायते

—चार्चाक दर्शन

शरीर नष्ट हानि पर चैतन्य भी लुप्त हो जाता है। अतदर शाता कर्ता भावा सब कुछ शरीर ही है। इससे भिन्न आत्मा नामकी फोटो चीज़ नहीं है। इस मत को 'शरीरात्मवाद' कहते हैं।

नैयायिक गण इस मत का जोरदार खण्डन करते हैं। उनकी मुख्य मुक्तियों ये हैं—

(१) यदि चैतन्य शरीर का ही धर्म रहता तो यह शरीर के मूलभूत उपादानों में भी पाया जाता। क्योंकि जो गुण अपयन म रहते हैं वे ही गुण अपययी म हो सकते हैं। घट पट आदि की तरह शरीर भी साधयय होने के कारण काय है। और काय म कारण से अधिक गुण नहीं आ सकता। मद के उपादानभूत द्रव्यों में (गुड़ आदि म) पहले ही से थोड़ी थोड़ी मात्रा म मादक शक्ति मौजूद रहती है। तभी तो उनके सम्मिलण से यह प्रचुर परिमाण म प्रकट हो जाती है। किन्तु शरीर के कारणभूत जो पृथ्वी, जल आदि तरह हैं, वे जड़ हैं। अत उनसे चैतन्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? जो धर्म शरीर के अपययों में है ही नहीं, वह शरीर में कहाँ से आयगा? जिस तरह कपल अनेक शून्यों के योग से फोटोसिर्या नहीं बन सकती, उसी तरह अनेक जड़ तत्त्वों के योग से भी चैतन्य की सृजन नहीं हो सकती। इसलिये जड़ शरीर से आत्मा को भिन्न मानना पड़ेगा।

(२) यदि शरीर म चैतन्य का होना माना जाय तो किरण घड़े में क्यों नहीं? क्योंकि घट भी तो उहाँ भौतिक द्रव्यों से बना है, जिनसे शरीर की रचना हुई है। अत या तो

दोनों को जड़ मानना पड़ेगा या दोनों को चेतन। किन्तु घट में चैतन्य की उपलब्धि नहीं होती। इसलिये गौतम का सून है,

कुम्भादिष्टुपलब्धेरहेतु

—न्या० स० ३।३।१८

जिस प्रकार भौतिक घट अचेतन है, उसी प्रकार भौतिक शरीर भी अचेतन है। चेतन सत्ता या आत्मा इससे भिन्न ही पदार्थ है।

(३) यदि शरीर स्वभावतः चेतन होता तो केश, नव आदि अवयवों में भी चेतन्य पाया जाता। किन्तु ऐसा देखते में नहीं आता। इसलिये चेतन्य शरीर का धर्म नहीं माना जा सकता। जैसा सूक्ष्मकार कहते हैं—

केशनसादिष्टुपलब्धे:

—न्या० स० ३।३।१९

(४) यदि थोड़ी देर के लिये मान भी लिया जाय कि शरीर के समस्त अवयव चेतन हैं, तो दूसरी फठिनता आ पड़ती है। क्योंकि अपरय अनेक होने से उनके आधित चैतन्य भी अनेक होंगे और उनमें भिन्नता रहेगी। ऐसी स्थिति में कोई अपरय एक प्रकार की इच्छा करेगा तो दूसरा और ही प्रकार की। और एक समय में एक ही ज्ञान या प्रथा का होता असभव हो जायगा, किन्तु ऐसा नहीं होता। एक ही समय में दो विरुद्ध ज्ञान या प्रथा किसी में नहीं होंगे जाते। इससे सिद्ध है कि चैतन्य अपरयगत धर्म नहीं है।

(५) शारीरिक अवस्थाओं में निरस्तर परिवर्तन होता रहता है। वात्यकाल का शरीर युग्मवस्था में नहीं रहता, और युग्मवस्था का शरीर वृद्धावस्था में नहीं रहता। यदि चैतन्य शारीरिक गुण होता तो शरीर-भेद से उसमें भी भेद होता रहता। अर्थात् वात्यवस्था में प्राप्त किया हुआ अनुभव प्रोटावस्था में नहीं पाया जाता। किन्तु ऐसा नहीं होता। चैतन्य उन्होंने का तर्ह यना रहता है। इससे सिद्ध होता है कि यह शरीर से स्वतन्त्र है।

(६) यदि यह कहा जाय कि शरीर में कुछ और हास होने पर भी कुछ अणु अक्षुण्ण थने रहते हैं जिनसे चैतन्य की एकता (Continuity) कायम रहती है, तो यह भी माननीय नहीं। क्योंकि पिता के शरीर के कुछ अणु पुत्र के शरीर में अक्षुण्ण रहते हैं। फिर पिता का प्राप्त किया हुआ अनुभव पुत्र में कांहों नहीं पाया जाता।

(७) यदि चेतन्य शरीर का गुण रहता तो रूप, स्पर्श आदि की तरह उसमें भी 'यावज्ञानित' रहता। अर्थात् जगतक शरीर रहता तबतक चेतन्य गुण भी जना रहता।

यावज्ञानित्याद्रूपादीनाम् ।

—न्या० स० ३।२।१०

मृत्यु के उपरान्त भी जगतक शरीर मौजूद रहता है, तबतक उसमें रूप, आदि गुण वर्तमान रहते हैं, किन्तु चेतन्य लुप्त हो जाता है। मृतक शरीर की कौन कहे, जीसित शरीर में भी कभी कभी (जैसे समाधि अवस्था में) चेतन्य का लोप देखा जाता है। अत चेतन्य शरीरात्मित गुण नहीं माना जा सकता।

(८) कुछ लोग कह सकते हैं कि मृत्यु के उपरान्त शरीर का रूप आदि भी तो विकृत हो जाता है। किन्तु इसका उत्तर यह है कि रूप आदि का आत्मनिक आभाव शरीर में कभी नहीं हो सकता। पाक + के द्वारा शरीर में रूपान्तर होता है, किन्तु रूपाभाव नहीं। किन्तु मृत्यु के बाद शरीर में चेतन्य का स्वयं आभाव हो जाता है, न कि केवल पाकज परिवर्तन। जैसा सुष्फकार कहते हैं,

न पाकजगुणान्तरोत्ततःः ।

—न्या० स० ३।२।११

इसलिये रूपादि की तरह चेतन्य भी शरीर का गुण नहीं माना जा सकता।

(९) चेतन्य का अथ है विषयक्षान (Object-Consciousness) । विषय (Object) और विषयी (Subject) दोनों एक नहीं हो सकते। शरीर चेतन्य का विषय है। अतपर यह (शरीर) विषयी नहीं हो सकता।

(१०) यदि शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं माना जाय तो शास्त्रोक धर्म, कग पुनर्जन्म और मोक्ष, ये सब असम्भव हो जायगे और पाप पुण्य में कुछ भी भेद नहीं रह जायगा। यदि शरीर से भिन्न कोई आत्मा नहीं माना जाय, तो इस शरीर से किये कुप कर्मों का फल मृत्यु के उपरान्त कौन भोग करेगा ? यदि कहिये कि कोई नहीं तो फिर पाप पुण्य का भेद ही क्या रहा ? यदि कहिये कि दूसरा शरीर उसका भाग करेगा तो यह भी ठीक नहीं। ऐसा मानने से जिसने कर्म किया यह तो वेदाग्र बच जाता है और जिसने कर्म नहीं किया उसको फल भोगना पड़ता है। इस प्रकार कृतहानि और अहताभ्यागम नामक दोष उपस्थित हो जाते हैं। इसलिये आत्मा को शरीर से पृथक् मानना आवश्यक है।

तदेवं स त्वमेदे कृतहानमद्वत्तम्यगम प्रसञ्चयते

—वात्यावा भाष्य

+ 'पाक' का धर्मात् वैधिक दर्शन में देखिये।

इन्द्रियात्मवाद और उसका निरास—हुब्ल लोगों का कहना है कि नेत्र आदि इन्द्रियों स्वयं ही चेतन उपरूप क्यों न मानी जायें? उनसे भिन्न ज्ञाता या आत्मा मानने की ज़रूरत ही न्या है। इन्द्रियों ही ज्ञान का आधार है और उनसे पृथक् कोई आत्मा नहीं है। इस मत का नाम इन्द्रियात्मवाद है।

इस मत के घण्टन में नैयायिक लोग निम्नलिखित युक्तियों देते हैं।

(१) नेत्र नष्ट हो जाने पर भी रूप का स्मृत्ति-स्वकार (Memory) रहता है। यदि इन्द्रिय से भिन्न कोई ज्ञाता नहीं रहता तो यह स्मृति-स्वकार किसे होता? यह तो असभ्य है कि देखे कोई, और स्मरण करे कोई और। जिसने देखा है, वही स्मरण कर सकता है। द्रष्टा और स्मर्ता दोनों एक ही व्यक्ति हो सकता है। इसलिये इन्द्रिय को द्रष्टा मानने से स्मृति की उपपत्ति नहीं हो पाती। अत इन्द्रियों से पृथक् कोई पेसी चेतन सत्ता स्वीकार करनी पड़ेगी जो प्रत्यक्ष अनुभव और स्मृति इन दोनों का आधार है।

(२) एक बात और है। जिस चीज को हम वाई ओँख से देखते हैं, उसी को दाहिनी ओँख से देखने पर भी पहचान जाते हैं। यह प्रत्यभिज्ञा (Recognition) के से होती है। जो एक बार देख चुका है, वही तो दूसरी बार देखकर पहचान सकता है। यह केसे हो सकता है कि पहले वाई ओँख देखे, और पीछे दाहिनी ओँख पहचाने? इससे सिद्ध होता है कि ये आँखे स्वतः द्रष्टा नहीं हैं। ये हान्त के करण या साधार मात्र हैं। इनका उपयोग करनेवाला—द्रष्टा—कोई व्यीर ही है। अत सूत्रकार कहते हैं—

सव्यदृष्टस्येतरेणु प्रत्यभिज्ञानात्

—स्या० स० ३।१।७

(३) यहाँ यह आशेष किया जा सकता है कि दोनों नेत्र वस्तुत एक ही हैं। इसलिये देखी कुर्द वस्तु की प्रत्यभिज्ञा हो जाती है। इसके उत्तर में गौतम का कहना है कि—

एकविनाशे द्वितीयाविनाशे नैकत्वम्

—स्या० स० ३।१।८

अर्थात् एक आँख फूट जाने पर भी दूसरी ओँख वनी रहती और अपना काम करती रहती है। इसलिये दोनों एक नहीं माननी जा सकतीं।

(४) रूप इस आदि विषयों का ज्ञाता इन्द्रियों से पृथक् व्यक्ति है, इस पक्ष के समर्थन में गौतम एक और युक्ति देते हैं—

इन्द्रियात्मविकारात्

—स्या० स० ३।१।९

(७) यदि चेतन्य शरीर का गुण रहना तो रूप, स्वरा आदि की तरह उसमें भी 'यावद्वानित्व' रहता । अर्थात् जबतक शरर रहता तबतक चेतन्य गुण भी यना रहता ।
यानच्छ्रीरभावित्वाद्ब्राह्मदीनाम् ।

—न्या० द० ३।२।१०

मृत्यु के उपरान्त भी जबतक शरीर मौजूद रहता है, तबतक उसमें रूप, आदि गुण वर्तमान रहत हैं, किन्तु चेतन्य लुप्त हो जाता है । मृतक शरीर की कींव कड़, जीवित शरीर म भी कभी कभी (जैसे समाधि अवस्था में) चेतन्य का लाप देखा जाता है । अत चेतन्य शरीरात्रित गुण नहीं माना जा सकता ।

(८) हुक्क लोग कह सकते हैं कि मृत्यु के उपरान्त शरीर का रूप आदि भी तो विहृत हो जाता है । किन्तु इसका उत्तर यह है कि रूप आदि का आत्मनिक अभाव शरीर म कहीं नहीं हो सकता । पाक + के द्वारा शरीर म रूपान्तर होता है, किन्तु रूपाभाव नहीं । किन्तु मृत्यु के बाद शरीर में चेतन्य का सवधा अभाव हो जाता है, न कि केवल पाकज परिवर्तन । जैसा सुन्दर कहत है,

न पाकजगुणात्तरोपते ।

—न्या० द० ३।२।११

इसलिये रूपादि की तरह चेतन्य भी शरीर का गुण नहीं माना जा सकता ।

(९) चेतन्य का अथ है विषयशान (Object-Consciousness) । विषय (Object) और विषयी (Subject) दोनों एक नहीं हो सकता । शरीर चेतन्य का विषय है । अतएव वह (शरीर) विषयी नहीं हो सकता ।

(१०) यदि शरीर और आत्मा में कोई भेद नहा माना जाय तो शास्त्रोक धर्म, काम-पुनर्जन्म और मोक्ष, ये सब असभव हो जायेगे और पाप पुण्य में कुछ भी भेद नहीं रह जायगा । यदि शरीर से भिन्न कोई आत्मा नहीं माना जाय, तो इस शरीर से किये हुए कर्मों का फल मृत्यु के उपरान्त कोन भोग करेगा ? यदि कहिये कि कोई नहीं तो फिर पाप पुण्य का भेद ही क्या रहा ? यदि कहिये कि दूसरा शरीर उसका भाग करेगा तो यह भी टीक नहीं । पेसा मानने से जिसने कर्म किया वह तो वेदाम वच जाता है और जिसने कर्म नहीं किया उसको फल भोगना पड़ता है । इस प्रकार कृतहानि श्रीर अकृताभ्यागम नामक दोष उपस्थित हो जाते हैं । इसलिये आत्मा को शरीर से पृथक् मानना आवश्यक है ।

तदेवं सर्वमेदे कृतहानमकृताभ्यागम प्रसञ्जते

—वास्तव्यान भाव

+ 'पाक' का अर्थन वैशेषिक दर्शन में देखिये ।

इन्द्रियात्मवाद और उसका निराप— छद्म लोगों का कहना है कि नेत्र आदि इन्द्रियाँ स्वर्य ही चेतन स्वरूप क्यों न मानी जायें? उनसे भिन्न ज्ञाता या आत्मा मानने की ज़रूरत ही क्या है? इन्द्रियों ही ज्ञान का आधार है और उनसे पृथक् कोई आत्मा नहीं है। इस मत का नाम इन्द्रियात्मवाद है।

इस मत के लगड़न में नैयायिक लोग निम्नलिखित युक्तियों देते हैं।

(१) नेत्र नष्ट हो जाने पर भी स्वर्य का संस्कार (Memory) बना रहता है। यदि इन्द्रिय से भिन्न कोई ज्ञाता नहीं रहता तो यह स्मृति-संस्कार किसे होता? यह तो असमय है कि देखे कोई, और स्मरण करे कोई और। जिसने देखा है, वही स्मरण कर सकता है। द्रष्टा और स्मर्ता दोनों एक ही व्यक्ति हो सकता है। इसलिये इन्द्रिय को द्रष्टा मानने से स्मृति की उपपत्ति नहीं हो पाती। अत इन्द्रियों से पृथक् कोई ऐसी चेतन सत्ता स्वीकार करनी पड़ेगी जो प्रत्यक्ष अनुभव और स्मृति इन दोनों का आधार है।

(२) एक बात और है। जिस चीज को हम वाईं आँख से देखते हैं, उसी को दाहिनी आँख से देखने पर भी पहचान जाते हैं। यह प्रत्यभिज्ञा (Recognition) के से होती है? जो एक बार देख चुका है, वही तो दूसरी बार देखकर पहचान सकता है। यह कैसे हो सकता है कि पहले वाईं आँख देखे, और पीछे दाहिनी आँख पहचाने? इससे सिद्ध होता है कि ये आँखे स्वतः द्रष्टा नहीं हैं। ये दृष्टि के करण या साधन मात्र हैं। इनका उपयोग करनेवाला—द्रष्टा—कोई और ही है। अत सूत्रकार कहते हैं—

सव्यदृष्ट्येतरेण प्रत्यभिज्ञानात्

—स्या० सू० ३।१।७

(३) यहाँ यह आशेष किया जा सकता है कि दोनों नेत्र वस्तुतः एक ही हैं। इसलिये देखी हुई वस्तु की प्रत्यभिज्ञा हो जाती है। इसके उत्तर में गौतम का कहना है कि—

एकविनाशो द्वितीयाविनाशा नैकत्वम्

—स्या० सू० ३।१।६

अर्थात् एक आँख फ़ूट जाने पर भी दूसरी आँख वनी रहती और अपना काम करती रहती है। इसलिये दोनों एक नहीं मानी जा सकतीं।

(४) स्वर्य आदि विषयों का ज्ञाता इन्द्रियों से पृथक् व्यक्ति है, इस पक्ष के समर्थन में गौतम एक और युक्ति देते हैं—

इन्द्रियातरविकारात्

—स्या० सू० ३।१।१२

जब आप इमली सरीरने किसी खट्टे फल को देखते हैं तब चट आपके मुँह में पानी भर आता है। इसका कारण क्या है? इमली का यट्टा स्पाद। विन्तु देखन से तो केवल रुप का ज्ञान हो सकता है, स्पाद का नहीं। फिर दर्शन मात्र से आपके दाँत फ्यों सिहर उठते हैं। इससे सूचित होता है कि दर्शन और आव्यादन, इन दोनों क्रियाओं का कर्ता एक ही है, और वही पूर्णभव के सक्कार से रूपविशेष को देखकर रसविशेष का स्मरण करता है।

आशय यह है कि यदि इन्द्रियों से पृथक् आत्मा की सत्ता नहीं स्पीकार की जाती है, तो भिन्न भिन्न इन्द्रियजाय ज्ञानों का समन्वय (Synthesis) नहीं हो सकता, और प्रत्यभिशा, स्मृति आदि के कारण सिद्ध नहीं होते। इसलिये इन्द्रियों से पृथक् आत्मा का अस्तित्व मानना आवश्यक है।

मानसात्मवाद और उसका समाधान—यहाँ प्रतिपक्षी गण एक दूसरा पैतरा बदलकर आ सकते हैं। वे कह सकते हैं, “अच्छा, स्वयं इन्द्रियों को हम ज्ञाता नहीं मानते हैं, किंतु इससे यह कैसे सिद्ध होगा कि आत्मा ही ज्ञाता है? यदि हम मन को ही ज्ञाता मानें तो क्या हज़ेर है? मत सभी इन्द्रियों का राजा और सर्वविषयप्राही है। जो वाते आत्मा के सम्बन्ध में कही गई है, वे मन के विषय में भी लागू हो सकती हैं। फिर मन से भिन्न आत्मा की सत्ता मानने की क्या आवश्यकता? इस मत को ‘मानसात्मवाद’ कहते हैं।

इस मत की आलोचना करते हुए गीतम पूछते हैं, पहले यह तो बताओ कि ‘मन’ शब्द से तुम्हारा पक्ष अभिप्राय है? ‘मन’ से तुम मनन विद्या का साधन—अर्थात् आन्तरिक ज्ञान का कारण (अन्त करण) समझते हो अथवा इस साधन (अन्त करण) के द्वारा ज्ञान प्राप्त करनेवाला कर्ता समझते हो? यदि मन को ज्ञात करण के अथ में लेते हों, तो फिर उस करण का फक्ता या ज्ञाता भिन्न ही मानना पड़ेगा। फ्योंकि करण और कर्ता दोनों एक नहीं हो सकते। और यदि मन को ज्ञाता के अथ में लेते हों तो फिर यह किस इन्द्रिय के द्वारा आन्तरिक सुख दुःख का अनुभव प्राप्त करता है? वाहोन्द्रिय से तो उनका ग्रहण नहीं हो सकता। अतपव तुम्हें कोई आन्तरिक इन्द्रिय—मतिसाधन—स्वीकार करना पड़ेगा। यदि तुम ऐसा मान लेते हों तो फिर हममें और तुममें कोई झगड़ा ही नहीं रह जाता। फ्योंकि हमारा प्रतिपाद्य विषय इतना ही है कि ज्ञाता (आत्मा) याहा और आन्यन्तरिक इन्द्रियों से पृथक् है और इस बात को तुम भी स्पीकार करते हो। फक्त सिफ इतना ही है कि जिसे हम ‘मन’ कहते हैं उसे तुम ‘मतिसाधन’ के नाम से बतलाते

हो, और जिसे हम 'आत्मा' कहते हैं उसे तुम 'मन' संज्ञा देते हो। यह केवल शब्द मात्र का भेद है, वस्तु में कोई अन्तर नहीं।"

इसलिये गौतम का सूत्र है—

ज्ञातुक्षर्जनसाधनोपपत्तेः सज्ञाभेदमात्रम्

—या० सू० ३।१।१७

बुद्ध्यात्मवाद और उसका निराकरण—कुछ लोगों का मत है कि बुद्धि या ज्ञान से भिन्न ज्ञाता मानने की ज़रूरत नहीं। बुद्धि स्वतं विषय को प्रकाश कर उसका अनुभव प्राप्त करती है। अतः बुद्धि और आत्मा में कोई भेद नहीं। इस मत को 'बुद्ध्यात्मवाद' कहते हैं।

नैयायिक गण उपर्युक्त मत का खण्डन करते हैं। उनका कहना है कि बुद्धि या ज्ञान गुण है, और गुण द्रव्य के आधित ही रह सकता है। इसलिये ज्ञानस्ती गुण का आधार-भूत द्रव्य अवश्य ही मानना पड़ेगा। यही द्रव्य 'आत्मा' है।

अतएव तर्कसंप्रह में कहा गया है—

ज्ञानाधिकरणम् आत्मा

नैयायिक गण बुद्धि या ज्ञान को अनित्य मानते हैं। बुद्धि के कुछ विषय ऐसे होते हैं जो तुरत विलीन हो जाते हैं, जेसे शब्द, और कुछ विषय ऐसे होते हैं जो चिरस्थायी रहते हैं, जेसे परंत। किन्तु किसी भी विषय का स्वेदन (Sensation) या स्वकार (Idea) जनित अनुभव स्वदा क्षणिक ही होता है। कोई भी विज्ञान (Cognition) स्थायी नहीं होता। जिस प्रकार नदी में निरन्तर तरणों का प्रवाह जारी रहता है, उसी प्रकार अत करण में अनुकूल भागों का प्रवाह चलता रहता है। इस विज्ञान धारा (Stream of Consciousness) का ज्ञाता क्षणिक बुद्धि (Momentary Experience) नहीं होकर नित्य आत्मा (Permanent Self) ही हो सकता है। वही सवदृष्टा, सवमोक्ता और सर्वानुभवी है।

आत्मा के विषय में सिद्धान्त—जिस प्रकार रथ को सचालित करने-वाला सारथी होता है, उसी प्रकार शरीर को सचालित करनेवाला आत्मा है। यही आत्मा सभी इन्द्रियों का उपयोग करनेवाला है। † मन इसका सवाद्याहक मात्र है, जो

† यो धारणादीनों करणानो प्रयोग स आत्मा।

आत्मा और इन्द्रियों के मध्य म दूत का काम करता है। उद्दि आत्मा का गुण है। इस प्रकार आत्मा शरीर, इन्द्रिय, मन और उद्दि इन सबसे पृथक् है।

“शरीरेऽद्रिष्टिभ्य पृथगात्मा विमुष्टुच”

—(३० ३०)

आत्मा की सिद्धि में प्रमाण —प्रात्मा का अस्तित्व सिद्ध करन के लिये नैपायिक गण निष्ठलिखित प्रमाणों की सहायता लेते हैं—

(क) प्रत्यक्ष—प्रत्येक मनुष्य को ‘अहं सुखी’ ‘अहं दुःखी’ ‘अहं जानामि’ ‘अहम् इच्छामि’ (अर्थात् ‘म सुखी हूँ’, ‘म दुःखी हूँ’, ‘म जानता हूँ’, ‘म चाहता हूँ’) ऐसा भाव होता है। यह अहंप्रत्यक्ष (Perception of Me) का भाव सब्द में रहता है। ‘अहं नास्मि’ (में नहीं हूँ) ऐसा अनुभव किसी को नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि ‘अहम्’ या जीवात्मा भावसप्रत्यक्षगोचर है।

किन्तु मानस प्रत्यक्ष के द्वारा अपने ही आत्मा का साक्षात्कार ही सकता है, दूसरे आत्मा का नहीं। और अपना आत्मा भी शुद्ध रूप में मानस प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो सकता। यह जब प्रकट होता है तब सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न या ज्ञान के आधार रूप म ही। अर्थात् योग्य विशेष गुण से संयुक्त ‘अहम्’ का ही भाव होता है। न्याय वैशेषिक के दुख आचार्यों का मत है कि शुद्ध आत्मा (Pure Ego) का भी यौगिक प्रत्यक्ष के द्वारा साक्षात्कार हो सकता है।

(ख) अनुमान—आत्मा का अस्तित्व मुख्यत अनुमान प्रमाण के घल पर ही सिद्ध किया जाता है। करण का व्यापार देखन से कहता का अनुमान होता है। इसलिये नेत्रादि ज्ञानसाधन करणों का कार्य देखकर उनके प्रयोग कहता आत्मा का अस्तित्व सूचित होता है। इस युक्ति का विस्तार प्रारभ ही म किया जा सकता है।

(ग) शब्द—आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण श्रुति में भी मिलता है। उपनिषदों म एसे अनेक घचन मिलते हैं, यथा—

“आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिष्यासितव्य”

* करणापार सदृशृंक करणापारस्वात् द्विदिक्षियायो वास्यादिम्यापारस्वत्। करणापारेण कक्षु अनुमानगम्यरवे तासाज्ञायात् ज्ञानकियाकरणमपि सकृदृशृंके करणस्वात् इति चतुरादिना ज्ञानसाधने नामनोऽनुमानम्।

— शाब्दस्त्र

इस प्रकार प्रत्यक्ष, अनुमान, और शब्द ये तीनों प्रमाण आत्मा के अस्तित्व के साधक होते हैं।

आत्मा का स्वरूप—आत्मा का कुछ स्पष्ट नहीं है। इसलिये यह दृष्टिगोचर नहीं हो सकता। हप्तादिगुण रहित होने से यह अन्यान्य इन्द्रियों का भी विषय नहीं हो सकता। आत्मा शान या चैतन्य का अमूल्य निराकार आवश्य है।

आत्मा देशकाल (Space and time) के बन्धनों से अविद्युत या सीमित (Limited) नहीं है। इसलिये यह विजु (All pervading) और नित्य (Eternal) पदा जाता है।^५

देश के पार्था को इच्छा, मूलि या परिमाण (Mignitude) कहते हैं। आत्मा की कोई इयक्ता (limitation) नहीं है। यह दिक्षुकाल और आकाश की तरह अमूल्य या निराकार (Formless) है। मन और आत्मा म यह भेद है कि मन थगुणपरिमाण है, मिन्तु आत्मा देशपरिष्ठेद से रहित है। यह आकाश की तरह सबगत या सर्वव्यापी है। ऐसे पदार्थ को विजु कहते हैं। दिक्षु, काल, आकाश और आत्मा ये चारों विजु पदार्थ हैं।

आत्मा अणु परिमाण (Atomic) नहीं माना जा सकता। क्योंकि अणु (Atom) के गुण प्रत्यक्ष नहीं देखे जा सकते। किन्तु आत्मा के गुण (उद्धि, इच्छा, प्रभृति) मानस प्रत्यक्ष गम्य होते हैं।

यदि आत्मा को घटपदादि की तरह मध्यम परिमाण (Medium size) धारा पदार्थ माना जाय, तो यह प्रश्न उठता है कि उसका आकार कितना बड़ा है? यदि यह शरीर से छोटा (यथा अंगुष्ठपरिमाण) है, तो किर पक साथ सम्पूर्ण शरीर में चैतन्य की व्याप्ति कर्योकर होती है? यदि उसका आकार शरीरनुत्य माना जाय तो यह भी डीफ नहीं, क्योंकि शरीर का आकार गर्भास्था से ही बढ़ने लगता है। यदि आत्मा का आकार शरीर से बड़ा माना जाय तो फिर यह शरीर में प्रवेश रैम्से करता है? यदि यह कहिये कि आत्मा का परिमाण भी (शरीर की तरह) घटता रहता है, तो यह भी युक्तिसंगत नहीं, क्योंकि उपचय और अपचय (उद्धि और हास) वेयल सावयव पदार्थ का ही हो सकता है, और आत्मा निरवयव (Partless) है।

५ आवच्छापदार्थ वस्तु यदेशकाक्षत
तनिरप्त विजुपेत्तु तीत्यात्मनो विजुनिष्ठता।

इन सब वातों से सिद्ध होता है कि आत्मा का कोई आकारविशेष नहीं है। वह आकाश की तरह परम महत् (All pervasivo) या 'विभु' पदाथ है।

आत्मा नित्य पदाथ है। नित्य का अथ है उत्पत्ति-विनाश शून्य।

प्रागभावप्रतियोगिते सति व्यसाप्रतियोगित्वं नित्यत्वम्

—सर्वभावः

उत्पत्ति उसी घट्टु की होती है जिसका पहले अभाव (प्रागभाव) था। आत्मा का अस्तित्व सर्वदा से विद्यमान है। उसका अभाव विस्तीर्ण समय में नहीं था। अत वह उत्पत्ति-नहित या अनादि है।

विनाश उसी घट्टु का हो सकता है, जो सावयव हो। सयुक्त अवयवों का किन्तु मिन्न हो जाना ही विनाश कहलाता है। किन्तु आत्मा के अवयव ही ही नहीं, फिर पृथक्-फरण किसका होगा? इसलिये आत्मा का विनाश होना असम्भव है। उसका प्रध्यसाभाव कभी नहीं हो सकता। अत आत्मा नाशरहित या अनन्त है।

उत्पत्ति और नाश सावयव काय पदार्थों के ही द्वारा करत हैं। पृथक् अवयवों का संयोग 'उत्पत्ति' और सयुक्त अवयवों का प्रिच्छेद 'विनाश' कहलाता है। किन्तु आत्मा आकाश की तरह विभु (सव्यगत) और अवयवरहित है। † इसलिये इसकी उत्पत्ति या विनाश असम्भव है। यह अब मा और अमर है। इस प्रकार अनादि और अनन्त होने के कारण आत्मा 'नित्य' कहा जाता है। इसका भाव सबदा शाश्रत रूप से घट्टमान रहता है, कभी अभाव नहीं होता। इसलिये दिक्, काल और आकाश की तरह आत्मा भी नित्य पदाथ है।

अब प्रश्न यह उठता है कि जब आत्मा देशकाल से परे—असीम (Infinite) है, तब फिर ससीम (Finite) शरीर के साथ उसका संयोग क्से होता है? इसके उत्तर में नैपायिकों का कहना है कि—

पूर्वज्ञातफलानुषधात्

अर्थात् पूरकम का फल भोग करने के निमित्त ही आत्मा को भौतिक शरीर का आवश्य ग्रहण करना पड़ता है। इसलिये शरीर आत्मा का 'भोगायतन' कहा गया है।

चधोत्कर कहते हैं कि माता पिता के तथा अपने कम के प्रभाव से गमाशय में शिशु-शरीर की उत्पत्ति होती है। अदृष्ट स्वर्कार के अनुरूप ही आत्मा के लिये शरीर तैयार होता है। शरीर को आत्मा का आवास (Abode) नहीं, प्रत्युत भोगसाधन (Instru-

† विभुवानितयोऽसौ भ्योमवत्

ment of Enjoyment) मात्र समझना चाहिये। शरीर से संयुक्त होने पर भी आत्मा की व्यापकता उसी प्रकार बनी रहती है, जिस प्रकार घट से संयोग होने पर भी आकाश की व्यापकता यही रहती है। हाँ, जिस प्रकार घटाकाश में योड़ी देर के तिये विशेष गुण आ जाता है, उसी प्रकार शरीरस्थ आत्मा में भी इच्छा, द्वेष आदि धर्म प्रादुर्भूत हो जाते हैं।

अनेकात्मवाद—आत्मा एक है या अनेक? इस प्रश्न पर नैयायिकों का वेदान्तियों से मतभेद है। वेदान्त मतानुसार प्रत्येक जीव में एक ही आत्मा है जो उपाधि-भेद से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। किन्तु न्याय (सांख्य की तरह) प्रत्येक जीव में पृथक्-पृथक् आत्मा मानता है।

जीवस्तु प्रतिशरीरं भिन्न-

—तर्पसमह

नैयायिक गण आत्मा के दो भेद मानते हैं—(१) जीवात्मा और (२) परमात्मा जीवात्मा अनेक और प्रति शरीर में भिन्न भिन्न हैं। परमात्मा एक ही है। जीव जन्य (और इसलिये अनित्य) ज्ञान का अधिकरण होता है, किन्तु परमात्मा नित्य शाश्वत ज्ञान का भडार है। यह सर्वज्ञ परमात्मा 'ईश्वर' कहलाता है।

फेल 'आत्मा' शब्द से 'मुख्यत' जीवात्मा का ही प्रहण होता है। यहाँ भी इसी अर्थ में 'आत्मा' शब्द का प्रयोग किया गया है। *

जीवात्मा के गुण—महर्मि गौतम आत्मा के लक्षण यों बतलाते हैं—

इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुखज्ञानानि आत्मनो लिङ्गम्।

—पा० स० ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

१ इच्छा (Desire), २ द्वेष (Aversion), ३ प्रयत्न (Volitional Effort), ४ सुख (Pleasure) ५ दुख (Pain) और ६ ज्ञान (Cognition), ये जीवात्मा के गुण हैं। जीव प्रयत्नशील होने के कारण कर्ता, सुखी दुखी होने के कारण भोक्ता और ज्ञानवान् होने के कारण अनुभवी है।

किन्तु आत्मा का यह कर्तृत्व भोक्तृत्वादि गुण तभी तक रहता है जबतक वह शरीर के साथ सम्बद्ध रहता है। शारीरिक धार्धन से मुक्त हो जाने पर इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि सभी लुप्त हो जाते हैं। मोक्ष प्राप्त होने पर आत्मा विल्कुल शांत और नियिकार हो जाता

* परमात्मा या ईश्वर का वर्णन परिचित भाग में दखिये।

हे । उस अवस्था में उसे न सुख रहता है न दुःख । चैतन्य या ज्ञान भी तिरोहित हो जाता है । फौफि आत्मा के सुख, दुःख, ज्ञान आदि समस्त धर्म शुरीरसायेत् हैं । जब मन इन्द्रिय-सहित शरीर से आत्मा का सम्पर्क छूट जाता है, तब ये धर्म भी नष्ट हो जाते हैं । उस अवस्था में आत्मा की स्थिति ग्राय, उसी प्रकार की हो जाती है जिस प्रकार गाढ़ सुपुत्रा घस्या में । वह जड़ पापाणवत् सज्जामृत्यु हो जाता है ।

मन

[मन का लक्षण—मन का प्रभाव—मन का व्यवहार—मन को गति]

मन का लक्षण—मन का अर्थ है “मन्यते अनेन इति मन”। जो मनन (Thinking) का साधन, अर्थात् सोचने-समझने का द्वारा है, वही ‘मन’ कहलाता है।

मा ही सभी इदियों का प्रर्तीक है। घटु आदि वाणिजियाँ जो विषय ग्रहण करती हैं, उसे मन ही आत्मा के पास पहुँचाता है। आध्यतरिक सुख-दुख आदि का अनुभव साक्षात् मन के द्वारा ही होता है। मन आध्यतरिक इन्द्रिय की काम करता है और साथ-दी-साथ वाणिजियानुपाहक का भी। अत मन समस्त ज्ञान का कारण हराय है। *

‘मे सुखी हूँ’ (या डुखी हूँ) ऐसा अनुभव करने वाला कारण मन ही है। † इसलिये तर्कसंग्रहकार ‘मन’ की यह परिभाषा देते हैं।

सुखाद्युपलब्धि साधनमिन्द्रिये मन ।

विश्वनाय पञ्चानन कहते हैं—

सुखाद्युपलब्धि सुखाद्युपलब्धि मन उच्यते ।

—माया परिच्छेद

तर्कदीपिका में मन का लक्षण इस प्रकार वतलाया गया है,

“मनसो लक्षणं च स्पर्शरहितत्वे सति कियावरथम्”

अर्थात् मन की विशेषता यह है कि यह अस्पृश्य (और अत अदृश्य) पदाव होते हुए भी किया करने में समर्थ है।

* मनःसर्वेन्द्रियप्रवर्त्तयम् आत्मरेत्रिम् स्वसयोगव वाणिजियानुपाहकम् अतएव सर्वोपलब्धिव कारणम् । —तर्कसाधा

† ‘मनिषुपादम्’ इति सुखप्रायवस्थाधारण्यं कारणम् ।

मन का प्रमाण—अग्र प्रश्न यह है कि जग मन इन्दिगोचर नहीं है, वायु की तरह उपर्योगोचर भी नहीं है, तो फिर इसका अस्तित्व किसे जाना जा सकता है ? इसके उत्तर में गौतम कहते हैं—

युगपज्ञानानुवत्ति मनसो लिङ्गम्

२०० च० १।।।।६

अर्थात् मन का अस्तित्व अनुमान से सिद्ध होता है । एक साय (युगपत्) अनुकूल ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकते । इससे सूचित होता है कि इन्द्रियों से भिन्न एक ऐसा पदाय है जो भिन्न भिन्न इन्द्रियज ज्ञानों को वारी वारी से आत्मा फे समझ उपस्थित करता है । इसीका नाम मन है—

भाष्यकार कहते हैं,

अनिद्रियजनित्ता सृत्यादयः कारणातर निमित्ता भवितुमहति इति । युगप्त खलु प्राणादीनो गाधादीनो च सञ्चिक्येषु सत्यु युगपद्ज्ञानानि नोत्पथते । ते गानुभीयते अस्ति तत्तदिद्रिय सयोगि सहकारि निमित्तातरम् अव्यापि यस्यासञ्चिदेनोत्पथते ज्ञानम् सञ्चिदेशोत्पथते इति । मन सयोगानपेच्छस्य हीद्रियार्थं सञ्चिकर्पस्य ज्ञानहेतुत्ते युगपदुत्पथरन् ज्ञानानि इति ।

—वात्स्यायन भाष्य १।१।६

अब इसका आशय समझिये । जिस प्रकार वाह्य प्रत्यक्ष के लिये नेत्रादि इन्द्रियाँ आवश्यक हैं, उसी प्रकार आत्मिक प्रत्यक्ष के लिये भी किसी इन्द्रिय का होना आवश्यक है । वर्तोंकि इन्द्रिय रूपी कारण के बिना ज्ञानरूपी कार्य नहीं हो सकता ॥६॥

अब स्मृतिज्ञान को लीजिये । यह ज्ञान नेत्रादि वाह्येन्द्रियों से उत्पन्न नहीं होता । अत इसके लिये एक इन्द्रिय विशेष की—आत्मतटिक इन्द्रिय वा करण की सत्ता स्वीकार करनी पड़ेगी । यही आत्मतटिक करण वा अन्त करण जिसके द्वारा पृथानुभूत विषयों का स्मरण और वस्तुमान सुखदुखादि का साक्षात्कार होता है, 'मन' सहक पदाय है ।

दूसरी बात यह कि भिन्न भिन्न इन्द्रियों और उनके विषयों के रहते हुए भी एक साय सभी अनुभव प्राप्त नहीं होते । इससे जान पड़ता है कि ज्ञानोत्पादन में एक ऐसा सहकारी कारण है जिसकी अपेक्षा प्रत्येक इन्द्रिय को रहती है, अर्थात् जिसके संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है और जिसके अभाव में ज्ञान नहीं उत्पन्न होता । इसीलिये विषय के साथ इन्द्रिय का सन्निकप होने पर फर्मी ज्ञान होता है, कभी नहीं । तब्मनस्क रहने पर ज्ञान होता है, अर्थमनस्क रहने पर ज्ञान नहीं होता । इससे सिद्ध होता है कि इन्द्रिय विषय सन्निकप

* सुखादिसाकारकार करणप्राप्त जग्यसाचाकारयात् ज्ञानप्राचाकारवन् ।

ही ज्ञानोत्पादन के लिये पर्याप्त कारण-सामग्री नहीं है। उसके लिये एक निमित्तान्तर भी—जिसे 'मन' संवादी जाती है—आवश्यक है। ३

मन का स्वरूप——यदि मन के साध्यम बिना ही—हरतन्त्र रूप से हन्दियाँ ज्ञानोत्पादन करने में समर्थ होतीं—तो एक साथ ही अनेक ज्ञान (रूप इस गन्ध आदि के अनुभव) उत्पन्न हो जाते। किन्तु ऐसा नहीं होता। एक समय में एक ही ज्ञान होता है। ज्ञान के इस अद्योग्यत्य (Non Simultaneity) से सूचित होता है कि प्रत्येक शरीर में एक मन रहता है। अत गौतम का सूत्र है,

ज्ञानाद्योग्यात् एक भन

—न्या० सू० ३।२।५६

अथात् ज्ञानों के अद्योग्यत्य के आधार पर मन की एकता सूचित होती है। प्रत्येक शरीर में मन एक अणु के रूप में विद्यमान रहता है। जेसा भाषापरिच्छेदकार कहते हैं,
अद्योग्यपदात् ज्ञानान् तस्याणुत्वमिहोच्यते।

इस सिद्धान्त को मनोऽणुत्वरात् कहते हैं।

मन की गति——यद्यपि एक शका की जा सकती है कि एक ही समय में अनेक अनुभव भी तो देखने में आते हैं। जेसे पृड़ी खाते समय एक साथ ही उसके रूप, रस, गन्ध और स्पर्श का अनुभव होता रहता है। इसी प्रकार ज्ञानाद्योग्यता मनुष्य एक ही समय म सैकड़ों काम कर दियता है, जिससे सूचित होता है कि उसका ध्यान एक ही समय में अनेक विषयों पर बँटा रहता है।

इस शका का समाधान ऊने के लिये गौतम यह सूत्र देते हैं,

“अलातचकदर्शनरत् तदुपलब्धि आशुसञ्चारात्”

—न्या० सू० ३।२।५१

अथात् मन अद्यन्त ही आशुकारी है। उसकी गति विद्युत् से भी तीव्र है। यदि इतनी तेजी से अपना काम करता है—इतने द्वितीय से भिन्न भिन्न अनुभवों को प्राप्त करता है कि हम पीरिपर्य (Succession) का बोधन होकर योग्यता (Simultaneity) का भ्रम होने लगता है। इस बात को सूत्रकार एक दृष्टान्त के द्वारा समझाते हैं। उल्का भ्रमण के समय यह प्रतीत होता है कि अग्नि की गिरावट मालाकार में एक साथ ही चारों

* ग्रामविद्वाणप संस्कृते ज्ञानहृषि यावे अ मनसोऽिङ्गम् ।

ओर विद्यमान है। किन्तु यथार्थत अग्रिम शिखा एक साथ ही सबसे विद्यमान नहीं रहती। एक ज्ञान में एक ही स्थान में रहती है। किन्तु उसका आवश्यक इतनी शीघ्रता से होता है कि हम आनुपूर्यिक क्रम परम्परा का ज्ञान न होकर योगपद सा दिखलाई पड़ता है। यही बात मन के द्वारा उत्पन्न हुए अनुभवों के सम्बन्ध में भी जाननी चाहिये।

इसी बात को समझान के लिये सिद्धान्तवृक्षकावची में एक दूसरा दृष्टान्त दिया गया है। एक शतदल कमल की लीजिये। उसमें सीं पत्ते हैं। आप उसम सुर पितोकर आर पार कर दते हैं। मालूम होता है एकवारणी सभी पत्ते एक साथ छिद गये। किन्तु क्या वास्तव में ऐसा होता है? नहीं। पृथ्वी पर के उपरान्त ही पर्यवर्ती पत्ते की छेदन किया समय है। हाँ, वह समय का व्यवधान इतना अल्प, इतना सूक्ष्म, रहता है कि यिन्हें जान नहीं पड़ता। इसी से योगपद की भ्राति हो जाती है। शम्भुनीभवण (पूढ़ी खाता) और स्तत्यधानवाले दृष्टान्त में भी यही बात लागू होती है। ०

सारांश यह कि मां का ध्यान (Attention) एक समय में एक ही विषय पर केन्द्रीभूत (Concentrated) रह सकता है। किन्तु उसकी गति इतनी तीव्र होती है कि तरगत्य जलपिन्द की नाई प्रत्येक अनुभव अपना पृथक् व्यक्तित्व लोकर धाराप्रवाह (Stream of Consciousness) में लीन होकर एकाकार बन जाता है। इस तरह अनुभवों का अनेकत्व (Variety) और पायापर्य (Succession) संस्थित नहीं होकर उनमें एकता (Unity) और एकात्मता (Continuity) का आभास होता है।

संशय

[सशय की परिभाषा— सशय के प्रभेद— सशय और विपर्य— सशय और उह— सशय और अनप्रवक्षय— सशब्द का महत्त्व]

संशय की परिभाषा— सशय उस अवधारणा का नाम है जिसमें मन दो वस्तुओं के बीच में दोलायमान रहता है और किसी एक का निश्चय नहीं कर पाता। मान लीजिये, आप अँधेरे में ठहल रहे हैं। कुछ दूर पर मनुष्याकार कोई पदार्थ दिखलाई पड़ता है। यह वस्तु क्या है इसका निश्चयात्मक ज्ञान आपको नहीं है। हो सकता है, वह मनुष्य हो अथवा स्थाणु (टैंडा पेड) हो। मनुष्यत्व और स्थाणुत्व ये दोनों परस्पर विरोधी धम हैं जो एकसाथ उस पदार्थ (धर्मी) में नहीं रह सकते। या तो यह होगा या वह। किन्तु इन दोनों कोटियों में कौन सत्य है और कौन असत्य इसका ज्ञान उपलब्ध नहीं है। इस अवस्था में मन एक ही धर्मी (पदार्थ) में अनेक विरुद्धकोटिक धम आरोपित करता है। इस कारण सशय की परिभाषा यों की जाती है—

“एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्धनानाकोटिक ज्ञान सशय ।”

— तर्कसमझ

उपर्युक्त उदाहरण में चित्त इन दोनों पक्षों के बीच में आन्दोलित होता रहता है—

(क) क्या यह दृश्यमान पदार्थ 'मनुष्य' है ?

(ख) अथवा मनुष्येतर वस्तु (यथा स्थाणु) है ?

इन दो विस्त्र कोटियों के बीच में दोलायमान अनुभव ही सशय कहलाता है।

विस्त्र कोटि द्वयावगाहि ज्ञान सशय ।

— सर्वदर्शनसमझ ।

सशयावस्था में किसी कोटि का निश्चय वा अवधारणा नहीं हो पाता। अतएव सर्वदर्शनसंग्रहकार कहते हैं,

अनवधारणात्मक हानि सशय

जिस प्रकार हिंडोला स्थित नहीं रहता किन्तु दो दिशाओं में भूलता रहता है, उसी प्रकार सशययुक्त ज्ञान भी 'अस्ति' और 'नास्ति' इन दो कोटियों के बीच में डोलता रहता है। चित्त की इस दोलायमान अवस्था का ही नाम सशय है। जैसा गुणरत्न पद्दशन समुच्चय वृत्ति में घटते हैं,

दोलायमाना प्रतीति संशय ।

सशय के प्रभेद——सशय के सम्बन्ध में गौतम का निम्नलिखित सूत्र है—

“समानानेक धर्मपिपत्तिविप्रतिपत्तेरुपलब्ध्यनुपलब्ध्यवस्थातथ विशेषप्रेक्षी - विमर्श सशय ।”

—त्वा० सू० १११२३

इस सूत्र के छारा सूत्रकार पाँच प्रकार के सशयों का निर्देश करते हैं—

(१) समान धर्मोपपत्ति मूलक—जैसे, यद्य शका कि दूर्यत्तीं पदाध मनुष्य है अथवा स्थाणुं यहाँ यह सन्देह उस आकार वा आयता विशेष के कारण उत्पन्न हुआ है जो मनुष्य और स्थाणु दोनों का समान वा उभयनिष्ठ धर्म है। इसलिये यद्य सशय समान धर्मोपपत्ति मूलक है।

(२) अनेक धर्मोपपत्ति मूलक—जैसे, यद्य सशय कि शब्द नित्य है अथवा अनित्य । यहाँ यद्य सन्देह इस कारण उत्पन्न होता है कि परमाणु आदि नित्य पदाध और घट आदि अनित्य पदार्थ इन दोनों में एक की भी शब्द के साथ समानधमता नहीं देखी जाती है। इसलिये यद्य संशय अनेक धर्मोपपत्ति मूलक है।

(३) विप्रतिपत्ति मूलक—एक ही विषय में दो परस्पर विरोधी सिद्धान्तों का पाया जाना 'विप्रतिपत्ति' कहलाता है। # जैसे, एक दर्शन का सिद्धान्त है कि “आत्मा है”, दूसरे दर्शन का सिद्धान्त है, “आत्मा नहीं है।” ऐसा व्याधात या विरोध देखने पर सशय होता है,

आत्मा है या नहीं?

यहाँ परस्पर विरोध देखने के कारण शंका उत्पन्न होती है। अतपव यद्य संशय विप्रतिपत्ति मूलक है।

व्याधतमेकाधंदर्शन विप्रतिपत्ति । व्याधारो विरोधो सहभाव है।

(४) उपलब्धव्यवस्था मूलक—इन्द्रियों के द्वारा सत्यदर्श की भी उपलब्धि होती है (जेसे तडागस्थित जल की) और कभी-कभी असत् पदार्थ की भी उपलब्धि होती है (जेसे मरीचिका में आभासित जल की)। इसलिये उपलब्धि की अव्यवस्था देखकर यह शुका उत्पन्न हो सकती है कि “तामने जो जल की प्रतीति हो रही है वह सत्य है या असत्य ?”

ऐसा सशय उपलब्धव्यवस्थामूलक कहलाता है।

(५) अनुपलब्धव्यवस्थामूलक—मान सीजिये, आपने सुन रखा है कि सामने किसी घटना पर प्रेत रहता है। आप इस बात का निश्चय फरने के लिये घटना के समीप जाते हैं। किन्तु वहाँ कोई प्रेत दिखलाई नहीं पड़ता। तब यह शुका उत्पन्न होती है कि “क्या प्रेत अतिहत हो जाने के कारण नहीं दिखलाई पड़ता है अथवा वह वृक्ष पर रहता ही नहीं है ?” अनुपलब्धि की अव्यवस्था के कारण ऐसा सशय होता है। अतएव यह अनुपलब्धव्यवस्थामूलक सशय कहलाता है।

धार्तिकर (उद्योगीकर) अन्तिम दोनों प्रमेदों को भी प्रथम (साधारण धर्मोपयत्ति) के ही अन्तर्गत रखते हैं। अत उनके मतानुसार सशय के केवल तीन ही प्रमेद हैं। वैशेषिक गण असाधारण धर्मोपयत्ति और विप्रतियत्ति का भी साधारण धर्म में ही अन्तर्भायि करते हैं। इस प्रकार ने साधारण धर्मोपयत्ति को ही सकल सशय का मूल समझते हैं।

सशय तभी तक बना रहता है जबतक विशेष की उपलब्धि नहीं हो। पूर्वोक्त उदाहरण को लीजिये। यहाँ विमर्श यह है “दृश्यमान पदार्थ मनुष्य है अथवा स्थाणु ?” यहाँ जबतक मनुष्यत्व का निश्चयक हस्तगादादि अव्यव वा स्थाणुत्व का निश्चयक कोटरश्वरखादि अव्यव उपलब्ध नहीं होता, तबतक इस सशय की निवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिये मूत्रकार कहते हैं,

‘ विशेषपेत्रो विमर्शं सशय ॥’

संशय और विपर्यय—विपर्यय का अर्थ है मिथ्याज्ञान। जेसे, सीप को देखकर चाँदी अथवा रजनु को देखकर सप समझ लेना। # यहाँ सत् वस्तु के स्थान में असत् वस्तु की निश्चयात्मक प्रतीति हो जाती है। किन्तु सशय में यह बात नहीं होती। यहाँ सत् या असत् इन दोनों में किसी वस्तु का निश्चय नहीं होता। सशय न तो ज्ञान कहा जा सकता है न विपर्यय—यह दोनों के वीच की अपस्था है।

मिथ्याज्ञान विपर्यय। यथा शूक्रो ‘इदं रजतम्’ इति।

मान लीजिये, आपके समक्ष एक रज्जु (रस्सी) है। उसके सम्बन्ध में प्रमा, विपर्यय और सशय, ये तीनों क्रमशः इस प्रकार होंगे।

(१) दृश्यमान पदाय रज्जु है—(प्रमा)

(२) , , सप है (विपर्यय)

(३) , , रज्जु है या सप ? (संशय)

सशय और ऊह——सशयारव्या में चित्त दा कोटियों के बीच में आन्दोलित रहता है। किन्तु जब एक कोटि की तरफ चित्त विशेष रूप से आटूष्ट हो जाता है, तब दूसरी कोटि का पलड़ा दलका हो जाता है। जेसे, मध्यरात्रि में एकान्त श्मशान प्रदेश में 'स्थाणु ग मनुष्य ?' ऐसी शका होने पर यह स्फूर्तिहोती है कि ऐसे स्थान में इस समय कोई मनुष्य क्यों आयेगा ? हो न हो, यह स्थाणु (हृँठा दृच्छ) ही है। ऐसी स्फूर्ति को 'ऊह' कहा जाता है।

सशय और ऊह में यह भेद है कि सशय में दोनों सदिग्द कोटियों तुल्य होती हैं। ऊह में एक कोटि अधिक प्रबल हो जाती है।

सशय और अनध्यवसाय—स्मृति का लोप हो जाने पर कभी-कभी परिचित वस्तु को देखकर भी इमें शका होने लगती है। "शायद इसको पहले कभी देता है। शायद इसका नाम यह है।" ऐसे अद्भूत ज्ञान का नाम 'अनध्यवसाय' है।

कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामन से काई परिचित वस्तु निकल गई, किन्तु अन्यमनस्कता के कारण उसका निश्चित ज्ञान नहा होता। यह भी 'अनध्यवसाय' है।

सशय और अनध्यवसाय में भेद है। सशय की निवृत्ति के लिये विशेष का अपलोकन आवश्यक है। किन्तु अनध्यवसाय की निवृत्ति स्मृति या ध्यान के द्वारा होती है।

सशय का महत्व——दर्शन शास्त्र में सशय का बड़ा ही महत्व है। विना सशय के जिज्ञासा नहीं होती और यिना जिज्ञासा के नवीन ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती। अत यह—

'संशयः ज्ञानप्रयोजन भवति'

संशय या प्रयोजन है ज्ञान की उपलब्धि। ज्ञान प्राप्त होने पर सशय की निवृत्ति हो जाती है, और फिर उसका कुछ प्रयोजन नहीं रहता।

प्रयोजन

[प्रयोजन और उसका विश्लेषण—प्रयोग्य भीर प्रयोजन—मुख्य भीर गौण प्रयोग—इट और अदृष्ट प्रयोग]

प्रयोजन और उसका विश्लेषण——जिस विषय को लेकर किसी कार्य में प्रयुक्ति होती है, उसे 'प्रयोजन' कहते हैं।

गौतम कहते हैं—

यमर्यमधित्य प्रवर्तते तत् प्रयोजनाम् ।

—न्या० सू० १११२४

इच्छापूर्वक जो कार्य किया जाता है, उसमें प्रायः निम्नलिखित वार्ते पाई जाती हैं—
(क) कार्यताक्षान—अर्थात् 'यद कार्य किया जाने लायक है' पेसा कान।

(ख) चिकीर्पा—अर्थात् उस कार्य को करने की इच्छा ।

(ग) कृतिसाध्यताक्षान—अर्थात् 'यद काय इस प्रकार से किया जायगा'

(घ) प्रवृत्ति—अर्थात् उस काय को करने की शान्तरिक प्रेरणा ।

(ङ) चेष्टा—अर्थात् उस कार्य को सम्पादन करने के लिये शारीरिक किया ।

इस सर्वों के अनन्तर 'क्रिया' का आचरण होता है ।

अब प्रश्न यह है कि किसी कार्यविशेष को करने की इच्छा वा प्रवृत्ति क्यों होती है ?

विना प्रयोजन के किसी काम में प्रवृत्ति नहीं होती है । कहा भी है—

प्रयोजनमनुदिश्य ७ मादोऽपि प्रवर्तते ।

यद प्रयोजन है क्या ? किसी दस्तु विशेष की प्राप्ति । यद अभिलिखित प्राप्ति ही 'उद्देश्य' वा 'प्रयोजन' कहलाती है ।

प्रयोज्य और प्रयोजन—भोजन पान आदि कायों का प्रयोगन है त्रुत्पादितय कलेश की निवृत्ति वा स्वास्थ्यसुध की प्राप्ति । यहाँ भोजन किया 'प्रयोज्य' और स्वास्थ्य प्राप्ति 'प्रयोजक' वा 'प्रयोजन' है ।

प्रयोज्य और प्रयोजन सापेक्ष शब्द है। वही किया एक पाय का प्रयोजन और दूसरे कार्य का प्रयोज्य हो सकती है। जैसे, काषाणिसग्रह काय का प्रयोजन है पाकक्रिया, और पाकक्रिया का प्रयोजन है भोजन। यद्यों पाक किया काषाणिसग्रह कार्य का प्रयोजन और भोजन काय का प्रयोज्य है। इस तरह देखने में आता है कि कायमात्र का प्रयोजन कार्यात्मक होता है।

मुख्य और गोण प्रयोजन—इस प्रकार प्रयोजनों की सोषानश्टद्वला पर आरोहण करते-करते अन्ततोगत्वा एक ऐसा अन्तिम प्रयोजन उपलब्ध होगा जिसके कारण दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। अर्थात् जो अपना प्रयोजन आप ही हो। ऐसा प्रयोजन 'मुख्य' या 'चरम प्रयोजन' (Highest End) कहलाता है। उसके नीचे और सब प्रयोजन 'गोण' हैं।

चरम प्रयोजन क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में प्राय सभी दर्शन पढ़ते हैं—
आत्मनिक दुःख निवृत्ति वा क्लेशरहित अविच्छिन्न मुख प्राप्ति। यही जीवमात्र का अन्तिम ध्येय रहता है। इसी महत्तम उद्देश्य को मोक्ष, मुक्ति, कैवल्य, अपर्बग, निःथेयस, आदि नामा प्रकार के नाम दिये गये हैं। इसी अन्तिम लक्ष्य पर पहुँचना परम पुरुषार्थ माना गया है।

मुख्य और गोण प्रयोजन का भेद गदाधर इस प्रकार घतलाते हैं—

अन्येच्छानधीनच्छाविषयत्वं मुखप्रयोजनत्वम्।

अन्येच्छाधीनेच्छाविषयत्वं गोणप्रयोजनत्वम्।

—मुकिवाद

अर्थात् जो प्रयोजन अपन ही में पूर्ण वा स्वतन्त्र है (दूसरी इच्छा का अधीनस्थ विषय नहीं है) वही 'मुख्य प्रयोजन' है, और जो प्रयोजन इच्छात्मपृत्ति का साधन मात्र है वह 'गोण' है।

मुखप्राप्ति का प्रयोजन क्या है? ऐसा प्रश्न नहीं किया जा सकता। क्योंकि मुखप्राप्ति का प्रयोजन सुख ही है, पदार्थात्मक नहीं। इसलिये सुख वा आनन्द (वा झेश निवृत्ति) मुख्य प्रयोजन माना जाता है।

दृष्टि और अदृष्टि प्रयोजन—प्रयोजन दो तरह के होते हैं—(१) दृष्टि और (२) अदृष्टि। धीजपन का प्रयोजन है अनोत्पादन। यह दृष्टि वा लौकिक प्रयोजन है। क्योंकि यहाँ प्रयोजन की सिद्धि लोक में प्रत्यक्ष देखी जाती है। यज्ञानुष्ठान का प्रयोजन है स्वर्गप्राप्ति। यह अदृष्टि वा अलौकिक प्रयोजन है। क्योंकि इस लोक में स्वर्ग का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता।

अवयव और दृष्टान्त

[पचावय—दूसरे अवयव—आवश्यक के समान में मनमेद—अवयवविशेषक सिद्धार्थ—आवश्यकों की साँझा—पचावय में प्रमाणाच्छुट्य—दृष्टान्त पा अर्थ—दृष्टान्त यो आवश्यक]

पंचावयव—परार्थानुमान के भिन्न-भिन्न अङ्ग-वापन 'अवयव' कहलाते हैं।
परार्थानुमानवायैकदेश अवयव

—६० ३० स०

ये अवयव संप्या में पाँच हैं—

(१) प्रतिज्ञा

(२) हेतु

(३) उदाहरण

(४) उपनय

(५) निगमन

इनका लक्षण और उदाहरण अनुमान के प्रकरण में किया जा सुका है। अत यहाँ प्रत्येक की व्याख्या करना पिष्ठेषण मात्र होगा।

प्रशस्तपादाचार्य इन अवयवों के नाम क्रमशः इस प्रकार यत्तलाते हैं—(१) प्रतिज्ञा (२) अपदेश (३) निदर्श (४) अनुसम्बद्ध (५) प्रत्याभ्नाय। वैशेषिक दर्शन में ये ही नाम प्रसिद्ध हैं।

दशावयव—यायमूल के भाष्यकार वात्स्यायन पचावयव की व्याख्या करते हुए पाँच और अवयवों का नामोल्लेख करते हैं। इससे पता चलता है कि उनके पूर्ण कुछ लोग अनुमान के दश अवयव मानते थे। पचावयव के अतिरिक्त और अवयवों के नाम इस प्रकार मिलते हैं—

(१) जिज्ञासा—जैसे यह जानने की

मूर्मे अभिगति है या नहीं।

- (२) सशय—यह सन्देह कि अनुमान के ठारा यहांत जानी जा सकती है या नहीं।
 (३) शक्यप्राप्ति—अथात् अनुमान सिद्ध हो सकता है ऐसा प्रियास।
 (४) प्रयोजन—अर्थात् अनुमान करने का उद्देश्य।
 (५) सशय व्युदासन—अर्थात् सभी सवहों का दूर हो जाना। (जैसे, परत पर जो धुआँ दीय रहा है वह केवल भाष्यमान तो नहीं है? ऐसे सदेहों का निराकरण।)

वात्स्यायन का मत है कि उपयुक्त घाते इति प्राप्ति म सहायक अवश्य होती है, किन्तु इन्हें अनुमान का आवश्यक अग नहीं माना जा सकता। इन्ह अनुमान का सहचर समझा चाहिये अवश्य नहीं। आर्वाचीन नैषायिक भी गीतमोक्षचाययक का ही अनुसरण करते हैं।

अवयवों के सम्बन्ध में मतभेद—अवयवों की सत्या को लेकर कई दर्शनों का न्याय से मतभद है। मीमांसा और वेदान्त के बीच तीन अवश्य मानते हैं। उनका कहना है कि प्रतिज्ञा और निगमन में कोई भेद नहीं है। प्रतिज्ञा का पुनर्वयन ही निगमन कहलाता है। तब इस व्यर्थ पुगत्कि से क्या लाभ? इस तरह हेतु और उपनय भी एक ही वस्तु है। दोनों में हेतु का सम्बन्ध पहले के साथ दिखलाया जाता है। किर मेद का रहा? जब वात एक ही है तब दो नामों की क्या आवश्यकता है? या तो हेतु रखिये या उपनय। अतएव प्रतिज्ञा और निगमन, तथा हेतु और 'उपनय का अभेद मानने से तीन ही अवश्य रह जाते हैं—

प्रतिज्ञा (निगमन)

१ हेतु (उपनय)

२ उदाहरण

अब आप या तो

(१) प्रतिज्ञा+हेतु+उदाहरण

ऐसा कम रखिये, अथवा

(२) उदाहरण+उपनय+निगमन

ऐसा नम रखिये। यात एक ही है।

वेदान्तपरिभाषा के अनुसार अनुमान का यह रूप होता चाहिये—

१	{ १ यवत् अग्नियुक्त है (प्रतिज्ञा) २ व्यर्थोंकि वह धूमयुक्त है (हेतु) ३ जसे महानस (धूमयुक्त होने से अग्नियुक्त है) (उदाहरण)
---	---

१ पदवाक्यप्रमाणानी वाक्यनप्रयोजकव शक्यप्राप्ति।

२ शेषप युदाहरणके।

अथवा—

- २ { १ जो धूमयुक्त है सो अग्नियुक्त है जैसे महानस (उदाहरण)
 २ पर्यंत धूमयुक्त है । (उपाय)
 ३ इसलिये पर्यंत अग्नियुक्त है । (निगम)

फौंकि अनुमान के लिये दो ही वातें आवश्यक हैं—(१) व्याप्ति और (२) पक्षधर्मता । (१) उदाहरण से व्याप्ति का बोध होता है । शीर (२) हेतु अथवा उपाय से पक्षधर्मता का बोध हो जाता है । इसी दोनों के सहारे (३) प्रतिक्षा अथवा निगमन की सिद्धि हो जाती है । किर तीन से प्रधिक अवयव क्वाँ मान जायें ।

अवयव विपर्यक सिद्धान्त—इसके उत्तर में नेयायिर्णों ना कहना है कि अनुमान दो अभिप्रायों से किया जाता है—

- (१) स्वनिवेशनार्थ—अर्थात् अपने ज्ञान के लिये ।
 (२) परनोधनार्थ—अर्थात् दूसरों को समझाने के लिये ।

पहले को 'स्वार्थानुमान' और दूसरे को 'परार्थानुमान' कहते हैं । स्वार्थानु-मान 'ज्ञानात्मक' होता है, अतएव उसके लिये एकल तीन ही अवयव पर्याप्त हैं । जैसे,

- १० { पर्यंत प्रग्नियुक्त है (प्रतिक्षा)
 धूमयुक्त होने के कारण (हेतु)
 महानस के समान (उदाहरण)

अथवा

- २१ { जो जो धूमयान् हे सो सो अग्निमान् हे, जैसे महानस (उदाहरण)
 पर्यंत धूमयान् हे (उपनय)
 इसलिये पर्यंत अग्निमान् हे (निगमन)

जैसे दर्शन के प्रयोग में प्राय सर्वत्र दृष्टि रूप में अनुमान पाया जाता है । न्याय प्रयोग में भी यही रूप मिलता है । ज्ञानप की दृष्टि से कभी-कभी दो ही अवयव (प्रतिक्षा और हेतु) देकर भी काम चला जाता है । जैसे, "पर्यंते वद्विमान्, धूमयान् ।" ऐसे अवयवों द्वा अध्याहार कर लिया जाता है ।

नागार्जुन के 'उपाय कौशलसूत्र' में और दिद्वानाचार्य के 'प्राय प्रवेश' में अनुमान के ऐसे रूप का विचार पाया जाता है । यह Syllogism के Birbara का अनुरूप है । केवल दृष्टि को देकर भेद पड़ता है । Syllogism में Major premise का Example इसी दिया जाता । इसलिये अगर महानस वाक्य दृष्टि इस द्वारा जाय तो यह थीरु Birbara वा जायगा ।

(२) सशय— यह सन्देह कि अनुमान के छारा यह बात जानी जा सकती है या नहीं।

(३) शक्यप्राप्ति— अर्थात् अनुमान सिद्ध हो सकता है ऐसा विश्वास।

(४) प्रयोगन— अर्थात् अनुमान करने का उद्देश्य।

(५) सशय व्युदासन— अर्थात् सभी सदेहों का दूर हो जाना। (जैसे, पश्च एवं जो धुशाँ दीख रहा है वह केवल भाष प्राप्त तो नहीं है ? परसे सदेहों का निराकरण।)

वात्स्यायन का मत है कि उपयुक्त वातें छार प्राप्ति म सहायक अवश्य होती हैं, किन्तु इह हैं अनुमान का आवश्यक अग नहीं माना जा सकता। इह हैं अनुमान का सहचर समझा चाहिये अवश्य नहीं। अर्वाचीन नैयायिक भी गौतमोक्त पञ्चानय का ही अनुसरण करते हैं।

अवयवों के सम्बन्ध में मतभेद— अवयवों की सत्या को लेकर कई दर्शनों का न्याय से मतभद है। शीर्मांसा और वेदान्त केयल तीन अवयव मानते हैं। उनका कहना है कि प्रतिश्वा और निगमन म बोइ मंद नहीं है। प्रतिश्वा का पुनर्दर्शन ही निगमन अद्वलता है। तब इस व्यय पुराक्ति से प्रया लाभ ? इस तरह हेतु और उपनय भी एक ही वस्तु है। दोर्तों म हेतु का समर्थ पक्ष के साप दिखलाया जाता है। किर मेद का रहा ? जब बात एक ही है तब दो गामों की क्वा आवश्यकता है ? या तो हेतु रखिये या उपनय। अतएव प्रतिश्वा और निगमन, तथा हेतु और उपनय का अभेद मानने से तीन ही अवयव रह जाते हैं—

प्रतिश्वा (निगमन)

१ हेतु (उपनय)

२ उदाहरण

अव आप या तो

(१) प्रतिश्वा+हेतु+उदाहरण

ऐसा क्रम रखिये, अथवा

(२) उदाहरण+उपनय+निगमन

ऐसा जस रखिये। बात एक ही है।

वेदान्तपरिभाषा के अनुसार अनुमान का यद्य रूप होना चाहिये—

१	{ १ प्रयत अग्नियुक्त है (प्रतिश्वा) २ भयोंकि यद्य धूमयुक्त है (हेतु) ३ जैसे मदानस (धूमयुक्त होने से अग्नियुक्त है) (उदाहरण)
---	--

१ पद्मावत्यप्रमाणानि हातग्रन्थप्रयोजकवे शक्यप्राप्ति।

† संक्षेप-युक्ताप्तस्तर्क ।

अथवा—

- २ { १ जो धूमयुक्त है सो अग्नियुक्त है जेने महानस (उदाहरण)
 २ परत धूमयुक्त है । (उपराय)
 ३ इसलिये परत अग्नियुक्त है (निगमन)

क्योंकि अनुमान के लिये दो ही वातें आवश्यक हैं—(१) व्याप्ति और (२) पक्षधर्मता । (१) उदाहरण से व्याप्ति का बोध होता है । और (२) हेतु अथवा उपनय से पक्षधर्मता का बोध हो जाता है । इन्हीं दोनों के सहारे (३) प्रतिक्षा अथवा निगमन की सिद्धि हो जाती है । फिर तीन से अधिक अवयव कर्मों माने जायें ?

अवयव विषयक सिद्धान्त— इसमें उत्तर में नेयापिकों का कहना है कि अनुमान दो अभिप्रायों से किया जाता है—

- (१) स्वनिश्चितार्थ—अर्थात् अपने ज्ञान के लिये ।
 (२) परोपनार्थ—अर्थात् दूसरों को समझाने के लिये ।

पहले को 'स्वार्थानुमान' और दूसरे को 'परार्थानुमान' कहते हैं । स्वार्थानु-
 मान 'ज्ञानात्मक' होता है, अतएव उसमें लिये केवल तीन ही अवयव पर्याप्त हैं ।
 जैसे,

- १ : { परत अग्नियुक्त है (प्रतिक्षा)
 { धूमयुक्त होने के कारण (हेतु)
 { महानस के समान (उदाहरण)

अथवा

- २ { जो जो धूमवान् है सो सो अग्निमान् है, जेसे महानस (उदाहरण)
 { पर्वत धूमवान् है (उपनय)
 { इसलिये पर्वत अग्निमान् है (निगमन)

‡ दृश्यन के प्रन्थों में प्राय सर्वत्र इसी रूप में अनुमान पाया जाता है । प्राय प्रायों में भी यही रूप मिलता है । लाधव की दृष्टि से कभी-कभी दो ही अवयव (प्रतिक्षा और हेतु) देकर भी काम चला जाता है । जैसे, "पर्वतो वद्विमान्, धूमवचवात् ।" श्रेष्ठ अवदायों का अध्याद्वार कर लिया जाता है ।

† नागार्जुन के 'उपाय कौसल्यसूक्त' में और दिल्लनागार्थार्थ के 'याय प्रवेश' में अनुमान के ऐसे रूप का विवान पाया जाता है । यह Syllogism के Barbari का अनुरूप है । ऐसबल दृष्टि त को सेवन भेद पर्वत है । Syllogism में Major premise का Example नहीं दिया जाता । इसलिये अगर महानस वाला दृष्टि जाय तो यह थीक Barbari बन जायगा ।

(२) सशय— यह सन्देह कि अनुमान के द्वारा यह घात जानी जा सकती है था नहीं।

(३) शब्दप्राप्ति— अर्थात् अनुमान सिद्ध हो सकता है ऐसा विश्वास।

(४) प्रयोजन— अर्थात् अनुमान करने का उद्देश्य।

(५) सशय व्युदासी— अर्थात् सभी सवहाँ का दूर हो जाना। (जेसे, पवत पर जो वुअँ दीख रहा है वह केवल भाष मान तो नहीं है ? पेसे सदेहों का निराकरण।)

वास्त्वायन का मत है कि उपयुक्त घातें ज्ञान प्राप्ति में सहायक अवश्य होती हैं, किन्तु इन्हें अनुमान का आवश्यक अग नहीं माना जा सकता। इन्हें अनुमान का सहचर समझा चाहिये अवश्य नहीं। अर्द्धचीन नैपायिक भी गीतमोक्षचावयव का ही अनुसरण करते हैं।

अवयवों के सम्बन्ध में मतभेद— अवयवों की सत्यता को लेकर कई दर्शनों का न्याय से मतभद है। शीमासा और वेदान्त केयल तीन अवयव मानते हैं। उनका कहना है कि प्रतिशा और निगमन में कोई भद्र नहीं है। प्रतिशा का पुनर्वर्चन ही निगमन कहलाता है। तर इस व्यय पुनरर्कि से क्या लाभ ? इस तरह हेतु और उपनय भी एक ही वस्तु है। दोनों में हेतु का सम्बन्ध पक्ष के साथ दिखलाया जाता है। किर भेट क्या रहा ? जब घात एक ही है तब दो नामों की क्या आवश्यकता है ? या तो हेतु रखिये या उपनय। अतपय प्रतिशा और निगमन, तथा हेतु और 'उपाय का अभद्र मानने से तीन ही अवयव रह जाते हैं—

प्रतिशा (निगमन)

१ हेतु (उपनय)

२ उदाहरण

अब आप या तो

(१) प्रतिशा+हेतु+उदाहरण

ऐसा कम रखिये, अधिका

(२) उदाहरण + उपनय + निगमन

ऐसा ज्ञान रखिये। घात एक ही है।

वेदान्तपरिभाषा के अनुसार अनुमान का यह रूप होना चाहिये—

१ { १ उपत अग्नियुक्त है (प्रतिशा)
२ क्योंकि यह धूमयुक्त है (हेतु)
३ जैसे महानस (धूमयुक्त होने से अग्नियुक्त है) (उदाहरण)

१ पदवाच्यममाणानो ज्ञान उनप्रयोजनस्य शब्दप्राप्ति।

† संयममुदासस्तर्क ।

अथवा—

- २ { १ जो धूमयुक है सो अग्नियुक है जेसे महानस (उदाहरण)
 २ परत धूमयुक है (उपनय)
 ३ इसलिये परत अग्नियुक है - (निगमन)

पर्योकि अनुमान के लिये दो ही वातें आवश्यक हैं—(१) व्याप्ति और (२) पक्षधर्मता।
 (१) उदाहरण से व्याप्ति का बोध होता है। धोर (२) हेतु अथवा उपनय से पक्षधर्मता का बोध हो जाता है। इन्हीं दोनों के लकारे (३) प्रतिक्षा अथवा निगमन की सिद्धि हो जाती है। फिर तीन से अधिक अवयव क्यों मारे जायें?

अवयव विपयक सिद्धान्त—इसके उत्तर म नैयायिकों ना कहना है कि अनुमान दो अभिप्रायों से किया जाता है—

- (१) स्वनिश्चितार्थ—अर्थात् अपने दान के लिये।
 (२) परवोधनार्थ—अर्थात् दूसरों को समझाने के लिये।

पहले को 'स्वार्थानुमान' और दूसरे को 'परार्थानुमान' कहते हैं। स्वार्थानु-
 मान 'ज्ञानात्मक' होता है, अतएव उसके लिये केवल तीन ही अवयव पर्याप्त हैं।
 जेसे,

- १/२ { परत अग्नियुक है (प्रतिक्षा)
 पूमयुक होने के कारण (हेतु)
 महानस के समान (उदाहरण)

अथवा

- २/२ { जो जो धूमयान है सो सो अग्निमान है, जैसे महानस (उदाहरण)
 परत धूमयान है (उपनय)
 इसलिये परत अग्निमान है (निगमन)

* दर्शन के प्रयोगों में प्राय सर्वत्र इसी रूप में अनुमान पाया जाता है। न्याय प्रयोगों में भी यही रूप मिलता है। लाघव की दृष्टि से कभी-कभी दो ही अवयव (प्रतिक्षा और हेतु) देकर भी काम चला लेते हैं। जैसे, "र्वेतो वद्विमान्, धूमयवात्।" शेष अवयवों का अध्याहार कर लिया जाता है।

+ नागार्जुन के 'उपाय कौसल्यसूत्र' में और विद्वनागाचार्य के 'प्राय प्रवेश' में अनुमान के ऐसे रूप का विवाद पाया जाता है। यह Syllogism के Barbari का अनुरूप है। वेचक दर्शात को लेकर भेद पूछा है। Syllogism में Major premise का Example नहीं दिया जाता। इसलिये अगर महानस वाला दर्शान्त हथा दिया जाय तो यह ठीक Barbari बा जायगा।

यहाँ व्याप्ति और पक्ष धमता के ज्ञान से ही साध्य की स्थानुमिति (Cognition) हो जाती है (अर्थात् अपने मन में निश्चय हो जाता है ।) किंतु परार्थानुमान 'शब्दात्मक' होता है । अतएव परानुमिति के लिये (दूसरे के मन में निश्चय कराने के लिये) शब्द रूपत्व (Form of Expression) होना आवश्यक है । केवल अर्थरूपत्व (Meaning) से काम नहीं चल सकता । इसीलिये पॉर्चा अवयव प्रयोग में लाये जाते हैं । इनमें प्रत्येक साथक है और अपना अपना काय करता है ।

इस बात को प्रमाणित करने के लिये यह दिखलाना होगा कि—

- (१) प्रतिज्ञा और निगमन दो मिलन भी न अवश्य हैं और दोनों की साथकता है ।
- (२) हेतु और उपनय में भेद है और दोनों आवश्यक हैं ।

अवयवों की सार्थकता——इन अवयवों का पर्याम और प्रत्येक की सार्थकता तर्कसंग्रह दीपिका में बहुत ही स्पष्टतापूर्वक दिखलाई गई है ।

(१) प्रतिज्ञा और निगमन—चस्तुत एक नहीं हैं । प्रतिज्ञा प्रतिपाद्य विषय का सिद्ध कहना है । निगमन प्रतिपाद्य विषय का सिद्ध करना है ।

साध्यवत्तया पक्ष वचन प्रतिज्ञा ।

हेतु साध्यवत्तया पक्ष प्रतिपादक वचन निगमनम् ।

प्रतिज्ञात अथ जब हेतु के द्वारा सिद्ध होकर प्रमाणित हो जाता है तभी निगमन कहलाता है, अथवा नहीं ।

प्रतिज्ञा का प्रयोजन यह है कि प्रतिपक्षी और धोता सब समझ जायें कि प्रतिपादन का विषय पक्ष है । यदि वक्ता एकाएक हेतु या उदाहरण से कथा का उपन्यास (प्रारम्भ) कर दे तो सब अकच्चरा जायेंगे कि यह क्या कहने जा रहा है, इसका मतलब क्या है । इसीलिये वक्ता पहले ही अपना अभिप्राय स्पष्ट रूप से जता देता है कि मैं यह सिद्ध करना चाहता हूँ ।

निगमन का प्रयोजन यह दिखलाना है कि आप अपन अभीष्ट साध्य पर पहुँच गय, अपनी प्रतिज्ञा को सिद्ध कर चुके । यदि आप प्रतिज्ञा कर कही से कहा बहक जायें तो वैस पता चलेगा कि आपन अपना प्रतिपाद्य विषय प्रमाणित किया या नहीं । इसीलिये अनुमान को आदि म प्रतिज्ञा और अन्त में निगमन से सम्पुटित कर दिया जाता है, ताकि कोई भी भग नहीं सके । प्रतिज्ञा प्रतिपाद्य विषय का निर्धारण करती है; निगमन उसकी सिद्धि कह सुनाता है । निगमन मानों पूर्वकथित प्रतिज्ञा पर प्रमाण की मुहर, (Q. L. D) का छाप अथात् जो कहा सो सिद्ध कर दिखाया । लगा देता है । अतएव

प्रतिज्ञा और निगमन, दोनों का अपना-अपना अलग स्थान और महत्व है। वास्तविक के साहश्य से दोनों को एक समझना भूल है।

(२) हेतु और उपनय में भी भेद है। हेतु के रूप यह कहता है कि पक्ष में लिंग की स्थिति है। उपनय यह घटलाता है कि पक्ष में व्याप्तिविशिष्ट लिंग की स्थिति है।

“व्याप्तिविशिष्ट लिंग प्रतिपादक उच्चन्मुपनय

—तर्कसंप्रह दीपिका

हेतु से केरल पक्षग्रन्थता का ज्ञान होता है। उपनय से व्याप्तिविशिष्ट पक्षग्रन्थता का ज्ञान (परामर्श) प्राप्त होता है।

हेतु के द्वारा आप यह घटलाते हैं कि “मैं अनुकूल कारण देकर अपनी प्रतिज्ञा सिद्ध करता हूँ।” उपनय के द्वारा आप यह घटलाते हैं कि “उस कारण का व्यापार (कार्य) ऐसा होता है।” अतएव हेतु और उपनय दोनों भिन्न भिन्न अपनय हैं और दोनों की अपनी-अपनी जगह में आवश्यकता है।

पंचावयव में प्रमाणचतुष्टय—पंचावयव के पक्ष म वात्स्यायन एक विलक्षण युक्ति देते हैं। उनका कहना है कि पंचावयव में चारों प्रमाण आ जाते हैं।

“आगम प्रतिज्ञा । हेतुरुमानम् । उदाहरण प्रत्यक्षम् ।

उपनयन्मुपमानम् । सर्वेषामेकार्थसमग्रये सामर्थ्य—

प्रदर्शनं निगमनमिति । सोऽयं परमो याय इति ॥”

(वात्स्यायन भाष्य ११११)

इसको यों समझिये। आप कहते हैं—

१ पर्वत अग्निमान् है (प्रतिज्ञा)

यह शब्द प्रमाण हुआ।

२ क्योंकि पर्वत धूमवान् है (हेतु)

यह अनुपान प्रमाण हुआ।

३ जो धूमवान् है सो अग्निमान् भी होता है,

जसे महानस (उदाहरण)

यह प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ।

४ इसी प्रकार (धूमवान्) यह पर्वत भी है (उपनय)

यह उपमान प्रमाण हुआ।

इस तरह दोनों प्रकार के प्रमाण आ गये। इस प्रमाण चतुर्थ का सम्मेलन हान से जो फल (निष्कर्ष) निकलता है, वही 'निगमन' कहलाता है। इसलिये निगमन को परम न्याय (अनितम निष्पत्ति) कहते हैं।

दृष्टान्त का अर्थ—दृष्टान्त का अर्थ है।

दृष्टोऽती निष्क्रियो येन स दृष्टात्

जिसको देखने से किसी घात का निश्चय हो जाय, उसे 'दृष्टान्त' कहते हैं।
गौतम कहते हैं,

लौकिक परीक्षकाणां यस्मि नर्थे युद्धिसाभ्य स दृष्टात्

जिस प्रिय में लौकिक और परीक्षक दोनों का एक मत हो वह दृष्टात् कहलाता है।

लौकिक व्यक्ति साधारण शुद्धि के अनुसार प्रिय को जैसा देखता है, वेसा ही मान लेता है। इन्तु परीक्षक तक प्रमाणादि द्वारा उसमी अच्छी तरह ध्यानधीन कर तत्त्वों का अनुसन्धान करता है। इस प्रकार लौकिक और परीक्षक के दृष्टिकोण भिन्न देखते हैं। इन्तु दृष्टान्त को दोनों ही मानते हैं। उस प्रिय में किसी का मतभेद नहीं पाया जाता। इसलिये भाष्यकार कहते हैं,

यत्र लौकिक परीक्षकाणां दर्शन न व्याह यते स दृष्टात् ।

सर्वदर्शन सग्रहकार कहते हैं—

व्याप्तिसंग्रहन मूलि दृष्टात्

व्याप्ति सम्बन्ध का ध्यान जिसके आधार पर होता है वही 'दृष्टान्त' है। जैस, धूम और अग्नि में जो व्याप्ति सम्बन्ध है, वह उसे जाना जाता है? दोनों का साहचर्य देखन से। यह साहचर्य कहाँ-कहाँ पाया जाता है? रसोइ घर, यज्ञशाला इत्यादि में। ऐसे ही-एसे स्थान उस व्याप्ति के आधार स्थल हैं। अत ये दृष्टान्त या उदाहरण कहे जाते हैं।

दृष्टान्त के प्रभेद——दृष्टात् दो तरह के होते हैं—(१) साधर्म्य दृष्टान्त और (२) वैधर्म्य दृष्टान्त। अन्य का उदाहरण 'साधर्म्य दृष्टात्' कहलाता है। जैसे, रसोइ घर में धूम और अग्नि का साहचर्य भाव। यह साधर्म्य दृष्टात् है। व्यतिरेक पा उदाहरण 'वैधर्म्य दृष्टान्त' कहलाता है। जैस, जलाशय में धूम और अग्नि दोनों का अभाव है। यह वैधर्म्य दृष्टात् है।

दृष्टान्त की आवश्यकता——उदाहरण को लकर जैनदर्शनकारों न कुछ दीपा टिप्पणी की है। दिव्यनागाचार्य आचार्य (Positive) और व्यतिरेक (Negative) दोनों प्रकार के दृष्टान्त देना आवश्यक समझते हैं। यथा—

‘जहाँ नहीं पूँग है तहाँ नहीं अग्नि है’

जैसे महानस मे अग्नि है (Positive Instance)

और कील मे अग्नि नहीं है (Negative Instance)

इसमे विपरीत घमकीति अपने यायनिदु में एक भी दृष्टान्त देना आवश्यक नहीं समझते। उनके अनुसार

“जहाँ-जहाँ पूँग है तहाँ-तहाँ अग्नि है।”

यह व्यासितोधक वाक्य ही पर्याप्त है। इसीमें सब उदाहरण अत्यर्थक हो जाते हैं। अतएव महानस या भील का दृष्टान्त देना विलुप्त न व्यथ है।

उद्योतकर तथा प्रशस्तपाद प्रभृति आचार्यों ने उदाहरण की सार्थकता सिद्ध करने की चेष्टा है। न्यायशास्त्र जिना उदाहरण के किसी व्यासि को प्रदण नहीं करता। इसका कारण यह है कि यदि उदाहरण का अन्यत नहीं हो तो कोई विलुप्त असत्य व्यासि के बल पर भी अपना पहला सिद्ध कर सकता है। जैसे, “देवदत्त सिर के पन चनता है फर्मांकि वह मनुष्य है।” यदाँ इस मिथ्या व्यासि सम्बन्ध की कल्पना की गई है कि—जो-जो मनुष्य है सो सिर के बल चलता है। पाश्चात्य Formal Logic इस अनुमान को चुपचाप प्रदण कर लेगा। किन्तु न्याय इसको प्रदण नहीं करेगा। प्राच्य तर्फशास्त्र में Purely Formal Reasoning नाम की कोई चीज़ ही नहीं मानी जाती। यदाँ जो अनुमान है वह सब Formal, Material दोनों है। अतएव नैयायिक ऐसी व्यासि की कल्पना सुनते ही चट पूछ वैठेगा—“अच्छा यताओ, तुम्हारा दृष्टान्त क्या है।” अब जो विलुप्त असत्य थात है उसका दृष्टान्त कहाँ से दिया जायगा? यस, एक भी गताह नहीं मिलने से मुक्तहमा तुरत खारिज हो जाता है।

अब यात रही हो दृष्टान्त देने की। इसको नैयायिक आवश्यक नहीं समझते। दृष्टान्त का काय है व्यासि का सम्बन्ध दिखलाना न कि उसे सिद्ध करना। यदि दृष्टान्त का कार्य व्यासि को सिद्ध करना मान लिया जाय तो केवल दो दृष्टान्तों से भी तो काम नहीं चल सकता है। क्योंकि अवय-व्यतिरेक का एक एक दृष्टान्त देकर कहा जा सकता है कि “जहाँ जहाँ पानी रहता है तहाँ तहाँ मेंडक रहता है।” जैसे तालाब में पानी है तो मेंडक भी है। (अन्य) और रमेश की दोसी में मेंडक नहीं है तो पानी भी नहीं है (व्यतिरेक)।” किन्तु इतने ही से व्यासि की सिद्धि तो नहीं हो जाती। इसलिये यदि एक दृष्टान्त अपर्याप्त है तो वो भी अपर्याप्त है। लेकिन दृष्टान्त जो दिया जाता है सो व्यासि को प्रमाणित करने के अभिप्राय से नहीं, वरन् उसे प्रदर्शित करने के अभिप्राय से। इसलिये जैसे ही वैसे एक। अत लाघव के विचार से एक ही दृष्टान्त दिया जाता है।

६ व्यासि की सिद्धि कैसे होती है इसके लिये

— व्यय।

सिद्धान्त

सिद्धान्त का लक्षण— सर्वतन्त्रसिद्धान्त— प्रवृत्तसिद्धान्त— अधिकरणसिद्धान्त— अभ्युपगमसिद्धान्त]

सिद्धान्त का लक्षण— सिद्धान्त का अर्थ है,

सिद्ध अन्त येन स सिद्धान्त

जिसके द्वारा किसी विवादास्पद विषय का अंत या समाप्ति हो जाय, उसीका नाम है 'सिद्धान्त' ।

सिद्धस्य सत्त्विति सिद्धान्त

कोइ विषय प्रमाण द्वारा सिद्ध या स्थापित हो जाने पर 'सिद्धान्त' कहलाता है ।

गौतम कहते हैं—

त आधिकरणाभ्युपगमसत्त्विति सिद्धान्तः

—न्या० स० १११२६

अर्थात् तत्र, अधिकरण या अभ्युपगम के सहारे ही सिद्धान्त स्थापित होता है । इस बात का स्पष्टीकरण आगे किया जाता है ।

सिद्धान्त चार प्रकार के होते हैं*— (१) सर्वतन्त्र (२) प्रतितन्त्र (३) अधिकरण और (४) अभ्युपगम ।

(१) सर्वतन्त्र सिद्धान्त—

सर्वतन्त्राविरुद्धता श्रोडिष्टितोऽर्थे सर्वतन्त्रसिद्धान्तः

—न्या० स० १११२८

पहाँ तत्र शब्द का अर्थ है शास्त्र । इसलिये सर्वतन्त्र सिद्धान्त का अर्थ हुआ सर्वशास्त्रमयत सिद्धान्त । जिस सिद्धान्त को सभी मानते हों, जिसके विषय में किसीका मतभेद नहीं हो, वह सर्वतन्त्र सिद्धान्त है । जैसे, 'इट्रियों के द्वारा विषय महण होता है' । यह सर्वतन्त्र सिद्धान्त है ।

* अभ्युपगम प्रमाणे स्थादाभिमानिक सिद्धिभि । किंतु तत्र सर्वतन्त्रादिमेदात स च चतुर्विध ॥

(२) प्रतितन्त्र सिद्धान्त--

समानता ग्रसिद्ध परत ग्रासिद्ध प्रतित ग्रसिद्धात्

—न्या० दू० ॥१।२४

जो सिद्धान्त सर्वसम्मत नहीं हो, जिसको कुछ शास्त्र मानें श्रीर कुछ शास्त्र नहीं मानें, यद्य 'प्रतित' ग्र सिद्धात्' यहलाता है । जैसे, शब्दानित्यत्ववाद (अर्थात् शब्द अनित्य है) । यह नैयायिकों का सिद्धान्त है, किंतु मोर्मासक इसे नहीं मानते । अत यह प्रतितन्त्र सिद्धान्त है ।

(३) अधिकरण सिद्धान्त--

यत्सिद्धान्तयप्रकरणसिद्धि सोऽधिकरणसिद्धात्

—न्या० दू० ॥१।२५

जिस सिद्धान्त को मान लेने पर फतिष्य अधीनस्थ विषयात्तर भी आप-ही आप स्वीकृत हो जाते हैं, उसे 'अधिकरण सिद्धान्त' कहते हैं । जैसे, पुनर्जन्मवाद मानने पर आत्मा का अस्तित्व और उसका शरीर से पार्यक्य आप ही आप प्रतिष्ठन हो जाता है ।

(४) अभ्युपगम सिद्धान्त—

अपरीक्षिताभ्युपगमात्तद्विरोपपरीक्षणम् अभ्युपगमसिद्धात्

—न्या० दू० ॥१।२६

फिसी अपरीक्षित घस्तु को विचारार्थ धोड़ी देर के लिये स्वीकार कर लेना 'अभ्युपगम' (Assumption) कहलाता है । पुराः परीक्षामन्तर जिस सिद्धात पर पहुंचा जाता है, वह 'अभ्युपगम सिद्धान्त' कहलाता है ।

जैसे, चार्वाक प्रभृति लोकायत मतवालों का कहना है कि पुनर्जन्म नहीं होता । अथ नैयायिक कहते हैं "अच्छा, धोड़ी देर के लिये मान लिया कि पुनर्जन्म नहीं होता, शरीर के भस्मीभूत होते हुए ही सब कुछ नि शेष हो जाता है । तब इस जन्म में किये हुए कर्मों का कल कौन भोगता है ? और यदि कर्म का कल नहीं मिलता तो फ्या पाप पुण्य, वन्धन, मोक्ष ये सब कपोलकटिपत हैं ? और यदि ये सब कलिपत हैं तो क्या उनके प्रतिपादक वेद धर्मशास्त्रादि सभी भूठे हैं ? किंतु ये सब आत वचन होने के कारण प्रामाणिक हैं, उनमें मिथ्यात्व का आयोगण नहीं किया जा सकता । अतएव पुनर्जन्म का सिद्धान्त मानना ही पड़ेगा । इस प्रकारके सिद्धान्त को अभ्युपगम सिद्धान्त (Reductio ad absurdum) कहते हैं ।

तर्क और निर्णय

[तर्क की परिभाषा - तर्क का स्वरूप - गीतमोक्त तर्केश्वराली ममायवापिदार्थसङ्ख - तर्कमुद्रप्रभेद - आत्मानम्, अन्योन्याभ्य चतुक, अनवस्था] — निषेध]

तर्क की परिभाषा — तक की परिभाषा यों ही जाती है—

व्याप्तिरापेण व्याप्तिकारोपस्तर्क

अर्थात् व्याप्ति के आरोप द्वारा व्यापक का आरोप करना तर्क है।

अब इसका भाव समझिये। आप देखते हैं, पदाङ् पर धुश्रो उठ रहा है। यद् देखकर आप मन में तक करते हैं,

“ यद्यप्राप्तमाव स्यात् तहि धूमाभाव स्यात् ”

यदि यहाँ अग्नि का अभाव रहता तथ तो धूम का भी अभाव होता।

जहाँ जहाँ अग्नि का अभाव होता है, तहाँ-तहाँ धूम का भी अभाव होता है। इसलिये अग्न्यभाव और धूमभाव में व्याप्तिव्यापक सम्बन्ध है। अर्थात् अग्न्यभाव व्याप्ति और धूमभाव व्यापक है। यहाँ अग्न्यभाव (व्याप्ति) के आरोपण से धूमभाव (व्यापक) भी आरोपित हो जाता है, जो प्रत्यक्षविशद है। इसलिये व्याप्ति का आरोपण (अग्न्यभाव) मिथ्या सिद्ध होता है। इस तरह अग्न्यभाव का मिथ्यात्व सिद्ध होने से उसका प्रतिकूल यानी अग्नि का भाव सुचित होता है। यही तर्क या Indirect proof है।

ताकिकरक्षा में तक के उपयुक्त समस्त अङ् इस प्रकार गिनाये गये हैं—

व्याप्तिस्तर्कप्रतिहति रसान विपर्यये।

अनिष्टानुकूलत्वमिति तकान्तपञ्चकम्।

तर्क का स्वरूप — नैयायिक गण नक्क औ स्वतन्त्र प्रमाण की कोटि में नहीं गिनते। क्योंकि यद् स्वतं प्रमा या निश्चितायष्मान का कारण नहीं होता। सहायक या अनुग्राहक अप्रश्य होता है। इसीलिय कहा गया है,

प्रमातुप्राहकस्तर्क

पूर्वोंके उदाहरणमें जो तक दिखताया गयाहै, उद पर्यंत पर अग्नि होनेके अनुमानमें प्रवल सदायकहै। ०

तर्कका काम यहीहै कि यद विषयको कल्पनाको निर्मूल कर देताहै। इस तरह स्वपदको प्रवल करनेका नाम 'अनुप्राह'है।

पत्ते विषज्ञजिहासानिच्छेदस्तदुग्रह ।

शतपथ तर्क प्रमाणका अनुप्राहक कहा जाताहै।

गौतमोक्त तर्कप्रणाली—गौतम तक की परिमाणयां पद्धतेः—

अविज्ञात तत्त्वेऽर्थकारणोपतिस्तप्तज्ञानार्थं मूहसर्कः । गौ० सू० १।१।४०

अर्थात् जिस विषयका तत्त्वज्ञान उत्पन्न नहींहै, उस विषयका तत्त्वज्ञान (यथार्थ ज्ञान) प्राप्त करनेके लिये कारणीकी उपपत्तिकरतेहुए एक पदाकी सम्भावना (उद)का नाम तर्कहै।

जिस वस्तुका तत्त्वज्ञान नहींहै, उसका तत्त्व जननकी इच्छा स्वभावत उत्पन्न होतीहै। इस इच्छाको जिहासा पद्धतेहै। जिहासा उत्पन्न होनेपर प्रश्न उठताहै—“इसका कारण यद है यथा यह १” यथा दो भिन्न भिन्न पक्ष उपस्थित होनेहैं। दोनोंमें कौन सा सत्यहै, यद सन्देह उत्पन्न होताहै। इन्हें ‘संशय’या ‘विमर्श’कहतेहैं।

अब इस शंकाका समाधान किनेहो? दो परस्पर विरोधी धर्म तो एक साथ रहनहीं सकते। दोनोंमें एक का परित्याग कर दूसरेका ग्रहण करनाहोगा। किन्तु दोनोंमें यथार्थ धर्मकीनसा है यद किसे जाना जायगा?

ऐसीही संशयावलयमें 'तर्क'का प्रयोगजनहोताहै। सदिग्ध पक्षोंमें जिस ओर कारणीकी उपपत्तिदेखनेमें आतीहै, उसीकी सभायनामानीजातीहै। इसी सभायनामें अथवा 'अनुज्ञा'को तर्ककहतेहै।

एक दृष्टातसेयद धात भली भाँति समझमेंआ जायगी। मानलीजिये, आत्माकेसम्बन्धमें जिहासाहै। प्रश्न यद है कि—आत्माकी उत्पत्तिहोतीहै या नहीं? यहाँदो परस्पर विरोधी धर्महैं—(१) उत्पत्तिधर्म और (२) अनुत्पत्तिधर्म। इन दोनोंमें कौनसा सत्यहै? यही संशय या विमर्शहै।

७ जैवातकमार्गकार कहतेहैं—“तथा हि पर्वतोऽर्थं साविनः उत्तानग्नि इति सदेशनमत्तरं यदि कार्यवाच्यते अनग्निरिति तदा त प्रति ‘यथयमानिनरभविद्गतिहि भूमवानानविष्वद् इत्यवद्विमर्शे नापूर्वपरम प्रस्तुत्वं क्रियते। स चानिष्ट प्रस्तुत तर्क उच्चते। पव्र प्रत्यक्ष तक अनग्निमात्रव्य प्रतिवेगान् अनुमानस्य भवत्यनुप्राहक इति।”

तर्क और निर्णय

[तर्क की परिभाषा - तर्क का स्वरूप - गौवमोक्त तर्कप्रणाली प्रमाणप्रिवार्पनसङ्ग - तर्कानुगतप्रभेद - अतिवाक्य, अल्पोन्वाद्य चक्रक, अनवस्था] —निर्णय]

तर्क की परिभाषा—तक की परिभाषा यों की जाती है—

व्याप्तिरापेण०व्याप्तिरोपस्तर्क

अर्थात् व्याप्ति के आरोप द्वारा व्यापक का आरोप करता तर्क है।

अब इसका भाव समझिये। आप देखते हैं, पटाड़ पर धुआँ उठ रहा है। यह देखकर आप मन में तक करते हैं

“ यद्यन्नार्यभाव स्यात् तद्हि धूमाभाव स्यात् ”

यदि यहाँ अग्नि का अभाव रहता तर तो धूम का भी अभाव होता।

जहाँ जहाँ अग्नि का अभाव होता है, तद्हाँ तद्हाँ धूम का भी अभाव होता है। इसलिये अग्न्यभाव और धूमाभाव में व्याप्तिरापक समन्वय है। अर्थात् अग्न्यभाव व्याप्ति और धूमाभाव व्यापक है। यहाँ अग्न्यभाव (व्याप्ति) के आरोपण से धूमाभाव (व्यापक) भी आरोपित हो जाता है, जो प्रत्यक्षिविश्वद है। इसलिये व्याप्ति का आरोपण (अग्न्यभाव) मिथ्या सिद्ध होता है। इस तरह अग्न्यभाव का मिथ्यात्व सिद्ध होने से उसका प्रतिकूल यानी अग्नि का भाव स्वचित होता है। यहीं तर्क या *Indirect proof* है।

ताकितरक्षा में तर्क के उपयुक्त समस्त अङ्ग इस प्रकार गिनाये गये हैं—

व्याप्तिस्तर्कार्प्रतिहति रपसान विपर्यये ।

अनिष्टानुकूलत्वमिति तकाङ्गपञ्चकम् ।

तर्क का स्वरूप—नैयायिक गण नक्क को स्वतन्त्र प्रमाण की कोटि में जहाँ गिनते। क्योंकि यह हमत प्रमा या निश्चिताद्यहान का पारण नहीं होता। सहायक या अनुप्रादक अपरिणय होता है। इसीलिये कहा गया है,

प्रमाणुप्राहकस्तरं

पूर्वोक्त उदाहरण में जो तर्क दिखलाया गया है, वह पर्वत पर अग्नि होने के अनुमान में प्रबल सहायक है। *

तर्क का काम यही है कि वह विपक्षी की कटपना को निर्मूल कर देता है। इस तरह स्वपद को प्रबल फरने का नाम 'अनुप्राहक' है।

पक्षे विपक्षजिज्ञासानिष्ठेदस्तुदुनपह ।

अतएव तर्क प्रमाण का अनुप्राहक कहा जाता है।

गौतमोक्त तर्कप्रणाली—गौतम तर्क की परिभाषा यो कहते हैं—

अविज्ञात तत्त्वेऽर्थेकारणेऽपतिस्तत्त्वानार्थं मूहस्तर्कः । गौ० स० १।१४०

अथात् जिस विषय का तत्त्वज्ञान उपलब्ध नहीं है, उस विषय का तत्त्वज्ञान (यथार्थ ज्ञान) प्राप्त करने के लिये कारण की उपपत्ति परते हुए एक पक्ष की सम्भावना (जह) का नाम तर्क है।

जिस यहतु का तत्त्वज्ञान नहीं है, उसका तत्त्व जानने की इच्छा स्वभावत उत्पन्न होती है। इस इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। जिज्ञासा उत्पन्न होने पर प्रश्न उठता है—“इसका कारण यह है यथा वह?” अब दो भिन्न भिन्न पक्ष उपस्थित होते हैं। दोनों में कौन सा सत्य है, यह सन्देह उत्पन्न होता है इसे ‘संशय’ या ‘विमर्श’ कहते हैं।

अब इस शंका का समाधान किसे हो? दो परस्पर विरोधी धर्म तो एक साथ रह नहीं सकते। दोनों में एक का परित्याग कर दूसरे का ग्रहण करना होगा। किन्तु दोनों में यथार्थ धर्म कीन-सा है यह किसे जाना जायगा?

ऐसी ही संशयावस्था में 'तर्क' का प्रयोगन होता है। सदिग्ध पक्षों में जिस ओर कारण की उपपत्ति देखने में आती है, उसी की सम्भावना मानी जाती है। इसी सम्भावना अथवा 'अनुशा' को तर्क कहते हैं।

एक दृष्टान्त से यह बात भली भाँति समझ म आ जायगी। मान लीजिये, आत्मा के सम्बन्ध में जिज्ञासा है। प्रश्न यह है कि—आत्मा की उत्पत्ति होती है या नहीं? यहाँ दो परस्पर विरोधी धर्म हैं—(१) उत्पत्ति धर्म और (२) अनुत्पत्ति धर्म। इन दोनों में कौन सा सत्य है? यही संशय या विमर्श है।

छ जैसा तर्कमांगकार कहते हैं—‘तथा हि पवतोऽयं साग्निः उत्तानिन् इति सदेशान्तरं यदि कश्चिम-यते अनग्निरिति तथा तं प्रति ‘यद्यप्तमनग्निरभविष्यत्तर्हि भूम्बाना नविष्यत् इत्यवहिमावे नाध्यमवस्थं प्रक्षम्भने किष्यते। स चानिष्ट प्रसाग तक उच्यते। पूर्वे प्रृत्त तर्कं अनग्निमत्त्वस्य प्रतिक्षेपत् अनुमानस्य भवत्यनुप्राहक इति।’

इसी सद्व्याप्ति में तक आकर हमारी सद्व्याप्ति करता है। वह देखता है कि दोनों में इस पक्ष की समावना है।

मान लीजिये आत्मा उत्पत्तिभमर्फ है। अर्थात् नवीन शरीर के साथ नवीन आत्मा की भी उत्पत्ति होनी है। किन्तु एसा मानन से यह प्रश्न उठेगा कि इन दोनों में (शरीर-और आत्मा में) समरप किस कारण से होता है? यदि यह कहिये कि "पूर्व कर्म के फल से" तो यह युक्ति असत्तम है, क्योंकि आत्मा का अस्तित्व शरीर के पृथक् तो आप मानते ही नहीं। फिर उसका पृथक् कर्म क्यसे समर होगा? और जब पूर्ण कर्म नहीं है तब आत्मा को सुख या या दुःख का भोग क्यों करना पड़ता है? सुख और दुःख कर्म ही के तो फल है। जब आत्मा का पूर्णांजित कर्म ही नहीं है, तब उसे सुख दुःख की प्राप्ति भी नहीं दोनी चाहिये। क्योंकि यिना कारण के नाय नहीं होता। परंतु यह प्रत्यक्ष देखन में आता है कि आत्मा का शरीर के साथ सम्बन्ध होता ही नाना प्रकार के सुख दुःख उसे भोगने पड़ते हैं। यदि आत्मा उत्पत्ति धमक होता तो उसको पूर्वस्वकार नहीं रहता और पृथक् स्वकार के अभाव में सुख दुःख का भी भोग नहीं करना पड़ता।

इस तर्कप्रणाली के अनुसार हम इस सिद्धान्त पर पहुँचते हैं कि—

"आत्मा अनुत्पत्ति धमक है"

प्रमाणवाधितार्थ प्रसङ्ग—उपर्युक्त तर्क प्रणाली को नैयायिक लोग 'प्रमाण-वाधितार्थ प्रसङ्ग' कहा करते हैं। पाश्चात्य देशों में यह Reductio ad absurdum के नाम से प्रख्यात है। दो हजार वर्ष पहले यूनान के प्रसिद्ध विद्वान् यूक्लिड ने इसी तर्क-प्रणाली के द्वारा रेखागणित के कई साध्यों को सिद्ध किया है। जहाँ सीधा प्रमाण (Direct Proof) नहीं मिलता यहाँ इसी तर्क पद्धति का शाब्द्य लिया जाता है। किसी विषय को प्रतिपादित करने के दो भाव होते हैं—

(१) एक तो अपने पक्ष को लेकर युक्तियों के द्वारा उसकी पुष्टि करना।

(२) दूसरे, अपने से प्रतिकूल पक्ष को लेकर उसकी असारता दिखलाना।

उपर्युक्त तर्क में दूसरे पद्धति (Reductio ad absurdum) का अनुलम्बन किया गया है। अर्थात् प्रतिकूल पक्ष की असारता दिखला कर प्रकारान्तर से अपना पक्ष स्थापित किया गया है।

इस प्रकार जिस सिद्धान्त पर पहुँचा जाता है, यह 'अन्युगम सिद्धान्त कदलाना है। *

* द्वितीय सिद्धान्त का प्रकारण।

तर्कानुगत भेद—नवीन नैयायिक तक के अन्वर्गत ये पांच प्रमेद मात्र हैं—
 (१) प्रमाणवाधितार्थ प्रसग, (२) आत्माश्रय, (३) अयोग्याश्रय, (४) चक्रकाश्रय और
 (५) अतवस्था । इनमें प्रथमोक्त भेद (प्रमाणवाधितार्थ प्रसग) ही मुख्य और प्रामाणिक है ।
 इसका वर्णन पहले ही हो चुका है । शेष चारों तर्क सदोष समझे जाते हैं । इनका परिचय
 यहाँ दिया जाता है ।

(१) आत्माश्रय—

स्वापेक्षापादकोडनिष्ट प्रसङ्ग आत्माश्रय

जिस प्रसग में अपनी ही अपेक्षा आ पड़ती है, उसे 'आत्माश्रय' कहते हैं ।

जेसे, 'यदि पृथ्वी गन्धवती नहीं रहती तो उसमें गन्ध कैसे आता ?'

यहाँ गन्धवता अपनी सिद्धि के लिये स्वयं अपनी (गन्ध की) अपेक्षा रखता है ।

अतएव यदि आत्माश्रय दोष (*Petitio Principi*) हुआ ।

(२) अन्योन्याश्रय—

स्वापेक्षापेक्षितत्वनिवारनोडनिष्ट प्रसङ्ग अन्योन्याश्रय

जिस प्रसग में दो पदार्थ एक दूसरे की अपेक्षा वा सहायता पर अवलम्बित हों, यहाँ 'अन्योन्याश्रय' जानना चाहिये ।

जेसे, "यदि वेद नहीं रहता तो ईश्वर का प्रमाण कैसे होता ?" और यदि ईश्वर नहीं रहता तो वेद का प्रमाण कैसे होता ?"

यहाँ वेद और ईश्वर दोनों की सिद्धि परस्परसापेक्ष है । अत अन्योन्याश्रय दोष (Mutual Dependence) जानना चाहिये ।

(३) चक्रक—

स्वापेक्षणीयापेक्षितसापेक्षत्व निवारनोडनिष्टप्रसङ्गरचक्रम् ।

जिस प्रसग में अनेक पदार्थ परस्पर सापेक्ष भाव से चक्राकार अवलम्बित हों, उसे 'चक्रक' (Circular Reasoning) कहते हैं ।

मान लीजिये । देवदत्त सोया हुआ है । कोई शब्द सुनकर यदि जाग पड़ता है । यहाँ यदि कोई इस प्रकार तर्क करे कि—

" यदि देवदत्त को शब्द श्रवण नहीं होता तो जागृति कैसे होती ? "

" यदि इन्द्रियार्थसन्निकर्ष नहीं होता तो शब्द श्रवण कैसे होता ? "

" यदि जागृति नहीं रहती तो इन्द्रियार्थसन्निकर्ष कैसे होता ? "

तो यह 'चक्रक' का उदाहरण होगा। क्योंकि यहाँ जागृति धरण पर, अवश्य इन्द्रियाथ सम्बन्धित पर, और इन्ड्रियार्थसम्बन्धित पुन जागृति पर निभर फरता है।
इस प्रकार यों चक्र (Circle) घर जाता है।



(४) अनवस्था—

'अव्यवस्थितपरम्परारोपाधीनानिष्टयसम्' अनवस्था।

जिस प्रसंग में परम्परा का आरोपण करते-करते कहीं विराम का अन्त न होते पावे, उसे 'अनवस्था' कहते हैं। पारचात्य तक्षशास्त्र म इसे *Regressum ad infinitum* वा *Infinite Regress* कहते हैं।

एक उदाहरण लीजिये।

'यदि इस वृक्ष का कारण थीज नहीं हाता, तो यह वृक्ष कहाँ से आता ?'

'यदि उस थीज का कारण वृक्ष (१) नहीं होता, तो यह थीज कहाँ से आता ?'

'यदि उस वृक्ष (२) का कारण थीज (२) नहीं होता, तो यह वृक्ष कहाँ से आता ?'

'यदि उस थीज (२) का कारण वृक्ष (३) नहीं होता, तो यह थीज कहाँ से आता ?'

—

X

X

X

इस प्रकार घड़े चल जाइये। इस सिलसिले का कहाँ आत नहीं होगा। इस तरह के तर्क से किसी पद की व्यवस्था वा सिद्धि नहीं हो सकती। अत इसे 'अनवस्था' दोष कहते हैं।

प्राचीन ऐतायिक इन पञ्चविध प्रमेदों के अतिरिक्त और भी छ प्रमेद घटलाते हैं।

(१) व्याधात (Contradiction)—जैसे, यह कहता कि "मं भूक हूँ!" इसे 'वदतोव्याधात' (Self-contradiction) कहते हैं।

(२) प्रतिविनियोगना—(Opposite hypothesis)

(३) कल्पनालापन—(Inadequate hypothesis)

(४) कल्पनागौरव—(Redundant by policy)

(५) उत्सर्ग—सामान्य नियम (General Rule)

(६) अपवाद—विशेष नियम (Exception)

इस प्रकार तर्क के एकादश प्रभेद हो जाते हैं। किन्तु आधुनिक नैयायिक इन्हें तर्क की कोटि में परिणामित नहीं करते।

निर्णय—सशब्द या विमर्श होने पर दोनों पक्षों को तौताहर जिस निश्चय पर पर्युचा जाना है, वह निर्णय (Ascertainment) कहलाता है। गौतम कहते हैं—

निमृश्य पक्षप्रतिपक्षाभ्यामयविभारण निर्णय

—स्था० स० ॥ ११४१

दो परस्पर विरोधी पक्षों में एक पक्ष अथवा ही असत्य होगा। एक के प्रतिपेद से दूसरे की स्थापना अपश्यमभावी है। लिटिट एक का परिवार और अवाधित पक्ष का ग्रहण करना ही प्रमाणशास्त्र का प्रयोजन है। जिस पक्ष की प्रमाण द्वारा सिद्धि होती है, उसीका अपधारण या निश्चितार्थतान 'निरुप' कहलाता है। अत भाष्यकार उपर्युक्त सूत्र की व्याख्या करते हुए कहते हैं।

[स्थापना साधनम् । प्रतिपेद उपालभा । ती साधनोपालभी पक्षप्रतिपक्षाश्वै व्यतिपक्षा-
वतुवधेन प्रवर्त्तमानी पक्षप्रतिपक्षावित्युच्येते] तयोरयतरस्य निवृत्तिरेकतरस्यावस्थानमवश्यमावि ।
यस्यावस्थान तस्यावधारणी निर्णयः ।

जहाँ दोनों पक्ष समान रूप से मीजूद रहते हैं, यदाँ निर्णय किस प्रकार किया जाता है? किसी विशेष पदार्थ के अवनमन से। एक दृष्टात लीजिये। अंधेरे में यह सशब्द हो रहा है कि द्वूरवर्ती वस्तु मनुष्य है अथवा स्थाणु (हैंठा वृक्ष)? अब इस सम्बद्ध का निराकरण तयतक नहीं हो सकता जबतक आपको कोई विशेष चिह्न न दिखलाई पडे। यदि आपको उसमें सिर या हाथ दिखाई पड़ जाय तो तुरत निश्चय हो जायगा कि यह मनुष्य है। २ यदों निश्चायक वस्तु नहीं है। अब यह विशेष का दर्शन। यही निर्णय का साधन (Crucial Instance) है। इसीके द्वारा निश्चितार्थ या अपधारण (ज्ञान) होकर संशय दूर हो जाता है। अत निरुप की परिभाषा इस प्रकार भी की जाती है—

१ स्थाणुपृष्ठयोर्लद्वता मात्राद्याद्याक्षोचनाद्विरोपेषु प्रत्यवेषु भवति विशेषानुस्मरणात् किमवं स्थाणु
पृष्ठो वा इति संशयोपती यिति पात्रादिदर्शनात् पुरप पृष्ठम् इत्यवधारणान् प्रत्यपुनिर्णय ।

—प्रसातगदमात्र

निर्णयो विशेषदर्शनजमवधारण सशयविरोधि

प्रमाणों के द्वारा अर्थ (पदार्थ) का अवधारण (निर्णय) ही निर्णय है। चटिक यों कहिये कि निर्णय पर पहुँचने के लिये ही तक और प्रमाण का अवलम्बन किया जाता है। जैसा बात्स्यायन कहते हैं—

निर्णयस्तत्त्वज्ञाने प्रमाणानो फलम् ।

अर्थात् निर्णय स्वीकृत्वज्ञान ही प्रमाणों का फल है ।

वाद, जल्प और वितण्डा

[कथा—वाद—जल्प—वितण्डा]

कथा—जब किसी विषय का अध्यास्त्रन कर वाद प्रतिवाद किया जाता है, तब उसे 'कथा' (अथवा शास्त्रार्थ) कहते हैं। कथा का प्रसङ्ग तभी आता है, जब प्रस्तुत विषय सन्दिग्ध हो। यदि वह निर्विवाद रहता तब फिर विचाद की आवश्यकता ही कम रहती। इसलिये सशय (शर्यांत् निश्चित ज्ञान की अतुपलब्धिः) रहने पर ही शास्त्रार्थ का प्रयोगन होता है। और उस सशय की निवृत्ति करना ही कथा का उद्देश्य है।

शास्त्रार्थ (कथा) के लिये कम से कम दो व्यक्तियों का होना जरूरी है। पर यदि दोनों ही व्यक्ति एक ही यात कहने लगें तो विचाद नहीं चल सकता। इसलिये यह भी आवश्यक है कि दोनों विरुद्ध याते करें। अब मात्र लीजिये, एक व्यक्ति कहता है "बुद्धि अनित्य है" और दूसरा कहता है "आकाश नित्य है।" यहाँ एक नित्यता धर्म का प्रतिपादन करना है, दूसरा उसके विरोधी धर्म (अनित्यता) का। किन्तु तो भी एक की यात से दूसरे का विरोध नहीं होता। क्योंकि यहाँ दोनों विरोधी धर्मों के आधार भिन्न-भिन्न हैं, अतएव दोनों ही (धर्म) अपने-अपने अधिकरण में ठीक हो सकते हैं। इसलिये यहाँ दोनों पह भिन्न भिन्न हैं, परस्पर विरुद्ध नहीं और विचाद के लिये यह आवश्यक है कि दो परस्पर विरुद्ध पक्ष (पक्ष और प्रतिपक्ष) रहें। यह तभी हो सकता है जब वादी और प्रतिवादी दोनों एक ही आधार (पक्ष) से दो परस्पर विरुद्ध धर्मों को आरोपित करें। जैसे एक कहता है—'शब्द अनित्य है।' दूसरा कहता है—'शब्द नित्य है।'

यहाँ एक ही आधार अथवा पक्ष में (जैसे शब्द में) वादी एक धर्म (अनित्यता) आरोपित करता है, और प्रतिवादी उससे विरुद्ध धर्म (नित्यता) आरोपित करता है। इन्हीं को क्रमशः 'पक्ष' और 'प्रतिपक्ष' कहते हैं। इन्हीं से कथा का 'प्रकरण' (अवसर) घनता है। जिस विषय को लेकर विचाद किया जाता है, उसे 'कथावस्तु' कहते हैं। कथा का अधिकारी विद्वान् ही हो सकता है। जो प्रतिपक्षी की बात को मुझ और समझ सके, उसका उत्तर

दन की ज्ञानता रखे, वो ग्रन्थात पूरक अपने मन का समर्थन कर सके और समीक्षात रीति से किसी निर्णय पर पहुँचने की इच्छा रखें, उसे ही शास्त्राधार का अधिकारी समझना चाहिये।

शास्त्राधार करने की परिपाठी बहुत ही प्राचीन काल से चली आती है। तार्कियों की शास्त्राधार प्रणाली ग्रिल्स शृङ्खलावद्ध और ग्रन्थपूण द्वारा ही है। यहाँ न्यायसम्मान शास्त्राधार विधि का दिग्दर्शन कराया जाता है।

शास्त्राधार के लिये विद्वानों की परिपद्म (सभा) बैठती है। उसमें बहुधा दशक जनता भी उपस्थित रहती है। सभा में जो सबसे विशिष्ट व्यक्ति समझा जाता है (जस राजा या भारी पड़ित) वह नता (सभापति) बनाया जाता है। जय पराजय का निषय करने के लिये, जो सबसे अधिकारी विडान् समझा जाता है, वह मध्यस्थ (विचारक) चुना जाता है। विचारकों की सद्या अधिक भी रह सकती है। उनका माध्यस्थ (पचायत) यादी प्रतिवादी दोनों ओं स्वीकार करती पड़ता है। कभी कभी शार-जीवन का एकसला समूची सभा (परिपद्म) पर ही छोड़ दिया जाता है।

यथा यादी और प्रतिवादी दोनों आमन-सामन घैठ जाते हैं। सबसे पहले यादी अपने पक्ष का आरम्भ करता है। इसको 'कथामुद' अथवा 'उप-ग्रास' कहता है। यादी अपरी प्रतिवाद (साध्य) सुनान्त्र प्रमाण के द्वारा उसका मण्डन (समर्थन) करता है। फिर अपने पक्ष में जो जो शुकाएं की जा सकती है उनकी फलपना करने हुए सबका समाधान कर जाता है। इस तरह वह अपना पक्षस्थापन करता है। इसको 'पूर्वपक्ष' कहते हैं।

अब प्रतिवादी की बारी आती है। वह सबसे पहले बादी के द्वारा प्रतिपादित पक्ष को दुर्दरता है। इसको 'अनुग्राद' कहते हैं। ऐसा करने का अभिप्राय यह है जिससे समाधित जनता को मालूम हो जाय ताकि प्रतिवादी न दीक दीक पूर्वपक्ष को समझ लिया है। अनुग्राद के उपरान्त प्रतिवादी खण्डन शुरू करता है। यह पूर्वपक्ष में दोष दिखलाने लगता है और इस तरह उसको प्रसिद्ध प्रमाणित कर प्रतिपक्ष की स्थापना करता है। इसको 'उत्तरपक्ष' कहते हैं।

अब फिर यादी की बारी आती है। उसका प्रतिपक्षी के द्वारा किये गये दोषादेशण को भली भाँति समझ लिया है। इस बात को दिखलाने के लिये वह पहले प्रतिपक्ष का अनुग्राद कर जाता है। इसके बाद प्रतिवादी द्वारा प्रदर्शित दोषों को लेकर वह उनका निराकरण करने लगता है और इस तरह अपने पक्ष का उदार करते हुए प्रतिपक्ष का खण्डन करता है।

इसी तरह खण्डन मण्डन का सिलसिला जारी हो जाता है। अत में जाकर जो स्वपक्ष में दोष का उदार नहीं कर सकता अथवा पूर्वपक्ष में दोषप्रदर्शन नहीं कर सकता, वह पराजित समझा जाता है। शास्त्राधार के धीरे में भी जो तर्कशास्त्र के नियम का उल्लङ्घन

फरता अथवा निर्दिष्ट कम का भूल करता है, पद निश्चिह्न (तिरस्तन) होकर परास्त समझा जाता है।”

शास्त्राध के दो उद्देश्य हो सकते हैं—

(१) यथार्थ तत्त्व का निर्णय

(२) सभा में विजय प्राप्ति

(१) वाद—यदि पहले उद्देश्य को लेकर शास्त्रार्थ किया जाता है, तो उन्हें ‘वाद’ कहते हैं। इसमें बादी और प्रतिबादी दोनों दात के भूमे (जान युग्म) होते हैं, विजय के इच्छुक (विजिगीपु) नहीं। वे विजायगार में (जाने की इच्छा से) विवाद में प्रहृत होते हैं, कुछ युग्म भाव से (तडाई की इच्छा से) नहीं। अतएव वाद एकान्त में भी किया जा सकता है। इसके लिये सभा की कोई आपश्यकता नहीं। गौतम ने वाद का लक्षण यह बतलाया है—

“प्रमाणेतरं साधारोपालम् सिद्धान्तानिन्द
पैचायत्रोपपत् पद्मप्रतिपद्मपरिग्रहो वाद ।”

—गौ. ए. ११२१

यथार्थ वाद में निर्मालित लक्षण होते हैं—

(१) उसमें खण्डन मण्डा के लिये तक और प्रमाण का ही आप्रय लिया जाना चाहिये (ध्या, आदि का नहीं)।

(२) सिद्धान्त से विच्छद कोई वात (मद्भूत दलील फरने के सायाल से) नहीं कही जानी चाहिये।

(३) पाँचों ग्रन्थयत्र (प्रतिगा, हेतु आदि) से युक्त अनुमान का प्रयोग होना चाहिये।

इन लक्षणों से युक्त जो पद्म प्रतिपद्म का अध्यलम्बन किया जाता है उसी का नाम वाद है।

वाद में बादी और प्रतिबादी दोनों पा यही लक्ष्य रहता है कि विचार विनिमय के द्वारा यथार्थ तत्त्व निकला आये। कहा भी है—“वादे वादे वादे जायते तत्त्वबोध ।” इसीलिये वाद की मर्यादा सबसे अविक है। क्योंकि इसके द्वारा अङ्गार का तिराश होकर शान की प्राप्ति होती है।

(२) जल्प—केवल जीतने की इच्छा से जो कथा की जाती है, उसे ‘जल्प’ कहते हैं।

विजिगीपु कथा जल्पः॥

२ वेचिये, निपद्मस्यारा का प्रकरण।

इसमें धारी और प्रतिधारी दोनों का यही लक्ष्य रहता है कि येनकेन प्रकारेण अपने प्रतिडिनी को परास्त किया जाय। प्रतिपक्षी को दबाने के लिये सब तरह के छलबल का उपयोग किया जाता है। छल, जाति, हेत्वाभास आदि अनुचित अस्त्रों से भी काम लेते हुए, योद्धागण नये नये पैतरे घदलकर एक दूसरे को नीचा दिखाने की चट्टा करते हैं।

गौतम जटप की ओं परिमाणा करते हैं—

“योक्तोपपश्चल जातिनिमहस्थानसाधनोपालभ्यो जल्प ।”

—गौ. सू. ११२१२

अर्थात् तर्क और प्रमाण के साथ ही साथ यदि छल, जाति और निग्रहस्थान से भी काम लिया जाय (अर्थात् निषिद्ध हृष से भी खण्डन-मण्डन किया जाय) तो उसे जल्प कहते हैं।

जटप का उद्देश्य रहता है विजय की प्राप्ति। अतएव धारी या प्रतिधारी असत् पश्च (मिथ्या चात) को लेंकर भी (और अपने पक्ष की कमज़ोरी जानते हुए भी) केवल अपनी योग्यता और धारुचातुर्य के बल पर उसे सिद्ध करना चाहता है। जिसमें अधिक प्रतिभा होती है यही विजय प्राप्त करता है।

(३) वितरण—यदि जटप परनेयाला केवल परपक्ष का खण्डन ही करे और अपना कुछ पक्ष स्थापित नहीं करे तो ऐसे जल्प को ‘वितरण’ कहते हैं।

स (जल्प) प्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितरण।

—गौ. सू. ११२१३

अर्थात् जिस जल्प में प्रतिपक्षी अपना पक्ष स्थापित नहीं करे, (केवल दूसरे पक्ष का दूषण करे) उसका नाम ‘वितरण’ है।

वितरणादी छल जाति आदि अर्थें उपायों का अपलम्बन तो करता ही है। साथ ही साथ यह अपना प्रतिपक्ष भी स्थापित नहीं करता है। उसका कार्य केवल ध्वसात्मक होता है, रचनात्मक नहीं। यह शतुपक्ष के किने पर तो छलबल के साथ आकर्षण करता है। किन्तु अपना कोई किना नहीं चानाता। वेतरिडक एकतरफा धार करता है। यह दूसरे फा यार सहने के लिये खड़ा नहीं होता। क्योंकि जब उसकी अपनी कोई प्रतिशा ही नहीं है तब खण्डन किसका किया जायगा।

तकशास्त्र में जल्प और वितरणायाद देय दण्डि से देखा जाता है। क्योंकि यह यक्षायाद मान है, चाद भी तरह यथार्थ ज्ञान का साधन नहीं। किन्तु कमी-कमी तुष्ट अथवा मूँख से पाला पद जान पर इसकी भी जहरत हो जाती है। इसीलिये गौतम कहते हैं—

“तत्त्वाभ्युपसाय संरक्षणाथ जल्पवितरणे धीजप्रोहसरक्षणार्थ करटकथासावरणवत्”

अर्थात् जैसे घेत में फसल की रक्षा के लिये किसान चारों ओर से कोटे का घेर बता देते हैं, उसी तरह दुष्ट आकमणकारी से तत्त्व की रक्षा करने के लिये ज़ज़प और वितरण का प्रयोग करता चाहिये (न कि स्वयं तत्त्व ज्ञान के लिये) । अर्थात् “शरे शास्त्रे समाचरेत् ” । जब देशी नौबत आ जाए तभी ज़ज़प वितरण से फास ले, अन्यथा नहीं ।



हेत्वाभास

[हेत्वाभास का अर्थ—हेत्वाभास के प्रभेद - सव्यभिचार विश्व, प्रकरणसम, साध्यसम, कालातीत—नव्य नाय में हेत्वाभास का विचार—साधारण, अनाधारण, अनुशमानी—प्रतिशब्द—प्रतिद (भावयासिद, स्वरूपासिद, व्याप्त्यासिद)—वापिद—भनव्यवसित]

हेत्वाभास का अर्थ—जो आपत्ति (वाहर से) 'हेतु' की तरह श्रीन हो, किन्तु यथार्थ 'हेतु' के लक्षण से रद्दित हो, यह 'हेत्वाभास' कहलाता है । यात्त्विक हेतु का लक्षण है साधकता । अपात् जिसमें साध्य का सिद्ध करने का सामर्थ्य हो पढ़ी 'हेतु' है । इसके विपरीत जिसमें साध्य को सिद्ध करने की शक्ति नहीं हो, उसे हेत्वाभास (= हेतु का आभास मान) जानना चाहिये ।

हेत्वाभास के प्रभेद—नैयायिकगण पाँच प्रकार के हेत्वाभास मानते हैं—

"अनेकात्मा विरुद्धश्वाप्यसिद्ध प्रतिपक्षतः ।
कालात्यया पदिष्टश्च, हेत्वाभासश्च पञ्चधा ।"

गौतम के अनुसार हेत्वाभासों के नाम यह हैं—

(१) सव्यभिचार

(२) विश्व

(३) प्रकरणसम

(४) साध्यसम

(५) कालातीत

इनमें से प्रत्येक का लक्षण और उदाहरण दिया जाता है ।

(१) सव्यभिचार—

'व्यभिचार' शब्द को 'व्युत्पत्ति' 'वि' और 'अभि' उपलग्न पूर्णक 'च' धातु से दोनों हैं । वि (विशेष स्वेच्छा) + अभि (सघोभावेन) + चार (गति = स्थिति का अभाव) = व्यभिचार । अतः व्यभिचार का व्युत्पत्तर्थ हुआ—“एक विशेष दृष्टि से स्थिति का न होना अर्थात् अव्यवस्था ।

हेतु का साध्य के साथ व्यवहित सम्बन्ध होना चाहिये। धूम का अग्नि के साथ नियमित साहचर्य है। अर्थात् धूम का अधिकरण (=वित्त का आधार) केवल अग्निमात्र है। दूसरे शब्दों में यों कहिये कि धूम 'ऐकान्तिक' है (अर्थात् केवल अग्निमात्र का आश्रित है)। इसके विपरीत, लाज्जरग का अग्नि के साथ ऐकान्तिक सम्बन्ध नहीं है। अर्थात् वह केवल एक पदार्थ अग्नि का ही आश्रित नहीं है। यह अग्नि में भी पाया जाता है और अग्नि के अभाव में भी (जैसे, पुरुष, शोणित आदि पदार्थों में)। इसलिये यह 'अनेकान्तिक' है (अर्थात् वहुतों का आश्रित है)।

यथार्थ हेतु ऐकान्तिक होता है। अर्थात् यह सर्वदा साध्य के साथ ही रहता है, उससे अलग नहीं। इसके विपरीत, जो साध्य के साथ भी और अलग भी देखने में आता है (अर्थात् जो ऐकान्तिक नहीं है), उसे हेतु नहीं, किन्तु हेतु का आभास समझना चाहिये। ऐसे ही हेतु को 'सव्यमिचार' कहते हैं। इसलिये गौतम की परिमाणा है—

"अनेकान्तिकः सव्यमिचार ।"

न्या० स० ११२४

उदाहरण—मान लीजिये, यह सिद्ध करना है कि—'यह गाय है।' इसके लिये कोई हेतु देता है—'क्योंकि उसे सींग है।'

यहाँ सींग का गाय के भाष्य ऐकान्तिक सम्बन्ध नहीं है। यह गाय से मिना और और पशुओं में (जैसे भैंस, वकरी आदि में) भी पाई जाती है। अर्थात् सींग का गाय के साथ नियमित सम्बन्ध है नहीं। इन्जिये यह हेतु ढीक नहीं। ऐसे गलत हेतु (हेत्याभास) को 'सव्यमिचार' कहते हैं। फलाद दर्शन (वैशेषिक) में इसको 'सन्दिग्ध' कहा गया है।

(२) विरुद्ध—

"सिद्धान्तमनुपेत्य तद्विरोधी विरुद्ध ।"

न्या० स० ११२५

यदि देसा हेतु दिया जो साध्य का उलटा ही सिद्ध करे तो उसे 'विरुद्ध' समझना चाहिये।

मान तीजिये, कोइ सिद्ध करना चाहता है—

"वह पशु गधा है।"

इसके लिये यह हेतु देता है—

"क्योंकि उसे सींग है।"

थब यह प्रत्यक्ष है कि गधे को सींग नहीं होती। अर्थात् सींग गध में नहीं, बरन् गधे से मिल (गाय, भैंस, प्रभृति) पशुओं में पाई जाती है। इसलिये यह हेतु साध्य का साधक नहीं, प्रत्युत वाधक है। इसी को विरुद्ध हेत्याभास कहते हैं।

गोट—एक देवामर्थ (सम्बिष्ट) भी इष्टमे ज्ञाता है। उत्तमिष्ट यहीं हाना है यहीं दिया हुआ हेतु चाल्य के साथ भी पाया जाय और इष्टमे भिन्न भी। इन्हुं निराकरण अद्वेष है यहीं दिया हुआ हुए कमा चाल्य के साथ नहीं पाया जाय, बल्कि यद्युं दशह अभिर में ही पाया जाय। ऐसे देवामर्थ को 'असद्वेतु' भी कहते हैं, बल्कि चाल्य में उपचे राणा इसी ही बोटी।

विष्ट एतु दण्डन स्वा है मात्रो अपने ही हाथों अपन पौंड में कुद्दाकी भास्ता है। जैसे खोरे वर्षीज मुर्हे का ताळा में इस तरह उपर्युक्त उदाहरण छाग कि मुराहाह का ही पान साधित हो जाय। इस बहार विष्ट एतु दण्डन ए भास्ती ही बाग छट भर्ती है। इसकिये इसको "इष्टिषात कण्ठ" सामर्दना चाहिये।

(३) प्रकरणसम्—

यह और प्रतिष्ठिता अदस्त्वदा घमी दिया जाता है अब साहस्र ये विष्ट में सम्बेद हो। इसी स प्रकारण बताता है। यदि साध्य या उसके अन्तर्य का निष्पत्त इत्ता तद तो प्रकरण (विषाद का अवसर) जाता ही नहाँ। इष्टिष्ट साध्य भी उसके अमाव दोनों का अनिधिय रहना से ही 'प्रकरण' होता है। अधात् अब साध्य और उसके विष्ट भ्रम दोनों में विसी की उपलब्धि नहीं होती, तभी निष्टय की आवश्यकता होती है। यदि इसा अनिधिय (सन्देश) का सदाचा अर अधात् साध्य या उसके अमाव यी अनुभवित अपल पर हो, तो उसे अपन साध्य को निष्ट बताना चाह तो यदि 'प्रकरणसम्' बहुताता है।

इसीलिये गीतम् कहते हैं—

"यस्मात् प्रकरणसिता स निर्णयमनन्तिष्टा प्रकरुत्सना।"

म्या शू. ११२।

अधात् जिसको सकर प्रकरण का हाना समय है, उसा को एतु मानना 'प्रकरणसम्' देवामास है।

जैसे, किसी को सिद्ध कराता है कि

"देवदण माझह है,

इसके लिये यदि हतु देता है

"वयोकि उसमे अमालालत का होना नहीं दीख पड़ता।"

यद्यों प्रकरणसम् देवामास समझा जायगा। क्योंकि आद्येष्ट या अमालालत का अनिधिय है (दोनों में विसी की उपलब्धि नहीं है), तभी तो अनुमान का प्रकरण बनता है। यदि दोनों में विसी की निष्पत्त प्राप्ति होती तो यित सिद्ध करने की परा जहरत थी।

इसी देवामास का अवलम्बन कर प्रतिष्ठी भी कह सकता है कि—

"देवदण अमालाल है।"

"वयोकि उसमे अमालालत का होना नहीं दीख पड़ता।"

इसीलिये 'प्रकरणसम' का दूसरा नाम "सत्प्रतिपक्ष" भी है। यहाँकि इसका प्रतिपक्ष भी मौजूद रहता है और उसमें भी पक्ष के समान ही वल होता है।

(४) साध्यसम—

साध्य के विषय में सबैह रहता है, इसीलिये देतु फे द्वारा उसकी सिद्धि की जाती है। किन्तु देतु तभी तो साध्य को सिद्ध करेगा जब यह स्थय असंदिग्ध हो। यदि यह (देतु) स्थय असिद्ध हे तब साध्य को कैसे सिद्ध करेगा ? कहापत भी है, "स्वयमसिद्धः कथं परान् साध्यति ?" इसलिये देतु (= साधन) को स्थय सिद्ध रहना चाहिये। यदि यह स्थय सिद्ध नहीं है तब तो यह भी साध्य ही हो जाता है, साधन नहीं रहता।

इसीलिये गौतम कहते हैं—

"साध्याऽविशिष्टः साध्यतात् साध्यसम ।"

या० सू० ३२३

अथात् जो देतु स्थय साध्य कोटि में आ जाता है, उसमें और साध्य में मेद ही क्या रहा ? ऐसे ही देत्याभास को 'साध्यसम' कहते हैं। (इसी को 'असिद्ध' अथवा 'अप्रसिद्ध' भी कहते हैं।)

जैसे, भीमासकों का कहना है कि—

"द्वाया द्रव्य है यर्योकि उसमें गति होती है ।"

यहाँ द्वाया में द्रव्यत्व सिद्ध करने के लिये जो देतु (गति) कहा गया है, यह स्थय असिद्ध है। 'द्वाया में गति होती है' इसका क्या प्रमाण ? यदि यह कहा जाय कि 'हमारे साध साध द्वाया भी चलती है' तो यह ठीक नहीं। यर्योकि गति गमनशील पुरुष में है, द्वाया में नहीं। द्वाया तो फेवल शालोक (प्रकाश) का अमाय मात्र है। गतिमान् पश्चार्थ जहाँ-जहाँ प्रकाश का अश्योध परता जाता है, उसके पश्चाद्गाग में द्वाया पड़ती जाती है। अतएव द्वाया में गति का होना सिद्ध नहीं है और जब यह (गति) स्थयं असिद्ध है तब दिये द्रुप साध्य (द्रव्यत्व) का साधन कैसे होगा ?

(५) कालातीत—

"कालात्यापदिष्टः कालातीतः ।"

या० सू० ११२६

अर्थात् साधनकाल का अस्य द्वो जाने पर (द्वीत जाने पर) जो हेतु अपदिष्ट हो (प्रयुक्त हो) उसे 'कालातीत' ('अतीतकाल' अथवा 'कालत्यापदिष्ट') कहते हैं।

नोट—एर्कोल हेत्यामास (सम्भिष्ठार) और इसमें अंगठर है। यापनिषद् पर्वत होता है जहाँ दिवा दुधा देते साथ के साथ भी पापा बाय और उपर मिष्ठ भी। किन्तु विद्यु उपर अद्वत है जहाँ दिवा हुआ दर्तु कभी साथ के साथ नहीं पापा पाप, बरिष्ठ बर्वरा उसके अमावस्या में ही पापा पाप। एवं हेत्यामास को 'असर्वते' भी कहते हैं, यदेकि साथ में उसकी संपर्क रहती ही नहीं।

विद्यु दर्तु देना पर्याप्त है मानो अपने ही हाथों अपने पाँव में कुन्दाली मारना है। ऐसे कोई यकील मुर्ही की तरफ से इस तरद उस्टी घटक फरने सकते कि मुराब्बद की ही धारा सापित हो जाय। इस प्रकार विद्यु दर्तु दर्ता से अपनी ही पात कट गार्ता है। इसलिये इसको "इष्टविषयत कर्ता" समझना चाहिये।

(३) प्रकरणसम—

पत्र और प्रतिपक्ष का अवलम्बन तभी किया जाता है जब साथ ये विषय में सन्वेद हो। इसी से प्रकरण पनता है। यदि साथ या उसके अमावस्या या निष्ठय रहता तब तो प्रकरण (वियाद का अवसर) जाता ही नहीं। इसलिये साथ और उसके अमावस्या दोनों का अनिष्टय रहन से ही 'प्रकरण' होता है। अर्थात् जब साथ और उसके विद्यु धर्म दोनों में विसी की उपलब्धि नहीं होती, तभी निष्ठय की आवश्यकता होनी है। यदि इसी अनिष्टय (सन्दर्भ) का सहारा लेकर अपात् साथ या उसके अमावस्या की अनुराखिय के पल पर ही, फौरं अपने साथ को सिद्ध करना चाह तो यदि 'प्रकरणसम' कहनाता है।

इसीलिये गौतम कहत है—

"यस्मात् प्रकरणचित्ता स निर्णयार्थमपद्धतः प्रकरणसमः ।"

भा. सू. ११३।७

अर्थात् जिसको लेकर प्रकरण का होना समय है, उसको को देतु मानना 'प्रकरणसम' हेत्यामास है।

जैसे, किसी को सिद्ध करना है कि

"देवदत्त ब्राह्मण है,

इसके लिये यदि देतु देता है

"क्योंकि उसमें अवाक्षणक का होना नहीं दीत पडता ।"

यहाँ प्रकरणसम हेत्यामास समझा जायगा। क्योंकि ब्राह्मणत्व या अब्राह्मणत्व का अनिष्टय है (दोनों में विसी की उपलब्धि नहीं है), तभी तो अनुमान का प्रकरण बनता है। यदि दोनों में किसी की निश्चित प्राप्ति होती तो किर सिद्ध करने की पर्याप्तता थी।

इसी हेत्यामास का अवलम्बन कार प्रतिपक्षी भी कह सकता है कि—

"देवदत्त ब्राह्मण है ।"

"क्योंकि उसमें ब्राह्मणत्व का होना नहीं दीत पडता ।"

इसीलिये 'प्रकरणसम' का दूसरा नाम "सत्त्वतिपक्ष" भी है। क्योंकि इसका प्रतिपक्ष भी मौजूद रहता है और उसमें भी पक्ष के समान ही बल होता है।

(४) साध्यसम—

साध्य के विषय में सदैव रहता है, इसीलिये हेतु के द्वारा उसकी सिद्धि की जाती है। किन्तु हेतु तभी तो साध्य को सिद्ध करेगा जब वह स्वयं असन्दिग्ध हो। यदि यह (हेतु) स्वयं असिद्ध हे तब साध्य को ऐसे सिद्ध करेगा ? कहावत भी है, "स्वयमसिद्धः कथं परान् साध्यति ?" इसलिये हेतु (= साधन) को स्वयं सिद्ध रहना चाहिये। यदि वह स्वयं सिद्ध नहीं हे तब तो वह भी साध्य ही हो जाता है, साधन नहीं रहता।

इसीलिये गौतम कहते हैं—

"साध्याऽविशिष्टः साध्यत्वात् साध्यसम ।"

न्या० सू० ३१३६

अर्थात् जो हेतु स्वयं साध्य कोटि में आ जाता है, उसमें और साध्य में भेद ही बना रहा ? ऐसे ही हेत्वाभास को 'साध्यसम' कहते हैं। (इसी को 'असिद्ध' अथवा 'अप्रसिद्ध' भी कहते हैं।)

जैसे, मीमांसकों का कहना है कि—

"छाया द्रव्य है क्योंकि उसमें गति होती है ।"

यहाँ छाया में द्रव्यत्व सिद्ध करने के लिये जो हेतु (गति) कहा गया है, वह स्वयं असिद्ध हे। 'छाया में गति होती है' इसका क्या प्रमाण ? यदि यह कहा जाय कि 'हमारे साथ साथ छाया भी चलती है' तो वह ठीक नहीं। क्योंकि गति गमनशील पुरुष में है, छाया में नहीं। छाया लो केवल आलोक (प्रकाश) का अभाव मात्र है। गतिमान, पदार्थ जहाँ-जहाँ प्रकाश का अवशेष परता जाता है, उसके पश्चाद्गाम में छाया पड़ती जाती है। अतएव छाया में गति का होना सिद्ध नहीं है और जब यह (गति) स्वयं असिद्ध हे तब दिये हुए साध्य (द्रव्यत्व) का साधन कैसे होगा ?

(५) कालातीत—

"कालात्यापदिष्ट कालातीतः ।"

न्या० सू० ३१३६

अर्थात् साधनकाल का अध्यय द्वारा एवं वीत जाने (प्रयुक्त हो) उसे 'कालातीत' ('अतीतकाल' अथवा 'कालात्य

वात्स्थायन अपने भाष्य में निम्नलिखित उदाहरण द्वारा इसको समझाते हैं। भीमा सक गए शब्द को ग्रित्यसिद्ध करने की चट्टा फरत है। उनका कहना है कि रूप की तरह शब्द का भी नित्य अस्तित्व रहता है। जिस तरह घट और प्रकाश के सयोग से रूप की अभिव्यक्ति होती है, उसी तरह नगाढ़ा और डडा दोनों के सयोग से शब्द की अभिव्यक्ति होती है। जिस तरह रूप का अस्तित्व घट प्रकाश संयोग से पहले भी था और पीछे भी रहेगा, उसी तरह शब्द का अस्तित्व भी भेरी-दरह उपयोग के पूर्व पश्चात् दोनों ही में रहता है। यहाँ “सयोग के द्वारा अभिव्यक्त होने स” यह हेतु देकर शब्द को ग्रित्य सिद्ध करने की चट्टा की गई है।

किन्तु उपर्युक्त हेतु काल का व्यतिक्रम करता है। क्योंकि आधातज्ञ सयोग के साथ ही शब्द की उपलब्धि नहीं होती। दूरस्थ व्यक्ति को कुछ देर के घाद शब्द का शान होता है। दूसरे शब्दों में यों कहिये कि सयोग का काल व्यतीत हो जान पर शब्द भी प्राप्ति होती है। इसलिये यह कहना कि रूप की तरह शब्द की भी अभिव्यक्ति सयोग से होती है’ ठीक नहीं। क्योंकि रूप तो साधन (प्रकाश सयोग) के साथ ही अभिव्यक्त होता और उसके दृष्ट जाते ही लूत हो जाता है। पर शब्द में यह पात लागू नहीं होती। क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति सयोगकाल का अविक्रम करती है। अतएव ‘सयोग के द्वारा अभिव्यक्त होना’ यह हेतु कालातीत है।

नव्यन्याय में हेत्वाभास का विचार—

नव्य न्याय में हेतु और हेत्वाभास को लेकर यहुत ही अनुशीलन किया गया है। गङ्गेश उपाध्याय न (तत्त्व चिन्तामणि में) हेत्वाभास के निम्नलिखित पाँच मेद माने हैं—

- (१) सव्यभिचार
- (२) विरुद्ध
- (३) सत्प्रतिपक्ष
- (४) असिद्ध
- (५) बाधित

उक्त संग्रहकार अनन्मू भट्ट आदि नवीन नैयायिकों न इन्हीं को पद्धति का अनुसरण किया है।

१ सव्यभिचार—(अनेकान्तिक)। इसके तीन प्रमेद माने गये हैं—

- (१) साधारण (२) असाधारण (३) अनुपस्थारी।

(१) साधारण—जो देवामास साध्य के अभाव में भी पाया जाता है, उसे 'साधारण' कहते हैं।

“साधारणवद्विति साधारण”

जैसे, यदि कोई अनुमान करे,

“देवदध्य मान्दण है”

क्योंकि उसके लिए मैं चन्द्र लगा है।”

तो यह अयुक्त होगा। क्योंकि तिर में चन्द्र का रहना यह चिह्न है यह साध्य (प्राक्षण) में ही नहीं पाया जाता, साध्य के अतिरिक्त स्थानों में भी (प्रालोके द्वारा विद्यादि वर्णों में भी) पाया जाता है। अर्थात् सप्तशू और गिरह दोनों में ही इसकी स्थिति देखने में आती है। इसीको 'साधारण' (हेत्यामास) कहते हैं।

(२) असाधारण—जिस (देवामास) की अस्थिति न तो सप्तशू में मिले और न गिरह में, अर्थात् जिसकी स्थिति केवल दिये हुए पद्ममात्र में सीमित हो, उसे 'असाधारण' कहते हैं।

“सर्वसप्तशूगिरह्यापृत्प गिरहापृत्प असाधारण”

जैसे, यदि यह पहा जाय कि—

‘शब्द नित्य है क्योंकि उसमें शब्दरा है’

तो यह अयुक्त होगा। क्योंकि शब्दत्य तो पैदल शम्दगात्र में रहता है। उसका अधिकरण दूसरा पदाथ हो दी नहीं सकता। इसलिये अपने दूष का दृष्टान्त (सप्तशू) हम कहाँ से लायेंगे? और यदि दृष्टान्त नहीं दें तो शब्दत्य और नित्यत्व का व्याप्ति सम्बन्ध कैसे स्थापित होगा? शब्द का दृष्टान्त तो दिया ही नहीं जा सकता। क्योंकि दृष्टान्त यह होता है जिसमें साध्य का निष्ठय हो। और शब्द गें तो साध्य का निष्ठय ही करता है। यहाँ तो शब्द पक्ष (अर्थात् संदिग्ध साध्यपाना) है, घट कभी स्वतः दृष्टान्त नहीं हो सकता। इसलिये 'शब्दत्य' हेतु नहीं माना जा सकता। ऐसे ही हेत्यामास को 'असाधारण' कहते हैं।

(३) अनुपसंहारी—जिसका दृष्टान्त न अन्यथा (भाव) में मिले और न व्यतिरेक (अभाव) में, उसे अनुपसंहारी कहते हैं।

“अन्यथा व्यतिरेक दृष्टान्तरहितः अनुपसंहारी”

—तर्क संग्रह

जैसे, “सप्त कुछ उत्तम हैं। क्योंकि सब कुछ ईश्वर निमित्त है।”

(४) वाधित—

“यस्य साध्याभागः प्रमाणान्तरेण निरिचत् स वाधितः ।”

जहाँ हेतु से घटका पनवान् दूसरा प्रमाण साध्य की सिद्धि में आया पहुँचावे अधात् जो अनुमान प्रमाणान्तर (प्रत्यक्षादि प्रमाण) से कट आय उसे वाधित (स्थिरित) समझना चाहिये ।

जैसे, “अग्नि को उपर नहीं होना चाहिये, क्योंकि वह द्रव्य है और द्रव्य उपर नहीं होता, जैसे मिट्टी, पत्थर आदि ।”

उपर्युक्त रूप से द्रव्यत्व (हेतु) का सहारा लेने हुए यदि कोई अग्नि की अनुष्ठान सिद्ध करना चाहे, तो एक छोटी सी चिनगारी उनका खण्डन करने के लिये काफी है । जो पात प्रत्यक्ष सिद्ध है उसक विश्व देतु देना ही निष्कर्ष है । क्योंकि हेतु तो यहाँ दिया जाता है जहाँ साध्य को सिद्ध करना हो । और यहाँ तो यह (प्रत्यक्षादि प्रमाण से) सिद्ध ही है । तो भी यदि हम कोई हेतु देकर इसका उलटा सिद्ध बरना चाहें तो यह ‘वाधित’ कहलाता है ।

भासवृक्ष ‘अनध्यवसित’ नामक एक और भी हेत्वाभास मानते हैं । अनध्यवसित का अर्थ है—

अनध्यवसितत्वं पञ्चमाश्रवृच्छित्तम् ।

जहाँ साध्य को वृत्ति पक्षप्राप्ति में कही जाय, यहाँ यह हेत्वाभास होता है । जैसे,

“पर्वत वहिमान् है,
क्योंकि वह पर्वत है ।”

छल

[धल वा श्वर—शारदीय—सामन्यचक्रत—२३ शारदीय—ब्रह्म वा प्रीति]

छल का अर्थ—

“विषयाविद्यातोऽर्थे विकल्पोपपत्त्या छलम् ।”

ग्रं० सू० ॥१३॥१०

अर्थात्—एक के अभिग्रेत अथ को छोड़कर, अर्थात् एक का अतिरोप करते हुए, पचन विद्यात फरता (यात काटता) ‘छल’ कहलाता है। मान सीजिये, दूसरे कोई यात कहती। अब हमारी यात का असली मतलब तो आपने उड़ा दिया और कुछ दूसरा ही अर्थ लगाकर लोगों के सामने उसकी घजिराँ उड़ाते लगे। देसा भरने को ‘छल’ कहते हैं। आँगरेजी में इसे ‘Quibbling’ कहते हैं।

छल तीन प्रकार के होते हैं

- (१) वाक्छल
- (२) तामाय छल
- (३) उपचार छल

(१) वाक्छल—

“अविशेषाभिहितेऽर्थे वक्तुरमिप्रायादर्थात्तरङ्गलना वाक्छलम् ।”

ग्रं० सू० ॥१३॥१२

एक ही शब्द के कई मिन्न मिन्न अर्थ होते हैं। जब यक्का किसी शब्द का प्रयोग करता है, तब उसके मन में एक विशेष अर्थ पर लक्षण रहता है। उस अर्थ को ‘विवक्षित’ या ‘अभिग्रेत’ अर्थ कहते हैं। थोता को उसी अर्थ का ग्रदण फरना चाहिये। किन्तु यदि कोई थोता फेयर बरेडन करने की इच्छा से, महज बतकट के खयाल से, अर्थ को अनर्थ कर द्वाले, कही कुई वात का कुछ और ही मानी जागा ले, तो यह ‘वाक्छल’ कहलायगा।

मान सीजिये, किसीने कहा

“यह पुरुष नववधूवाला है ।”

अब ‘नव’ शब्द के दो अर्थ होते हैं—(१) नवीन और (२) नौ (सख्ता)। यक्का का अभिप्राय अप्यम अर्थ (नवीन) से है। किन्तु इसके विपरीत यदि कोई दूसरा अर्थ लगाकर कहे—“क्योंजी, इसके पास तो एक ही वधू है। फिर इसे नव (६) वधू याका क्यों कहते हैं? तुम्हारा कहना गलत है ।” तो यह वाक्छल हुआ।

(२) सामान्यच्छल—

“समवतोऽर्थस्यातिसामान्ययोगादसमूतार्थकल्पनासामान्यच्छलम् ।”
न्या० सू० १।३।१५

समावित अर्थ को छोड़कर, असमय अर्थ की कल्पना करते हुए, देवनिदर्शन परना ‘सामान्य छल’ कहलाता है। मान लोजिये, किसी ने कहा, “आम मीठा होता है।” अब यदि इसपर कोई कहे—

“यदि आम होने ही से मीठापन आ जाता है तो कचा आम भी तो आम ही है। फिर उसमें भी मीठापन होना चाहिये। किन्तु सो तो नहीं है। इसलिये तुम्हारी बात गलत है।”

तो यह सामान्यछल का उदाहरण हुआ। पर्योक्त वक्ता का आशय यह नहीं था कि मीठापनमें भीर आम में कार्य कारण की तरह नित्य समर्थ है। उसका अभिप्राय यह था कि आम पकने पर मीठा हो जाता है। अतएव आम को मीठापन का विषय (प्राधार) समझना चाहिये, ऐसु नहीं। किन्तु जान-यूक्तकर भी, यदि वचन का खण्डन करने के लिये, असमूत अर्थ की उम्मादना की जाय, तो यह ‘सामान्य छल’ होगा।

(३) उपचारच्छल—

“धर्मविकल्पनिर्देशोर्थं सङ्ग्रावप्रतिपेष उपचारच्छलम् ।”
न्या० सू० १।३।१६

किसी शब्द का जो प्रकृत अर्थ है, उसको अभिधेयार्थ कहते हैं। उसी अर्थ में शब्द का प्रयोग करना ‘अभिधान’ कहलाता है, किन्तु कभी कभी किसी शब्द से वक्ता का ज्ञान उसके प्रधान अभिधेयार्थ पर नहीं रहता, प्रथम उसके गोण लालौणिक अर्थ पर रहता है। ऐसी अपहृण में वाक्य का शब्दार्थ नहीं लेकर उसका तात्पर्य प्रदर्शन करना चाहिये। यदि जान-यूक्तकर दोषारोपण करने के लिये ऐसा नहीं किया जाय तो यह उपचार छल कहलाता है।

मान लोजिये, किसी न कहा—

“दोनों रथ आपस में लड़ रहे हैं।” अब यहाँ वक्ता ने यद्यपि ‘रथ’ शब्द का प्रयोग किया है, तथापि उसका तात्पर्य ‘रथारोही’, से है।

यदि इस तात्पर्य को व लकर कोई कोरा शब्दार्थ लगाते हुए कहे—“क्यों जी, रथ तो भूठ है।”—तो यह ‘उपचार छल’ कहलायगा।

‘छल’ का प्रतीकार—तर्कशास्त्र में ‘छल’ का अबलम्बन करना शृंखला ही दोषपूर्ण भीर मिन्दनीय समझा जाता है। यदि कोई हुएता से ‘छल’ के द्वारा चात का घण्डन करो लगे तो वक्ता का चाहिये कि अपने यथार्थ अभिप्रेत अर्थ का अच्छी तरह एपटीकरण कर दे जिससे ‘छल’ करनेयाका रथ लज्जित हो जाय।

जाति

[जाति का लक्षण—जाति के प्रभेद—साधर्म्यसम—वैवर्म्यसम—उत्तरवैसम—अनुरूपसम—वर्णसम—भवणसम—विकाशसम—साधर्म्यसम—प्राप्तिसुप्राप्तिसम—भवणसम—प्रतिरूपसम—प्रतिवैष्ट्रियसम—भवणसम—संसाधनसम—प्रकारसम—हेतुसम—अर्थापत्रिसम—अविरोधसम—उपप्रतिसम—उपचारिष्ठसम—अनुपलभिष्ठसम—निष्ठसम—अनिष्ठसम—कर्मसम]

जाति का लक्षण—

जाति की परिभाषा यों की गई है—

“साधर्म्यवैवर्म्यमिथा प्रत्यवस्थान जाति ।”

—गौ० सू० ११३।१८

फेयल साधर्म्य (समानता) और वैवर्म्य (विभिन्नता) के आधार पर जो प्रत्यवस्थान (दोष निरुद्धरण) किया जाय उसे 'जाति' कहते हैं। अर्थात् व्याप्ति सम्बन्ध (Universal Concomitance) स्थापित किये विना ही फेयल साइद्य (Similarity) और वैवर्म्य (Difference) के बल पर जो खण्डन किया जाता है, वह जाति कहलाता है।

जाति के प्रभेद—

जाति के द्वारा जो प्रतिपेध (दूषण या परेडन) किया जाता है, उसके २४ भेद गौतम मुनि ने भिन्नाये हैं। यहाँ प्रत्येक का नाम और उदाहरण दिया जाता है।

(१) साधर्म्यसम—

“साधर्म्येणोपसहारे तद्दर्मविपर्ययोपपत्ते साधर्म्यसम ।”

—गौ० सू० ११३।२८

नेयायिकों वा कहना है।

“शब्दोभनित्य कृतकल्लात् घटवत्”

“प्रृथमा

अर्थात् घट (घड़ा) और पट (घल) की तरह, होता है। अतपव जैसे घट और पट अनित्य हैं, उसी

प्रृथम वेशेष से उत्पन्न य है । यहाँ

जन्मत्व (उत्पद्मानन्त्र) और अनित्यत्व में जो व्याप्तिसम्बन्ध है, उसीके आधार पर पूर्वांक अनुमान किया गया है।

किन्तु मान लीजिये, प्रतिपक्षी इस व्याप्ति सम्बन्ध की उपेक्षा फर केवल साधश्य के घल पर, इस तरह खण्डन करता है—

“यदि अनित्य घट पट की तरह धार्य (कारणप्रसूत) होने से ही शब्द को भी अनित्य मानते हो, तो नित्य आकाश की तरह अमूर्त (निराकार) होने से शब्द को नित्य भी क्यों नहीं मानते ? यदि घट और शब्द में कायत्व को लेकर साधम्य है, तो आकाश और शब्द में भी अमूर्तत्व को लेकर साधम्य है। तब शब्द में घट पट का ही धर्म (अनित्यत्व) क्यों आरोपित किया जाय और आकाश का धर्म (नित्यत्व) क्यों नहीं आरोपित किया जाय ?

इस प्रकार खण्डन करना ‘साधम्यसम’ जाति का उदाहरण होगा। इसका उत्तर यों दिया जा सकता है कि आकाश और शब्द में अमूर्तत्व को लेकर साधम्य है तो इससे यद नहीं सिद्ध होता कि दोनों प्रत्येक चात में समानधर्म हैं। एकाङ्गीन साधम्य से सर्वाङ्गीन साधम्य की उपपत्ति नहीं होती।”

(२) वैधम्यसम—

“वैधम्येणोपसहारे तद्भविपर्ययोपपत्तेवैधम्यसम ॥”

—न्या० द० ५।।२

मान लीजिये, पूर्वांक अनुमान (शब्द घट पट की तरह उत्पन्न होने के कारण अनित्य है) का कोई प्रतिवादी इस तरह खण्डन करता है—

“घट और पट में मूर्तत्व (साकारत्व) है और वे अनित्य हैं।

किन्तु शब्द में मूर्तत्व नहीं है, प्रत्युत उसका विश्व धर्म अथात् अमूर्तत्व (निराकारत्व) है। इसी तरह घट का जो अनित्यत्व धर्म है उसका विश्वधर्म (नियत्व) शब्दमें होना चाहिये। अर्थात् यदि घट पट अनित्य हैं तो शब्द उनसे पिरुद्धधर्म होने के कारण नित्य होगा ॥”

इस तरह का खण्डन ‘वैधम्यसम’ जाति का उदाहरण है। इसका उत्तर यों दिया जा सकता है कि घट पट और शब्द में मूर्तत्व को लेकर वैधम्य है तो इससे यद नहीं सिद्ध होता है कि दोनों प्रत्येक चात में विश्वधर्म हैं। एकाङ्गीन वैधम्य से सर्वाङ्गीन वैधम्य की उपपत्ति नहीं होती।

(३) उत्कर्पणसम—

“दृष्टातरधर्मं साध्येन समाप्तजनुत्कर्पणसम ॥”

मान लीजिये, पूर्वांक अनुमान का खण्डन इस तरह किया जाता है—“घट में तीन

गुण है। यदि (१) कारणजनित (कार्य) है, (२) अनित्य है और (३) रूपवान् है। यदि शब्द में घट का पहला गुण (कार्यत्व) होने से हम उसमें घट याला दूसरा विशेषण (अनित्य) भी जोड़ देते हैं, तो फिर उसमें तीसरा विशेषण (रूपवान्) भी कर्मों नहीं जोड़ दिया जाय? अर्पात् शब्द में जब घट की तरह कार्यत्व और अनित्यत्व है, तब उसमें रूप भी देना चाहिये।”

यदि ‘उत्कर्षसम जातिका उदाहरण है।

(४) अपकर्पसम—

“साध्य पर्मधार्य दृष्टान्तप्रसज्जयतोऽपकर्पसमः।”

जैसे पूर्योंक अनुमान का इस तरह गड़न किया जाय—“घट में तीन गुण है—
(१) रूप, (२) दृष्टान्त और (३) अनित्यत्व। शब्द में रूप नहीं है। अतएव उसमें दृष्टान्त और अनित्यत्व भी नहीं होना चाहिये।”

इस तरह के एडन का नाम ‘अपकर्पसम’ जाति है।

इन दोनों जातियों के उच्चर भी पूर्योंक प्रकार से दिये जा सकते हैं।

(५) वर्णसम—

(६) अवर्णसम—

“स्थापनीयो वर्णयो विपर्ययादवर्णस्तावेती
साध्यदृष्टान्तधर्मी विपर्यस्यतो वर्णयावर्णसमौ।”

वारस्यायन ५। १। ५

मान हीजिये, पूर्योंक अनुमान पर कोई यह आपत्ति करता है—

“घट दृष्टान्त है। शब्द दार्ढान्त है। तब दोनों में तुल्यरूपता रहनी चाहिये। अब देखिये, दोनों तुल्य हैं अथवा नहीं। घट की अनित्यता का निश्चय है। किन्तु शब्द की अनित्यता सिद्ध करने का प्रयोजन है। इसलिये मालूम होता है कि शब्द की अनित्यता सदिग्ध है। तभी तो उसे सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। अगर घट की तरह शब्द में भी अनित्यता का निश्चय रहता तो फिर अनुमान करने की क्या ज़ज़रत थी? इससे प्रकट होता है कि घट में अनित्यता धर्म का निश्चय है, शब्द में उस धर्म का संदेह है। जब पेसी थात है तब दृष्टान्त (घट) और दार्ढान्त (शब्द) में तुल्यरूपता कहाँ रही? और यदि दोनों को तुल्यरूपता कायम रखना चाहें तो हमें दो में एक थात माननी पड़ेगी—

(१) या तो शब्द की तरह घट में भी अनित्यता धर्म का संदेह होना चाहिये। अथवा

(२) घट की तरह शब्द में भी अनित्यता धर्म का निश्चय होता चाहिये । दोनों में कोई भी यात मानते से पूर्णोक्त प्रतिष्ठा (राष्ट्रोऽनित्य छनकल्पात् घटवत्) की सिद्धि नहीं होती । क्योंकि पहली अवस्था में 'उदाहरण' असिद्ध हो जाता है, और दूसरी अवस्था में 'पक्ष' असिद्ध हो जाता है, क्योंकि पक्ष का अर्थ ही है—“जिसमें साध्य का संदेह हो, निवाय नहीं ॥” और उदाहरण या पक्ष के असिद्ध हो जाने पर साध्य की उपर्युक्ति ही नहीं हो सकती ।”

उपर्युक्त दोनों आशेषों के नाम ही क्रमशः ‘वर्गेयसम’ और ‘अवर्गेयसम’ हैं ।

(७) विकल्पसम—

“धर्मस्येकस्य केनापि धर्मेण व्यभिचारतः
हेतो साध्याभिचारोऽस्त्री विकल्प समजातिता ॥”

—तात्त्विकता

इसके अनुसार जातियादी पूर्णोक्त अनुमान (राष्ट्रोऽनित्य छनकल्पात् घटवत्) का इस तरह खण्डन करेगा—

“घट में ‘छनकल्प’ और ‘गुरुत्व’ दोनों धर्म मीजूद हैं । यद्यों ये दोनों धर्म सहचर हैं । किन्तु धर्म में ‘छनकल्प’ है, ‘गुरुत्व’ नहीं । इससे जान पड़ता है, कि ‘छनकल्प’ और ‘गुरुत्व’ ये दोनों धर्म नित्य सहचर नहीं हैं । इसी तरह ‘गुरुत्व’ और ‘अनित्यत्व’ को ले लीजिये । घट में इन दोनों का सादचय है । किन्तु परमाणु में नहीं । परमाणु में ‘गुरुत्व’ है किन्तु ‘अनित्यत्व’ नहीं । इससे सिद्धप्र होता है कि इन दोनों धर्मों में भी नित्य सादचय नहीं है । इसी प्रकार ‘मूर्त्त्यत्व’ और ‘अनित्यत्व’ को ले लीजिये । घट में दोनों धर्म हैं । किन्तु किया में ‘अनित्यत्व’ होत हुए भी ‘मूर्त्त्यत्व’ नहीं है । न्याय के शब्दों में यों कहेंगे कि किया में जो अनित्यत्य है वह मूर्त्त्यव्यभिचारी है । इसी तरह सभी धर्मों में परस्पर व्यभिचार देखने में आता है । अर्थात् एक के बिना भी दूसरा देखने में आता है । जब ऐसी यात हो तब ‘छनकल्प’ और ‘अनित्यत्व’ में ही क्यों अव्यभिचारी भाव मान लिया जाय ? अतः शब्द में अनित्यत्य व्यभिचारी छनकल्प भी रह सकता है । सामाजिक यह कि शब्द काय होने हुए भी नित्य माना जा सकता है ॥”

उपर्युक्त खण्डन शीली को विकल्पसम जाति कहते हैं ।

(८) साध्यसम

‘साध्यद्वया तयो धर्मविकल्पादुभयसाध्यत्वात् साध्यसम ॥”

—या० स० ५१४

[†] सन्दिख साध्यान् एव

मान लीजिये, जातियादी पूर्वकथित अनुमान का इस प्रकार रखेंग करता है—

“यदि घट के समान रुच है, तो रुच के समान घट भी होना चाहिये। यदि रुच का अनित्य होना साध्य है, तो घट का भी साध्य है। नहीं तो घट और रुच का साध्यत्व क्षेत्र उपापित होगा ॥”

यहाँ दृष्टान्त को भी साध्य कोडि में लीच ताया गया है। इसका नाम ‘साध्यसम’ जाति है।

नोट—पूर्वोक्त जातियों का उत्तर यों दिया गया रखकरा है कि दृष्टान्त में द्वार्देश्वर के सारे घर्म नहीं मिल सकते। यदि सब मिल जाएं तो किर पह दृष्टान्त एवं नहीं कहया सकता। दृष्टान्त में साध्य से एक देखीय समानता रहती है। यदि सर्वदूरीय समानता रहे तब तो वरमें और साध्य में तादात्य (अभेद) साध्य हो जायगा। अर्थात् दोनों में छोड़ दी नहीं रह जायगा। अतएव आधिक वैपर्य को लेकर साध्य की विद्या में दृष्टप देगा ठीक नहीं।

(६) प्राप्तिसम }

(१०) अप्राप्तिसम

“प्राप्यणाध्यमप्राप्य या हेतो प्राप्त्याविशिष्टत्वात्
अप्राप्या असापकत्वात् प्राप्यप्राप्तिसमौ”

—या. ख. १११३

मान लीजिये, पूर्वोक्त अनुमान पर जातियादी यह शका करता है—

“तुम हेतु देकर साध्य को सिद्ध करते हो। अप्य यद् यताओं कि देतु और साध्य, दोनों में सम्बन्ध पाया जाता है या नहीं? यदि कहो कि हाँ, तब यद् कैसे निष्प्रय होगा कि फौन किसका साधक है और फौन किसका साध्य है? और यदि कहो कि नहीं, तब तो सम्बन्ध के अभाव में साध्य साधक भाव होना ही असमव है ॥”

हेतु और साध्य में सम्बन्ध की प्राप्ति मानकर जो खण्डन किया जाता है उसे ‘प्राप्तिसम’, और अप्राप्ति मानकर जो खण्डन किया जाता है उसे ‘अप्राप्तिसम’ कहते हैं।

नोट—इन दोनों का उत्तर गौतम यों देते हैं कि साध्य की विद्या प्राप्ति और अप्राप्ति दोनों ही अवश्याद्यों में दराते में आती है। वैसे, घट की विष्पत्ति वक्ता, करण और अधिकारण के साधारण से होती है। इसके विपरीत अभिवार (गुप्त मन्त्रादि) द्वारा पीड़ा पहुँचाने पर मनुष्य को हेतु की अप्राप्ति होते हुए भी पीड़ा का अनुभव होता है।

(११) प्रसङ्गसम—

“दृष्टान्तस्य कारणानपदेशात् प्रत्युत्तरथानात् प्रसङ्गसम ”

—या. ख. १११३

मान सीजिये पूढ़ाक अनुमान (शब्दोऽनित्य इतक्त्वात् घटनत्) वा वोई इस तरह प्रत्यवस्थान (दूषण) करता है—

“शब्द की अनित्यता सिद्ध करने के लिये आप घट का दृष्टान्त देते हैं। किन्तु घट अनित्य है इसका क्या प्रमाण ? आप कहियेगा कि घट पट वी तरह कार्य है, अतएव अनित्य है। किन्तु पट कार्य है इसका क्या प्रमाण ? इसी तरह आपका प्रत्येक साधन साध्य होता चायगा और आप अपने प्रतिक्षात् साध्य को कभी सिद्ध नहीं कर सकेंगे।”

पेसे खण्डन का नाम प्रत्यक्षसम है।

नोट—इसका उत्तर सुनकर ने अगले सूच में दिया है—

‘प्रदीपोपादानप्रसङ्गनिवृत्तिवत्तद्विनिवृत्ति’

—न्या सू ११११०

अर्थात्—ऐसी आपत्ति परने से अनवस्था दोष आ जाता है। प्रत्येक प्रमाण वा प्रमाण दर्ते शिरिये सो कभी घन्त ही नहीं होता। और न ऐसा करने की आवश्यकता ही है। क्योंकि दृष्टान्त सो अवश्य घन्त को खोधाय बनाने के लिये होता है। जिस तरह दीपक अधार में निहित घन्त को आचोकित कर दिखाता है उसी तरह दृष्टान्त सदिगम विषय को स्पष्ट कर दिखाता है। जिस तरह दीपक के देखने के लिये दूधरे दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसी तरह दृष्टान्त को समझने के लिये दूसरे दृष्टान्त की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि दृष्टान्त सो उसी का दिया जाता है जो विकृत प्रसिद्ध और परीक्षित है।

(१२) प्रतिदृष्टान्तसम—

‘प्रतिदृष्टातेन प्रत्यवस्थानात् प्रतिदृष्टा तसम्’

—न्या सू १११११

प्रतिदृष्टान्त (प्रतिकूल दृष्टान्त) देखर जो खण्डन दिया जाता है उसे ‘प्रतिदृष्टान्तसम्’ कहते हैं।

मान सीजिये, किसी ने कहा—

आला कियावान् है (साध्य)

क्योंकि यह किया क हेतुस्पी गुण से युक्त है (हेतु)
जैसे चायु (उदाहरण)

यहाँ चायु का दृष्टान्त देकर आत्मा जो मियायान् सिद्ध करने वी चंदा की गई है।

अब इसपर दूसरा व्यक्ति आकाश का दृष्टान्त देखर कहता है—“अमूर्त आकाश की तरह भूमूर्त आला भी निष्क्रिय है।”

यह प्रतिवृष्टिनात्सम का उदाहरण है।

नोट—इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि केवल वृष्टिन के बज पर संरक्षण या मरण नहीं किया जा सकता। हेतु और साथ में व्याप्ति सम्बन्ध रहता आवश्यक है।

(१३) अनुत्पत्तिसम—

“प्रागुत्तते कारणाभावात् अनुत्पत्तिसम ”

—न्या सू. १।।।१२

उत्पत्ति से पूर्व कारण का अभाव घटलाकर जो घटकर किया जाय उसे ‘अनुत्पत्तिसम’ कहते हैं।

इसे यो समझिये। शब्द की प्रतिक्रिया को लेकर जो अनुमान कहा गया है, उसपर कोई व्यक्ति यह पतराज पेश करता है—

“जब शब्द अनुत्पन्न था (अर्थात् जब उसकी उत्पत्ति नहीं हुई थी) तब उसमें ‘हतकरन’ हहीं था। और जब उसमें हतकरन नहीं था तब उसे नित्य मानना ही पड़ेगा। और जब उसमें नित्यता मानेंगे तब किस उसकी उत्पत्ति क्योंकर हो सकती है? अर्थात् नित्यत्वयुक्त शब्द कभी अनित्य नहीं हो सकता।”

यह अनुत्पत्तिसम का उदाहरण हुआ।

नोट—इसका उत्तर मैयायिक लोग यों देते हैं कि उत्पत्ति से पहले से शब्द या ही नहीं। और जब उसमें अस्तित्व ही नहीं था तब किस नित्यत्व कैसा?

(१४) संशयसम—

“सामान्यवृष्टातयोरेद्विद्यकरे समाने नित्यानित्यताधर्म्यात् संशयसम ”

—न्या सू. ५।।।१४

संशय के द्वारा जो घटणा किया जाय, वह ‘संशयसम’ कहलाता है।

मान लीजिये, पूर्वांक अनुमान (शब्दोऽनित्य) पर कोई यह व्याक्षेप करता है—

“अनित्य घट और नित्य गोत्व आदि जाति दोनों इन्द्रियग्राह्य हैं। शब्द भी इन्द्रियग्राह्य होने के कारण, नित्य और अनित्य, दोनों का समानधर्म है। पेसी अवस्था में उसकी नित्यता या अनित्यता का निश्चय कैसे हो?”

यह संशयसम का उदाहरण है।

(१५) प्रकरणसम—

जग्यसापर्म्यात् अकियासिद्धे प्रकरणसम ।

—न्या सू. ८।।।१६

एत और प्रतिरक्ष की प्रवृत्ति से प्रक्रिया कहते हैं। जहाँ दोनों (नित्य और अनित्य) का साधर्म्य दिखलाकर प्रक्रिया की सिद्धि हो वहाँ प्रकरण ना ये।

जसे, गात (नित्य जाति) में इन्द्रियग्राहात्म है। और पट (अनित्य व्यक्ति) में भी इन्द्रियग्राहात्म है।

अतएव नित्य और अनित्य दोनों समाप्तमां हैं। यदौ शब्द के इन्द्रियग्राहात्म को लेकर एक पट पट के साधन्य से उसे अनित्य सिद्ध करता है। दूसरा पट गात के साधन्य से उसे नित्य सिद्ध करता है।

यह प्रकरणसम का उदाहरण शुरू।

(१६) अहेतुसम—

“प्रेक्षण्यासिद्धे हेतोरहेतुसम”

—या स० ५३११८

तीना (भूत, भविष्यत्, और यत्तमान) कालों में हेतु की अस्तिद्धि दिखलाकर जो उदाहरण किया जाता है उसे ‘अहेतुसम’ पद्धत है।

उदाहरण—“घट का हेतु (साधन) पद्धत है ! इसका उचार लोग देते हैं—चाक, डंडा इत्यादि। अच्छा, अब यह हेतु (जैसे चाक) घट के पृथ रद्दकर काय करता है या घट के पश्चात् रद्दकर ? यदि घट के पृथ मानत हैं तो उस समय घट का अस्तित्व या ही नहीं, फिर उसका कारण किसे होगा ? यदि पश्चात् मानत हैं तो भी कारण को सिद्ध नहीं होती, क्योंकि उसके पहल ही घट (काय) हो जाता है। यदि दोनों को समफालीन मानते हैं तो यह भी ठीक नहीं। क्योंकि युगपत् (पक साय) होने से, गो की दाढ़िनी और बाँद सींगों के समान, दोनों में काय कारण भाव सिद्ध नहीं होता।”

नोट—इसका उत्तर न्यायिक ज्ञोग यों दते हैं कि कारण कार्य के पहले रह कर उस सिद्ध करता है। यम समय काय का अमाव कारण का याथक नहीं प्रस्तुत सापेक्ष होता है, यदोंकि जब कार्य नहीं या उभी दो कारण के द्वारा उसकी उत्पत्ति होती है।

(१७) अर्थापत्तिसम—

“अर्थापत्ति प्रतिपक्षसिद्धे र्थापत्तिसम”

—या स० ५३११९

एक घात के बहने से जब दूसरो घात की प्रतिपत्ति हो तो उसे ‘अर्थापत्ति’ कहते हैं। इहाँ खीच तानकर अर्थापत्ति के द्वारा उदाहरण किया जाय यदौं ‘अर्थापत्तिसम’ जानता चाहिये।

जैसे, किसी न कहा—

शब्दोऽनित्यः (शब्द अनित्य है)

कृतकत्वात् (उत्पन्न होने से)

अब यद्दों कोई इस तरह सरणि करने लगता है—‘शब्द अनियत है’ ऐसा कहने से बोध होता है कि शब्द के अतिरिक्त और सभी कुछ नित्य हैं। “उत्तन होने के ग्रन्थ” ऐसा कहने से बोध होता है कि इस देतु के अतिरिक्त और जितने भी हेतु हैं सो नित्यता के साथक हैं। यदि यही वात है तो हम दूसरा देतु (जैसे अवश्यकता) देकर शब्द को नित्य सिद्ध करते हैं। जैसे,

“शब्दों नित्य (शब्द नित्य है)

अस्पृष्टगत् (क्योंकि उसका स्वर्ण नहीं होता) ।”

यह ‘अर्थापतिसम’ का उदाहरण हुआ।

नोट—इसके उत्तर में नैयायिक लोग कहते हैं—‘आइ, यह तो अच्छा तर्क तिथा। यार हमी तरह अर्थापति करने जाने तप तो ‘भारी पट साकार है’ कहने से यह अर्थ निसालोगे कि हल्का पट निराकार है। ‘आम भीठा होता है’ पढ़ो से यह नहीं बोध होता कि कटहल और आमुन मीठे नहीं होते। अतएव हुग्हारो यह भ परि निर्मूल है।

(१८) अविशेषसम—

‘एक घर्मोपत्तेविशेषे सर्वाविशेषप्रसन्नात् सदाचोपपत्तेविशेषसम ॥’

—न्या० सू० १।१२३

पूर्वोक्त अनुमान (शब्दोऽनियत) को ले लीजिये। इसपर कोई कहता है—

‘पट और शब्द में ‘हृतकल’ की उभयनिष्ठता लेकर तुम दोनों की शविशेषता (सामान्यता) स्थापित करते हो और इस तरह शब्द की अनित्यता सिद्ध करते हो। किन्तु इसी तकप्रणाली के अनुसार हम कह सकते हैं कि ससार के सभी पदार्थों में सत्ता (अविनियत) गुण मीजूर है। अर्थात् सत्ता धर्म सउपदार्थिनिष्ठ है। फिर सभी पदार्थों में अविशेषता क्यों नहीं मानी जाय ? और एक का गुण दूसरे में क्यों नहीं आवेदित किया जाय ?’

इस प्रकार का प्रत्यवस्थाना (खण्डन) करना ‘अविशेषसम’ कुद्दलाता है।

नोट—इसका उत्तर यह है कि सामान्य धर्म भी उपपत्ति होने से विशेष धर्म भी उपरपति नहीं होती। गो और घर में एक ही सामान्य धर्म (चतुर्पादत्व) रहते हुए भी गो का विशेष धर्म गृहितरा (शींग का होना) अध में नहीं पाया जाता।

(१९) उपपत्तिसम—

“उभयकारणोपत्तेरूपपत्तिसमः”

—न्या० सू० १।१२४

दो विवेद कारणों की उपपत्ति दिखलाते हुए राण्डन करने का नाम ‘उपपत्तिसम’ है।

जैसे, पूर्वोक्त अनुमान (शब्दोऽनियतः) पर कोई कहे—

"यदि शब्द में अनियता का साधक कारण (इनकाल) मिलता है तो उसमें नियता का साधक कारण (भव्यता) भी मिलता है। जब दोनों पिछले कारणों की उपरचि होती है, तब शब्द को नियत भी मानना पड़ेगा।"

नोट—यह उपरचिसम का उदाहरण हुआ। इसके बारे में नैयायिक फैलो कि इस 'शब्दकाव्य' साधन के द्वारा शब्द की अनियता सिद्ध करना चाहते हैं। जब हमने इसारे दिये हुए साधक कारण का उपरचि स्वीकार करती (कि कृतकाव्य अनियता का साधक है) तब यिर सारा मगांडा ही झरना हो गया। हम तो इतना ही स्वीकार कराना चाहते थे।

(२०) उपलब्धिसम—

"निदिष्टकारणाव्युपलभादुपलब्धिसम "

—न्या० स० ५। १। २४

निदिष्टकारण के अभाव में भी साध्याकी उपलब्धि दिखलाकर जो घण्टन किया जाय। उने 'उपलब्धिसम' कहते हैं।

जैसे, 'पर्वतो वहिमान् धूमात्' (अर्थात् पदाङ् पर अग्नि है, क्योंकि घटाँ धूमा देखने में आता है), इसपर कोई इस तरह आक्षेप करता है—

"झट्टाँ धूमाँ कारण नहीं रहता यहा भी तो आग (साध्य) देखन में आती है, जैसे जलते हुए लौद सरण में। इसलिये धूम 'को अन्ति का साधक मानना ठीक नहीं।"

यह 'उपलब्धिसम' का उदाहरण हुआ।

नोट—इष्टक उत्तर में नैयायिक फैलो कि कारणातर स भी यदि साध्य की उपरचि होती है तो इससे इमारा व्या होने हैं। कहा एक देतु (पूर्ण) से अग्नि का अनुमान होता है, कही दूसरे देतु (प्राय) से, किन्तु इससे यह तो नहीं कहा जा सकता कि एक देतु दूसरे देतु का साधक है।

(२१) अनुपलब्धिसम

"तदतुपलब्धेनुपलभाद्यावसिद्दौ तद्विपरीतोपपथेनुपलब्धिसम "

—न्या० स० २। १। २५

अनुपलब्धि की अनुपलब्धि दिखला कर जो घण्टन किया जाता है उसे 'अनुपलब्धिसम' कहते हैं। नीच दिये हुए उदाहरण से यह यात व्यष्ट हो जायगी।

नैयायिकों का पहना है कि "शब्दनिय नहीं। क्योंकि उच्चारण के पूर्व और पद्धात् उसको उपलब्धि नहीं होती।" यदि इसपर कोई यह कहे कि "जिस तरह मेघालक्ष्मित सूर्य की उपलब्धि नहीं होती, उसी तरह किसी आवरण से आवृत होने के कारण शब्द की उपलब्धि नहीं होती, अर्थात् शब्द का अस्तित्व निहित रहता है," तो यह भी ठीक नहीं।

फौंकि मेघाच्छादित सूर्य का आवरण (मेघ) प्रत्यक्ष देखने में आता है। किन्तु शब्द का कोई आवरण देखने में नहीं आता। इसलिये आवरण के अभाव से शब्द का अभाव भी सिद्ध होता है। अर्थात् शब्द का प्राग्मत्य और पश्चादभाव मानना ही पड़ेगा।"

इसपर जातिगादी यौ खण्डन करता है—

"आप कहते हैं कि आवरण की उपलब्धि नहीं होती। इसीलिये आप आवरण का अभाव मानते हैं। किन्तु जिस तरह आपको आवरण की उपलब्धि नहीं होती उसी तरह आवरण की अनुपलब्धि की भी तो उपलब्धि नहीं होती। यदि अनुपलब्धि के बल पर आप आवरण के अभाव की सिद्धि करते हैं तब उसी (अनुपलब्धि) के बल पर हम 'आवरण की अनुपलब्धि' का भी अभाव सिद्ध करेंगे। इस तरह आवरण की उपलब्धि सिद्ध हो जायगी।"

यह खण्डन 'अनुपलब्धिसम' का उदाहरण है।

नोट—इसके उत्तर में नैवायिक कहते हैं—“अनुपलब्धि तो स्वयं उपलब्धि वा अभाव है। फिर उसकी उपलब्धि वा अनुपलब्धि कैसी? क्या वहाँ 'भाव' का भी भाव और 'अभाव' का भी अभाव होता है?”

(२२) अनित्यसम—

‘ साधर्म्यातुल्यधर्मोपपत्ते सर्वानित्यत्प्रसङ्गात् अनित्यसम । ’

—या० सू० १।।१३२

मान लीजिये, पूर्वोक्त 'अनुमान (शब्दोऽनित्यः)' का कोई इस तरह खण्डन करता है—

"अनित्य घट के साधर्म्य से जब शब्द की अनित्यता सिद्ध होती है तब सभी पदार्थों की अनित्यता क्यों नहीं सिद्ध हो सकती? क्योंकि सभी पदार्थों के साथ घट का कुछ न कुछ साधर्म्य तो हो दी। कम से कम 'सत्ता' धर्म (होना) तो सब पदार्थों में समान है। ऐसी स्थिति में सत्तागुणयुक्त घट के साधर्म्य से हम 'आत्मा' और 'आकाश' को भी अनित्य क्यों नहीं मानें?"

यह 'अनित्यसम' का उदाहरण हुआ।

नोट—इसके उत्तर में नैवायिक कहते हैं कि देवता साधर्म्य से साध्य की उपपत्ति नहीं होती। साध्य साधक भाव रहना भी आवश्यक है। 'कृतक्य' में अनित्यता की साधकता है, 'सत्ता' में नहीं। अतएव सत्तागुणविद्यि प्रत्येक पदार्थ में अनित्यता की सिद्धि नहीं हो सकती।

(२३) नित्यसम—

‘ नित्यमनित्यभावादनित्ये नित्यत्वोपपत्तेनित्यसम । ’

—या० सू० १।।१३५

मान लीजिये, पूर्वोक्त अनुमान (शब्दोऽनित्यः) पर कोई यह प्रश्न करता है—

“तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि 'शब्द अनित्य है'। अप यह चताथो कि शब्द की यह अनित्यता नित्य है या अनित्य ? अगर कहो कि अनित्य, तब तो अनित्यता के अभाव से शब्द नित्य सिद्ध हो जायगा। और यदि कहो कि नित्य, तब भी धम के नित्य होन से धर्म (शब्द) को नित्य मानना पड़ेगा।”

यह 'अनित्यसम' का उदाहरण हुआ।

नोट—इसका उच्चर यों दिया जा सकता है कि हमें तो 'शब्द' की अनित्यता सिद्ध करने से प्रयोजन है। 'अनित्यता' की नित्यता या अनित्यता का तो कोई प्रश्न ही नहीं ठठता। इसलिये यह सवाल ही गलत है।

(२४) कार्यसम —

“प्रयत्नकार्यनिरूपत्वात् कायसम ”

—न्या० स० १११७

शब्द धारे अनुमान को ले लीजिये।

'शब्दोऽनित्य प्रयत्नानन्तरीयकत्वात् ।'

(अर्थात् प्रयत्न के अनन्तर शब्द का भाव होता है, अतएव यह अनित्य है ।)

इसका खण्डन प्रयत्न कार्य की अनेकरूपता दिखला कर यों किया जाता है—

"प्रयत्न के अनन्तर अविद्यमा यस्तु की भी उत्पत्ति होती है (जैसे घट का निर्माण) और दिधमान यस्तु की भी अभिव्यक्ति होती है (जैसे, भूगत्स से जल निकालना)। प्रयत्न साध्य होने से ही किसी यस्तु धा प्रागमाय सिद्ध नहीं होता (अर्थात् यह नहीं कहा जा सकता कि यह पहले से विद्यमान नहीं है)। अतएव प्रयत्नानन्तरभावित देतु देकर शब्द की अनित्यता सिद्ध नहीं की जा सकती ।"

यह 'कार्यसम' प्रयत्नस्थान का उदाहरण हुआ।

नोट—इसका उच्चर नैदायिक यह दते हैं कि प्रयत्न के द्वारा अभिव्यक्ति यहीं होती है जहाँ पहले किमी अवधान के कारण अनुपकल्पित रहती है। भूगत्स से जल धारे यीध में अवधान है, अतएव वस्त्रकी उपकल्पित तथतक यहीं होती जबतक अवधान वूर नहीं किया जाय। इसी तरह आगृह आकाश का आवाय हठा इन स उपकल्पित अभिव्यक्ति होती है। किन्तु शब्द में तो तो शात है ही नहीं। उपकल्पित अवधान का आवरणन्य नहीं है, अत अभावजन्य है। तब उसे एहसो से विद्यमान कैसे माना जा सकता है ? अत प्रयत्न के द्वारा शब्द की अभिव्यक्ति नहीं, उपकल्पित अभिव्यक्ति होती है। इसलिये यह अनित्य सिद्ध होता है।

निग्रहस्थान

[निग्रहस्थान का अर्थ—निग्रहस्थ न के प्रभेद—प्रतिशाहानि—प्रतिशातर—प्रतिशाविरोध—प्रतिशासन्यात—हेतु १—अर्थात् अर्थात्—निर्याक—अविशातार्थ—अवान—अवनुभाषण—मूल—अभिन्न—अभासकाल—पुनर्वक—भवतिमा—विकेन—मतानुशा—वयुगोज्योपेक्षण—निनुशोऽथनुशो—अपसिद्धात्—हेत्वाभास]

निग्रहस्थान का अर्थ—निग्रहस्थान का अर्थ है “निग्रहस्थ पराजयस्य (खलीकारस्य वा) स्थानम्” अर्थात् हार या तिरस्कार की जगद् ।

शास्त्रार्थ में जो-जो अवस्थाएँ पराजय की सूचक हैं, जिन जिन बातों से चाढ़ी को अपने मुँह की खानी पड़ती है और निन्दाभाजन यन्त्रा पड़ता है, उन्हें ‘निग्रहस्थान’ कहते हैं । निग्रहस्थान का अर्थ है निदा या तिरस्कार का स्थल । जिस स्थल पर पट्टूचन से हार समझी जाय और भत्सना सहनी पड़े, उसीका नाम निग्रहस्थान है ।

गौतम ‘निग्रहस्थान’ की यौं परिभाषा करते हैं—

“विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिर्व निग्रहस्थानम्”

—न्या म् ॥१॥१४

अर्थात् अपने पक्ष का प्रतिपादन अनुचित रूप से, नियम के विरुद्ध, करना (विप्रति पत्ति), अथवा अपने पक्ष का प्रतिपादन नहीं कर सकना (अप्रतिपत्ति), ‘निग्रहस्थान’ कहलाता है । मान लीजिये, प्रतिवादीने आपके पक्ष में जो दोष दिखलाये हैं उनका उडार आप नहीं कर सकते अथवा उसके प्रतिपादित पक्ष का खण्डन नहीं कर सकते तो आप निग्रहस्थान में चले जाते हैं (अर्थात् पराजित समझे जाते हैं) ।

निग्रहस्थान के प्रभेद—गौतम निम्नोक्त चार्दस प्रकार के निग्रहस्थान बतलाते हैं—

- (१) प्रतिशाहानि
- (२) प्रतिशातर
- (३) प्रतिशाविरोध
- (४) प्रतिशासन्यात

- (५) हेत्वंतर
- (६) अर्थात् तर
- (७) निरर्थक
- (८) अविज्ञातार्थ
- (९) अपार्थक
- (१०) अप्राप्तकाल
- (११) यून
- (१२) अधिक
- (१३) पुनरुक्त
- (१४) अननुभाषण
- (१५) अव्वान
- (१६) अप्रतिभा
- (१७) विक्षेप
- (१८) मतानुक्ता
- (१९) पर्यनुयोज्योपेक्षण
- (२०) निरनुयोज्यानुयोग
- (२१) अपसिद्धान्त
- (२२) हेत्वाभास ।

अब प्रत्येक का लक्षण और उदाहरण दिया जाता है ।

(१) प्रतिज्ञाहानि—

“प्रतिदृष्टा तथमीन्यनुक्ता स्वदृष्टान्ते प्रतिज्ञाहानि”

—न्या स. ४। २। ३

अपने दृष्टात में प्रतिरूप दृष्टात का धम मानलेने को ‘प्रतिज्ञाहानि’ कहते हैं। अर्थात् अपन पक्ष में परपक्ष के धम को इशीकार करने से ‘प्रतिज्ञाहानि’ होती है।

किसीने प्रतिपादन किया—“शब्द अनित्य है (प्रतिज्ञा), इन्द्रिय का विषय होने के कारण (हेतु), घट के समान (दृष्टात) ।”

अब इसपर प्रतिदक्षी प्रतिकूल दृष्टान्त देकर खण्डन करता है—

“सामान्य (गोत्य आदि जाति) भी तो इन्द्रिय का विषय है तो भी यह नित्य है। पेसे ही शब्द भी नित्य होगा ।”

इस पर वादी कहता है—“यदि जाति निय है तो घट भी निय हो।” पेसा कहने से अपने दृष्टान्त (घट) में प्रतिदृष्टान्त का धर्म (नियता) मानलेना पड़ता है। यानी अपने पक्ष का त्याग और प्रतिवादी के पक्ष का स्वीकार हो जाता है। अपना पक्ष छोड़ना अपनी प्रतिक्षा को छोड़ना है, कौन्फि प्रतिक्षा ही को लेफर तो पक्ष है। अतएव यहाँ वादी प्रतिक्षाहानि नामक निग्रहस्थान में पड़कर पराजित समझा जायगा।

(२) प्रतिक्षान्तर—

“प्रतिक्षातार्थप्रतिपेधे धर्मविकल्पात् तदर्थनिर्देश प्रतिक्षान्तरम्”

—न्या सू. १२३

प्रतिपाद्य रिय पक्ष का खण्डन हो जाने पर उससे विशिष्ट प्रतिक्षा का आश्रय लेना ‘प्रतिक्षान्तर’ कहलाता है।

पूर्वोक्त उदाहरण को ले लीजिये। वादी घट का दृष्टान्त देकर शब्द की अनियत्यता का प्रतिपादन करता है। प्रतिवादी ‘जाति’ (सामान्य) का प्रतिदृष्टान्त देकर उसके प्रतिपादित अर्थ का प्रतिपेध करता है। इस पर वादी कहने लगता है—

“हाँ, इन्द्रिय विषय होते हुए भी जाति निय है। किंतु वह सर्वगत है इसलिये निय है। घट और शब्द सर्वगत नहीं हैं, इसलिये अनिय हैं।”

अब यहाँ वादी ने दूसरी प्रतिक्षा का आध्रय लिया कि ‘शब्द सर्वगत नहीं हैं।’ उसकी पहली प्रतिक्षा थी कि ‘शब्द अनिय है।’ इसकी सिद्धि के लिये उसे साधक हेतु और दृष्टान्त का आश्रय लेना चाहिये या, त कि एक दूसरी प्रतिक्षा का। अपनी पूर्व प्रतिक्षा को हेतु दृष्टान्त द्वारा सिद्ध नहीं कर, वह दूसरी प्रतिक्षा कर वैठता है। इसलिये उसका पूर्णपक्ष प्रतिपादित नहीं होता और वह पराजित समझा जाता है। इसको प्रतिक्षान्तर नामक निग्रहस्थान कहते हैं।

(३) प्रतिक्षाविरोध—

“प्रतिक्षाहेत्वोर्बिरोध प्रतिक्षाविरोधः।”

—न्या सू. १२४

जहाँ प्रतिक्षा और हेतु दोनों में परस्पर विरोध हो जाय, यहाँ ‘प्रतिक्षाविरोध’ नामक निग्रहस्थान समझना चाहिये।

उदाहरण—किसीने यह प्रतिपादन किया—

“द्रव्य युग्म से मिल्न है (प्रतिक्षा)। रूप आदि (युग्म) लभ्य होने से (हेतु)”

की अनुप

- (४) हेतु तर
 - (५) अर्था तर
 - (६) निरधंक
 - (७) अविज्ञातार्थ
 - (८) अपार्थक
 - (९) अप्राप्तकाल
 - (१०) यून
 - (११) अधिक
 - (१२) पुनरुक्त
 - (१३) अननुभाषण
 - (१४) अज्ञान
 - (१५) अप्रतिभा
 - (१६) विच्छेप
 - (१७) मतानुस्ता
 - (१८) पर्यानुयोज्योपेक्षण
 - (१९) निरनुयोज्यानुयोग
 - (२०) अपसिद्धान्त
 - (२१) हत्याभास।
- अब प्रत्येक का लक्षण और उदाहरण दिया जाता है।

(१) प्रतिज्ञाहानि—

“प्रतिदृष्टान्तधर्मान्युज्ञा स्वदृष्टान्ते प्रतिज्ञाहानि:”

—स्या स २।३।२

अपने दृष्टात में प्रतिकूल दृष्टात का धर्म मानलेने को ‘प्रतिज्ञाहानि’ कहते हैं। अर्थात् अपने पक्ष में परपक्ष के धर्म को स्वीकार करन से ‘प्रतिज्ञाहानि’ होती है।

किसीने प्रतिवादन किया—“शब्द अनित्य है (प्रतिज्ञा), इन्द्रिय का विषय द्वेष के कारण (हेतु), घट के समान (दृष्टात)।”

अब इसपर प्रतिपक्षी प्रतिकूल दृष्टान्त देकर खण्डन करता है—

“सामान्य (गोत्य आदि जाति) भी तो इन्द्रिय का विषय है तो भी यह नित्य है। ऐसे दी शब्द भी नित्य होगा।”

इस पर वादी कहता है—“यदि जाति नित्य है तो घट भी नित्य हो।” ऐसा कहने से अपने दृष्टान्त (घट) में प्रतिवृद्धान्त का धर्म (नित्यता) मानलेना पड़ता है। यानी अपने पक्ष का त्याग और प्रतिवादी के पक्ष का स्वीकार हो जाता है। अपना पक्ष छोड़ना अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ना है, क्योंकि प्रतिज्ञा ही को लेकर तो पक्ष है। अतएव यहाँ वादी प्रतिज्ञाहानि नामक निग्रहस्थान में पड़कर पराजित समझा जायगा।

(२) प्रतिज्ञान्तर—

“प्रतिज्ञातार्थप्रतिपेधे धर्मविकल्पात् तदर्थनिर्देश प्रतिज्ञातरम्”

—या सू. १२३

प्रतिपाद्य विषय का खण्डन हो जाने पर उससे विशिष्ट प्रतिज्ञा का आश्रय लेना ‘प्रतिज्ञान्तर’ कहलाता है।

पूर्वोक्त उदाहरण को ले लीजिये। वादी घट का दृष्टान्त देकर शन्द की अनित्यता का प्रतिपादन करता है। प्रतिवादी ‘जाति’ (सामान्य) का प्रतिवृद्धान्त देकर उसके प्रतिपादित अर्थ का प्रतिपेध करता है। इस पर वादी कहने लगता है—

“हाँ, इन्द्रिय विषय होते हुए भी जाति नित्य है। किन्तु वह सर्वंगत है इसलिये नित्य है। घट और शब्द सर्वंगत नहीं हैं, इसलिये अनित्य हैं।”

अब यहाँ वादी ने दूसरी प्रतिज्ञा का आधार लिया कि ‘शन्द सर्वंगत नहीं है’। उसकी पहली प्रतिज्ञा थी कि ‘शन्द अनित्य है।’ इसकी सिद्धि के लिये उसे साधक हेतु और दृष्टान्त का आधार लेना चाहिये था, न कि एक दूसरी प्रतिज्ञा का। अपनी पूर्व प्रतिज्ञा को हेतु दृष्टान्त द्वारा सिद्ध नहीं कर, वह दूसरी प्रतिज्ञा कर देता है। इसलिये उसका पूर्णपक्ष प्रतिपादित नहीं होता और वह पराजित समझा जाता है। इसको प्रतिज्ञान्तर नामक निग्रहस्थान कहते हैं।

(३) प्रतिज्ञाविरोध—

“प्रतिज्ञाहेत्वोविरोध प्रतिज्ञाविरोधः।”

—या सू. १२४

जहाँ प्रतिज्ञा और हेतु दोनों में परस्पर विरोध हो जाय, वहाँ ‘प्रतिज्ञाविरोध’ नामक निग्रहस्थान समझना चाहिये।

उदाहरण—किसीने यह प्रतिपादन किया—

“द्रव्य गुण से मिल्न है (प्रतिज्ञा)। रूप आदि (गुण) से मिल्न पदार्थ लब्धि होने से (हेतु)”

यहाँ प्रतिशो और हेतु दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। यदि यह आदि गुण से सिन पदार्थ की उपलब्धि नहीं होती तो द्रव्य की विभिन्नता कैसे सिद्ध होगी? और यदि द्रव्य विभिन्न है, तब भिन्नता की अनुपलब्धि कैसे सिद्ध होगी। अर्थात् प्रतिशो मानते हैं तो हेतु कट जाता है और हेतु को लेते हैं तो प्रतिशो फट जाती है। (यह उसी तर्द हुआ जैसे फोई घकील उलटी घट्स करने लगे और ऐसी युक्ति दे जिससे उसकी अपनी ही चात कट जाय)। इसको प्रतिशोविरोध करते हैं।

(४) प्रतिशोसन्यास—

“पक्षप्रतिपेदे प्रतिशोतार्थपनयने प्रतिशोसन्यास ।”

—न्या सू. १३८

पक्ष के खण्डित होने पर अपनी प्रतिशो को छोड़ देना ‘प्रतिशोसन्यास’ कहलाता है। अर्थात् अपना पक्ष कट जाने पर यदि फोई अपनी चात से भागने लगे तो यहाँ ‘प्रतिशोसन्यास’ नामक निग्रहस्थान समझना चाहिये।

उदाहरण—किसीने प्रतिपादन किया—

“शब्द अनित्य है (प्रतिशो)। इन्द्रिय का विषय होन से (हेतु)।”

अब इसपर दूसरा खण्डन करता है—

“जाति इन्द्रिय का विषय होते हुए भी अनित्य नहीं है। इसी तरह शब्द भी अनित्य नहीं है।”

अब यादी देखता है कि उसका पक्ष निपिद्ध ठहर गया। घस, चट कह उठता है— “यहीं तो मैं भी कहता हूँ। शब्द को अनित्य कौन कहता है?” अर्थात् अपनी प्रतिशो को साफ़ मुक्त कर कहता है कि यह यात तो मैंने कही ही नहीं थी। इसीको प्रतिशोसन्यास कहते हैं।

(५) हेत्वन्तर—

“अविशेषोके हेतौ प्रतिपिदे विशेषमिव्युतो हेत्वन्तरम्”

—न्या सू. १३८

यदि यादी का दिया हुआ हेतु असाधक प्रमाणित हो जाय (यानी उससे साध्य की सिद्धि न हो सके) और तब यह उस हेतु मैं और फोई विशेषण लोडकर सिद्ध करना चाहे, तो यह ‘हेत्वन्तर’ नामक निग्रहस्थान कहलाता है।

उदाहरण—मानलीजिये, कोई प्रतिपादन करता है—

“शब्दोऽनित्यः ऐद्रियकत्वात्”

“शब्द अनित्य है, इन्द्रिय का विषय होने से।” इसपर प्रतिशोदी आधेय करता है कि सामाज (जाति) भी तो इन्द्रिय का विषय है, किन्तु यह अनित्य कहाँ है?

अब यादी कठिनता में पड़ जाता है। क्योंकि इन्द्रियविषयत्व और अनित्यत्व के साहचर्य में व्यमिचार देखने में आता है। अत दोनों में व्याप्ति का सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सकता। अब दो ही मार्ग यादी के सामने हैं—

(१) या तो वह अपनी प्रतिक्षा छोड़ दे।

(२) या कोई दूसरा हेतु देकर जाति के व्यमिचार का निवारण करे।

पहले मार्ग का अवलम्बन करने से वह प्रतिक्षासम्बन्ध का दोषी हो जाता है। इसलिये वह दूसरे मार्ग का अपलम्बन करता है। अर्थात् उसने पहले जो सामान्य हेतु (ऐं द्रियकाव्यात) दिया था उसमें अब नया विशेषण (सामायवत्त्वे सति) जोड़कर कहने लगता है—

‘शब्दोऽनित्यं सामान्यवत्त्वे सति ऐं द्रियकाव्यात्’

अर्थात् इद्रिय का विषय और सामाय गुण से युक्त होने के कारण शब्द अनित्य है। यहाँ “सामायवत्त्वे सति” पेसा पद जोड़ देने से जाति का अपवाद हट जाता है, क्योंकि जाति तो स्वर्य सामाय है, उसमें सामायवत्त्व केसे होगा ? घट, पट आदि की जाति (घटत्व, पटत्व) होती है। स्वर्य जाति (घटत्व आदि) की जाति का होगी ?

इस विशिष्ट हेतु से प्रत्यक्षी द्वारा निर्देशित व्यमिचार दोष का परिहार तो हो जाता है, किन्तु पूर्व हेतु की साधकता नहीं रहती। पर्योक्ति सामान्य हेतु को छोड़कर विशिष्ट हेतु का आश्रय प्रहण करना पड़ता है। अतएव यह ‘हेत्वन्तर’ दोष कहलाता है।

(६) अर्थान्तर—

“प्रहृतादर्थादिविषतिसम्बद्धार्थमर्थान्तरम् ।”

—या० सू० ५। २। ७

प्रहृत अर्थ से (प्रहृत विषय से) सम्बन्ध न रखनेवाले अर्थ को “अर्थान्तर” कहते हैं।

जैसे किसी विषय के प्रतिपादन के लिये हेतु दण्डन्त आदि देना आवश्यक है। उसके घदले यदि कोई दूसरी-दूसरी यानें कहने लगे (जो विट्ठुल अपासद्विक हों) तो अर्थान्तर नामक निप्रहस्यान जानना चाहिये।

उदाहरण—जैसे “शब्द अनित्य है” यह प्रतिपाद्य विषय है। और यादी यों लेफ्चर देने लगता है कि—“शब्द आकाश का गुण है। शब्द ज्वल्यक और वर्लात्मक भेद से दो प्रकार का होता है। शब्द से आपत्तिक्षय और अनापत्तिक्षय दोनों घृचित होते हैं। शब्द की महिमा शास्त्री में वर्णित है। शब्द मधुर वोक्ता चाहिये। इत्यादि ।”

ये सब घाते विट्ठुल अपासद्विक हैं। क्योंकि इनसे प्रटृत विषय (शब्द की अनित्यता) की सिद्धि में कुछ भी सहायता नहीं मिलती। सिद्ध वरना कुछ और है और कहते हैं कुछ और। यह अवद्यमुक्तम् अन्यद्वात्मम् न्याय फहलाता है। यदि यादी अपने साध्य के प्रतिपादन

में असमर्थ हो, इस तरह विषय से व्यक्त कर अप्राप्यता का भाषण करने लगे तो वह अर्थात् नामक निग्रहस्थान में पड़ जाता है।

(७) अपार्थक—

“पीरविर्यायोगात् अप्रतिसम्बद्धार्थभणश्चकम्”

—न्या० सू० २ । २ । १०

जिन शब्दों में पूर्वापर की कोई समति नहीं हो, एक फे साथ दूसरे का कुछ सम्बन्ध नहीं हो, उनका प्रयोग करना अपार्थक फलाता है। अर्थात् यदि यादी अनापश्नाप जो भी में आवे घने लगे, जिससे कुछ भी विशेष अर्थ का नहीं घोष हो, तो वह ‘अपार्थक’ नामक निग्रहस्थान में जा पड़ता है।

उदाहरण—जैसे, यादी यों अटसंठ घने लगे कि “बकरी के नेत्र में परखमैपद घातु है—फल का पुत्र दाढ़िम समयाय कारण है—चायल का साम नित्य है—इत्यादि” तो इनसे कुछ भी अभिप्राय नहीं निकलता। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, मातुमती ने कुनवा जोड़ा। इसको अपार्थक कहन है।

(८) निरथक—

“वर्णक्रम निर्देशविक्रियकम्”

—या० सू० १ ५ । २ । ८

‘क्षमाग्राम’ इनसे से कुछ भी अर्थ नहीं निकलता। अर्थात् इन शब्दों के जोड़ने से जो शब्द बनता है, वह विलुप्त निरथक है। यदि इसी प्रकार के निरथक शब्दों को बका जाय तो वह ‘निरथक’ नामक निग्रहस्थान कहलाता है।

उदाहरण—यदि यादी ऐसा बने लगे—

“शुद्ध नित्य है, योकि कच्छपय, जशगढ़ होता है समझ की तरह”

तो सिया पागल के प्रश्नाप के इसे और क्या कहा जा सकता है? इसको निरथक बाहते हैं।

(९) अविज्ञातार्थ—

“परिप्रतिवादिभ्या त्रिरमिहितमप्यविज्ञातमविज्ञातार्थम्।”

—न्या० सू० ५ । ३

यादी के लीन-लीन बार घोलन पर भी यदि उसका अर्थ प्रतिवादी और सभा को नहीं जान पड़े तो वहाँ ‘अविज्ञातार्थ’ नामक निग्रहस्थान होता है।

अधार॑ यादी यदि धाँधली देकर प्रतिवादी को परास्त करने की इच्छा से इस तरह ज़ख्मी ज़र्दी घोले या अस्त्र उचारण करे अथवा जान ख़ुक्कर अप्रचलित और लेपयुक्त

(हुमानिया) शुद्धों का प्रयोग करे या ऐसी जटिल और दुष्योध मापा का प्रयोग करे जिससे किसी की समझ में दुष्ट नहीं आवे तो यह (यादी) अविज्ञातार्थ नामक निग्रह-स्थान में जा पड़ता है । उसकी धौपली नहीं खलनी है । उलटे लेने के देने पड़ जाते हैं ।

(१०) अङ्गान—

"अविज्ञातस्याऽङ्गानम् ।"

—स्या० सू० ५।२।१८

मान सीजिये, यादी ने अपने पक्ष का प्रतिपादा किया । सभा ने उसका अर्थ समझ लिया । किन्तु तीन तीन बार कहने पर भी यह प्रतियादी की समझ में नहीं आया । और जब उसकी समझ में नहीं आया तब यह घण्टन क्या करेगा ?

ऐसी हिति में 'अङ्गान' नामक निग्रह-स्थान में पड़कर प्रतियादी परामर्श समझा जायगा ।

(११) अननुभापण—

"विज्ञातस्य परिषदा विरगिहितस्याप्तुचारणमनुभापणम् ।"

—स्या० सू० ५।२।१९

अर्थात् यादी के द्वारा तीन तीन बार प्रतिपादन किया गया । सभा उसका अर्थ अच्छी तरह समझ गई । तो भी सब कुछ सुनकर (और शायद समझ कर भी) यदि प्रतियादी चुप्पी साथ ले, तो यह 'अनुभापण' नामक निग्रह-स्थान में जा पड़ता है । जब यह घण्टन ही नहीं करता तब यादी की एकतरफा जीत हो जाती है और प्रतियादी 'हारा हुआ समझा जाता है ।

(१२) न्यून—

"हीनमयतमेनाप्यवयवेन न्यूनम् ।"

—स्या० सू० ५।२।१२

अर्थात् किसी अथवय से हीन, अपूर्ण प्रतिपादन को न्यून कहते हैं । अनुमान के जो पञ्चावयव (१ प्रतिज्ञा, २ हेतु, ३ उदाहरण, ४ उपनय, ५ निगमन) होते हैं, उनमें से किसी को छोड़ देने से 'न्यून' नामक दोष आ जाता है ।

(१३) अधिक—

"हेतुदाहरणाऽधिकमधिकम् ।"

—स्या० सू० ५।२।१३

जिसमें हेतु और उदाहरण का आधिकम हो यह 'अधिक' कहलाता है । जब एक ही हेतु और उदाहरण से कार्य सिद्ध हो सकता है, तब अनेक हेतुओं, और उदाहरणों का

आधय संता अनायरयक है। ऐसा करने से जो दोप आ जाता है उसे 'अपिक' नामक निप्रदस्थान कहत है।

नोट—यथार्थतः यह कोई दोर नहा। केवल नियम रथार्थ इसका निपेष किया गया है।

(१४) अप्राप्तकाल—

“अवयविपर्यासवचनमप्राप्तकालम् ।”

—न्या० दू० ५।३।११

अनुमान के जो पाँचों अथवय हैं, उनका निदिष्ट मम के अनुसार ही प्रयोग करना चाहिये (जैसे, पहले प्रतिशा तथ हेतु इत्यादि)। इस काम पा भूम् करने से, अर्थात् जो ठीक सिलसिला है उसमें उलटफेर करने से, 'अप्राप्तकाल' नामक निप्रदस्थान होता है।

(१५) पुनरुक्त—

‘रात्त्वार्थयो पुनर्वचनं पुनरुक्तम् (अ यत्रानुवादात्)’ ,

—न्या० दू० ५।३।१२

एक ही विषय को घार-घाट कहना 'पुनरुक्त' दोप कहलाता है। एँ, जहाँ पुनरावृत्ति की (दुषारा करने की) आवश्यकता है वहाँ यह दोप नहीं लगता। जैसे खण्डन करने के पृथ मतिरादी यादी के पक्ष का 'अनुगाद' करता है (अथात् उसे उद्धराता है)। वहाँ दोप नहीं है।

इसी तरह अथ की विशेष प्रतिपत्ति के लिये शब्दों का पुनर्वचन करने में दोप नहीं है। जैसे, हेतु के अपदेश से 'प्रतिशा' का पुनर्वचन 'तिगमन' में करना पड़ता है। किन्तु जहाँ कोई भी प्रयोजन तिद्ध नहीं होता हो, तहाँ उसी बात को घार घाट उद्धराना विषेषण या चित्त चर्चण के समान निरुक्त और अतरव दोपपूण है। ऐसा करने से यक्षा 'पुनरुक्त' नामक निप्रदस्थान में पड़ जाता है।

(१६) अप्रतिभा—

“उच्चरस्याप्रतिपचिरप्रतिभा॑”

—न्या० दू० ५।३।१३

यदि समय पर उच्चर की छूति नहीं होती (अर्थात् कोई उच्चर नहीं सुनना) तो उसे 'अप्रतिभा' कहने हैं। उच्चर का अथ है परपक्ष का निपेष अथवा शक्ता-समाधान। यदि यादी या प्रतिवादी की शुद्धि ऐसी कुठित हो जाय कि उसे प्रतिपक्ष के खण्डन में उभी उच्चर नहीं सूक्ष्म हो जाय तो यह इस निप्रदस्थान में पड़कर पराजित समझा जाता है।

(१७) विसेप—

“कार्यव्यासमात् कथाविच्छेदो विक्षेपः ।”

—न्या० सू० १।२।२०

जहाँ वारी या प्रतिवादी विद्याद के धीच में दृढ़ात् दूसरे कार्य का वहाना कर वहास घन्द कर दे, यहाँ ‘विक्षेप’ नामक निग्रहस्थान समझा जाता है । जैसे, प्रतिवादी ने देरा कि अब परास्त होने में देर नहीं है । वह, यह कहने लगता है—“अब मुझे इस समय श्रवणकाश नहीं है” अथवा “जरा मैं शौच से हो आता हूँ” अथवा “मेरे सिर में कुछ दर्द होने लग गया है, अब आराम करने जाऊँगा ।” यदि वह ऐसा कह कर सभा से उठ जाता है, तो उपर्युक्त निग्रहस्थान में पड़कर परास्त समझा जाता है ।

(१८) मतानुशा—

“स्वपक्षदोषाऽभ्युपगमात् परपक्षदोपप्रसङ्गो गतानुहा”

—न्या० सू० १।२।२१

अपने पक्ष में जो दोष निकाला जाय उसका उद्धार नहीं कर दूसरे में भी दोष निकालना ‘मतानुहा’ कहलाता है । किन्तु दूसरे का दोष दिखाने से अपने दोष का शमन तो नहीं होता । यह तो वेसा ही हुआ जैसे “मैं काना हूँ तो राजा का कोतवाल भी काना है ।” इसलिये अपने दोष का उद्धार नहीं कर जो प्रतिपक्षी में दोष निदर्शन करने लगता है वह इस निग्रहस्थान का मार्गी दोता है ।

(१९) पर्यनुयोज्योपेक्षण—

‘निग्रहस्थानप्राप्तस्यानिमहं पर्यनुयोज्योपेक्षणम्’

—न्या० सू० १।२।२२

प्रतिपक्षी के निग्रहस्थान में प्राप्त हो जाने पर भी उसका निग्रह न करना (अर्थात् दोष का उद्धारन नहीं कर सकता) ‘पर्यनुयोज्योपेक्षण’ कहलाता है । यद्यपि जय-पराजय की व्यवस्था देना सभा या मध्यरथ का कार्य है, तथापि दोष का निदर्शन करना वादी प्रतिवादी का ही कर्तव्य है । जो ऐसा नहीं कर सकता वह हयय निग्रहस्थान में पड़कर दोषभाजन बनता है ।

(२०) निरनुयोज्यानुयोग—

“अनिग्रहस्थाने निग्रहस्थानाभियोगो निरनुयोज्यानुयोग”

—न्या० सू० १।२।२३

यदि भूठमूठ निग्रहस्थान का दोषारोपण किया जाय, तो वह ‘निरनुयोज्यानुयोग’ कहलाता है । आप अपने विषय का समीक्षीन रूप से प्रतिपादन कर रहे हैं । तो भी

आपका प्रतिपक्षी कहता है कि आप निग्रहस्थान में हैं। ऐसा मिथ्याभियोग करने से वह स्थयं निग्रहस्थान में पड़ जाता है।

नोट—‘पर्यनुयोजयोपेक्षण’ का अर्थ है दोष की उपचा करना (उल्लंघन और देखना)।

‘निरनुयोजयानुयोग’ उपका एक उक्ता है—अर्थात् अदोष में दोष पी उक्तावना।

(२१) अपसिद्धान्त—

“सिद्धान्तमन्युपेत्याधनियमात्कथाप्रसङ्गोऽपसिद्धान्त ”

—न्या० सू० ५१२ २४

किसी सिद्धान्त को मानकर फिर उसके विवरणत का अवलम्बन करना ‘अपसिद्धान्त’ कहलाता है।

जैसे, वेदान्तियों का सिद्धान्त है कि ‘सत् का अभाव और असत् का भाव गही होता।’ यदि इस सिद्धान्त को मानते हुए भी कोई वेदाती अनुत्पन्न परस्तु की उत्पत्ति और उत्पन्न परस्तु के विवाद का प्रतिवादन करने लगे तब वह अपसिद्धान्त नामक निग्रहस्थान में पड़ जायगा।

(२२) हेत्वाभास—

“असाधक हेतुत्वेनाभिमत हेत्वाभास ”

जो देखने में सो हेतु के ऐसा जात पड़े किन्तु यथार्थत हेतु (साध्य का साध्य) नहीं हो उसे ‘हेत्वाभास’ कहते हैं। तब कोई वादी या प्रनिधादी ऐस मिथ्या हेतु का आधय प्रहण करता है, तब वह ‘हेत्वाभास’ नामक निग्रहस्थान में जा पड़ता है।

हेत्वाभास का सविस्तर परिचय पढ़ले ही दिया जा चुका है। अब यदा हुहराना अनावश्यक है।

ईश्वर

[न्याय में ईश्वर का रूपा—ईश्वर के भवितव्य वा प्रमाण—ईश्वर विषयक राक्षसगाथान—दृष्ट्याचार्य की उत्तिर्यो—ईश्वर आख्यन् ।]

न्याय में ईश्वर का स्थान—

न्याय आहितह दर्शन है। नैयायिक गण ईश्वर को 'जगत्प्रियन्ता' तथा 'कर्मफलदाता' मानते हैं।

गौतम ने निम्नलिखित सूत्र में ईश्वर का उल्लेख किया है—

“ईश्वरः कारणं पुरुषकर्मफलदर्शनात्”

—या स, ४।१।१५

यहाँ प्रश्ना यह है कि सुव दुष्प्र कर्ता का कारण कौन है? इस सम्बन्ध में सूत्रकार एक पक्ष यों उपस्थित परते हैं—

“यदि दम ही के अधीन फल रहता तो कम फर्मो के साथ ही कल मिल जाता। किन्तु ऐसा देते में नहीं आता। लोग कम करते हैं, किन्तु उसका फल लगे हाथ नहीं मिलता। इससे सूचित होता है कि फलकल की प्राप्ति किसी ओर के अधीन है। जिसके अधीन है, वह ईश्वर है।”*

किन्तु अग्रे सूत्र में इस पक्ष का खण्डन किया गया है—

न, पुरुषकर्मगावे फलनिष्ठते

—या स, ४।१।३०

यदि फल देना केवल ईश्वर के हाथ में ही रहता तो फिर कर्म करने की क्या आवश्यकता होती? यिना कर्म के ही ईश्वर फल दे देते। किन्तु ऐसा नहीं होता। कर्म के अभाव में कल की निष्पत्ति नहीं होती। इससे सिद्ध है कि केवल ईश्वरेच्छा मात्र फलप्रदान का कारण नहीं हो सकती।†

* पुरुषोऽर्थं समीहमान नावरप्य समीहाक्षतं प्राप्नोति तेनातुमीयते पराधीनं पुरुषपत्य कर्मफलारापनं मिति, यद्यधीने स ईश्वर तस्मादीश्वरः कारणमिति। —या० भा०

† ईश्वराधीना सेवकनिष्ठता इवाद्यपि तर्हि पुरुषप्य समीहामत्तरेण फलं निष्पत्तेत। —या० भा०

इसलिये फल न तो केवल कर्म के अधीन है, न केवल ईश्वर के अधीन। कर्म स्वतं फल स पादित नहीं करता और ईश्वर स्वतं अपनी इच्छा के अनुसार फल नहीं देता। कर्म के अनुसार ही ईश्वर फल प्रदान करता है।

अत सिद्धान्त यह हुआ कि फल की सिद्धि पुरुषकार और ईश्वर दोनों ही पर निर्भर है। दूसरे शब्दों में यों कहिये कि कर्म और फल का सयोजक ईश्वर होता है। †

भाष्यकार चात्स्पादन 'ईश्वर' की व्याख्या करते हुए कहत है—

“आपकल्पव्याय यथा पिताभ्यत्यना॑ तथा पितृमृत ईश्वरो भूतानाम् ।

न चात्मकल्पादन्य कल्पः सम्भवति ।

न तावदस्य बुद्धि विना कथितमो लिङ्गमृत शक्य उपपादयितुम् ।

आगमाच द्रष्टा वादा सर्वज्ञाता ईश्वर इति ।”

—वा भा

अथात् “ईश्वर जगत्पिना है। सृष्टि के यावतीय नियम उसकी अनन्त बुद्धि के परिचायक हैं। सत्तार की विलक्षण रचना चातुरी विश्वनियन्ता की असीम बुद्धि का प्रमाण है। ईश्वर की सदायता के लिना सृष्टि का उपपादन नहीं हो सकता। श्रुति प्रमाण द्वारा भी ईश्वर का सव्वह, अन्तर्यामी तथा अनन्तबुद्धिशाली होना सिद्ध है।”

+ + + +

जैसे-जैसे न्यायशास्त्र का प्रसार होता गया, तैसे तैसे ईश्वर विषयक नियेचना भी घड़ती गई। विशेषत जष बौद्धों ने नास्तिक मत का प्रचार करना आरम्भ किया, तर नैया-पिक्कों को भी युक्ति द्वारा अस्तित्वाद का समर्थन करना अत्याधिक हो डठा। इन न्यायाचार्यों में सबसे अग्रगण्य हैं सूदृग्नाचार्य। इन्होंने अपनी न्यायकुमाराजिल में बड़ी योग्यता के साथ ईश्वर का प्रतिपादन किया है। इनकी यह गर्वोक्ति प्रसिद्ध है—

“ऐश्वर्यमदमतोऽसि सामवज्ञाय वर्तते

उपस्थितेषु वीजेषु मदधीना तव स्थितिः ।”

ये ईश्वर का सम्बोधन कर दृप के साथ कहते हैं—“तुम अपने ऐश्वर्य के मद में फूले सुके भूल बैठे हो, मेरी परवाह नहीं करते। पर याद रखो, धीदों के थोच में तुम्हारी रक्षा करनेवाला में थी है। यदि मेरा अस्तित्व तुम्हारे अधीन है, तो तुम्हारा अस्तित्व भी मेरे अधीन है।”

† पुरपत्रामीरतोऽनुग्रहाति फलाय पुरपत्र यत्तमानेस्मेश्वर पल सम्भादयति ।

ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण—

नेयाधिक गण जगत्कर्ता का अस्तित्व सिद्ध करने के लिये सामान्यता निम्नलिखित अनुमान का आधय लेते हैं—

हितयादिके सकर्त्तुकम्

कार्यत्वात्

घटवत्

अर्थात् घट-पट आदि जितने काय प्रव्य हैं, वे सब खत नहीं बा जाते, उहैं बनाने याता कोई निमित्त कारण (कर्ता) देता है। घट-निर्माण के लिये, कुम्भफार की आयश्यकता होती है, पट निर्माण के लिये तमुच्याय की अपेक्षा होती है। जिस प्रकार घट पट की उत्पत्ति के लिये कर्ता का होना आवश्यक है, उसी प्रकार इस जगत् की उत्पत्ति के लिये भी विसी वर्ता का होना आवश्यक है। इसरे शब्दों में यों फृदिये कि—

समस्त कार्यों की उत्पत्ति कर्ता के द्वारा होती है,

जगत् भी कार्य है,

इसलिये जगत् की उत्पत्ति कर्ता के द्वारा होती है

इस तरह जगत्कर्ता का अनुमान होता है।^{१०}

उपर्युक्त अनुमान के विवर यह दर्शात् पेश की जा सकती है कि यहाँ “जगत् का कार्य होना” यों ही विना किसी प्रमाण के मात्र लिया गया है। यदि जगत् का कायत्व मान लिया जाय तब तो उसका कर्ता आप ही सिद्ध हो जाता है। इसलिये जो हेतु यहाँ दिया गया है यह स्थर्य असिद्ध (साध्यसम) होते के कारण हेतुगमात् मात्र है।

इस आधेय का निराकरण करने के लिये नेयाधिकों ने एक युक्ति दृढ़ निकाली है। उनका कहना है कि ‘जगत् का कार्य होना’ यह हेतु सिद्ध है। कार्य का तत्त्व है साक्षयत्व। घट, पट आदि द्रव्य साक्षय हैं। अतएव वे कार्य की भेणी में हैं। जिस द्रव्य के भाग नहीं हो सके अर्थात् जो मिन्न मिन्न अवयवों के संयोग से नहीं बने हैं, वे कार्य नहीं हैं। ऐसे द्रव्य हैं— परमाणु और आकाश। ये दोनों अगादि और नित्य हैं। इन्हें किसीने बनाया नहीं। ये स्थरः शाश्वत ऋप से घर्चं मान हैं। इसके अतिरिक्त जितनी भी पस्तुरँ है, वे

^{१०} कायत्वाद्यश्वत्त्वेति जगत्संनुमीयते ।

साधयव है और अतप्राउन्हे काय कहना चाहिये । मिट्ठी, पत्थर घड़ा, दीवाल आदि सभी द्रव्य संयोगजन्य होने के कारण 'कार्य' हैं ।

परमाणु (लगुत्तम परिमाण) शीर आकाश (महत्तम परिमाण) के बीच जितने अथा तर परिमाण (Intermediate Magnitude) घटते द्रव्य हैं, (द्रव्यणुक से लेफर दिग्गज पर्यंत पद्धत) वे सभी साधयव होने के कारण काय हैं । समय विशेष में उनकी उत्पत्ति किसी विशेष प्रेरणाशक्ति (Initiative force) के द्वारा हुई । परमाणु आकाश की तरह ये अनादि और स्वयंभू नहीं माने जा सकते । सादि होने के कारण उनका कार्यत्व स्पष्ट है । ॥

संसार में जितनी भी घटतुर्यं दृष्टिगोचर होती है, उन सबमें मिन्न-मिन्न अवयवों के संयोग पाये जाते हैं । अतप्रथ संसार तिःसन्देह कार्य की कोटि में आ जाता है ।

सधेपत नैयायिकों की युक्ति इस प्रकार है—

ओ जो साधयव पदार्थ है ये सभी कार्य हैं, यथा घट, पट, कुड़ी (दीवाल) आदि ।

जगत् (पृथी प्रभृति) साधयव है ।

इसलिये जगत् कार्य पदार्थ है ।

जैसा सर्वसिद्धान्तसंग्रह में फला गया है—

'कार्यत्वमप्यसिद्ध्ये तद्मादेः साधयवत्वत् ।

पटकुड्यादिवचेति कार्यत्वमपि साध्यते ।

निवृत्य यह कि जिस प्रकार मिन्न मिन्न अवयवों के संयोग से निर्मित घट कुलाल (कुम्हार) का कार्य है, उसी प्रकार मिन्न मिन्न अवयवों के संयोग से घट हुए पटाड समुद्र प्रभृति भी किसी 'वशाएडकुलाल' के कार्य हैं । दिव की अद्भुत रचना को देखकर मालूम होता है कि इसका उनानेयाला अनन्त ज्ञान का नदार है, किसी विषय का ज्ञान उससे कूटा नहीं ॥

यहाँ पक्ष शब्द की जा सकती है । "पर्वत समुद्र धादि को किसीने बनाया" इसका क्या प्रमाण ? यदि आकाश की तरह उन्हे भी स्वयंभू मान लिया जाय तो क्या हज़र है ? मान लीजिये प्रतिपक्षी यों दृष्टा है—

'पर्वत समुद्रादि अकातुक हैं (अर्थात् उनका पनानेवाला कोई नहीं)

क्योंकि वे कार्य नहीं हैं (अर्थात् वे किसी समयविशेष में उत्पन्न नहीं होकर शाश्वत स्व से वर्तमान हैं) जैसे आकाश ॥' +

३ घटातर महानेन वा कायत्वातुमानस्य सुकरत्वात् ।

—स० द० स० ।

४ भूम् परादिक स्वयं सर्वविदेहकं मतम् ।

—स० सिं० स० ।

+ नगसागरादिकम्भृतुकम् ।

अन्यादात् । गामकम् ।

इसके उत्तर में नैयायिक कहेंगे कि 'पर्याप्तादि ता अकार्य' (उत्तरातिरहित) होगा' जो हेतु यहीं दिया गया है, यह असिद्ध दोनों के कारण अप्रमाण है। परत की रचना कसी हुई ही नहीं यह जानने के लिये कोई प्रमाण नहीं है। # आकाश का दम्भान्त यहाँ लागू नहीं होता। पर्योक्ति आकाश निरपेक्ष दोनों के कारण अनादि मात्रा जाता है, कि तु परत सावधन है। इसलिये अन्यान्य सावधन यथुआओं की तरह इसे सादि माना पड़ेगा। सादि दोने से ही यह कार्य घन जाता है, और इस तरह कारण की अपेक्षा हो जाती है।

इस प्रकार कार्य (Effect) ने कारण (Causal) का अनुमान कर नैयायिक गण ईद्वर की प्रतिपत्ति फरते हैं। नैयायिकों का कहना है कि इस अनुमान में किसी प्रकार का दोष नहीं है।

जगत् सकर्तृक है, क्योंकि यह काय है, और जो जो कार्य है सो सो सकर्तृक है, यथा पट, पट।

यहाँ 'गिर्द हेतु' की संभावना नहीं। क्योंकि लिङ्ग (कायत्व) और साध्य विपर्यय (अकर्तृत्व) में व्याप्ति सम्बन्ध नहीं है। † अर्थात्

"जो जो काय हैं सो सो अकर्तृक है" ऐसा नहीं कहा जा सकता।

यह हेतु 'अनेकतिक' भी नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि यहाँ गिरत (साध्य के अमाय) में (अकर्तृक वस्तुओं में) लिङ्ग (कायत्व) की वृत्ति नहीं पाई जाती। ‡

यहाँ जो हेतु दिया गया है, यह 'असिद्ध' कहवार भी हटाया नहीं जा सकता। क्योंकि 'जगत् ता कार्य होना' उसके 'सावधनत' से सिद्ध है।

यह अनुमान 'सत्प्रतिपक्ष' भी नहीं है। क्योंकि जगत् को अकर्तृक सिद्ध करनेवाला पक्ष देखने में नहीं आता। +

यह अनुमान 'वाधित' भी नहीं है। क्योंकि किसी भी अन्य प्रमाण के द्वारा जगत् का सकर्तृत्व नहीं कहता। ×

इस प्रकार पूर्वांक अनुमान सर्वधा निर्दोष तथा अखण्डनीय सिद्ध किया जाता है।

८ अभ्यन्तरं ह्युत्पत्तिराहित्यम्। तथा नगतागगदिषु न केनापि प्रमाणेन साधयितुं शक्यते।

--स० द० च० ट०

† नापि विरद्धो हेतु। साभ्यविश्वैद्यव्याप्तेरभावात्।

‡ नाप्यमीक्तिक। पञ्चाद्यप्रत्यक्षेरभावात्।

+ नापि सत्प्रतिपक्ष। प्रतिभटादर्शनात्।

× नापि कालात्ययापद्विष्ट। वाधकानुपज्ञभावात्।

— ईश्वरविषयक शंकासमाधान —

अब जैयापिकों के मतानुसार ईश्वरविषयक कुछ शंकासमाधान दिये जाते हैं।

(१) शका—मान लिया आप कि जगत् सकर्तृक है। उसे बनानेवाला कोई फचा है। किंतु यह कर्ता ईश्वर ही है, इसका पर्याप्त प्रमाण है।

समाधान—इस एका का समाधान करते हुए उद्यनाचार्य कहते हैं—

“आगमादे प्रमाणत्वे बाधनादनिपेषनम् ।

आभासत्वे तु सैव स्यादाश्रयासिद्धिरुद्धता ।”

—उत्तुगाङ्गलि ३।५

“ईश्वरविषयक प्रश्न जो आप उठाते हैं सो उस ईश्वर का ज्ञान आपको कहाँ से प्राप्त हुआ ? धूति प्रथों से । उन प्रथों को आप प्रामाणिक मानते हैं या नहीं । यदि नहीं, तब तो ईश्वर का अस्तित्व ही उड़ जाता है। फिर ईश्वर के कर्त्तव्य वा अकर्त्तव्य के विषय में विवाद कैसा ? मूल नास्ति कुत शाला ! जब आकाश में फूल ही नहीं खिलता तब यदि विवाद कैसे उठ सकता है कि यदि फूल लाल है या पीला ? इसलिये जब ईश्वर का अस्तित्व ही असिद्ध है, तब पेसा अनुमान घरना कि

“ईश्वर जगत्कर्ता नहीं है”

आश्रयासिद्ध होने के कारण अशुद्ध ही जायगा । *

यदि यदि फहिये कि आगम (वेद) को प्रमाण मानते हैं तो फिर यही आगम तो आपको यदि भी घतलाता है कि ईश्वर जगत् का कर्ता है। तब यदि आप पेसा अनुमान करें ये—

ईश्वर जगत्कर्ता नहीं है

तो यदि अनुमान वेद-प्रमाण के विद्वद् पड़ जान के कारण बाधित (खरिडत) हो जायगा । +

इस प्रकार उद्यनाचार्य अपने प्रतिपक्षी को दो शिक्कों के बीच कसकर दुष्प्रिया (Dilemma) में डालते हैं। यदि ईश्वर वद के द्वारा सिद्ध है तब तो उसी वेद के द्वारा ईश्वर का जगत्कर्ता होना भी सिद्ध है। और यदि यदि वद प्रमाणकोटि म नहीं है तब ईश्वर भी असिद्ध रह जाता है। फिर उसके विषय में यह चर्चा कैसी कि यदि कहा जाता है अध्ययन नहीं ?

* अथगमादि न प्रमाणे किन्तु प्रमाणाभास इति ईश्वरस्यासिद्धिरुपते तर्हि खदुक्तानाने पवासिद्धिरीनर्ति । —स० द० द० द०

+ यथगमादिप्रमाणेनेश्वरसिद्धिरुपते वदि तेवेव प्रमाणेनेवस्य जगत्कर्तृत्वमप्यास्येय भवति । चपा च खदुक्तानाने बाधित भवति । न तेन कर्त्तव्यस्य निवेदो भवति । —स० द० द० द०

तोट—न्यायशास्त्र में इस प्रकार के तर्क से बहुत अधिक काम किया गया है। प्रतिपदी को ऐसे दो विकल्पों (Alternatives) के बीच जाकर रख दिया जाता है कि उनमें किसी को भी स्वीकार करने से उसकी दार हो जाती है।*

(२) शका—यदि ईश्वर कर्ता होता तो उसके शरीर भी रहता। किन्तु वेदोक्त प्रमाणों से विवित होता है कि ईश्वर अशरीर है। तब फिर यह कर्ता केसे हो सकता है! †

दूसरे शब्दों में यों कहिये कि—

जो अशरीर है तो कर्ता नहीं हो सकता यथा आकाश।

ईश्वर अशरीर है

अतएव ईश्वर कर्ता नहीं हो सकता। “‡

इस शंका के समाधान में नैयायिकों का यह कहना है कि 'कर्तृत्व' के लिये केवल तीन यातों को आवश्यकता होती है—

(१) ज्ञान (Knowledge)

(२) चिकिर्षा (Will)

(३) प्रयत्न (Effort)

शरीर का होना 'कर्तृत्व' के लिये आवश्यक नहीं है। इसलिये 'कर्ता' की परिभाषा में 'शरीरसुक होना या न होना' कोई महत्त्व नहीं रखता। न्याय शास्त्रानुसार 'कर्ता' की परिभाषा यों है—

"कर्तृत्वं चेत्रकारकाप्योजकत्वे सति सकलकारकप्रयोकृत्वलक्षणं ज्ञानचिकिर्षप्रयत्नाधारत्वम्।"

निम्नलिखित लक्षण जिसमें पाये जायें यह 'कर्ता' है—

(१) साध्य (end) और साधन (means) का ज्ञान,

(२) साधन को काम में लाने की इच्छा,

(३) साध्य शास्त्रिनिमित्तक प्रयत्न (क्रिया)

कर्ता अपनी इच्छा से कार्य के हेतु सकल साधनों का प्रयोग करता है। यह स्वतन्त्र +

* उमयथाऽप्यसुकरत्वम्।

† यदीश्वर कर्ता स्यात्तद्विशरीरी स्यात्

‡ ईश्वरो नग्नागरादिकर्ता न भवति

शरीर रहितत्वात्

आकाशपद्

+ ईपतात्रः कर्ता

५३

होता है। जो प्रतिर्थीन आर्यात् दूसरे का प्रयोज्य घनकर किया में प्रवर्चित किया जाय, वह यथार्थ कर्त्ता नहीं कहला सकता।

इसलिये ईश्वर के कर्त्तृत्व-साधन के लिये इतना ही आवश्यक है कि यह स्वतन्त्र इच्छा से प्रवृत्त हो अपने हानि की सहायता से सुषिटि रचना की किया करे।

सर्वसिद्धान्तसग्रहकार द्वरे है—

“भशरीरोऽपि कुरुते शिरः कार्यमिहेच्छया

दहानपेच्छ दहे स यथा चेष्टयते जन ।”

अथात् शरीररहित होने पर भी ईश्वर अपनी इच्छा शक्ति से सूष्टि-रचना का काय करता है। इच्छा होते ही हम दाय को कपर उठा लेते हैं। या यों कहिये कि ईश्वर यन्में इच्छा हुरे, उधर हाय उठ जाता है। अपने शरीर को सञ्चालित करने के लिये प्रेबज्ज इच्छा मात्र ही प्रयत्न कारण है। यही कायसम्पादन (स्वदेह सञ्चालन) के हेतु इच्छा का किसी शरीर की सहायता का प्रयोजन नहीं पड़ता। इच्छा स्वतं निराकार होने हुए भी जाकार शरीर को प्रवर्चित करती है। यही इच्छा शक्ति काय की जननी है। मनुष्य सीमित ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न रचन के कारण सब कार्य नहीं कर सकता। किन्तु ईश्वर अनन्त ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न का मंडार है। इसलिये यह सब कुछ कर सकता है। सूष्टि की विशालता, पिचियता और सुशृद्धता देखकर सदृश ही में ईश्वर की सबशक्तिमत्ता और सर्वज्ञता का अनुमान किया जा सकता है। शरीररहित होते हुए भी ईश्वर इच्छा, ज्ञान और प्रयत्न का आधार है और इस तरह उसका कर्त्ता होना सिद्ध हो जाता है।

“इच्छा ज्ञान प्रयत्नारूपा महेश्वरगुणास्त्रय

रारीरहितेऽपि स्मुः परमाणुस्वरूपवत् ।”

—घ ख च

(३) शका—ईश्वर को सुषिकर्ता मान लेने पर भी यह प्रश्न उठता है कि आस्तिर सुषिटि की रचना उन्होंने क्यों की? किस उद्देश्य से? यदि यह कहा जाय कि सुषिटि रचना में उनका कुछ प्रयोजन नहीं था, तो यह बात ज़ंचती नहीं। विना प्रयोजन के किसी कार्य में प्रवृच्छि नहीं होती। किर इतना बड़ा सुषिटि-काय निर्देश्य हो, इस बात को बुद्धि कैसे शरीरकार कर सकती है?

“प्रयोजनमनुदित्य न हि मन्दो प्रवर्तते

जगच सबतस्तस्य कि नाम न कृते भवेत् ।”

—स व च

यदि ईश्वर की स्थृतिस्वना समिक्षाय मानी जाय तो फिर यह प्रश्न उठता है कि जगत् के निर्माण में ईश्वर की जो प्रवृत्ति हुई यह किस प्रयोजन से ? क्या यह प्रयोजन स्वार्थमूलक था अथवा परार्थमूलक ? यदि स्वार्थमूलक, तो इष्टप्राप्ति के निमित्त अथवा अनिष्ट परिहार के निमित्त ? यदि कहिए कि इष्टप्राप्ति के निमित्त, तो यह प्रश्न उठता है कि ईश्वर तो पूण है, उसके लिये कौन ऐसी यत्तु अभीष्ट हो सकती है जिसका उसे पहले अभाव था ? और यदि अभाव था, तो यह अपूण था और इसलिये 'ईश्वर' कहना ही नहीं सकता । अतएव इष्टप्राप्ति के निमित्त ईश्वर के प्रवृत्ति होने की कल्पना यहतो व्याधात दोष (Self contradiction) से युक्त होने का फारण अग्राह्य है । इसी तरफ के द्वारा अनिष्ट परिहार याली कल्पना भी निर्णित हो जाती है ।^{१०}

यदि यह कहा जाय कि ईश्वर का प्रयोजन परार्थमूलक है, अर्थात् उहोंने स्थृति अपने लिये नहीं यताई, दूसरों के लिये यताई, तो यह प्रश्न उठता है कि दूसरों के काम में प्रवृत्ति होने की उन्हें ज़रूरत ही क्या थी ? अपना काम दोढ़कर औरों के पीछे, दौटना तो युद्धिमान् का लक्षण नहीं है ।

इस तरह स्पष्ट है कि यदि ईश्वर ने अपने किसी तथ्य की पूर्ति के लिये स्थृति स्वना की तो उनकी पूर्णता पर आधात पर्दुचता है, और यदि उनका अपना वोई विशेष लक्ष्य नहीं था, तो उनकी युक्ति पर आधात पर्दुचता है । अतएव ईश्वर को जगत् का स्वप्न पहना उन्हें अपूर्ण ज्ञायथा मूल यताना है ।

समाधान—उपयुक्त शब्द के समाधान में नैयायिकों का यह कहना है कि—
“करण्या प्रवृत्तिरीक्षरस्य”

ईश्वर स्वभावतः दयालु है । करण्यावश यह स्थृति-काय में प्रवृत्ति होता है ।

यहाँ कुछ लोग यह शब्द कर सकते हैं कि यदि ईश्वर इतना दयालु है—करणा से प्रेरित होकर यह स्थृति की रचना करता है—तो यह सभी प्राणियों को सुखी कर्मों नहीं देनाता ? ससार में इतना दुःख और कष्ट क्यों है ?¹¹

* परमेश्वरस्य जगद्धिर्माणे प्रवृत्ति किमयोऽस्यार्थं परार्थं वा ? आयेऽपीष्टप्राप्यथर्थाऽनिष्टपरि द्वारार्थं वा ? नाथ । अवासपाकलकामस्य तदतुपरप्ते । अतएव न द्वितीय ।

† कः खलु परार्थं प्रवृत्तं माने प्रेषावानिति आवचीत ।

+ अथ करण्याऽप्यवृत्तिरित्याच्छीत कश्चिद् तं प्रस्थाच्छीत । तदिं सर्वांत् प्राणिन् सुखिन् पूर्व

सज्जेद्वीश्वर । न हु परावृत्तलान् । परस्पाविरोधात् स्वार्थमापेष्य परदु अप्रहायेष्वा हि कास्यम् ।

इसके उत्तर में नैयायिक कहते हैं कि संसार में जो दुख देपन में आता है घब्ब सृष्ट प्राणियों की अपनी कमाई है। अपने किये हुए पाप पुरुषों के अनुसार वे दुख-मुख भोगते हैं। इसमें ईश्वर का क्या दोष? जब जीवों के कम मिथ मिथ है, तब फ़ज़ाओं की विषमता भी अनिश्चय है। #इसलिये साक्षात्कृ कष्टों को देपकर ईश्वर को निष्ठुर समझना भूल है।

यहाँ एक और कठिनाई उपलिख्य होती है। यदि सभी प्राणी कर्म करने में स्वतन्त्र हैं तो किस वे ईश्वर के अधीन कैसे हुए? और यदि वे ईश्वर के अधीन नहीं हैं, तो किस ईश्वर को सर्वशक्तिमान् वा पूर्ण कैसे वह सकते हैं?

इसका उत्तर नैयायिक यों कहते हैं कि सृष्ट प्राणियों को अपनी इच्छा से ईश्वर ने कर्म करने की स्वतन्त्रता दे रखी है। इससे ईश्वर की पूर्णता में वाधा नहीं पहुंचती। क्योंकि जीवों की स्वतन्त्रता भी ईश्वरप्रदत्त है। और अपना अहंकार किसी को हानि नहीं पहुंचाता, इसलिये जीवों की स्वतन्त्रता से ईश्वर के स्वतन्त्रमहंकार की शका करना व्यथ है। +

(४) शंका—“ईश्वर है” यह ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? नैयायिक गण उत्तर देते हैं—“वेद से!” किस वेद पृष्ठा जाय कि “वेद प्रामाणिक बयोकर है?” तो नैयायिक उत्तर होगे—“इसलिये कि वेद ईश्वरीय वचन है।” यहाँ ईश्वर का प्रमाण वेद से, और वेद का प्रमाण ईश्वर से दिया जाता है। यह स्पष्ट अन्योन्याश्रय दोष (Petilio Principi) है।

समाधान—इसके उत्तर में नैयायिक कहते हैं कि यहाँ अन्योन्याश्रय दोष की जो उद्धारना की गई है, घब्ब गलत है। अयो याध्य दोष तब होता जब ईश्वर की उत्पत्ति वेद से और वेद की उत्पत्ति ईश्वर से मानी जाती। अयथा जब ईश्वर का ज्ञान वेद-द्वारा और वेद का ज्ञान ईश्वर द्वारा माना जाता। किन्तु यहाँ तो ईश्वर का ज्ञान वेद से और वेद की उत्पत्ति ईश्वर से मानी गई है। ईश्वर वेद का कारण है, किन्तु वेद ईश्वर का कारण नहीं (क्योंकि ईश्वर अनादि है)। वेद ईश्वर विषयक ज्ञान का कारण है। किन्तु ईश्वर वेद विषयक ज्ञान का कारण नहीं। वेदज्ञान तो अध्ययन मना के द्वारा होता है। इसलिये अन्योन्याश्रय दोष न तो ‘उत्पत्ति’ के सम्बन्ध में लागू होता है और न ज्ञान के सम्बन्ध में। ईश्वर वेद का कर्ता है, और वेद ईश्वर विषयक ज्ञान का साधन है। अतपव यहाँ अन्योन्याश्रय दोष की कल्पना ज्ञान्त है। +

न च निष्ठागतः सुखमयसग्रसदः | सख्यप्राणिङ्कृतं सुशुष्टुष्टुतपरिपाकविद्यपाद्वेषप्रपत्तिः ।

—स० द० स० ।

* नहि स्वातंत्रमहंकारः शङ्कनीय । ‘स्वातंत्रयाद्यक म भवति’ इति न्यायेन प्रत्युत उचित्वादात् ।

—स० द० स० ।

† किमुत्पत्ती परस्पराश्रय शब्दायते शस्त्री वा । नाम । आगमरेश्वरार्थीनोपतिक्तव्येऽपि परमेश्वरस्य निष्पत्तेऽप्त्वेत्तुपुपत्ते । नापि शस्त्री । परमेश्वरस्यागमाधानज्ञसिक्तव्येऽपि तस्य व्यतोऽवगमात् । —स० द० स० ।

उद्यनाचार्य की युक्तियाँ—

ईश्वर की सत्ता तथा सवालता सिद्ध करने के लिये जिन जिन युक्तियों का आधय लिया जा सकता है, उनका सुन्दर संश्रेष्ठ उद्यनाचार्य के निम्नलिखित द्वोषे पर सारगमित रूपों में मिलता है—

“कार्योजना पृथ्वादेः पदात् प्रत्ययत श्रुते
पाक्यात् संस्थापिरोपाश, साप्यो विश्वविद्ययः।”

—न्या० कु० ५।

सदैषत युक्तियाँ इस प्रकार हैं—

(१) कार्यात्—संसार कार्य है, इसलिये इसका कारण होना आवश्यक है। जगत् में जो अद्वितीय और व्यवस्था देखने में आती है, उससे कर्त्ता की असीम बुद्धि का परिचय मिलता है।

(२) आयोजनात्—अगुणों के संयोग से जो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं की रचना हुई है, वह अत्यन्त आकृत्य जनक तथा उस स्योजक की बुद्धिमत्ता का प्रमाण है।

(३) पृथ्वादेः—यद्य पिश्य जिन अखण्डनीय तथा अनुश्वरनीय नियमों के बल पर स्थिर है उन्हें देखकर विश्वविद्यता की योग्यता पर चकित रह जाना पड़ता है।

(४) पदात्—संसार में अनन्त कला-कौशल पाये जाते हैं जो परम्परागत रूप में अद्वितीय काल से चर्ने आते हैं। इन सर्वों का मूल श्रोत—उद्गमस्थान—ईश्वरीय बुद्धि के सिवा और फ्या हो सकता है।

(५) प्रत्ययत—विद्वान् की अस्तातता देखकर पता चलता है कि उसका स्थान (ईश्वर) असीम ज्ञान का मठार है।

(६) श्रुते—थ्रुतिग्रन्थ हप्पट रूप से कहते हैं कि ईश्वर सर्वदा और स्थृतिकर्ता है।

(७) पाक्यात्—भाषा की उरथत्ति पर विचार करने से ज्ञात होता है कि आदिम भाषा की सृष्टि न तो व्यक्ति विशेष द्वारा समय है, न समुदाय-विशेष द्वारा। भाषा ईश्वर की देन है और ईश्वरीय चमत्कार का घोतक है।

(८) संख्या विशेषात्—संख्या का ज्ञान सर्वप्रथम कैसे हुआ? दृष्टिगुप्त अग्निसमुदायों की सृष्टि संख्याज्ञान के विना नहीं हो सकती थी। इससे सिद्ध होता है कि संख्याज्ञान का भी मूल आधार ईश्वर ही है। जिस ज्ञान का थोड़ा-सा अर्थ पाकर मनुष्य गणितादि शास्त्रों का आधिकार करता है, वह ज्ञान पूण्ड्रप से ईश्वर में वृत्तमान है।

इन सब ज्ञातों से पता चलता है कि ईश्वर सर्ववित् और सर्वकर्ता है।

ईश्वर का स्वरूप—

न्याय मतानुसार ईश्वर के कक्षण ये हैं—

(१) ईश्वर रातीरहित होने पुर भी इच्छा, ज्ञान और प्रयत्न इन गुणों से युक्त है।

(२) ईश्वर अनन्त ज्ञान का भदार है। उसकी शक्ति का पारायार नहीं है। वह सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान् है।

(३) ईश्वर जगत् का रचयिता है। वह परमाणुओं की सहायता से सृष्टि की रचना करता है। परमाणु (आकाश की तरह) नित्य है। वे ईश्वर के बनाये हुए नहीं हैं। पर उन्हें के सहारे ईश्वर नियिल विष्य का निर्माण करता है। अतएव ईश्वर उत्पादक कर्ता नहीं है। अर्थात् वह मकड़े की तरह अपने भीतर से सृष्टि उत्पन्न नहीं करता। वह कुम्भकार की तरह प्रयोजक कर्ता है जो उपादानों को लेकर रचना करता है। अतएव नैयायिकगण ईश्वर को 'ग्रहाएङ्कुलाल' कहते हैं। ईश्वर जगत् का उपादान कारण (Material Cause) नहीं, किन्तु निमित्त कारण (Efficient Cause) है।

(४) ईश्वर सफल विश्व का स्थापक और नियमक है। उसीके बनाये हुए नियमों के अनुसार सक्षात् चक्र चलता है। ईश्वर ही समूह सृष्टि का कर्ता, वर्ती और सहर्ता है।

(५) ईश्वर सब जीवों का कर्मफलदाता है। वह अत्यार्थी और सर्वज्ञ होने के कारण सभी के पाप पुण्य जानता है और उनके अनुसार ही प्राणियों को तुल सुध का भोग कराता है। प्रकृति जड़ होती है। जीव अल्पज्ञ होते हैं। अत भवयचन्द्र चलानेवाला सर्वज्ञ ईश्वर के तिथा और कोइ नहीं हो सकता।

"कालकर्म प्रधाना देरचैतन्याच्छ्रुघोऽपर ।

अवपञ्चात् जीवाना मात्सः सर्वज्ञ एव स ।

— स एस स ।

* एनर्जम और मोत्र का वर्णन अप्रिम खण्ड, (वैयोविक दर्शन) में देखिये।

विषयानुक्रमणिका

अन्तर्पाद	२८	अन्तोन्याश्रय	१२९
अन्तर्पाद दर्शन	३	अन्त्य	५२
अनहल्लत्या	७६	अन्त्य व्यतिरेकी	५२, ५३
अर्णान	१६७	अपश्चर्त्यम्	१२३
अतिरैश	६६	प्रशर्प्ति	१२२, १३, १४
अटष्टप्रयोजन	११६	अपसिद्धान्त	१७१
अष्टप्राय	७७	अपायक	१६६
अधिक	११७	अप्रमा	२४८
अधिकरण	६०, १०५	अप्रतिभा	१६८
अधिकरण सिद्धान्त	१२५	अप्रसक्तात्	१६८
अनध्यवसाय	११४	अप्रतिरूपम्	१२३
अनध्यवसित	१४६	अभाव	२७, ३५
अननुभाषण	१६७	अभिध्य	७६
अनवस्था	१२८	अभिधान	१४८
अनित्यसम	१५९	अभिघाथ	७६
अनुग्रह	१२७	अन्युपगमसिद्धान्त	१२५, १२८
अनुसत्तिसम	१५५	अथाची मित्र	१६
अनुपत्तिभ	२७	अथं	३१, ५७
अनुपत्तिसम	१५८	अथवाद	७८
अनुपत्तिसमाप्तम् (संशय)	११३	अर्थागतर	१६५
अनुपरंहारी	१४३, १४४	अर्थापति	२७
अनुभव	८८	अलौकिक प्रत्यक्ष	३६
अनुमान	२८, ४२, ५४	अवच्छेदक	६३
अनुमिति	४४	अवच्छेदकरूप निरुक्त	१६
अनुमितिरहस्य	१६	अवयव	२, ४६, ४८, ११७, १२१
अनुयोगी	५९, ६०	अवयवार्थ	७१
अनुवाद	७८, १३४	अवशर्प्त्यम्	१५१
अनुव्यवसाय	३८	अधिगतात्त्व	१६४
अनेक घर्मोपपत्तिमूलक (संशय)	११२	अविनामाव	८६
अनेकामवाद	१०५	अविशेषसम	१५७
अनेकान्तिक	५६, १३८, १३९, १४२	अवदेत्तु	१४०
अन्नम् भट्ट	१६, १७, ४५, ७४, ७७, ७९, १४२	अवधारण	१४३

असिद्ध	१४४	उपाय कौशल्यसंग्रह	११९
अद्वेषम	१५६	उपरव्यवध्यव्यवस्थामूलक (संशय)	११३
अद्वेष्य	१०२	कह	११४
आकाशा	७३, ७४	ऐकान्तिक	५५
आकृति	७०	ऐतिहा	२०
आजानिक	६६	कथा	१३६
आत्मतत्त्वविवेक	१३	कथामुख	३३४
आत्मा	९१-१०६	कथावस्तु	१३३
आत्माभव्य	१२९	करण	२३, ४६
आत्मनिक दुर्योग निवृत्ति	६२-९४, ११६	कर्ता	१७३
आधार	६०	कर्मकल	१७१, १७२
आधुनिक	६९	कविकल्पनता	९२
आचीनिकी	३	कारण	१७३-१७५
आस	८३	फारिकावली १७, ४५, ५३, ७४, ७५, १०७, १०९	
आध्यात्मिक	१४४, १४५	कार्य	१७३-१७५
आसन्ति	७४	फायलम	१६०
इतिर्य	२०, ३१, ८६	फालातीत (फालात्ययापदिष्ट)	१४१, १४२
इतिर्यात्मवाद	९९ १००	किरणावली	१३, ३३
इतिर्याथसंयोग	३४	फुसुमाज्जलि प्रकाश	३४
इत्यर	१६१-१६२	वेवत व्यतिरेकी	५२, १५४
उत्कृष्टसम	१५०	वेवला यी	५२, २३
उत्तरपत्र	१३४	फैशबमिभ	१४, १९ ३९
उत्पत्ति	१०४	कोटिल्य	६
उदयनाचाय	१२, २५, २६, २३	गदाधर	५६ ११, ११६
उदाहरण	४७	गदाधरी	१६, १९
उद्देश	१६	गुणरत्न	११२
उद्देश्य	१५	गौतम ३, ४, ५, ६, ७ ए, ९, ३८ ४२, ४६, ४८,	
उद्योतकर	११, २५	६५, ७७ १०, १२, १४, १५, ११, १०९ ११२	
उपचारच्छुर्ज	१४८	१२२, १२२४, १२७, १३१, १३५, १३६ ३३८,	
उपनय	८०, १२१	१४०, १६१, १७१	
उपनिषद्	१०५	१३६ उपाध्याय	१४, १५, ३९ ५९ १४२
उपन्यास	१३४	चत्रक	१२९
उपरित्तम	१५०	चावाक	२७, १६, १२५
उपर्मान	२८, ६५, ६७	छुल	१४७
उपर्मिति	६५ ६६	जगत्कर्ता	१७३
उपरमित्यसम	१५८	जगदाश	१६, १०

जयतमद्वा	१५, २६, ३३	दोष	८९
जल्प	१३५, १३६	दृष्टि	९०
जहवताषणा	७६	धर्मकीर्ति	११, १२३
जाति	७०	धर्मोचर	११
जाति	१४९-१६०	नव्यन्याय	१४, १६, ११, ५२, ५१, ६४, १४२
जागदीशी	१६, १६	नागार्जुन	११, ११९
जिशासा	११४, ११७, १२७	नागेश	२०
जीवात्मा	१०५	निगमन	४७, १२०, १२२
जैनदर्शन	८१, १२२	निश्चदस्यान	१६१-१७०
जैनलक्षण	४०, ४१	नित्यसम	१५९
तत्त्वचित्तामर्थि	१४, १५, ५१ ६१ १४२	निरन्त्रयोज्यानुयोग	१६९
तकं	१२६	निरथक	१६६
तकंकोमुदी	२३, ५६, ८१, ८३	निर्णय	१३१
तकंदीपिका	८५, ९०, १०७	निर्विकल्प	३७, ३८
तकंप्रकाश	८८, ८९, १०४	नि ध्रेयस	९२, ६३, १४, ११६
तकंभाषा	१४, १९, २२, १२, १३, १०४, १०७, १२७	‘यायकुसुमाङ्गलि	२५, २६, १७२, १७६, १८१
तकंशाख	३	न्यायक्लोश	५५
तकसम्बद्ध १७, २२, २३, ३७, ४५, ५१, ५२, ६८, ६९, ७४, ७५, ८८, १०१, १०५, १०७, १११, १४३, १४४	न्यायनिवाचप्रकाश	१४	
तकसम्बद्ध दीपिका	१७, ४७, १२१	न्यायपरिणिष्ठ	१३
तकंमूत	१६	‘यायप्रयोग	२, ४८
तार्किकरत्वा	१४, १९, २६, १२४, १२६, १५२	न्यायप्रवेश	११९
तात्त्वर्य	७५	न्यायमजरी	२६, ३९
तात्त्वर्य परिशुद्धि	१२	‘यायलीलावती	१४
तात्त्वर्याचार्य	१२	यायवाचिक	२, ११, २६, १०, १३
त्रिलोचन	१२	यायवाचिकतात्प्रयटीका	११ १३, ३४
दशावयव	११७	न्यायविन्दु	११, १२३
दिहनागाचार्य	११, १३, १६, ११९, १२२	न्यायवार	१३
दिनकर	२०	न्यायसिद्धान्त दीपिका	१४
दीपिति	१५, १६	न्यायतूची निवन्ध	१२
दुख	११	न्यायसूत्र	८, ८, २८, ३०, ३८, ४२, ५६ ८७, ४८, ६५, ७०, ७१, ७७, ७८, ८२, ८३, ८४, ८५,
दृष्टि प्रयोजन	११६	९०, ९१, ९२, ९५, ९७, १०, ११, १०१, १०५, १०८, १०९, ११२, ११५, १२४, १२५, १२७, १२०, १३१, १३५, १३६, १३९, १४०, १४१, १४७,	
दृष्टि	११७	१४८ १४८, १५२, १५३, १५४, १५५, १५६, १५७, १५८, १५९, १६०, १६२, १६३, १६४, १६५,	
दृष्टि	७७	१६५, १६६, १६७, १६८, १६९, १७०, १७१	

न्यायसूत्रोदार		१२	प्रमा	२२, २३, २५
न्यायाचार्य		१३	प्रमाण	२२, २४, २५, २७, २८
न्यायावश्यक	२, ११६, १२३	१४	प्रमाण वाचितार्थ इष्टग	१२८
न्यून		१६७	प्रमाता	२६, २८
पक्ष		५१	प्रसिद्धि	२४
पक्षघमता		४४	प्रदेश	२५-२६
पक्षभरमित्र		१४, ११	प्रमाणाचाल	६, ४, २६
पञ्चावयव	२, ४६, ११७, १२१	१५	प्रयोजन	११५, ११६
पद	६१, ७०, ७२	१६	प्रयोज्य	११६, ११८
पदार्थ		८	प्रहृति	८६
पदायचन्द्रिका		८६	प्रशस्त्वपाद	८५, १३१
पदायशाल		१४	प्रधन्यसम	१४३
परमन्याय		२	प्रासिसम	१२३
परमात्मा		१०५	प्राप्यकारितावाद	१३३
परमर्य		४५	प्राभाकर मीमांसा	१०
परार्थानुमान	२, ५१, ११९	१५	प्रत्यभाव	९०
परिभाषा		६१	फल	८६
परीक्षाशाल		४	ब्रह्माशब्दकुलाल	१७४, १८२
पयनुयोज्यानुयोग		१६१	चाचित	१४६
पाणिनि		२१	बालगादापरी	१७
पुनरुक्त		९	द्विदि	८८
पूर्वपक्ष		१३४	द्वद्यात्मवाद	१०१
पूर्ववत्		४८, ५०	द्वौद्ध	८, २७, ३२, ३३, ८१
प्रकरण		१३३	भट्टमीमांसा	१७
प्रकरणसम		१४०	भवनाथमित्र	१६
प्रकरणसम		१५५	भासती	१२
प्रतिश	२, ४६, १२०	१५४	भाष्यकृति	१६
प्रतिशान्तर		१६३	भास्वश	१३, ३९, ६७
प्रतिशाविरोध		१६३	भूयोदयन	६१
प्रतिशास्यात		१६४	भोगायतन	१०४
प्रतिशाहनि		१६३	मकरद	१५
प्रतिशन्त्रिदान्त		१२५	मरयालोक	१५
प्रतिशास्यसम		१५४	मतानुशा	१५९
प्रतियोगी	५३, ६०	१५४	मधुरानाय तर्कवागीश	१६, १८
प्रत्यक्ष	२८	३३, ३५-४०	मन	३६, १०६-११०
प्रत्यभिशा		४४	मनु	५
			मानसात्मवाद	१००, १०१

भीमासा २	२७, ४५, ६८, ७९, ८०, ११८, १४९	वादविद्या	३
मुरुप प्रयोजन	११६	वासुदेव सार्वमीम	१५, १६
मूलगदाघरी	१६	विश्वलक्षणम्	१५२
मोक्ष	१२, ६३, ९४, ११६	विज्ञेय	१६९
मोह	१०	विश्वानवाद	३२
याज्ञवक्ष्य	६	वितश्च	१३६
योगन प्रत्यक्ष	४१	विद्या	६
योगरूढ	७३	विद्यिवाक्य	७८
योगार्थव	८५	विनाश	१०४
योग्यता	७४, ७५	विष्वक्ष	५३
यौगिक	७३	विप्रतिपत्तिमूलक	११२
राग	८१	विभु	१०३, १०४
लक्षणा	७६	विमर्श	१२७
लक्षण्यावली	१३	विहृद	१३९, १४४
लघुमञ्चन्या	२४	विवक्षित	१४७
लाक्षणिक	७६	विशेष विशेषणभाव	३५
लिंग	४२, ५७, ८१	विश्वनाथ पञ्चानन	१७, ४४, ४९, ९०, १०७
लिंगपरामर्श	४४	वेदात्	२७, ३५, ३८
बिंगी	४२, ५७, ८१	वेदा तकारिका	२७
लीलावती कथाभरण	१४	वैदिक वाक्य	७८
वदतोव्याधात्	१३०	वैधम्य इष्टात्	१२२
वरदराज	१४, १९, २६	वैधम्य सम	१५०
वराहपुराण	१२	वैद्यावरण	६८
वर्धमान उपाध्याय	१४, १८, १९	वैशेषिक	६७, ८१, ११७, १३९
वस्तुवाद	३२	वैशेषिक उपस्कार	८८, १०१, १०२
वाक्षुल	१४७	व्यक्ति	७०
वाक्य	७२	व्यतिरेक	५२
वाचस्पति मिथ	११, २९, ५८	व्यभिचार	१५८
वाचस्पत्य	१०२	व्यवलाय	३८
वात्स्यायन २, १०, २८, ३६, ४२, ४८, ६७, ७७	७७	व्यापक	४३, ५६
८०, ८८, ८५, ८६, ८७, ९१, ९६, ९८		व्यापार	४६
११७, ११८, १२२, १३१, १३२, १४२		व्याप्ति	४३, ५५, ६४
वात्स्यायन भाष्य १०, ११, ३६, ४२, ६६, ६७,		व्यासिग्रहोपाय	६१
७७, ९२, ९४, ९८, १०८, १२१, १३१, १५१,		व्याप्य	४३, ५६
१७१, १७२		व्याप्यत्वासिद्ध	१४५
वाद	१३५	व्युत्पत्तिवाद	१६

शक्यपासि	११८	संविकल्प	३८,३८
शक्ति	६९-७१	संव्यभिचार	१३८, १३९, १४०
शक्तिवाद	१६	साधा	२७
शब्द	६८—८२	साधारण	१५३
शब्द प्रमाण	७७	सांख्य	५७
शब्दशक्तिप्रकाशिका	१६	साध्यसम	(४)
शब्दानित्यव्यावाद	८०	साध्यसम	१५३
शरीर	८८	सामयिक सम्बन्ध	८२
शान्तियोध	७३	सामाज्यकल	१५७
शिवादित्य	१४	सामाज्यतो दृष्टि	४९—५१
शूल्यवाद	३२	सामाज्यलक्षण प्रत्यासति	३९, ४०
शेषगत्	४८—५०	साहचर्य	५५
शंकर मिथ	१५, १६, १८	सिद्धाळान	१७
पद्धतीन वर्लम	१२	सिद्धान्त	१४४, १२५
पद्धत्यन समुच्चय	४९,५५	सिद्धान्त चन्द्रिका	११
पद्धत्यन समुच्चयवृत्ति	११३	सिद्धान्त मुक्तावली १७,३८,५३ ६७,७३,७४,११०	
सत्यनिष्ठा	१४४	सिसाधिया	५३
सञ्जिकार्य	३२	संकेत	६८
संपद	५३	संयुक्त समव्यय	३४
संसपदार्थी	१४	संयुक्त समवेत समवाय	३४
समवाय	३५	संयोग	३४
समवेतसमवाय	३३	संशय	१११, ११८, ११८, १२७
समव्याप्ति	५६	संशयसम	१५८
समान धर्मोपचित्यमूलक	११८	संशय व्युदाश	११८
समानाधिकरण	६३	साख्य	१२,६७
समुदायार्थ	७१	स्फाटवाद	७१
सवत्तत्र सिद्धान्त	१२४	स्वार्थतुमान	५१ ११९
सद्दर्थन समद २, ११ ११, १०३, १११, ११२, ११७, १२२, १७८, १७५, १७६, १७७, १७८, १७९, १८०	१७३, १७४, १७८, १८१	हेतु	३,४६,१२१
सचिदानन उपर	१७३, १७४, १७८, १८१	हेतुविद्या	३
		हेत्वन्तर	१६४
		हेत्वाभास	१३८, १४१, १४०

